जी.आई.एस. आधारित

अलीगढ़ महायोजना

2031 (पुनरीक्षित)

शासनादेश संख्या I/497685/2024–8–3099/537/2023 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ०प्र० शासन, लखनऊ, दिनांक 16.02.2024 द्वारा अनुमोदित एवं विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक 23 फरवरी 2024 से प्रभावी।

अमृत
Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अलीगढ़

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

एवं

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण

कन्सलटेन्ट – अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान

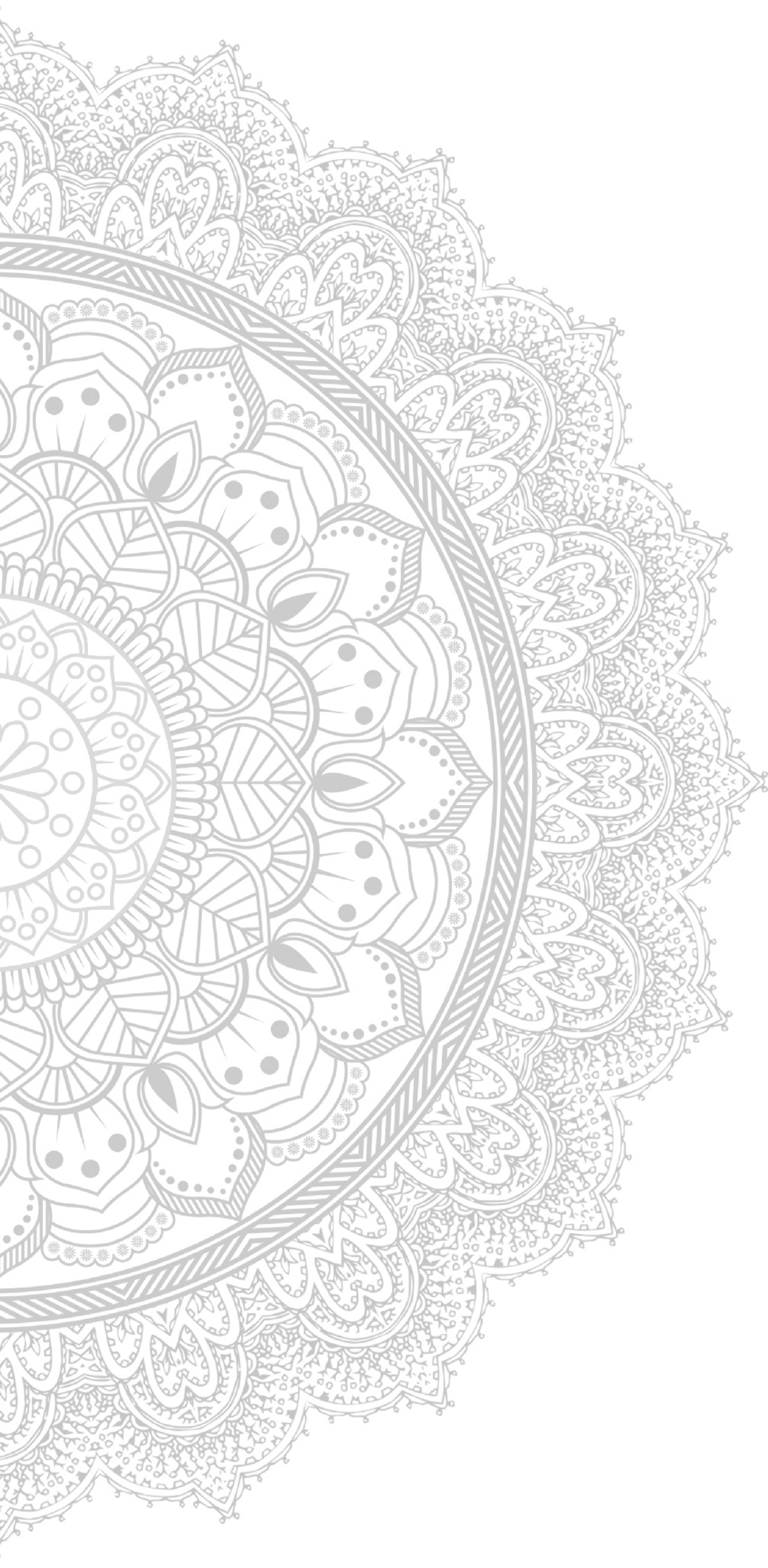

प्राक्कथन

भारत सरकार की ''**अमृत योजना**'' के अन्तर्गत जी.आई.एस. आधारित **अलीगढ़ महायोजना–2031** तैयार की गई है। अलीगढ़ महायोजना–2031 की यह पुस्तिका अलीगढ़ शहर और आसपास के क्षेत्रों में भूमि उपयोग की रणनीति और स्थानीय विकास के लिए दीर्घकालीन योजना निर्धारित करती है। यह पुस्तिका अलीगढ़ में संचालित योजनाओं, नीतियों, आवास, रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करती है। महायोजना–2031 का विजन शासन की निर्धारित नीतियों के आधार पर परिकल्पित किया गया है। हर्ष है कि महायोजना में स्थानीय आवश्यकताओं, आगामी दशकों के विकास हेतु आधारभूत संरचनाओं व पर्यावरण से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखते हुए एवं शासन की निर्धारित नीतियों, समय–समय पर निर्गत निर्देशों एवं आगरा मण्डल, सम्भागीय नियोजन खण्ड, आगरा से प्राप्त मार्गदर्शन का समावेश करने का प्रयास किया गया है। महायोजना–2031 का स्वरूप इसके गठन के प्रत्येक चरण के दौरान सम्पन्न बैठकों में हितधारकों से किये गये परामर्श की श्रृंखला पर आधारित है।

मैं, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, आगरा, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण बोर्ड के सभी सदस्यों, विभिन्न शासकीय, अर्द्ध–शासकीय कार्यालयों तथा स्थानीय जागरुक नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आशा है कि जी.आई.एस. आधारित अलीगढ़ महायोजना–2031, अलीगढ़ के विकास क्षेत्र के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास में गति प्रदान करेगी एवं अन्य सम्बन्धित विभागों हेतु सहायक होगी तथा इस महायोजना के सफल क्रियान्वयन में नगरवासियों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

(ह.)
(अतुल वत्स)
आई.ए.एस.
उपाध्यक्ष
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण
अलीगढ़

विषय सूची

विवरण		पृष्ठ संख्या
महायोजना परिचय		**1**
	महायोजना क्या है?	1
	महायोजना द्वारा नगर एवं जन–जीवन पर प्रभाव	1
अध्याय–1 उद्भव एवं विकास		**2–6**
1.1	स्थिति	2
1.2	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं क्रमिक विकास	3
1.3	क्षेत्रीय स्थिति एवं संपर्क	3
1.4	भौगोलिक स्थिति	4
1.4.1	भूजल गुणवत्ता	5
1.4.2	मिट्टी	5
1.5	जलवायु	6
1.6	मेला एवं त्यौहार	6
अध्याय–2 महायोजना की आवश्यकता		**7–12**
2.1	विकास क्षेत्र	7
2.2	नगरीय विकास	8
2.3	अलीगढ़ महायोजना–2031	10
2.4	महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता	10
2.5	महायोजना संरचना की प्रक्रिया	11
अध्याय–3 वर्तमान अध्ययन		**13–26**
3.1	जनसंख्या	13
3.2	लिंगानुपात	14
3.3	साक्षरता दर	15
3.4	कार्यशील जनसंख्या	15
3.5	कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण	16
3.6	कार्यशील जनसंख्या का श्रेणीवार विवरण	16
3.6.1	मुख्य कामगार (श्रमिक)	16
3.6.2	सीमान्त कामगार (श्रमिक)	16
3.7	पारिवारिक संरचना	19
3.8	आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण	19
3.9	प्राथमिक क्रिया	19
3.10	द्वितीयक क्रिया	20
3.11	तृतीयक क्रिया	22
3.12	भौतिक अवसंरचना	22

3.12.1	जलापूर्ति	22
3.12.2	जल निकासी	23
3.12.3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	23
3.12.4	बिजली	23
3.12.5	डाक एवं संचार	24
3.13	सामाजिक आधारभूत संरचना	24
3.13.1	शिक्षण सुविधाएँ	24
3.13.2	स्वास्थ्य सुविधाएँ	25
3.13.3	मनोरंजनात्मक सुविधाएँ	25
3.13.4	धार्मिक महत्व के स्थल	25
3.13.5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएँ	26
3.13.6	अग्निशमन	26
3.13.7	अन्य (पार्क और खेल के मैदान)	26
अध्याय–4 पर्यटन प्रोफाइल		**27–28**
4.1	अलीगढ़ में पर्यटन	27
4.2	पर्यटन गतिविधियाँ	27
4.3	अलीगढ़ में पर्यटन प्रवाह	27
4.4	अलीगढ़ की फ्लोटिंग आबादी का प्रक्षेपण	28
4.5	पर्यटन नीति	28
4.6	पर्यटन विभाग की प्रस्तावित/निर्माणाधीन परियोजनाएँ	28
अध्याय–5 पर्यावरण रूपरेखा		**29–33**
5.1	जलीय संरचना	29
5.2	शहर में प्रदूषण स्तर	29
5.2.1	वायु प्रदूषण	29
5.2.2	जल प्रदूषण	31
5.2.3	औद्योगिक प्रदूषण	32
5.2.4	वनावरण, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र	33
5.3	आपदा प्रबंधन	33
अध्याय–6 वर्तमान भू–उपयोग एवं प्रभावी महायोजना का तुलनात्मक अध्ययन		**34–40**
6.1	वर्तमान भू–उपयोग	34
6.1.1	अलीगढ़ शहर का विद्यमान भूमि उपयोग	35
6.2	महायोजना–2021 से विचलन की स्थिति	37
6.2.1	वर्तमान भू–उपयोग	39
अध्याय–7 नियोजन की समस्याएँ		**41–42**
अध्याय–8 महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य		**43**
8.1	दृष्टि	43
8.2	उद्देश्य	43

अध्याय–9 आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण		**44–78**
9.1	जनसंख्या प्रक्षेपण	44
9.2	जनसंख्या घनत्व	48
9.3	जनसंख्या वृद्धि दर	49
9.3.1	जनसंख्या वितरण (शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या)	52
9.4	प्रवासन	52
9.5	आवास प्रक्षेपण	52
9.6	अलीगढ़ विकास क्षेत्र में जलापूर्ति की आवश्यकता	59
9.6.1	जलापूर्ति	59
9.7	वर्षा जल निकासी	60
9.8	सीवेज	60
9.9	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	61
9.10	बिजली की आवश्यकताएँ	62
9.10.1	बिजली के लिये प्रक्षेपण	62
9.11	डाकघर एवं संचार के लिये आवश्यकताएँ	63
9.11.1	विकास क्षेत्र में डाकघर एवं संचार के लिए अनुमान	63
9.12	शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकताएँ	63
9.12.1	अलीगढ़ नगर में शैक्षणिक सुविधाओं का अनुमान	63
9.13	स्वास्थ्य सुविधाएँ	65
9.13.1	अलीगढ़ विकास क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रक्षेपण	65
9.14	मनोरंजन, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सुविधाएँ	68
9.14.1	अलीगढ़ विकास क्षेत्र में आवश्यक मनोरंजन एवं धार्मिक सुविधाओं का प्रक्षेपण	68
9.15	फायर व पुलिस स्टेशन	72
9.15.1	अलीगढ़ विकास क्षेत्र के लिए फायर स्टेशन व पुलिस स्टेशन का प्रक्षेपण	72
9.16	अन्य सुविधाएँ (पार्क और खेल के मैदान)	75
अध्याय–10 भू–उपयोग प्रस्ताव		**79–104**
10.1	नगर के विकास/विस्तार की दिशा	79
10.2	भू–उपयोग एवं प्रस्ताव	80
10.2.1	आवासीय	82
10.2.2	व्यवसायिक	82
10.2.3	औद्योगिक	84
10.2.4	कार्यालय	86
10.2.5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएँ	86
10.2.6	खुले स्थल	86
10.2.7	यातायात एवं परिवहन	88
10.2.8	अन्य भू–उपयोग	89
10.2.9	कृषि क्षेत्र	89

10.2.10	आपदा प्रबंधन परियोजनाएँ	94
10.2.11	नदी केन्द्रित विकास	94
10.2.12	निषिद्ध उपयोग एवं गतिविधियाँ	95
10.2.13	अनुमन्य उपयोग / गतिविधियाँ	95
10.2.14	विशेष परिस्थितियों में प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा अनुमत उपयोग / गतिविधियाँ	95
10.3	शासकीय नीतियों का अनुपालन	96
10.3.1	आवास नीति, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति	96
10.3.2	उ0 प्र0 पर्यटन नीति	96
10.3.3	सौर उर्जा नीति	96
10.3.4	रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीति	96
10.3.5	फिल्म नीति	97
10.3.6	सूचना प्रौद्योगिक नीति	97
10.3.7	आपदा प्रबंधन नीति	98
10.3.8	औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति	98
10.3.9	अन्य	98
10.4	नियोजन खण्ड	99
10.5	चरणबद्ध विकास	100
10.5.1	परिचय	100
10.5.2	तत्काल चरण 1ः प्रमुख कार्य	100
10.5.3	महायोजना क्रियान्वयन के अनुश्रवण	101
10.6	स्ट्रैटेजिक प्लान एवं वित्त पोषण	102
10.6.1	प्रमुख संसाधन जुटाने हेतु स्रोत	103
10.6.2	भूमि संग्रहण एवं प्रबन्धन	103
10.6.3	भूमि संग्रहण हेतु अनुशंसाएँ	103
अध्याय–11	**जोनिंग रेगुलेशन्स**	**105–138**
11.1	परिचय	105
11.1.1	जोनिंग के उद्देश्य	105
11.1.2	जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य्य विषेषताएँ	105
11.1.3	विभिन्न क्रियाओं / उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ	106
11.1.4	फ्लोटिंग उपयोग	106
11.1.5	प्रभाव शुल्क	107
11.1.6	अनुज्ञा की प्रक्रिया	108
11.1.7	अन्य अपेक्षाएँ	108
11.1.8	परिभाषाएँ	109
11.2	भू–उपयोग परिसरों / क्रियाओं की परिभाषाएँ	110
11.2.1	आवासीय	110
11.2.2	वाणिज्यक / व्यवसायिक	110

11.2.3	औद्योगिक	112
11.2.4	कार्यालय	112
11.2.5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक	113
11.2.6	सार्वजनिक उपयोगिताएँ	117
11.2.7	यातायात एवं परिवहन	117
11.2.8	पार्क, खेल/खुले स्थल	118
11.2.9	कृषि	119
11.2.10	अस्थायी क्रियाएँ/अन्य परिसर	119
11.3	प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु शर्तें एवं प्रतिबंध	120
11.3.1	विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) हेतु अपेक्षाएँ	121
11.4	प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता	123
11.5	भू–उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क का निर्धारण	130
अनुलग्नक 1–4		**131–138**
अध्याय–12 स्पेशल असिस्टेंस के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनायें		**139–148**
12.1	कम्प्रेहैन्सिव मोबिलिटी प्लान/ट्रांसपोर्टेशन प्लान	139
12.1.1	महत्वपूर्ण गतिविधि क्षेत्र	139
12.1.2	सार्वजनिक परिवहन रणनीति	140
12.1.3	गैर मोटर चालित परिवहन	141
12.1.4	यातायात इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन	141
12.1.5	पार्किंग प्रबंधन	141
12.1.6	कार्यान्वयन योजना	141
12.2	आर्थिक योजना (Economic Plan)	142
12.2.1	कार्यबल	142
12.2.2	वाणिज्यिक और औद्योगिक नोड्स	142
12.2.3	माल परिवहन अवसंरचना	143
12.2.4	आवास	143
12.2.5	पैदल यात्री और गैर–वाहन क्षेत्र	143
12.2.6	वेंडिंग जोन	144
12.2.5	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु योजना	143
12.3	ब्लू–ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना	145
12.3.1	जल निकासी अवसंरचना	145
12.3.2	ग्रीन बेल्ट और बफर जोन	145
12.3.3	हरित बुनियादी स्वरुप के लिए प्रस्ताव	146
12.4	ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टी.ओ.डी.)	148
अनुलग्नक 5–6		**149–163**
शासनादेश		164–165
विज्ञप्तियाँ		166–168

मानचित्रों की सूची

	विवरण	पृष्ठ संख्या के उपरान्त
मानचित्र– 1	अलीगढ़ जिले में भू–आकृतिक विशेषताएँ	3
मानचित्र– 2	डिजिटल एलिवेशन मॉडल	3
मानचित्र– 3	भूजल स्तर मानचित्र	4
मानचित्र– 4	जल–भूविज्ञान मानचित्र – अलीगढ़ जिला	5
मानचित्र– 5	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण क्षेत्र	6
मानचित्र– 6	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण क्षेत्र A.O.I. के साथ	7
मानचित्र– 7	अलीगढ़ जिला मानचित्र	8
मानचित्र– 8	अलीगढ़ नगर सीमा	8
मानचित्र– 9	वर्तमान भू–उपयोग एवं महायोजना–2031 के मानचित्र	कवर पॉकेट
मानचित्र– 10	महायोजना–2021 में विचलन	36
मानचित्र– 11	वार्डवार जनसंख्या घनत्व	48
मानचित्र– 12	शहर के विकास की दिशा (1989 से 2016)–अलीगढ़	82
मानचित्र– 13	शहर के विकास की दिशा (2016 के बाद)–अलीगढ़	82
मानचित्र– 14	अलीगढ के विभिन्न जोन्स का मानचित्र	100
मानचित्र– 15	महत्वपूर्ण गतिविधि केंद्र	140
मानचित्र– 16	प्रस्तावित बस टर्मिनलों की अवस्थिति	140
मानचित्र– 17	प्रस्तावित फुटपाथ की अवस्थिति	140
मानचित्र– 18	प्रस्तावित साइकिल ट्रैकों की अवस्थिति	140
मानचित्र– 19	प्रस्तावित जंक्शनों की अवस्थिति	140
मानचित्र– 20	प्रस्तावित पार्किंग स्थलों की अवस्थिति	140
मानचित्र– 21	नगर का आर्थिक आधार	140

तालिकाओं की सूची

	विवरण	पृष्ठ संख्या
तालिका– 1	अलीगढ़ शहर की जनसंख्या	13
तालिका– 2	अन्य नगर पंचायत और नगर पालिका का लिंग अनुपात	14
तालिका– 3	अन्य न.पा.प. और न.प. की साक्षरता दर	15
तालिका– 4	कार्यबल भागीदारी दर (महिला–पुरुष) प्रतिशत में	17
तालिका– 5	कार्यबल भागीदारी दर–अलीगढ़ शहर	18
तालिका– 6	अन्य न.पा.प. और न.प. की कार्यबल भागीदारी दर	18
तालिका– 7	परिवार का आकार	19
तालिका– 8	अलीगढ की औद्योगिक इकाईयों का विवरण	20
तालिका– 9	नगर निगम, अलीगढ़ से प्राप्त पेयजल व्यवस्था का विवरण	23
तालिका– 10	विद्युत स्टेशनों का विवरण	23
तालिका– 11	स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे का विवरण	25
तालिका– 12	अग्निशमन केन्द्रों का विवरण	26
तालिका– 13	भूजल गुणवत्ता	32
तालिका– 14	प्रस्तावित भूमि उपयोग–2021	34
तालिका– 15	मौजूदा विकास का विश्लेषण	36
तालिका– 16	अलीगढ़ महायोजना–2021 में प्रस्तावित भू–उपयोग के विरुद्ध व अनुरूप विकास	38
तालिका– 17	अलीगढ़ नगर का जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2031	44
तालिका– 18	वर्ष 2031 के लिए अन्य शहरी केंद्र जनसंख्या अनुमान	45
तालिका– 19	वर्ष 2031 के लिए अन्य ग्रामीण जनसंख्या अनुमान	47
तालिका– 20	विकास प्राधिकरण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या–2031	47
तालिका– 21	खैर नगर पालिका परिषद और अन्य नगर पंचायतों की अनुमानित जनसंख्या	48
तालिका– 22	जनसंख्या घनत्व–अलीगढ़	48
तालिका– 23	अन्य न.पा.प. और न.प. का जनसंख्या घनत्व	48
तालिका– 24	न.पा.प. और न.प. की जनसंख्या और विकास दर	50
तालिका– 25	शहरी और ग्रामीण जनसंख्या	52
तालिका– 26	आवास आवश्यकताएँ अलीगढ़ शहर (हरदुआगंज सहित)	53
तालिका– 27	अनुमानित जल आपूर्ति आवश्यकताएँ – 2031	59
तालिका– 28	आवश्यकताएँ 2031 – शैक्षिक सुविधाएँ	63
तालिका– 29	स्वास्थ्य आवश्यकताएँ–2031	66
तालिका– 30	सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं मनोरंजनात्मक आवश्यकताएँ	68
तालिका– 31	सार्वजनिक उपयोगिताओं की आवश्यकता– 2031	72
तालिका– 32	पार्क और खेल के मैदान की आवश्यकता– 2031	75

तालिका– 33	भू–उपयोग एवं प्रस्ताव	80
तालिका– 34	महायोजना 2031 में सम्मिलित नवगठित शहरी स्थानीय निकाय	90
तालिका– 35	खैर (न.पा.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031	91
तालिका– 36	पिसावा (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031	91
तालिका– 37	बरौली (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031	91
तालिका– 38	चण्डौस (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031	92
तालिका– 39	गभाना (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031	92
तालिका– 40	जलाली (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031	92
तालिका– 41	जवाँ सिकन्दरपुर (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031	93
तालिका– 42	पिलखना (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031	93
तालिका– 43	कौड़ियागंज (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031	93
तालिका– 44	मडराक (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031	94
तालिका– 45	अलीगढ महायोजना–2031 जोन्स	99
तालिका– 46	आवासीय भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ	110
तालिका– 47	वाणिज्यक/व्यवसायिक भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ	110
तालिका– 48	औद्योगिक भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ	112
तालिका– 49	कार्यालय भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ	112
तालिका– 50	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ	113
तालिका– 51	सार्वजनिक उपयोगिताएँ भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ	117
तालिका– 52	यातायात एवं परिवहन भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ	117
तालिका– 53	पार्क, खेल/खुले स्थल भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ	118
तालिका– 54	कृषि भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ	119
तालिका– 55	अस्थायी क्रियाएँ/अन्य परिसर भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ	119
तालिका– 56	अनुमन्यता की अनिवार्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध	120
तालिका– 57	प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता	123

ग्राफ/चार्ट की सूची

	विवरण	पृष्ठ संख्या
ग्राफ– 1	शहर की जनसंख्या	13
ग्राफ– 2	लिंग अनुपात	14
ग्राफ– 3	साक्षरता दर	15
ग्राफ– 4	व्यवसायिक संरचना 2001, 2011	17
ग्राफ– 5	कार्यबल भागीदारी	18
ग्राफ– 6	विभिन्न स्थानों पर SO_2, NO_2 का स्तर	31
ग्राफ– 7	विभिन्न स्थानों पर SPM सांद्रता	31
ग्राफ– 8	प्रदूषण के आधार पर उद्योगों की श्रेणियाँ	32

चित्रों की सूची

	विवरण	पृष्ठ संख्या
चित्र– 1	अलीगढ़ नगर की स्थिति	2
चित्र– 2	क्षेत्रीय संपर्क मानचित्र	3
चित्र– 3	रामलीला मैदान में रामायण का मंचन	7
चित्र– 4	जी. टी. रोड पर लगने वाली अलीगढ़ नुमाइश	7
चित्र– 5	सी.डी.एफ. छेरत औद्योगिक परिसर	21
चित्र– 6	तालानगरी फेज 1	21
चित्र– 7	तालानगरी फेज 2	22
चित्र– 8	नकवी पार्क	27
चित्र– 9	NO_2, SO_2, PM2.5, PM10 की औसत वार्षिक भिन्नता	29
चित्र– 10	वायु प्रदूषण निगरानी के स्थान	30
चित्र– 11	पृथक्करण प्रबंधन से लाभ	61
चित्र– 12	शून्य लैंडफिल के लिए पहल	62
चित्र– 13	सफेद बिंदुएँ जनसंख्या घनत्व की दिशा को दर्शाती है	79
चित्र– 14	अलीगढ में सी.एम.पी. लागू करने हेतु अनुमानित लागत का श्रेणीवार विवरण	142
चित्र– 15	वेंडिंग जोन की पहले व बाद की स्थिति	144
चित्र– 16	नई बस्ती स्थित तालाब की वर्तमान स्थिति	146
चित्र– 17	नयी बस्ती तालाब का प्रस्तावित डिजाइन	147

महायोजना परिचय

भारत सरकार द्वारा 500 अमृत शहरों के लिए जी.आई.एस. आधारित महायोजनाओं को केन्द्र द्वारा वित्त पोषित सुधार के रूप में राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। वर्तमान में महायोजनाएँ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के सम्बंधित मंडल कार्यालयों द्वारा या विकास प्राधिकरणों/नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त कन्सल्टेन्ट के माध्यम से तैयार कीगई है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को उत्तर प्रदेश के 59 नगरों के अमृत योजना के अन्तर्गत बनायी जाने वाली महायोजनाओं हेतु राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सम्बंधित नियंत्रक प्राधिकरणों ने नई/पुनरीक्षित महायोजना तैयार करने हेतु अपने–अपने बोर्ड में प्रस्ताव पारित कर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को अभिकरण घोषित किया है, जो भारत सरकार की अमृत योजना के अधीन उत्तर प्रदेश में जी.आई.एस. आधारित महायोजनायें बनाने के लिए नोडल विभाग भी है। तदनुसार, राज्य मिशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के 59 नगरों हेतु यह कार्य किया गया है, अलीगढ़ इन्हीं में से एक क्षेत्र है।

महायोजना क्या है?

महायोजना एक विधिक दस्तावेज है एवं वह प्रतिवेदन है जिसके द्वारा आगामी दस वर्षों में आने वाली जनसंख्या हेतु भौतिक आवश्यकताओं का आंकलन करते हुये उससे सम्बन्धित प्रस्ताव उपलब्ध होते हैं। महायोजना द्वारा विकास की नीति निर्धारित की जाती है, जिसे विकास क्षेत्र का रोड मैप कहा जाता है। महायोजना द्वारा जनसाधारण की मूलभूत आवश्यकताओं का संज्ञान रखते हुये जन–जीवन स्तर को सुगम एवं पर्यावरण अनुकूल बनाना होता है। महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोगों के साथ मूलभूत आवश्यकता एवं अवस्थापना सुविधाओं जैसे कि आवास, मार्ग, पार्क, जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, विद्युत इत्यादि का आंकलन कर प्रक्षेपित जनसंख्या के अनुसार नगर नियोजन के मापदण्डों के अनुरूप प्रस्तावों का तथा अधिक विस्तृत उपयोजनाएँ जैसे जोनल प्लान्स आदि के क्रियान्वयन का उल्लेख होता है।

महायोजना द्वारा नगर एवं जन–जीवन पर प्रभाव

महायोजना के क्रियान्वयन से जन–जीवन में सुधार होने की पूर्ण सम्भावनायें हैं जो महायोजना में प्रस्तावित योजनाओं एवं मूलभूत सुविधाओं जैसे कि प्रतिव्यक्ति जलापूर्ति, सीवरेज प्रणाली, पर्यावरण संरक्षण, यातायात एवं परिवहन के विकास/निर्माण के चरणबद्ध आधार से आयेगा। जिस हेतु प्रशासन के साथ–साथ सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुखतः जनसामान्य के अधिक से अधिक योगदान तथा विभागों के मध्य समन्वय की आवश्यकता रहेगी। प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के विकास हेतु प्रमुख लक्ष्य विकास क्षेत्र का सुनियोजित विकास एवं जनसामान्य के जीवन हेतु व्यवस्थित सुविधायें उपलब्ध कराना होता है। जिसका व्यापक प्रचार–प्रसार कर जनसामान्य को अवगत कराते हुये सन्देश देना होता है कि महायोजना नगर एवं जनसामान्य के हितों हेतु तैयार की गयी है। महायोजना के सफल होने में सबसे अधिक योगदान जनसामान्य का होता है।

अध्याय–1 उद्‌भव एवं विकास

1.1 स्थिति

अलीगढ़ नगर 78°35' पूर्वी देशान्तर तथा 27°53' उत्तरी अक्षांश पर स्थित गंगा–यमुना के दोआब के मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है। यह नगर अलीगढ़ जनपद एवं अलीगढ़ मण्डल का प्रशासनिक मुख्यालय है। अलीगढ़ लखनऊ से 342 किमी., कानपुर से 308 किमी., आगरा से 86 किमी. तथा नई दिल्ली से लगभग 130 किमी. की दूरी पर स्थित है।

अलीगढ़ नगर शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है। वर्ष 1878 में अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ नगर की शिक्षा क्षेत्र को नया आयाम देते हुये राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। यह नगर अपने ताला उद्योग के कारण विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। अलीगढ़ ''तालानगरी'' के नाम से भी प्रसिद्ध है।

अलीगढ़ भारत के 100 व उ0 प्र0 में चयनित किए गए 13 स्मार्ट शहरों में से एक है।

चित्र–1

अलीगढ़ नगरकी स्थिति

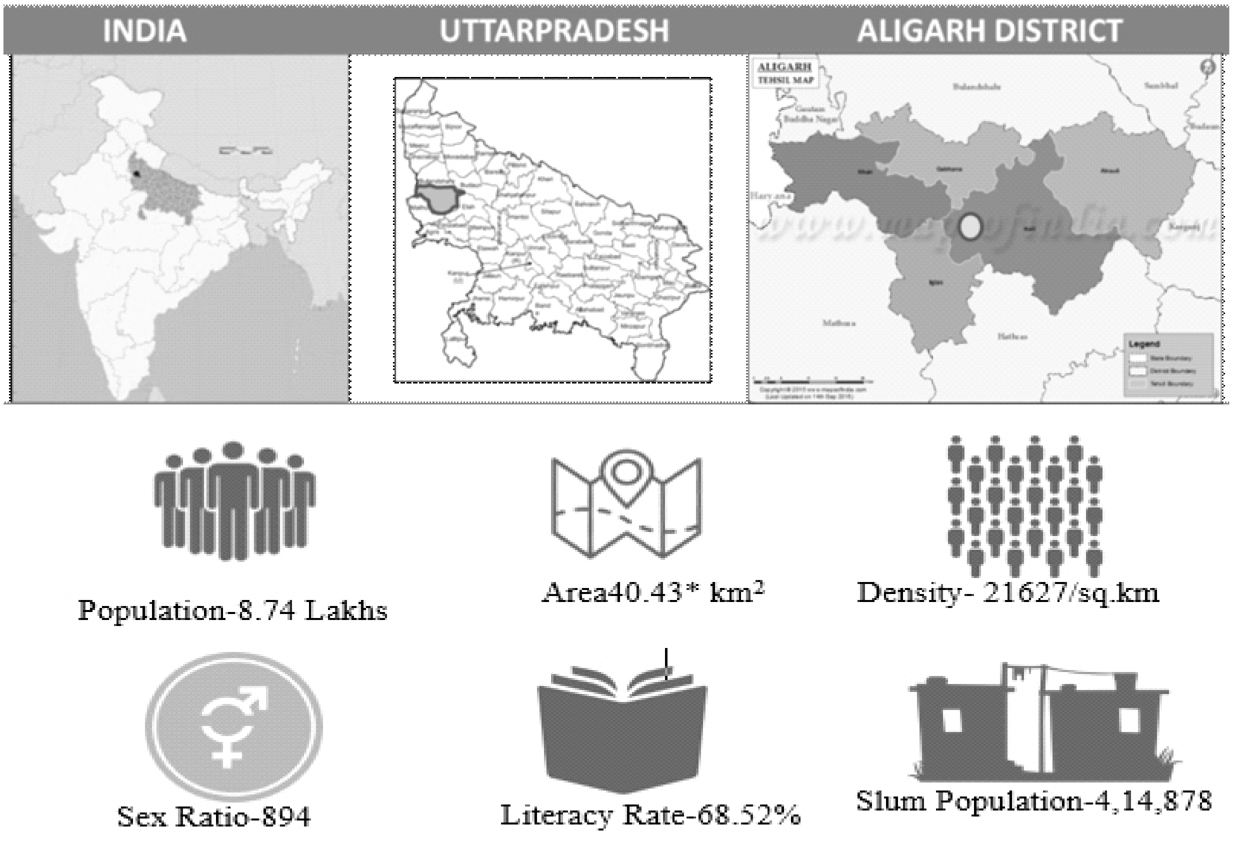

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

13.21 लाख की आबादी के साथ वर्तमान नगरपालिका क्षेत्र 63 वर्ग किमी. है। **स्रोत**–नगर निगम अलीगढ़

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं क्रमिक विकास

18वीं शताब्दी से पहले अलीगढ़ शहर "कोल" के नाम से जाना जाता था। अलीगढ़ ब्रज मण्डल के किनारे अर्थात कोर पर स्थिति होने से कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि इस शब्द को ही कालान्तर में कोल अथवा "कोइल" नाम कहा जाने लगा। वर्ष 1717 में कोइल प्रान्त के तत्कालीन मुगल बादशाह फारूक सिया ने राज किया जिनके वायसराय साबित खान थे। बाद में साबित खान द्वारा इसका नाम बदलकर "साबितगढ़" रखा गया। साबित खान के वंशज आज भी शहर में पाये जाते हैं तथा वो अपने नाम के समक्ष नवाब लगाते हैं। वर्ष 1754 में सूरजमल जाट द्वारा साबितगढ़ किले पर कब्जा कर लिया गया तथा इसका नाम परिवर्तित कर "रामगढ़" रख दिया गया। इस शहर पर सिन्धिया और उनके फ्रांसीसी कमांडर का भी शासन रहा जिनके किलों के अवशेष आज भी शहर में देखे जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अलीगढ़ को प्राचीन काल में हरिगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। अलीगढ़ के पास एक धार्मिक स्थान 'मंगलायतन' स्थित है, जो जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसके अतिरिक्त यहाँ कई मुस्लिम औलिया के मजार, जामा मस्जिद, ऊपर कोट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कैप्टन रोनाल्ड कैमरून और अन्य सैनिकों के स्मारक मौजूद हैं।

1.3 क्षेत्रीय स्थिति एवं संपर्क

अलीगढ़ नगर कोलकाता से दिल्ली मुख्य रेलमार्ग पर स्थित होने के कारण देश के अन्य प्रमुख नगरों से सम्बद्ध है। यह नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–509 द्वारा आगरा व मुरादाबाद शहर से तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 91 द्वारा दिल्ली एवं कानपुर से जुड़ा हुआ है। प्रान्तीय राजमार्ग 80 के द्वारा मथुरा से तथा राजमार्ग संख्या–22ए द्वारा खैर, टप्पल एवं यमुना एक्सप्रेस–वे से जुड़ा हुआ है।

प्रमुख परिवहन केंद्र के रूप में अलीगढ़ का रणनीतिक महत्व है। अलीगढ़ जंक्शन, भारत के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक, दिल्ली–हावड़ा रेलवे लाइन पर एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में स्थित है। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद की तरफ जाने वाली एक रेलवे लाइन शहर के उत्तर–पश्चिम से द्विशाखित होती है। अलीगढ़ में धनीपुर में एक हवाई पट्टी भी है, जिसे वर्तमान में घरेलू हवाई अड्डा बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए, निकटतम विकल्प दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (I.G.I.) है, जो अलीगढ़ से लगभग 147 किलोमीटर दूर है। आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो जल्द ही पूरा होने वाला है, इस दूरी को घटाकर केवल 70 किलोमीटर कर देगा, जिससे दुनिया भर में अलीगढ़ की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी।

"ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर" अलीगढ़ से होकर गुजरता है। इस कॉरिडोर के दो स्टेशन क्रमशः कलुआ अलीगढ़ से ठीक पहले दिल्ली की ओर एवं दूसरा दाऊद खान कानपुर की ओर स्थित हैं।

चित्र–2

क्षेत्रीय संपर्क मानचित्र

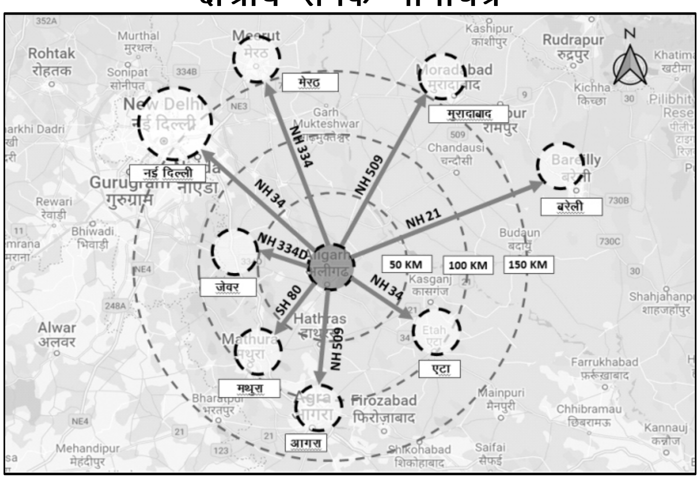

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

1.4 भौगोलिक स्थिति

अलीगढ़ जिला गंगा–यमुना दोआब के मध्य में स्थित है। ऊपरी गंगा नहर प्रमुखतः उत्तर–पश्चिम से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। स्थलाकृतिक रूप से यह क्षेत्र लगभग खुला मैदान है। समुद्र तल से शहर की औसत ऊँचाई 178 मीटर है।

मानचित्र–1

अलीगढ़ जिले में भू–आकृतिक विशेषताएँ

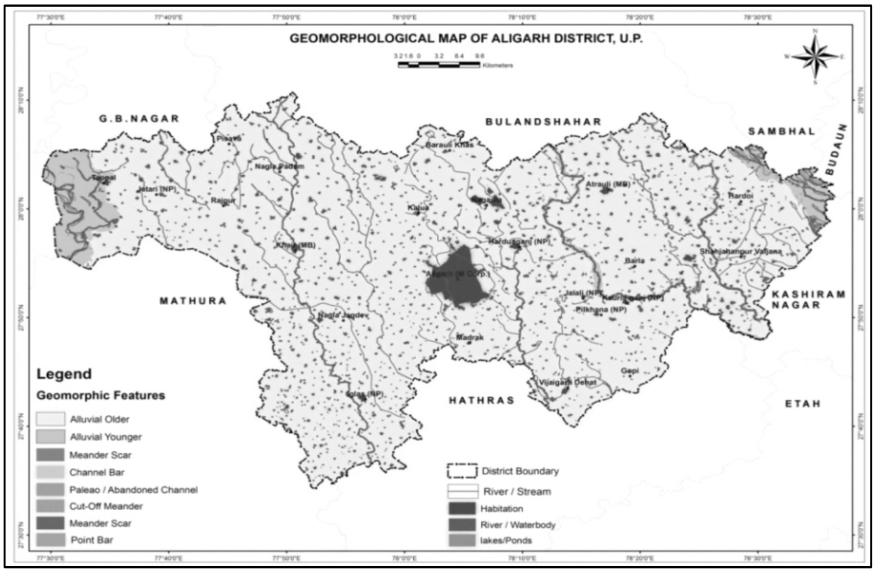

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

मानचित्र–2

डिजिटल ऐलीवेशन मॉडल

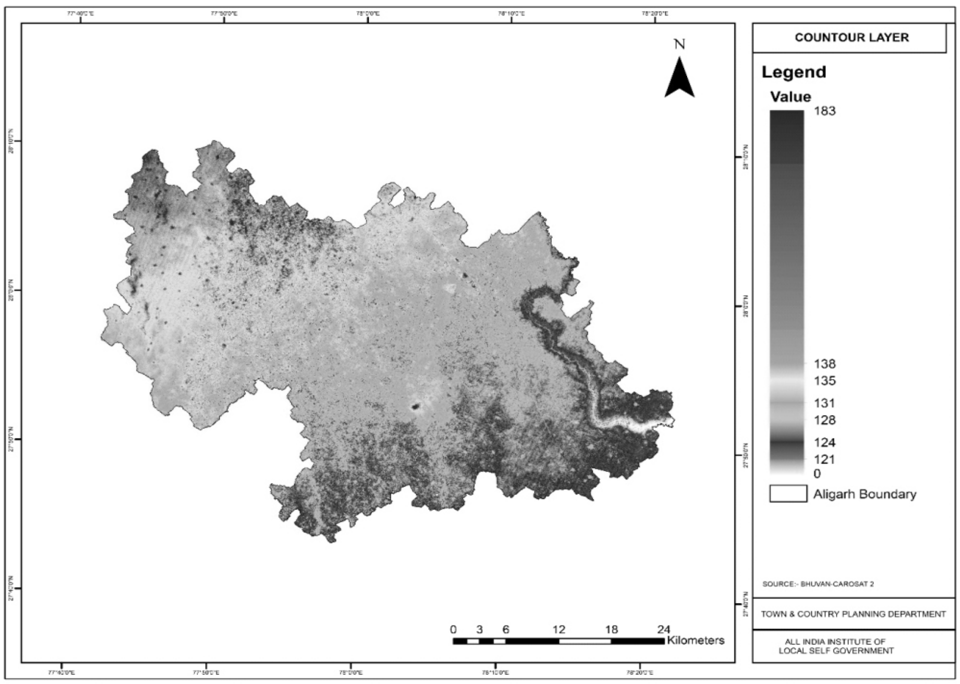

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

गंगा और यमुना नदी अलीगढ़ जनपद की उत्तर–पूर्वी और दक्षिण–पश्चिमी सीमा बनाती है। यह मध्य गंगा के मैदान में गंगा और यमुना नदी के अंतर नदी क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र की जल निकासी मुख्य रूप से गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा नियंत्रित होती है। अलीगढ़ जिले में भूजल उथली गहराई पर स्थित है, जबकि गहराई में सीमाबद्ध जलभृत (Confined Aquifer) स्थित हैं। पूरे अलीगढ़ जिले में शहर का जल स्तर सबसे निचले स्तर पर है, जिसमें जवाहर पार्क क्षेत्र में 20.63 एम.बी.जी.एल. है।

मानचित्र–3

भूजल स्तर मानचित्र

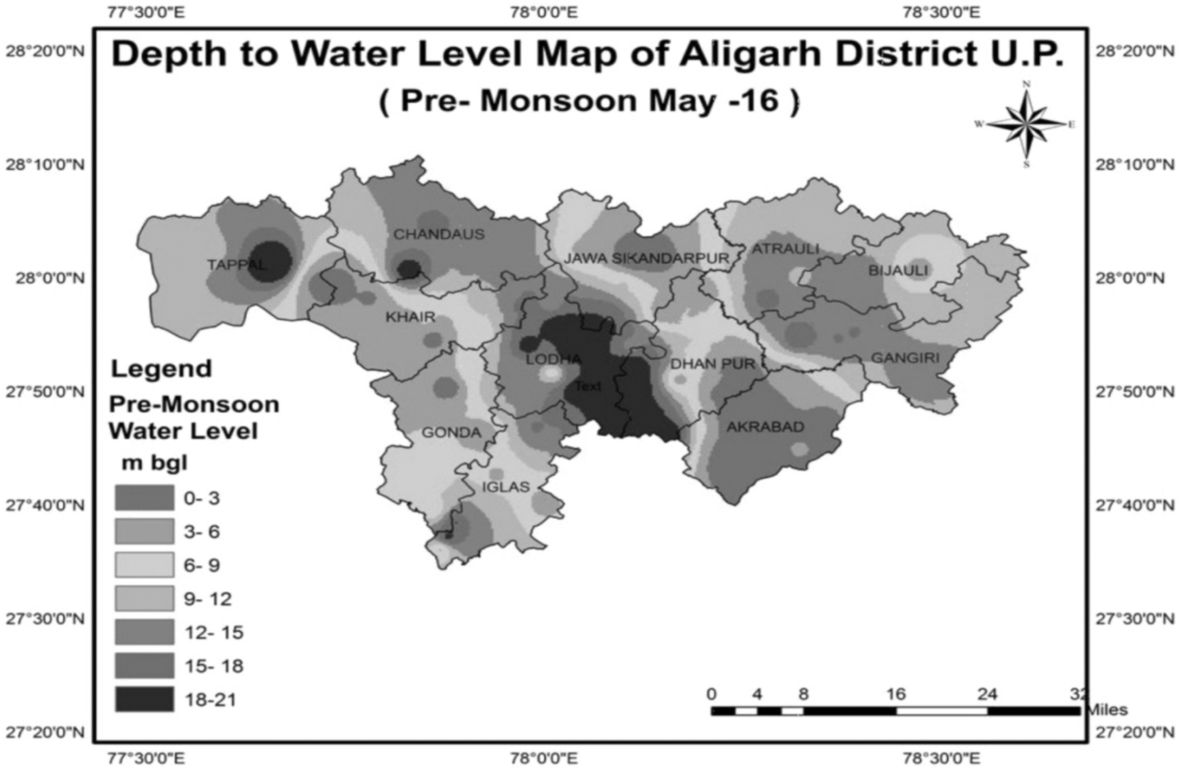

1.4.1 भूजल गुणवत्ता

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, द्वारा शहर के भीतर विभिन्न स्थानों से एकत्र किए गए पानी के नमूनों का विश्लेषण किया गया है। इन नमूनों के रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है कि महायोजना क्षेत्र का भूजल थोड़ा क्षारीय है (PH रेंज 7.376 से 7.73)। महायोजना क्षेत्र की विद्युत चालकता का मान 730–माइक्रो सिमेन्स/से.मी. है। रामघाट मुख्य मार्ग, तालानगरी में ऑब्जर्वेशन वेल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई गई है। लोहे की सांद्रता की उपस्थिति चिंताजनक रही है। यह शहर भर में लिए गए 50% नमूनों में 0.3 mg/L से अधिक पाया गया है (B.I.S., 2012 के अनुसार Fe की स्वीकार्य सीमा 0.3 mg/L है)।

1.4.2 मिट्टी

जिले में पाई जाने वाली प्रमुख प्रकार की मिट्टी दोमट और सिल्टी है। कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार अलीगढ़ जिले की मिट्टी को 'अलीगढ़ टाइप–III' में वर्गीकृत किया गया है जो पुराने जलोढ़ मैदान की केंद्रीय निचली भूमि में आती है। इस मिट्टी की संरचना में 49.70% रेत, गाद 12.62%, मिट्टी 3.62% है। इसमें 6.6% – 7.5% पीएच रेंज के साथ मध्यम क्षारीय से क्षारीय प्रकृति है।

मानचित्र–4

जल–भूविज्ञान–अलीगढ़ जिला

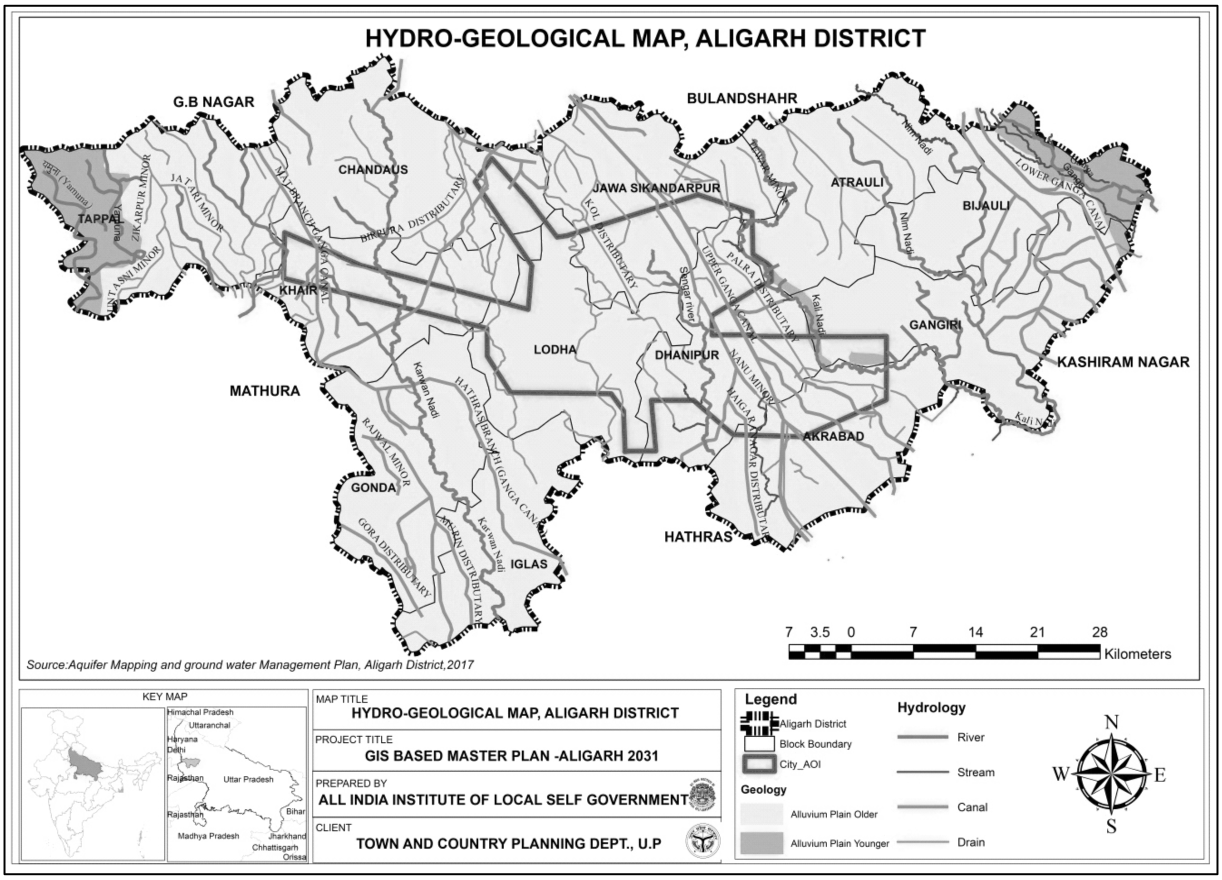

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

1.5 जलवायु

शहर में उष्णकटिबंधीय जलवायु है जिसमें लगभग 750 मिमी. की औसत वर्षा मुख्य रूप से हर साल जून से सितंबर के बीच मानसून में होती है। यहाँ अधिकतम तापमान 47° डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 5° डिग्री सेल्सियस तक रहता है। गंगा, यमुना दोआब के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ की मिट्टी अत्यन्त उपजाऊ है। गेहूँ, जौ, मक्का यहाँ की मुख्य फसलें हैं।

1.6 मेला एवं त्यौहार

प्रत्येक वर्ष जनवरी और फरवरी में होने वाली अलीगढ़ प्रदर्शनी नगर की सांस्कृतिक विविधता का एक जीवंत उदाहरण है। स्थानीय कारीगर हस्तनिर्मित शिल्प और पारंपरिक कला रूपों के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, जबकि स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध लोगों को आकर्षित करती है। विरासत पर जोर देते हुए, प्रदर्शनी में ऐतिहासिक कलाकृतियाँ और शिल्पकला सम्मिलित होती हैं, जो अलीगढ़ के समृद्ध इतिहास की झलक प्रदान करती हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रसिद्ध रामलीला मैदान में प्रत्येक वर्ष ऐतिहासिक रामलीला रामायण का एक मनोरम चित्रण किया जाता है, जो दर्शकों को एकजुट करता है। यह आयोजन अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए अलीगढ़ की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं एवं अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करते हैं जो नगर की सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देता है।

चित्र–3

जी.टी. रोड पर लगने वाली अलीगढ़ नुमाइश

चित्र–4

रामलीला मैदान में रामायण का मंचन

अध्याय–2 महायोजना की आवश्यकता

2.1 विकास क्षेत्र

अलीगढ़ नगर एवं इसके बाह्य क्षेत्रों में भूमि के अव्यवस्थित वितरण, अनियोजित व अनियंत्रित विकास की बढ़ोत्तरी को रोकने तथा नगर के सुनियोजित विकास एवं विस्तार को गति प्रदान करने के लिए शासन की अधिसूचना संख्या 2252/37–3–336 एन.के.वी.–72 दिनांक 13.11.1975 द्वारा अलीगढ़ नगरपालिका क्षेत्र एवं उसके आस–पास के 110 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम–1958 की धारा–3 के अन्तर्गत अलीगढ़ विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया था। अलीगढ़ की प्रथम महायोजना वर्ष 2001 तक के लिए तैयार की गयी थी, जिसे शासनादेश संख्या 1272/37–3–87 एन.के.वी./77 दिनांक 04.02.1980 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

मानचित्र–5

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण क्षेत्र

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

शासनादेश संख्या 2257/37–2–91/डी.ए./78 दिनांक 29.03.1981 के द्वारा अलीगढ़ नगरपालिका के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र तथा नगरपालिका सीमा के बाहर 08 किमी. की परिधि के क्षेत्र (अलीगढ़ नगरपालिका क्षेत्र, हरदुआगंज नगर पंचायत क्षेत्र एवं 203 ग्राम) को सम्मिलित कर अलीगढ़ विकास क्षेत्र घोषित किया गया। छावनी क्षेत्र, नौसेना तथा वायु सेना के किसी प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व तथा उसके द्वारा अधिग्रहित अथवा पट्टे पर ली गयी भूमि को अलीगढ़ विकास क्षेत्र से पृथक रखा गया है। अलीगढ़ विकास क्षेत्र (अलीगढ़ नगरपालिका क्षेत्र, हरदुआगंज नगर पंचायत क्षेत्र एवं 203 ग्राम) के लिए अलीगढ़ महायोजना–2021 की स्वीकृति शासनादेश संख्या 4463/9–आ–3–2002–10 महा./2002 दिनांक 10.01.2003 के द्वारा प्रदान की गयी। नगर का विकास तीव्रगति से होने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट होने एवं अलीगढ़ जनपद से होकर यमुना एक्सप्रेस–वे के निर्माण के फलस्वरूप सुनियोजित विकास की सम्भावनायें यथा हाईटेक टाउनशिप, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप, नॉलिज पार्क आदि के नियोजन की सम्भावनाओं को देखते हुए शासन की अधिसूचना संख्या 324/आठ–6–08–13 गठन–07 दिनांक 08.02.2008 के द्वारा

407 ग्राम अलीगढ़ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये गये। इस प्रकार अलीगढ़ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अलीगढ़ नगर निगम, हरदुआगंज नगर पंचायत सहित ग्रामों की कुल संख्या 610 हो गयी है तथा ग्राम पिसावा, चण्डौस, बरौली, गभाना, जलाली, जवां सिकन्दरपुर, पिलखना, कौड़ियागंज, मडराक वर्तमान में नगर पंचायतों में परिवर्तित हो गये हैं। खैर ग्राम अथवा खैर नगर पालिका परिषद विकास क्षेत्र की अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है परन्तु खैर नगर पालिका परिषद की परिधि से संलग्न ग्राम अलीगढ़ विकास क्षेत्र में सम्मिलित है। खैर नगर पालिका परिषद को विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। तद्नुसार खैर नगर पालिका परिषद को नियोजन हेतु अलीगढ़ महायोजना में सम्मिलित किया गया है।

मानचित्र–6

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण क्षेत्र A.O.I. के साथ

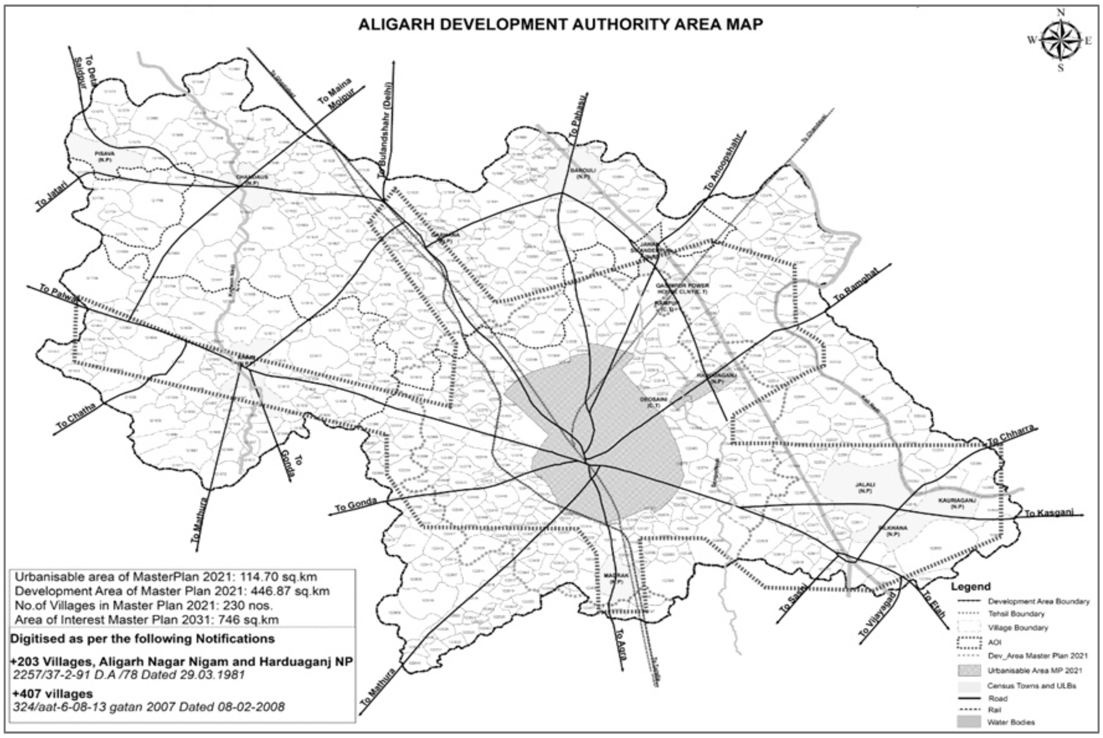

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

2.2 नगरीय विकास

प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अलीगढ़ जनपद को पाँच (05) तहसीलों क्रमशः कोल, खैर, गभाना, अतरौली और इगलास में विभाजित किया गया है। इन तहसीलों को आगे बारह (12) विकास खण्डों क्रमशः लोधा, धनीपुर, अकराबाद, अतरौली, बिजौली, गंगीरी, गोंडा, इगलास, खैर टप्पल, चण्डौस और जवाँ सिकन्दरपुर में विभाजित किया गया है।

अलीगढ़ नगर निगम

अलीगढ़ नगर पालिका की स्थापना 1 अगस्त 1885 को हुई थी। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के अन्तर्गत अलीगढ़ नगर पालिका को नवंबर 1994 में अलीगढ़ नगर निगम के रूप में और उन्नत किया गया। अलीगढ़ नगर निगम के अन्तर्गत 80 वार्ड हैं। वर्तमान में अलीगढ़ का नगरीय क्षेत्रफल (नगर निगम सीमा) 63.84 वर्ग किलोमीटर है।

मानचित्र–7

अलीगढ़ जिला मानचित्र

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

मानचित्र–8

अलीगढ़ नगर सीमा

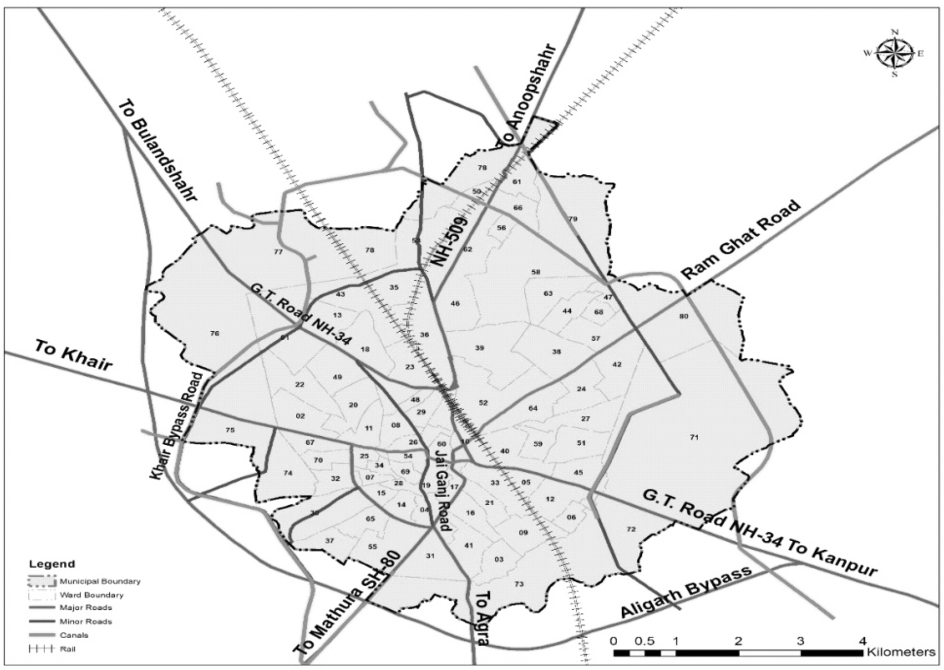

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

2.3 अलीगढ़ महायोजना–2031

अलीगढ़ महायोजना–2031 को अमृत योजना के अन्तर्गत ''जी.आई.एस. आधारित महायोजना संरचना'' के अन्तर्गत तैयार किया गया है, जो शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 सरकार के अंतर्गत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को उत्तर प्रदेश के 59 चयनित शहरों में महायोजना संरचना हेतु राज्य नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

वर्ष 2031 के लिए जी.आई.एस. आधारित अलीगढ़ महायोजना मैसर्स अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान (ए.आई.आई.एल.एस.जी.) द्वारा तैयार की गयी है।

परियोजना क्षेत्र

महायोजना–2031 तैयार करने के लिए अलीगढ़ विकास क्षेत्र के कुल 610 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 1635.7 वर्ग किलोमीटर है। उक्त क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण उपग्रह इमेजरी पर किया गया है। अलीगढ़ नगर निगम, हरदुआगंज, कौड़ियागंज, जलाली, पिलखना नगर पंचायत के साथ–साथ नवगठित नगर पंचायतों पिसावा, चण्डौस, गभाना, बरौली, जवाँ सिकन्दरपुर, मडराक और खैर नगर पालिका परिषद के क्षेत्रों को भी महायोजना में सम्मिलित किया गया है।

कार्यप्रणाली

टी.ओ.आर. (अनुबन्ध की शर्तों) में उल्लिखित परियोजना में शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अनुसार अलीगढ़ शहर के लिए जी.आई.एस. आधारित महायोजना तैयार की गयी है। इसमें वर्तमान स्थिति का अध्ययन और विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुमानित आवश्यकताएँ, विकास रणनीति और जी.आई.एस. बेस मैप पर मसौदा प्रस्ताव और क्षेत्रवार डेटा विश्लेषण सम्मिलित हैं। अंतिम आउटपुट/डिलिवरेबल्स यथा बेस मैप (डिजाइन दिशा–निर्देशों के अनुसार), क्षेत्रवार विषयगत मानचित्र, डेटा विश्लेषण रिपोर्ट, प्रस्तावों सहित महायोजना–2031 में सम्मिलित हैं।

2.4 महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता

विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय विभागों, निजी व सरकारी संस्थाओं द्वारा नगर का विकास एवं निर्माण कार्य शासन द्वारा स्वीकृत महायोजना के अनुसार ही किया जाता है। अलीगढ़ की प्रथम महायोजना वर्ष 2001 तक के लिए तैयार की गयी, जिसकी स्वीकृति शासन द्वारा दिनांक 04.12.1980 को प्रदान की गयी। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की बैठक में इस महायोजना को पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं तद्नुसार अलीगढ़ महायोजना–2021 का कार्य प्रारम्भ किया गया जिसे शासन द्वारा दिनांक 10.01.2003 को स्वीकृति प्रदान की गयी। अलीगढ़ महायोजना–2031 को निम्नलिखित कारणों से तैयार किये जाने की आवश्यकता अनुभव की गयी :–

1. महायोजना 2001–2021 में शहरी गतिविधियों के लिये नियोजन और प्रौद्योगिकी की नई तकनीकी का उपयोग अत्यन्त सीमित था। अद्यतन प्रौद्योगिकी और महायोजना में उपयोग किये जा रहे भू–उपयोग/क्रियाओं के नामों को राष्ट्रीय/राज्य स्तर की शब्दावली में भिन्नता के कारण सभी महायोजनायें एक ही प्लेटफार्म पर प्रस्तुत किये जाने में कठिनाई होने के कारण राष्ट्रीय स्तर के मानकों का पालन करते हुए जी.आई.एस. आधारित महायोजना तैयार किये जाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई।
2. महायोजना वर्ष 2021 तक की अवधि के लिये तैयार की गई थी जिसकी अवधि पूर्ण होने के कारण महायोजना–2031 को तैयार किया गया।
3. विकास प्राधिकरण क्षेत्र में वृद्धि हो जाने एवं कई नगर पंचायतें विकास क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने के कारण महायोजना–2031 को तैयार करना आवश्यक हो गया।
4. महायोजना में प्रस्तावित विभिन्न भू–उपयोगों के विरुद्व हो गये अनाधिकृत निर्माण एवं विकास कार्यों के कारण

महायोजना प्रस्तावों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण शहर के नियोजित विकास के दृष्टिगत महायोजना–2031 को तैयार किया गया है।

5. शासन द्वारा महायोजना अवधि में समय–समय पर भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप परिवर्तित भू–उपयोग से आस–पास के क्षेत्र या महायोजना प्रस्तावों के प्रभाव का अध्ययन करना आवश्यक हो गया।
6. नगर के कोर एरिया को पुर्नजीवित करने एवं जनसंख्या घनत्व कम करने तथा खुले क्षेत्रों को संरक्षित किया जाना आवश्यक हो गया।
7. जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नागरिक सुविधाओं के विस्तार न होने के कारण उपलब्ध सुविधाओं पर दिन–प्रतिदिन बढ़ते हुए दबाव को संतुलित व सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता अनुभव की गयी।

इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित अमृत योजनान्तर्गत जी.आई.एस. आधारित अलीगढ़ महायोजना–2031 तैयार करने का निर्णय लिया गया।

2.5 महायोजना संरचना की प्रक्रिया

क्र.सं.	बोर्ड बैठक संख्या	बोर्ड बैठक दिनांक	विषय	निर्णय
1	72वीं	24.05.2018	भारत सरकार की "अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन (AMRUT) योजनान्तर्गत जी.आई. एस. बेस्ड महायोजना तैयार करने हेतु एजेन्सी घोषित किये जाने के संबन्ध में" एवं अलीगढ़ विकास क्षेत्र में पुनरीक्षित महायोजना–2021–2031 के पुनरीक्षण के प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।	सर्व सम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत। यह अपेक्षा की गई कि समयबद्ध कार्यावाही सुनिश्चित की जाये।
2	79वीं	24.12.2021	अलीगढ़ विकास क्षेत्र में महायोजना–2031 तैयार किये जाने हेतु भारत सरकार की "अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन (AMRUT) योजनान्तर्गत जी.आई.एस. बेस्ड महायोजना तैयार करने हेतु शासन द्वारा चयनित संस्था ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट द्वारा अलीगढ़ महायोजना–2031 तैयार की जा रही है, जिसके क्रम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, के पंत्राक–143/अमृत–महायोजना/शासकीय समिति/स0नि0 (के) /2021–22 दिनांक–21.12.2021 के द्वारा सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, की अध्यक्षता में दिनांक–29.11.2021 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ, के सभागार में आहूत शासकीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न करते हुये अलीगढ़ महायोजना–2031 प्रारूप प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। महायोजना प्रारूप पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा 11(1) के क्रम में जनता से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर जन सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने की विधिक व्यवस्था है, जिसमें जन सामान्य से प्राप्त होने वाली समस्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करने करने पर सुनवाई हेतु नियमानुसार समिति का गठन किया गया। जिसका प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।	भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित संस्था ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट द्वारा अलीगढ़ महायोजना–2031(प्रारूप) के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के बाद ड्राफ्ट मास्टर प्लान–2031 को प्रिन्ट कराकर उस पर जनता से आपत्ति–सुझाव आमंत्रित करने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया और निर्देश दिये गये कि ड्राफ्ट मास्टर प्लान–2031 पर समाचार पत्रों में विज्ञप्ति से पूर्व सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली जायें। यह भी निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा ड्राफ्ट मास्टर प्लान–2031 में जनता एवं हितबद्ध संस्थाओं से नियत अवधि के अन्तर्गत आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये जायें और शासनादेशों के अनुरूप उपाध्यक्ष द्वारा नियत अवधि में प्राप्त आपत्ति–सुझावों पर सुनवाई हेतु समिति का गठन किया जाये तथा समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

3	80वीं	11.05.2022	बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में अलीगढ़ ड्राफ्ट मास्टर प्लान–2031 की पुस्तिका तथा महायोजना मानचित्र का प्रिन्ट पर आपत्ति–सुझाव आमंत्रित किये जाने से पूर्व पुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु ई–जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा दिनांक–21.04.2022 आमंत्रित कर मै0 सुशीला एन्टरप्राइजेज मेरठ के पक्ष में वर्क ऑडर जारी किया गया।	बोर्ड द्वारा अवलोकित। बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि फर्म को जारी वर्क ऑडर के क्रम में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
4	81वीं	14.12.2022	बोर्ड में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शासन के आलोक में समिति गठित कर अलीगढ़ ड्राफ्ट मास्टर प्लान–2031 पर जनसामान्य से 06.06.2022 से 05.07. 2022 तक आपत्ति–सुझाव प्राप्त किये गये। जनसामान्य से निर्धारित समय में 570 आपत्ति–सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त आपत्ति–सुझाव पर गठित समिति द्वारा दिनांक–28.09.2022, 29.09.2022 एवं 30.09.2022 को सुनवाई की गयी है, जिसकी अग्रेतर कार्यवाही गतिमान है।	बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि यथाशीघ्र जनसामान्य से प्राप्त आपत्ति–सुझाव पर गठित समिति द्वारा की गयी सुनवाई पर शासनादेशों एवं शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अधीन गतिमान कार्यवाही पूर्ण कर कृत कार्यवाही से आगामी बोर्ड बैठक में अवगत कराया जाये।
5	82वीं	16.05.2023	अलीगढ़ महायोजना–2031 प्रारूप पर शासनादेश संख्या 4816(1)/9–अ–3–2003–9 महा./2002 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन लखनऊ, दिनांक–20.12.2003 में उल्लखित "आपत्ति–सुनवाई" समिति द्वारा 570 आपत्तियों के स्थलीय/अभिलेखकीय परीक्षणोपरान्त किये गये सस्तुंति/निष्कर्ष को मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण उपरान्त अन्तिम महायोजना–2031 अनुमोदनार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत की गयी।	अलीगढ़ महायोजना–2031 प्रारूप पर कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया, अधिनियम की धारा–11 के अन्तर्गत गठित "आपत्ति–सुनवाई" समिति के निष्कर्ष/सुझावों का विधिवत परिशीलन किया गया। बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा ड्राफ्ट महायोजना–2031 पर प्राप्त 570 आपत्तियों पर गठित समिति के निष्कर्ष/ संस्तुतियों पर विधिवत चर्चा करते हुए तथा उक्त को सम्मिलित करने के उपरान्त किये गये बदलाव को महायोजना मानचित्र पर भी परीक्षित किया गया। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, तथा अन्तिम अनुमोदन हेतु शासन के समक्ष महायोजना–2031 प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
6	83वीं	03.10.2023	बोर्ड द्वारा गत बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, तथा अन्तिम अनुमोदन हेतु शासन के समक्ष महायोजना–2031 प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों/अनुमोदन के क्रम में महायोजना–2031 का प्रतिवेदन तैयार कर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ को प्रेषित कर दिया गया है।	अवलोकित।
7	84वीं	22.12.2023	शासन के पत्र संख्या–2877 / 2023–8 –3099 / 537 / 2023 दिनांक–11.12.2023 में दिए गए निर्देशों व इंगित त्रुटियों का सुधार करते हुए पुनः जी.आई.एस. बेस्ड महायोजना–2031 (प्रारूप) को मा0 बोर्ड से अनुमोदन कराने हेतु प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, तथा अन्तिम अनुमोदन हेतु शासन के समक्ष महायोजना–2031 प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

अध्याय–3 वर्तमान अध्ययन

3.1 जनसंख्या

जनगणना–2011 के अनुसार अलीगढ़ नगर निगम की कुल जनसंख्या 8,74,408 (70 वार्ड) है, जो जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 23% है। उ.प्र. शासन की अधिसूचना वर्ष 2017 द्वारा अलीगढ़ नगर निगम की सीमा में वृद्धि करते हुये 19 अतिरिक्त ग्राम सीमा में सम्मिलित किये गये हैं। अतिरिक्त क्षेत्र को 10 वार्ड में विभक्त किया गया है। अलीगढ़ नगर निगम की वर्ष 1991, 2001 और 2011 की जनसंख्या नीचे तालिका में दर्शायी गई है।

तालिका–1

अलीगढ़ शहर की जनसंख्या

अलीगढ़ शहर			
वर्ष	कुल	पुरुष	महिला
1991	480520	257300	223220
2001	669087	356750	312362
2011	874408	461772	412636

स्रोतः जनगणना पुस्तिका 2011

ग्राफ–1

शहर की जनसंख्या

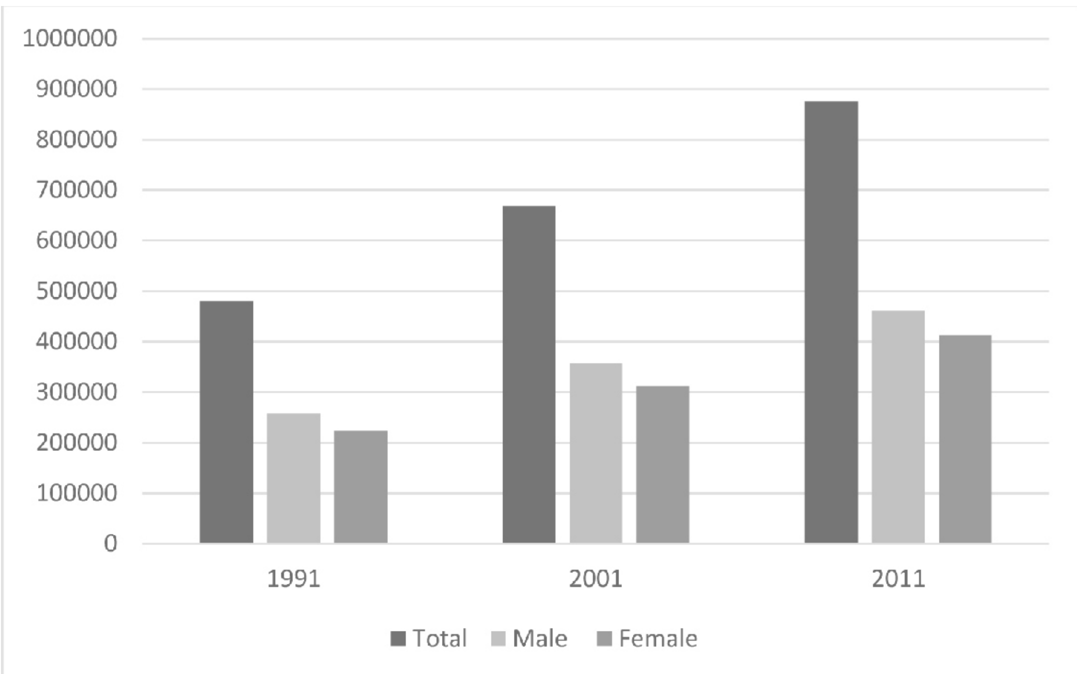

स्रोत– जनगणना पुस्तिका 2011

3.2 लिंगानुपात

अलीगढ़ शहर का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों के सापेक्ष 894 महिलायें हैं, जो राज्य के लिंगानुपात अर्थात 912 और राष्ट्रीय औसत अर्थात 943 से कम है।

ग्राफ–2

लिंग अनुपात

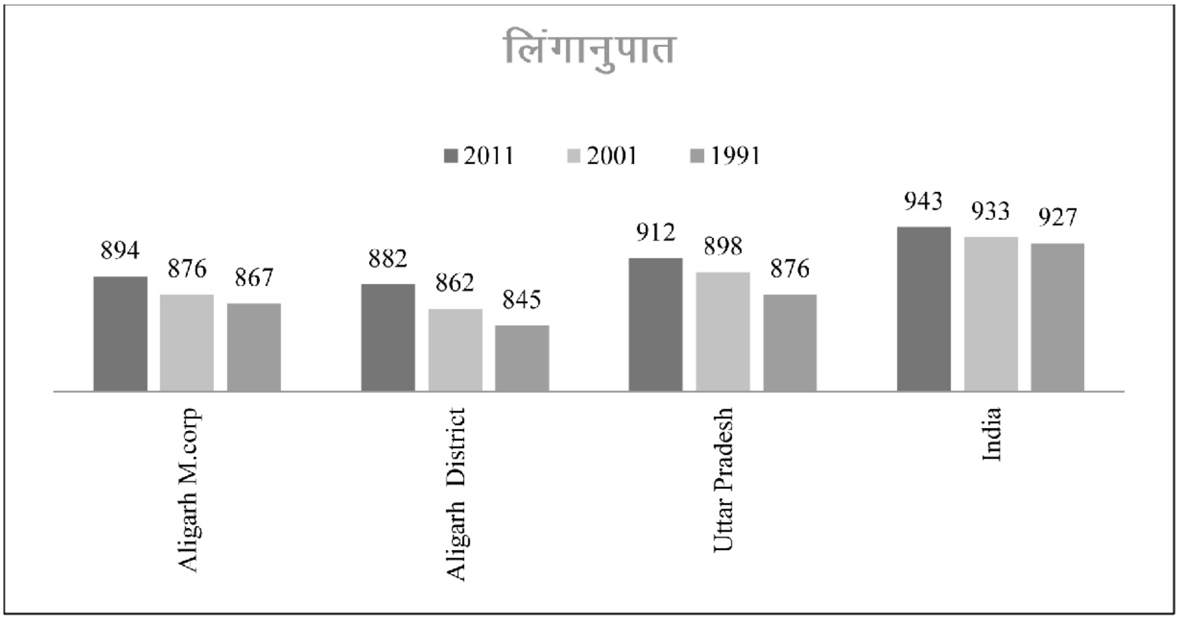

स्रोत– जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

तालिका–2

अन्य नगर पंचायत और नगर पालिका का लिंग अनुपात

क्र.सं.	नगर पंचायत/ पालिका	वर्ष 2001	वर्ष 2011
1	हरदुआगंज	880	885
2	खैर	866	880
3	गभाना	916	901
4	जलाली	860	893
5	पिलखना	888	887
6	कौडियागंज	870	873
7	पिसावा	864	876
8	चण्डौस	853	883
9	बरौली	879	896
10	जवाँ सिकन्दरपुर	895	941
11	मडराक	861	872

स्रोतः जनगणना 2001 एवं 2011

3.3 साक्षरता दर

किसी भी नगर के सर्वांगीण विकास में साक्षरता की स्थिति एक विशेष भूमिका निभाती है। अलीगढ़ नगर में वर्ष 2001 के सापेक्ष वर्ष 2011 में साक्षरता में 4.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साक्षरता का विस्तृत विवरण निम्नवत हैः–

ग्राफ–3

साक्षरता दर

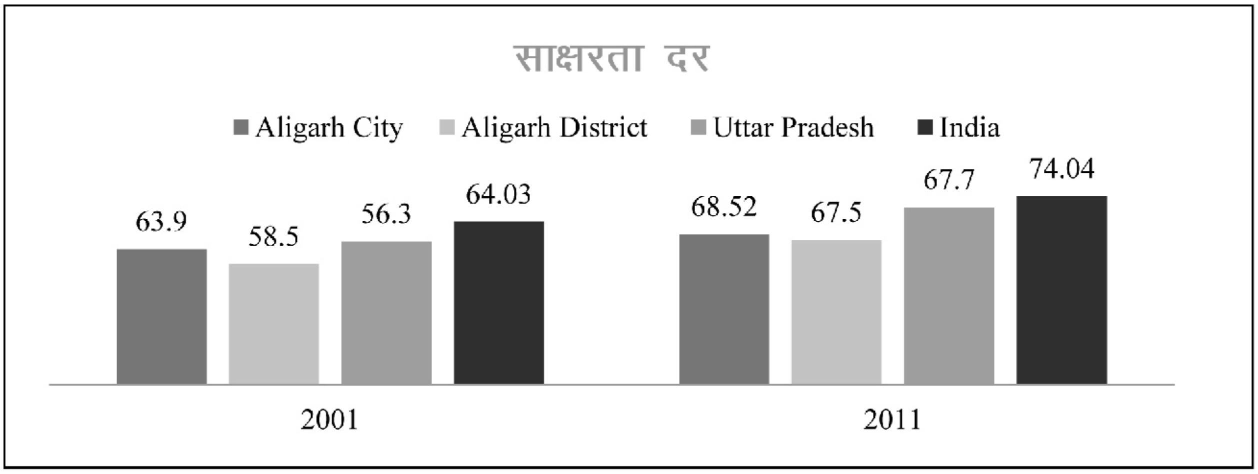

स्रोतः जनगणना 2001 एवं 2011

तालिका–3

अन्य न.पा.प. और न.प. की साक्षरता दर

क्र.सं.	नगर पंचायत/पालिका	वर्ष 2001	वर्ष 2011
1	हरदुआगंज	30.2	59.7
2	खैर	49.03	56.8
3	गभाना	54.4	61.4
4	जलाली	37.6	47.01
5	पिलखना	27.3	34.2
6	कौड़ियागंज	40.8	40.17
7	पिसावा	49.3	63.1
8	चण्डौस	51.5	59.1
9	बरौली	41.2	66.07
10	जवाँ सिकन्दरपुर	48.8	56.7
11	मडराक	44.3	58.7

स्रोतः जनगणना 2001 एवं 2011

3.4 कार्यशील जनसंख्या

किसी भी नगर के विकास का आर्थिक आधार उसकी विविध क्रियाओं की उत्पादन क्षमता एवं उसके समीपवर्ती

क्षेत्र आदि पर निर्भर करता है। नगर की आर्थिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार की वृद्धि, कमी या संरचना में परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से नगर के विकास को प्रभावित करते हैं। अलीगढ़ नगर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य गतिविधियों पर आधारित है। अलीगढ़ नगर जनपद मुख्यालय होने के कारण प्रमुख प्रशासनिक एवं औद्योगिक केन्द्र भी है, जिसके कारण इसके आर्थिक आधार के निर्धारण में कुल नगरीय जनसंख्या में श्रमिकों की भागीदारी का प्रतिशत अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

नगर के आर्थिक आधार का मुख्य सूचक नगर में कार्यरत श्रम शक्ति जनसंख्या के वृद्धि दर एवं नगर के बाह्य क्षेत्रों से सम्बन्धित होता है। इन्हीं सूचकों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचनाओं एवं आंकड़ों के आधार पर ही नगर की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। जनगणना पुस्तिका 2011 के अनुसार अलीगढ़ नगर में विभिन्न क्रियाओ में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 258923 है जो की नगर की कुल जनसंख्या का 29.61 प्रतिशत है।

3.5 कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण

2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, अलीगढ़ के कार्यबल वितरण से लिंग असंतुलन का पता चलता है, जिसमें बहुमत पुरुष का है। यह असमानता पारंपरिक, व्यवसायिक भूमिकाओं और सामाजिक गतिशीलता को प्रतिबिंबित करता है। उल्लेखनीय बात यह है कि जिले की कुल आबादी का लगभग 31.9 प्रतिशत कार्यबल के रूप में उपलब्ध है। यह आंकड़ा बताता है कि अलीगढ़ के पास पर्याप्त श्रम शक्ति है, जो शहर के औद्योगिक विकास को पर्याप्त रूप से समर्थन देती है। आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत कार्यबल एक आवश्यक संसाधन है और इसका उपयोग जिले की औद्योगिक और आर्थिक संभावनाओं को और मजबूत करने के लिए किया जा सकता है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, श्रमिकों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया हैः—

1. मुख्य श्रमिक
2. सीमांत श्रमिक
3. गैर श्रमिक

- **मुख्य श्रमिकः**— मुख्य श्रमिक के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो वर्ष के दौरान 183 दिनों (या छह महीने) या उससे अधिक के लिए किसी भी आर्थिक रूप से उत्पादन गतिविधि में लगे हुए हैं।
- **सीमांत श्रमिकः**— सीमांत श्रमिक वे हैं जिन्होंने गणना से पहले के वर्ष में किसी समय काम किया था, लेकिन वर्ष के एक बड़े हिस्से में कोई काम नहीं किया। अर्थात, जिन्होंने 183 दिनों (या छह महीने) से कम समय तक काम किया और काम के लिए अन्य स्थान पर प्रवास भी किया।
- **गैर श्रमिकः**— गैर श्रमिक वे हैं जिन्होने गणना की तारीख से पहले के वर्ष में कभी भी कोई काम नहीं किया था। श्रमिक बल को फिर चार उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

3.6 कार्यशील जनसंख्या का श्रेणीवार विवरण

3.6.1 मुख्य कामगार (श्रमिक)

मुख्य श्रमिक में वह श्रमिक सम्मिलित हैं जिन्हे पूरे वर्ष 6 माह से अधिक समय तक रोजगार उपलब्ध रहता है। इन श्रमिकों में कृषक, खेतीहर श्रमिक, घरेलू, औद्योगिक श्रमिक तथा अन्य श्रमिक हैं। अन्य श्रमिकों में राजकीय सेवक, स्थानीय निकायों में नियोजित कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक, बागवान एवं औद्योगिक कामगार, वाणिज्यक गतिविधियाँ, यातायात, बैंक कर्मचारी, खनन, निर्माण, सामाजिक कार्य तथा मनोरंजनात्मक गतिविधियों में कार्यरत श्रमिक हैं।

3.6.2 सीमान्त कामगार (श्रमिक)

सीमान्त श्रमिकों को 6 माह से कम समय तक कार्य उपलब्ध होता है। सीमान्त श्रमिकों में कृषक, खेतीहर

श्रमिक, घरेलू, औद्योगिक श्रमिक तथा अन्य श्रमिक सम्मिलित हैं। गैर–श्रमिक वर्ग में वे लोग हैं जो वर्ष भर किसी आर्थिक तथा उत्पादन गतिविधियों में कार्यरत नहीं हैं।

अलीगढ़ नगर में वर्ष 2011 में मुख्य और सीमांत श्रमिकों सहित कुल श्रमिकों की संख्या 2,58,923 है और वर्ष 2001 में 1,69,711 है। नीचे दिया गया चार्ट 2011 और 2001 की जनगणना के अनुसार व्यवसायिक संरचना को दर्शाता है। अन्य घरेलू उद्योग शहर में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि का द्योतक हैं।

ग्राफ–4

व्यवसायिक संरचना 2001, 2011

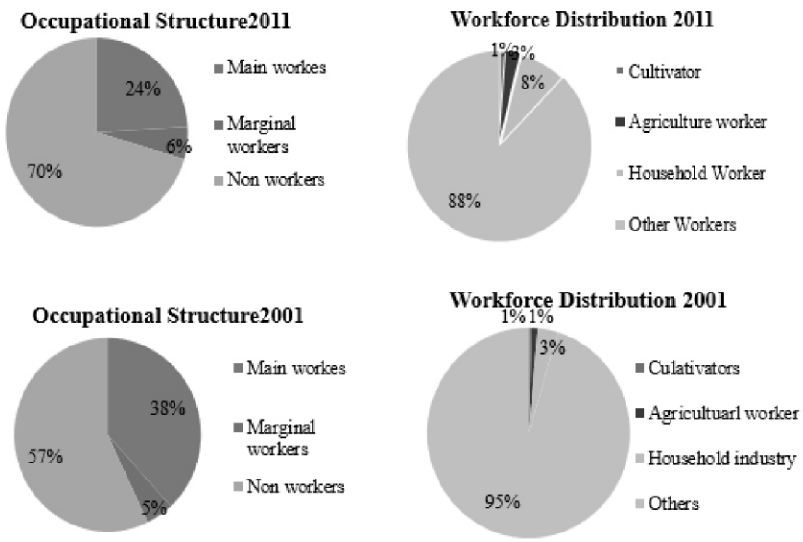

स्रोतः जनगणना 2001, 2011

अलीगढ़ शहर और जिले में, कार्यबल में लोगों का प्रतिशत राज्य के औसत से थोड़ा कम है, राज्य के 32.48 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 29.6 प्रतिशत और 31.9 प्रतिशत है। दिलचस्प बात यह है कि शहर में महिला श्रमिकों की संख्या जिले की तुलना में कम है, और दोनों ही राज्य के औसत से कम हैं। यह कार्यबल में महिला भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो सांस्कृतिक मानदंडों और सीमित अवसरों से बाधित है। कौशल विकास कार्यक्रमों और बेहतर बाल देखभाल विकल्पों जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को श्रम शक्ति में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करना क्षेत्र में आर्थिक विकास और लैंगिक समानता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

तालिका–4

कार्यबल भागीदारी दर (महिला–पुरुष) प्रतिशत में

क्षेत्र	2011		
	पुरुष	महिला	कुल
अलीगढ़ शहर	47.7 %	9.4 %	29.6 %
अलीगढ़ जिला	47.6 %	14.22 %	31.9 %
उत्तर प्रदेश	46.80 %	16.54 %	32.48 %

स्रोतः जनगणना 2011

तालिका संख्या–5 व 6 अलीगढ़ नगर एवं अन्य नगरीय निकायों की कुल जनसंख्या में श्रमिकों की भागीदारी प्रतिशत दर्शाती है।

तालिका–5

कार्यबल भागीदारी दर – अलीगढ़ शहर

क्र.स.	वर्ष	जनसंख्या	कार्यबल	प्रतिशत
1	1971	2,57,065	63,698	24.78
2	1991	4,90,202	1,24,908	25.48
3	2001	6,69,087	1,69,711	25.40
4	2011	8,74,408	2,58,923	29.61

स्रोतः जनगणना 2011

ग्राफ–5

कार्यबल भागीदारी

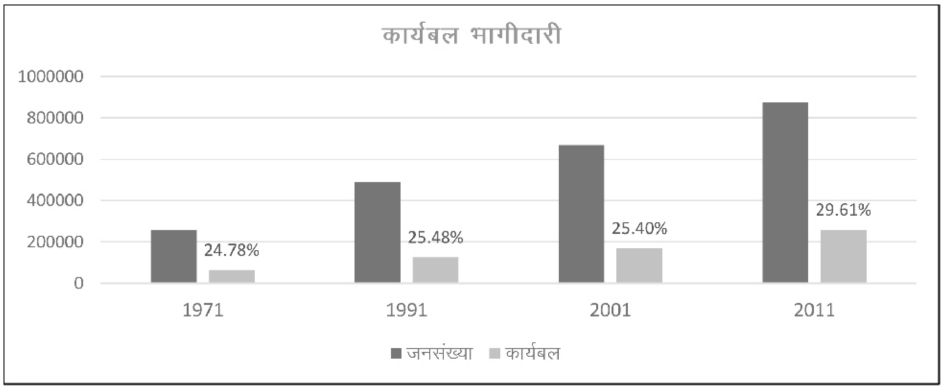

स्रोतः जनगणना 2011

तालिका–6

अन्य न.पा.प. और न.प. की कार्यबल भागीदारी दर

क्र.सं.	नगर पंचायत/ पालिका	कार्यबल 2001	कार्यबल भागीदारी दर 2001 (%)	कार्यबल 2011	कार्यबल भागीदारी दर 2011 (%)
1	हरदुआगंज	3364	29.01 %	4038	29.50 %
2	खैर	6334	22.90 %	8980	25.12 %
3	गभाना	1161	25.1 %	1964	33.37 %
4	जलाली	5517	31.6 %	7057	34.87 %
5	पिलखना	2407	24.8 %	3020	26.22 %
6	कौड़ियागंज	2622	24.8 %	3378	27.59 %
7	पिसावा	2963	30.7 %	3627	30.30 %
8	चण्डौस	2875	30.4 %	4266	34.60 %
9	बरौली	516	30.7 %	504	30.70 %
10	जवाँ सिकन्दरपुर	1519	25.7 %	2200	28.30 %
11	मडराक	1778	25.2 %	2504	29.8 %

स्रोतः जनगणना 2001 व 2011

3.7 पारिवारिक संरचना

अलीगढ़ जिले की जनसंख्या 2011 में 36,73,889 थी, और परिवारों की संख्या 6,11,371 थी, जिसमें प्रति परिवार औसत 6.009 व्यक्ति थे। 2001 में, जिले की जनसंख्या 29,92,286 और परिवारों की संख्या 4,65,488 थी, और प्रति परिवार औसतन 6.428 थे। यह आंकड़ा पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या वृद्धि के एक सुसंगत पैटर्न को चित्रित करता है।

अलीगढ़ की सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना मुख्य रूप से संयुक्त एवं पितृसत्तात्मक पारिवार की रही है, जिसमें बड़ों के सम्मान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हालाँकि, सीमित रोजगार के अवसरों, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण इलाकों में शैक्षिक सुविधाओं की कमी के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ प्रवासन हो रहा है। यह प्रवास पारंपरिक संयुक्त परिवार संरचनाओं से एकल परिवारों की ओर बदलाव का कारण बन रहा है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति परिवार व्यक्तियों की औसत संख्या में कमी आने की सम्भावनाएँ हैं। इसके अतिरिक्त, प्रजनन दर में गिरावट की प्रवृत्ति से भविष्य में औसत परिवार के आकार में और कमी आने का अनुमान है।

तालिका–7

परिवार का आकार

वर्ष	जनसंख्या	परिवारों की संख्या	व्यक्ति प्रति परिवार
1991	24,49,597	3,77,008	6.497
2001	29,92,286	4,65,488	6.428
2011	36,73,889	6,11,371	6.009

स्रोतः जनगणना 1991, 2001 व 2011

3.8 आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण

अलीगढ़ शहर के अंदर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ की जाती हैं, जो प्रमुख रूप से इसके विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों द्वारा संचालित हैं। विशेष रूप से, अलीगढ़ का विनिर्माण क्षेत्र एक प्रमुख आर्थिक योगदानकर्ता है, जिसमें ताला और हार्डवेयर के उद्योग प्रमुख हैं। शहर का ताला उद्योग अपनी गुणवत्ता और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है, जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान अर्जित करता है और स्थानीय और निर्यात दोनों बाजारों को बढ़ावा देता है। यह क्षेत्र रोजगार के असंख्य अवसर उत्पन्न करता है और शहर की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसके साथ ही, अलीगढ़ का कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रमुख है, जो विभिन्न उद्योगों के लिए भोजन और कच्चे माल की आपूर्ति करता है। गन्ना और गेहूँ जैसी फसलें, स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

उल्लेखनीय बात यह है कि अलीगढ़ जिले का सकल जिला घरेलू उत्पाद (जी.डी.डी.पी.) उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) का 1.9% है। यह जिले के आर्थिक महत्व और आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने में इसके प्राथमिक क्षेत्रों, विनिर्माण और कृषि की उत्पादकता को अधिकतम करने की क्षमता को रेखांकित करता है।

3.9 प्राथमिक क्रिया

अलीगढ़ जिला प्राथमिक गतिविधियों में विविधता को दर्शाता है, जिसमें कृषि, पशुपालन और बागवानी जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यह क्षेत्र गन्ना, गेहूँ, चावल, मक्का, जौ और आलू सहित विभिन्न फसलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता दोनों सुनिश्चित करते हैं। आम और अमरूद की बागवानी भी की जाती है, जिससे अलीगढ़ इन उष्णकटिबंधीय फलों का एक प्रमुख उत्पादक बना है।

विशेष रूप से, जिले में आलू की खेती इसकी अनुकूल जलवायु एवं उपजाऊ मिट्टी के कारण अच्छी पैदावार दर्ज करती है। यह फसल मुख्य भोजन और नकदी फसल दोनों के रूप में काम करती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था में

महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अतिरिक्त, राज्य राजमार्ग 80 (एस.एच. 80) के किनारे कई कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की उपस्थिति है। ये सुविधाएँ आलू जैसे खराब होने वाले कृषि उत्पादों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे साल भर उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

अपनी विविध फसलों और आधुनिक भंडारण बुनियादी ढांचे के साथ, अलीगढ़ का बहुआयामी प्राथमिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के बड़े कृषि परिदृश्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

3.10 द्वितीयक क्रिया

द्वितीयक क्रिया के क्षेत्र में मुख्य रूप से विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, और अलीगढ़ अपने विशिष्ट ताला और हार्डवेयर उद्योग के लिए जाना जाता है। शहर ने उच्च गुणवत्ता वाले ताले और धातु निर्मित वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैश्विक प्रतिष्ठा अर्जित की है, जिनकी न केवल घरेलू बाजार में खपत होती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी निर्यात किया जाता है, जो विदेशी मुद्रा आय में योगदान देता है।

ताले और हार्डवेयर के अतिरिक्त, अलीगढ़ के द्वितीयक क्षेत्र में धातु निर्मित वस्तुएँ, विशेष रूप से पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और अन्य कलाकृतियों का निर्माण सम्मिलित है, जिनकी पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में माँग है। यह उद्योग रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और जिले के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करते हैं।

आई.टी.आई. रोड पर औद्योगिक एस्टेट, और तालानगरी फेज–1 और फेज–2 के साथ–साथ सी.डी.एफ. छेरत में इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थान हैं। अलीगढ़ में कुटीर आधारित विनिर्माण इकाइयाँ इसकी द्वितीयक गतिविधियों को और बढ़ाती हैं।

यह उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर प्रदान करने और शहर की औद्योगिक शक्ति को राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण हैं।

तालिका–8

अलीगढ की औद्योगिक इकाईओं का विवरण

S. N.	Industry	Total Units	Micro	Small	Medium	Total Employment	Investment (INR in Cr.)
ODOP Product							
1	Locks & Hardware	10035	8600	1350	50	197000	667.88
Other Industries							
2	Food Processing	1550	1550	Nil	Nil	7600	166.80
3	Metal, Fabricated Metal Products	1459	1459	Nil	Nil	4208	133.34
4	Beverage	52	52	Nil	Nil	1800	150.00
5	Meat Processing	15	Nil	15	Nil	1500	225.00
6	Electrical Machinery Parts	186	186	Nil	Nil	679	22.27
7	Rubber Products	150	150	Nil	Nil	677	35.26
8	Cotton Textile	135	135	Nil	Nil	658	9.79
9	Machinery & Equipment NEC	106	106	Nil	Nil	547	56.69
10	Wood Products	147	147	Nil	Nil	478	9.08

स्रोतः जिला उद्योग निगम

चित्र–5

सी.डी.एफ. छेरत औद्योगिक परिसर

स्रोतः http://gis.onlineupsidc.com

चित्र–6

तालानगरी फेज 1

स्रोतः http://gis.onlineupsidc.com

चित्र–7

तालानगरी फेज 2

स्रोतः http://gis.onlineupsidc.com

3.11 तृतीयक क्रिया

अलीगढ़ का तृतीयक क्षेत्र, इसकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है एवं विविध सेवाओं को समाहित करता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और राजा महेंद्रप्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय सहित प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान ज्ञान विकास में योगदान करते हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मेडिकल कॉलेज, मलखान सिंह जिला अस्पताल, एवं दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय जिले में चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करते हैं। पारंपरिक बाजारों से लेकर आधुनिक शॉपिंग सेंटरों तक खुदरा व्यवसाय, स्थानीय जरूरतों को पूरा करते हैं और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। स्थापित वित्तीय सेवाएँ वित्तीय स्थिरता और विकास का समर्थन करती हैं। कुल मिलाकर, तृतीयक क्षेत्र निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, और आवश्यक सेवाएँ, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है, जिससे यह अलीगढ़ के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है।

3.12 भौतिक अवसंरचना

3.12.1 जलापूर्ति

अलीगढ़ विकास क्षेत्र में जलापूर्ति की कार्य योजना, निर्माण एवं क्रियान्वयन (पाइप लाईन डालना, आदि) उ.प्र. जल निगम द्वारा किया जाता है। कार्यालय जल कल विभाग, नगर निगम, अलीगढ़ से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 140 नलकूपों के माध्यम से 100.80 एम.एल.डी. पेय जल की आपूर्त्ति की जा रही है। नगर में 23 अवर जलाशय (क्षमता 25,000 कि.ली.) तथा 10 भूमिगत जलाशय (क्षमता 7580 कि.ली.) के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। नगर में कुल स्थापित हैण्ड पम्पों की संख्या 4580 है। वर्तमान में 30.6 प्रतिशत परिवार को ही पाईप लाईन से जलापूर्ति की जा रही है, जो प्रातः एवं सांय के मध्य केवल 06 घण्टे की जाती है।

तालिका–9

नगर निगम, अलीगढ़ से प्राप्त पेयजल व्यवस्था का विवरण

जन संख्या	प्रतिदिन पेय आपूर्ति	नलकूपों की संख्या/ चालू	अवर जलाशय (संख्या/क्षमता)	भूमिगत जलाशय (संख्या/क्षमता)	हैण्ड पम्प की संख्या	राईजिंग मैन (लम्बाई)	वितरण पाईप लाईन लम्बाई	जल संयोजन संख्या
874408	100.80 एम.एल.डी.	140/140 कि.ली.	23/25000 कि.ली.	10/7580 नग	4580	75 किमी.	965 किमी.	81104

स्रोतः नगर निगम अलीगढ़

3.12.2 जल निकासी

सीवरेज– जलकल विभाग, नगर निगम, अलीगढ़ के अनुसार, शहर में 60 किमी. का सीवर नेटवर्क है, जो 4661 घरों के साथ 10 प्रतिशत जनसंख्या को आच्छादित करता है। उत्तर प्रदेश जल निगम, अलीगढ़ से प्राप्त सूचनाओं/आँकड़ों के अनुसार नगर में लगभग 135 एम.एल.डी. सीवरेज जेनरेट होता है। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लि. से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार नगर निगम सीमान्तर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 09 एम.एल.डी. क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट क्रियाशील है, जिसका कुल क्षेत्रफल 9287.00 वर्ग.मी. है। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लि. द्वारा 40 एम.एल.डी. क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट प्रस्तावित है व अलीगढ़ महायोजना–2021 में इगलास रोड पर सीवेज फार्म प्रस्तावित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2.472 हैक्टेयर है।

शहर में जल निकासी प्रणाली का अभाव है, जिससे बारिश के दौरान जलभराव की समस्या बार–बार होती है।

3.12.3 ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन

नगर निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अलीगढ़ नगर में प्रतिदिन 429 मीट्रिक टन कचरा एकत्र किया जाता है। शहर में उत्पन्न कुल कचरा 593.06 MT/दिन है। नगर निगम के स्लेज फार्म की लगभग 25 एकड़ भूमि पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के मैनेजमेन्ट हेतु ए.टू.जेड. कम्पनी द्वारा एक प्लान्ट लगाया गया है जो क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त सारसौल स्थित नगर निगम की 0.365 हैक्टेयर भूमि पर कूड़ा प्रबन्धन हेतु ट्रॉन्सफर स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.12.4 बिजली

उ.प्र. पावर कॉरपोरेशन अलीगढ़ से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार वर्तमान में शहर में 36.3 एम.यू./माह की खपत के सापेक्ष 40–42 एम.यू./माह की पर्याप्त विद्युत आपूर्ति है। नगर में विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति हेतु 30 विद्युत सबस्टेशन स्थापित हैं, जिनकी कुल क्षमता–450 एम.वी.ए. है, जिनकी सूची निम्नवत् है :–

तालिका–10

विद्युत स्टेशनों का विवरण

क्र.सं.	विद्युत वितरण खण्ड अलीगढ़	33/11 के.वी. उपकेन्द्र का नाम
1–8	प्रथम	1. गाँधी पार्क 2. बारहद्वारी 3. भुजपुरा 4. सासनी गेट 5. हाथरस अड्डा 6. मथुरा रोड 7. मलखान सिंह 8. वाला–ए–किला
9–16	द्वितीय	9. रामघाट रोड 10. विक्रम कालोनी 11. स्वर्ण जयन्ती नगर 12. सुदामापुरी 13. रावणटीला 14. धनीपुर 15. ओजोन सिटी 16. दीनदयाल

17.	तृतीय	शान्ति निकेतन
18.		डी सेन्टर
19.		खैरेश्वर
20.		गूलर रोड
21.		आलमपुर
22.		लालताल
23.		इण्डस्ट्रियल स्टेट
24.		बरौला
25.	चतुर्थ	घण्टा घर
26.		लालडिग्गी
27.		मेडिकल रोड
28.		ए.एम.यू.
29.		जमालपुर
30.		किला रोड
	कुल क्षमता	450 एम.वी.ए.

स्रोतः दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अलीगढ

3.12.5 डाक एवं संचार

150 से अधिक वर्षों से, डाक विभाग देश की रीढ़ है और इसने संचार और देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यह कई मायनों में भारतीय नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है। मेल डिलीवर करना, लघु बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करना, डाक जीवन बीमा (PLI) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) के तहत जीवन बीमा कवर प्रदान करना और बिल जैसी रिटेल सेवाएँ प्रदान करना संग्रह, प्रपत्रों की बिक्री, आदि जैसी कई सेवाएँ डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं। डाक विभाग भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) वेतन वितरण और वृद्धावस्था पेंशन भुगतान जैसे नागरिकों के लिए अन्य सेवाओं के निर्वहन में भारत सरकार के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करता है । 1,55,531 पोस्ट कार्यालयों के साथ, डाक विभाग दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वितरित डाक नेटवर्क है।

3.13 सामाजिक आधारभूत संरचना

3.13.1 शिक्षण सुविधाएँ

अलीगढ़ शहर को एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र के तौर पर जाना जाता है। अलीगढ़ नगर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अतिरिक्त श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, टीकाराम महाविद्यालय एवं धर्म समाज कॉलेज आदि शैक्षिक संस्थायें विद्यमान हैं। उ.प्र. सरकार द्वारा अलीगढ़ के शिक्षा क्षेत्र को विस्तारित करते हुये राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, खैर रोड पर स्थापित किया गया है। वर्तमान में अलीगढ़ शहर में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के पर्याप्त संस्थान उपलब्ध हैं। वर्ष 2031 के लिए शहर को पूर्व–प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। वर्तमान में शहर में शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई समर्पित संस्थान नहीं है।

3.13.2 स्वास्थ्य सुविधाएँ

एक स्वस्थ व्यक्ति किसी नगर के समग्र विकास और विकास में अधिकतम योगदान देता है। एक विकसित स्वास्थ्य अवसंरचना भी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए एक नगर को मजबूत और स्वस्थ जनशक्ति की आश्वासन देती है। जिले में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:—

तालिका—11

स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विवरण

S.N.	Health Facility	Number Available	Govt. Building	Rented Building
1	District Hospital	3	3	0
2	First Referral Units (FRUs)	4	4	0
3	CHC	9	9	0
4	PHC	35	35	0
5	Sub Centre	333	244	89
6	Adolescent Friendly Health Clinic	2	2	0
7	Medical College	1	1	0
8	District Early Intervention Centre	1	1	0
9	Delivery Points	146	146	0

S.N.	Transport Facility	Number Available	Number Functional
1	108 Ambulance	22	22
2	102 Ambulance	43	43
3	Referral Transport ALS	2	2
4	Mobile Medical Units	0	0

स्रोतः सी.एम.ओ. ऑफिस, अलीगढ

3.13.3 मनोरंजनात्मक सुविधाएँ

जी.टी. रोड पर नुमाइश मैदान में हर साल आयोजित होने वाली ''अलीगढ़ प्रदर्शनी'' स्थानीय आबादी के लिए मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के आकर्षण सम्मिलित हैं, जिनमें झूले, सर्कस प्रदर्शन, कला प्रदर्शनी, कवि सम्मलेन, गायन एवं नाट्य प्रतियोगिता प्रमुख हैं, जो सभी उम्र के लोगों के लिए आनंद प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, शहर में विभिन्न मॉल एवं शॉपिंग बाजार की उपस्थिति, जो विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को आकर्षित करती है, अतिरिक्त मनोरंजन विकल्प प्रदान करती है। हालाँकि, इन आवधिक कार्यक्रमों और शॉपिंग सेंटरों के अलावा, अलीगढ़ में मनोरंजन के अन्य प्रमुख स्रोतों की कमी है, जो भविष्य में निवासियों के लिए विविध मनोरंजन विकल्पों के विकास के संभावनाओं को उजागर करता है।

3.13.4 धार्मिक महत्व के स्थल

अलीगढ़ प्रमुख धार्मिक स्थानों की एक समृद्ध परंपरा को दर्शाता है। खेरेश्वर चौराहे के पास स्थित खेरेश्वर धाम

और शहर के केंद्र में जामा मस्जिद प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। एन.एच. 509 पर स्थित मंगलायतन जैन मंदिर एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्धि रखता है। इसके अतिरिक्त, अचल ताल पर अचलेश्वर महादेव मंदिर और जी.टी. रोड पर वार्ष्णेय मंदिर स्थित हैं, जो शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं। ये प्रतिष्ठित पूजा स्थल अलीगढ़ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताने–बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3.13.5 सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएँ

अलीगढ़ नगर में रामलीला मैदान में रामायण का मंचन और प्रदर्शनी मैदान में भव्य रावण दहन ऐसी परम्पराएँ हैं जो समुदाय को एक साथ लाती हैं। भगवान राम की महाकाव्य गाथा और बुराई पर अच्छाई की जीत का एक ज्वलंत चित्रण पेश करती हैं। इसके अतिरिक्त, अलीगढ़ में विभिन्न धार्मिक अवसरों पर मेलों का आयोजन किया जाता है, जिससे इसके निवासियों के बीच सांप्रदायिक उत्सव और भक्ति की भावना को बढ़ावा मिलता है।

कांवड़ यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसके दौरान भक्त गंगा नदी से पवित्र जल इकट्ठा करने के लिए तीर्थयात्रा पर निकलते हैं। शहर उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए मार्गों पर विशेष व्यवस्था करता है। अलीगढ़ में समय–समय पर आयोजित होने वाले कवि सम्मेलनों, संगीत और नाट्य प्रदर्शनों और अन्य कलात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक संवर्धन को और अधिक प्रोत्साहित किया जाता है। ये सभाएँ शहर के जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रदर्शित करती हैं और निवासियों को विविध प्रकार के मनोरंजन के अवसर प्रदान करती हैं।

3.13.6 अग्निशमन

मुख्य शमन अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्राप्त आँकडों के अनुसार वर्तमान में अलीगढ़ नगरीय क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्रों का विवरण निम्नवत् है :–

तालिका–12

अग्निशमन केन्द्रों का विवरण

क्र.सं.	अग्निशमन केन्द्र का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कर्मचारियों की संख्या
1.	फायर स्टेशन बन्ना देवी, अलीगढ़	4620.00	16
2.	फायर स्टेशन, ताला नगरी, अलीगढ़	6880.00	11
3.	फायर स्टेशन, गभाना	9992.00	08
4.	फायर स्टेशन, खैर	6210.00	07

स्रोतः मुख्य शमन अधिकारी, अलीगढ़

3.13.7 अन्य (पार्क और खेल के मैदान)

मनुष्य के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के विकास के लिये खुले स्थलों, पार्कों एवं क्रीड़ा क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न मनोरंजन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। पार्क एवं खुले स्थल नगर के पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के साथ–साथ नगर निवासियों को खुले वातावरण भी उपलब्ध कराते हैं।

वर्तमान में नगर में नकवी पार्क, शिवाजी पार्क, गाँधी पार्क, एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित सर सैय्यद पार्क प्रमुख हैं। नगर में अहिल्या बाई होल्कर स्टेडियम खेल का प्रमुख मैदान है जहाँ खेलकूद की विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

चित्र–8
नकवी पार्क

अध्याय–4

पर्यटन प्रोफाइल

4.1 अलीगढ़ में पर्यटन

अलीगढ़ में पर्यटन धीरे–धीरे अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आकर्षणों के लिए पहचान बना रहा है। अलीगढ़ किला, एक हलचल भरा पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन यह अलीगढ़ के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। मौलाना आजाद लाइब्रेरी, जो मुख्य रूप से एक शैक्षणिक संस्थान है, अपने विशाल संग्रह में रुचि रखने वाले कुछ विद्वान आगंतुकों को आकर्षित करती है।

अलीगढ़ की धार्मिक विविधता विभिन्न मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में स्पष्ट है, जहाँ पर्यटकों की तुलना में स्थानीय निवासी अधिक आते हैं। शेखा झील, स्थानीय निवासियों के लिए एक शांत आश्रय प्रदान करती है, लेकिन यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल नहीं है। संक्षिप्त में, अलीगढ़ में कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, यह एक आकर्षक पर्यटन केंद्र नहीं है और यहाँ नगर के बाहर से पर्यटन के लिए अधिक लोग नहीं आते हैं।

4.2 पर्यटन गतिविधियाँ

अलीगढ़ में पर्यटन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से कई प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो आगंतुकों को विविध अनुभव प्रदान करती हैं।

धार्मिक पर्यटन– अलीगढ़ एक समृद्ध धार्मिक परिदृश्य को समाहित किये हुए है, जिसमें खेरेश्वर धाम मंदिर, जामा मस्जिद, मंगलायतन जैन मंदिर, श्री वार्ष्णेय मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। ये स्थान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं।

शैक्षिक अन्वेषण– अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, मंगलायतन विश्वविद्यालय और मौलाना आजाद लाइब्रेरी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की उपस्थिति अकादमिक और ऐतिहासिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले विद्वानों, छात्रों और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षित करती है।

मेले और त्यौहार– जी. टी. रोड पर लगने वाली अलीगढ़ प्रदर्शनी एवं रामलीला ग्राउण्ड में होने वाला रामायण का मचंन जैसे कार्यक्रम स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और सामुदायिक समारोहों का अनुभव करने का अवसर प्रदान करते हैं।

पर्यटन स्थल– अलीगढ़ की शेखा झील नगर का एक महत्वपूर्ण पर्यावरण पर्यटन स्थल है जो पर्यटकों को एक शांतिपूर्ण पर्यावरण का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। शेखा झील सर्द ऋतु में विदेशी पक्षियों के प्रवासन के लिए भी प्रसिद्ध है। यह स्थान पक्षी विहार के रूप में भी देश में अपनी पहचान रखता है।

धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और मनोरंजक पहलुओं को सम्मिलित करते हुए, अलीगढ़ का पर्यटन क्षेत्र यात्रियों के लिए विविध प्रकार के अनुभव प्रदान करता है और जिले की समृद्ध विरासत को दर्शाता है।

4.3 अलीगढ़ में पर्यटन प्रवाह

वर्ष 2022 में अलीगढ़ के उ0 प्र0 पर्यटन विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि यहाँ 22 लाख से अधिक स्थानीय पर्यटक और 190 विदेशी पर्यटकों का आवागमन हुआ है। इस पैटर्न का कारण शहर में पर्यटन स्थलों के अभाव को ठहराया जा सकता है। मुख्य रूप से अलीगढ़ में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का अभाव है।

आंकड़े यह भी रेखांकित करते हैं कि अधिकांश पर्यटक काम या परिवार से सम्बंधित कारणों से आते हैं। शहर के बाहर रहने वाले लोगों के लिए अलीगढ़ को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, पर्यटन अनुभवों में विविधता

लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक योजना और निवेश की आवश्यकता है। शहर के सांस्कृतिक या ऐतिहासिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं।

4.4 अलीगढ़ की फ्लोटिंग आबादी का प्रक्षेपण

उ0प्र0 पर्यटन विभाग के 2022 के आंकड़ों से पता चलता है कि अलीगढ़ में 22 लाख पर्यटक आए। यह आवागमन पूरे वर्ष के सभी माह में एक समान रहता है। पर्यटकों का निरंतर आवागमन शहर के बुनियादी ढांचे के लिए हानिकारक नहीं है। इन आगंतुकों को ठहराने के लिए अलीगढ़ में पर्याप्त संख्या में होटल, रेस्तरां और परिवहन सेवाएं हैं। शहर में अस्थायी आबादी के प्रबंधन से सम्बंधित कोई विशेष आवश्यकताएँ या समस्याएँ नहीं हैं।

पर्यटकों के आवागमन का यह संतुलित वितरण और उनकी जरूरतों को पूरा करने की शहर की क्षमता एक अच्छे पर्यटन वातावरण को दर्शाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अलीगढ़ अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के विकास या योजना की आवश्यकता के बिना आगंतुकों की मौजूदा आवागमन को संभालने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी और योजना की आवश्यकता होगी क्योंकि शहर में पर्यटन क्षेत्र का विकास निरंतर हो रहा है।

4.5 पर्यटन नीति

बाहरी क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शहर में पर्यटन स्थलों का अभाव है जिस कारण शहर के लिए कोई पर्यटन विकास रणनीति नहीं बनाई गई है। विकास की रणनीति शहरवासियों की जरूरतों को पूरा करने व स्थानीय आकर्षणों को बढ़ावा देने पर केन्द्रित रहता है, फलस्वरुप शहर की संरचना और इसका विकास प्रमुखतः एक औद्योगिक नगरी के रूप में हुआ है।

4.6 पर्यटन विभाग की प्रस्तावित/निर्माणाधीन परियोजनाएँ

वर्तमान में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा अलीगढ़ के लिए कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं है।

अध्याय–5 पर्यावरण रूपरेखा

5.1 जलीय संरचना

मानव जीवन के लिये जल अत्यन्त आवश्यक है। नगर में स्थित प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों तथा अन्य जल स्रोतों को संरक्षित रखने के लिये इनके प्राकृतिक स्वरूप एवं आवश्यक पुनरोद्वार के साथ संरक्षित करने की आवश्यकता है। अलीगढ़ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत काली नदी, करवन नदी, सेंगर नदी स्थित हैं। महायोजना–2031 में उपरोक्त नदियों को संरक्षित करने के लिये रिवर बफर प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार महायोजना–2031 में शेखा झील के संरक्षण हेतु झील के आस–पास का क्षेत्र ईको सेंसटिव जोन के रूप में अंकित किया गया है। साथ ही शेखा झील के किनारे ग्रीन बफर भी प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में शहर के सीवेज को बिना किसी उपचार के करवन नदी में छोड़ दिया जाता है। यह अनुशंसा की जाती है कि केवल उपचारित जल को ही नदी में छोड़ा जाए। इसके साथ ही शहर में नदी के प्रवेश बिंदुओं यानी अपस्ट्रीम की जाँच करने की जरूरत है क्योंकि यह दूसरे नगरों से प्रदूषित जल ला रही है जिसके लिये संरक्षण योजनायें तैयार किये जाने की आवश्यकता है।

5.2 शहर में प्रदूषण स्तर

नगर में उच्च स्तर पर वाहनों का संचालन, उद्योगों की बड़ी संख्या अलीगढ़ नगर की वायुगुणवत्ता एवं जल की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। फलस्वरुप अलीगढ़ नगर की वायु एवं जल गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। अलीगढ़ नगर में ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी संतोषजनक नहीं हैं। नगर में सम्पूर्ण सीवर नेटवर्क की अनुपस्थिति और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित द्रव्य का शहर के नालों में सीधे निकास के कारण करवन नदी और काली नदी प्रदूषित होती हैं।

5.2.1 वायु प्रदूषण

अलीगढ़ नगर में वायु प्रदूषण के मुख्य कारक भारी वाहन यातायात एवं औद्योगिक उत्सर्जन हैं। शहर में एक वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन है, जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ज्ञान सरोवर कॉलोनी में स्थापित किया गया है। वायु प्रदूषण वायु में NO2, SO2, SPM (PM 2.5 और PM 10) की अनुमन्यता के सापेक्ष उपलब्ध मात्रा के आधार पर निर्धारित होता है। अलीगढ़ में वायु प्रदूषण का स्तर एवं अनुमन्यता का स्तर निम्नलिखित ग्राफ में प्रदर्शित किया गया हैः–

चित्र–9

NO2, SO2, PM2.5, PM10 की औसत वार्षिक भिन्नता

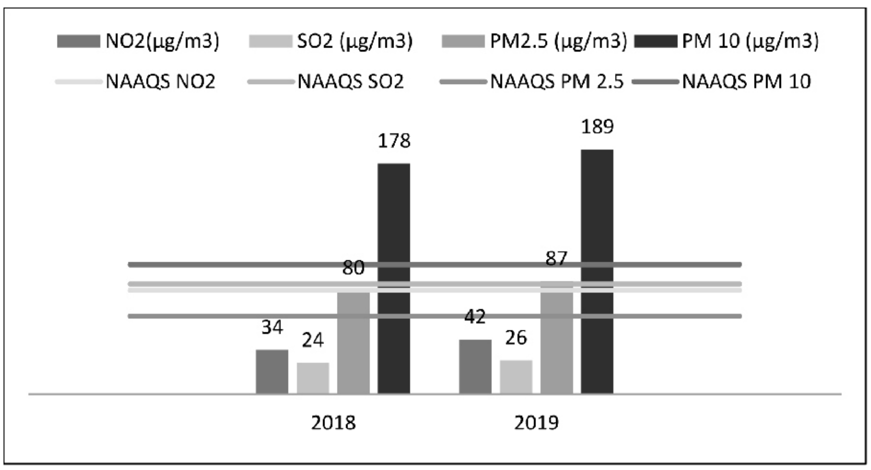

स्रोतः उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त वार्षिक और मासिक आंकडों (परिशिष्ट में डेटा) के आधार पर और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय वातावरणीय वायु गुणवत्ता मानक (राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक) के साथ तुलना करके, प्रमुख प्रदूषक PM 2.5, PM 10 हैं। हवा में मौजूद कण (PM 2.5 और PM 10) अनुमन्यता से बहुत अधिक हैं। PM2.5 सीमाओं से 0.5 गुना अधिक है और PM 10 अनुमन्यता से 1.5 से 2 गुना अधिक है। NO2 और SO2 की मात्रा अनुमति दी गई सीमाओं के भीतर है।

शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता

एक औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय शहर होने के कारण, अलीगढ़ के सभी क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता एक जैसी नहीं रहती है। कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों में प्रदूषण दर अधिक होती है। शहर के 08 अलग–अलग स्थानों में विश्लेषण की गई वायु की गुणवत्ता नीचे दिखाई गई है।

चित्र–10

वायु प्रदूषण निगरानी के स्थान

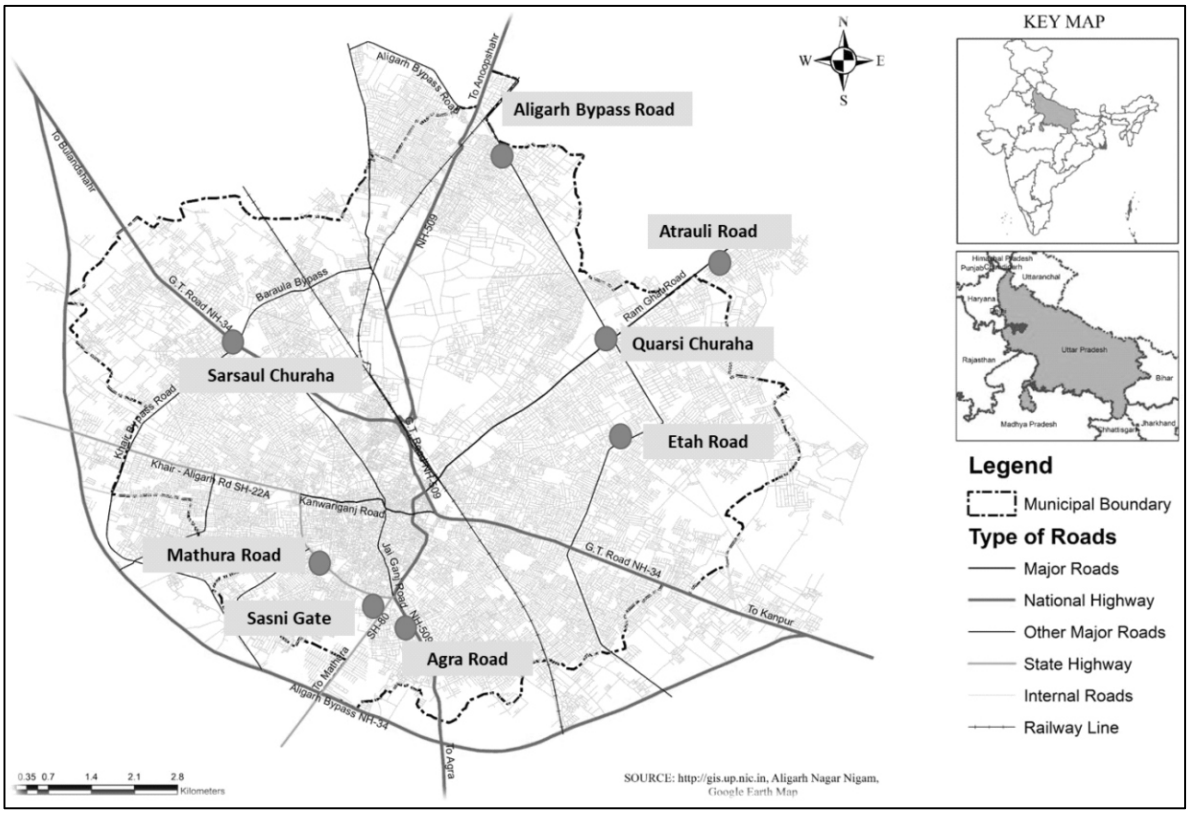

स्रोतः इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ न्यू टेक्नोलॉजीज इन साइंस एंड इंजीनियरिंग वॉल 2, इश्यू 2, 2015, आई.एस.एस.एन. 2349–0780

सभी सैंपलिंग स्थानों पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक से नीचे पायी गयी। अधिकांश सैंपलिंग स्थानों पर SPM (Suspended Particulate Matter) 347$\mu g/m^3$ से 2173$\mu g/m^3$ तक के बीच रहता है, जो अधिकतम सीमा (100 $\mu g/m^3$- PM10) से बहुत अधिक पायी गयी। सासनी गेट, आगरा रोड एवं सारसौल चौराहे के पास यातायात जाम के कारण SPM की मात्रा बहुत अधिक होती है।

ग्राफ–6

विभिन्न स्थानों पर SO_2, NO_2 का स्तर

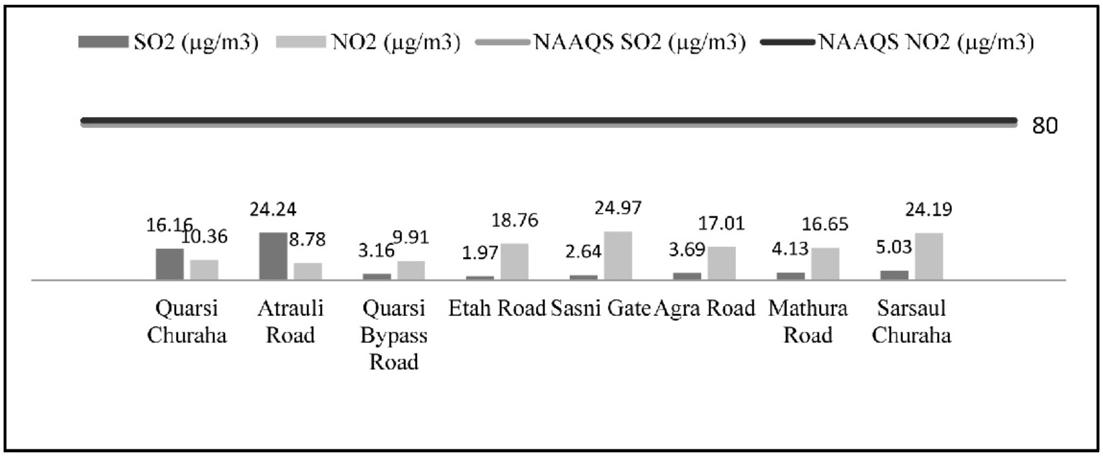

स्रोतः इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ न्यू टेक्नोलॉजीज इन साइंस एंड इंजीनियरिंग वॉल. 2, इश्यू 2, 2015, आई.एस.एस.एन. 2349–0780

ग्राफ–7

विभिन्न स्थानों पर SPM सांद्रता

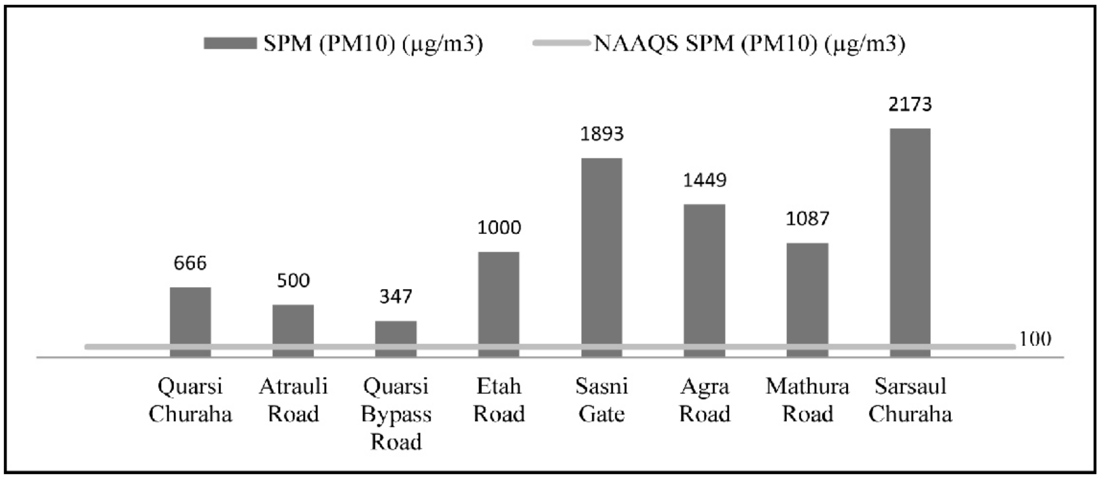

स्रोतः इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ न्यू टेक्नोलॉजीज इन साइंस एंड इंजीनियरिंग वॉल. 2, इश्यू 2, 2015, आई.एस.एस.एन. 2349–0780

5.2.2 जल प्रदूषण

सतही जल गुणवत्ता

अलीगढ़ नगर की प्रमुख नदी काली नदी है। शहर में पूर्ण सीवरेज सिस्टम एवं औद्योगिक क्षेत्र में एफ्लुएंट उपचार संयंत्र नहीं हैं। औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला इलेक्ट्रोप्लेटिंग युक्त पानी बिना किसी उपचार के सीधे शहर की नाली में मिलता है जो अंततः काली नदी को प्रदूषित करता है। नालियों में ठोस कचरा भी फेंका जाता है जिससे भी नदी में प्रदूषण बढ़ता है। अलीगढ़ नगर में जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु 02 सैंपलिंग स्टेशन स्थापित किये गये हैं। उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त वार्षिक और मासिक आंकडों से और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सतह जल गुणवत्ता मानकों और IS 2296:1992 के साथ तुलना करके, उनके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आयेः–

B.O.D. का स्तर मानकों से बहुत अधिक है जो सीवेज जैसे विसर्जन की उपस्थिति को दर्शाता है। C.O.D. का स्तर भी मानकों से अधिक है, जो औद्योगिक विसर्जन की उपस्थिति को दर्शाता है।

भू–जल गुणवत्ता

नगर में भू–जल गुणवत्ता संतोषजनक है, जिसे क्लोरीनेशन उपरान्त पीने योग्य माना जा सकता है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ से प्राप्त आंकडों के अनुसार भू–जल गुणवत्ता की जाँच विभिन्न स्थानों पर की गई है, जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका–13

भूजल गुणवत्ता

S. No.	Location	pH	TDS (mg/l)	Hardness (mg/l)	Ca (mg/l)	Mg (mg/l)	Cl (mg/l)
1	Borewell (Pawna Industries)	7.2	490	326	42	52	77
2	Handpump (Bhankari Village, G.T Road)	8.1	250	180	43	22	60
Standard as per BIS 10500:2012 (Acceptable Limit)		6.5-8.5	500	200	75	30	250
Standard as per BIS 10500:2012 (Permisible Limit)		6.5-8.5	2000	600	200	100	1000

स्रोत– उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

5.2.3 औद्योगिक प्रदूषण

अलीगढ़ एक सघन जनसंख्या वाला शहर और विभिन्न उद्योगों का हब है। औद्योगिक कचरे के अव्यवस्थित नियंत्रण के कारण अत्यधिक प्रदूषण होता है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अलीगढ़ में लाल और नारंगी श्रेणी के उद्योग बड़ी संख्या में हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर के सघन निर्मित क्षेत्र में भी औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित होने के कारण वायु अत्यधिक विषैली होती जा रही है। लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने से लोगों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ भी बढ़ रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पन्न अपशिष्ट जल, विशेष रूप से इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपशिष्ट, बिना किसी उपचार के सीधे शहर की नालियों में बहाया जाता है।

ग्राफ–8

प्रदूषण के आधार पर उद्योगों की श्रेणियाँ

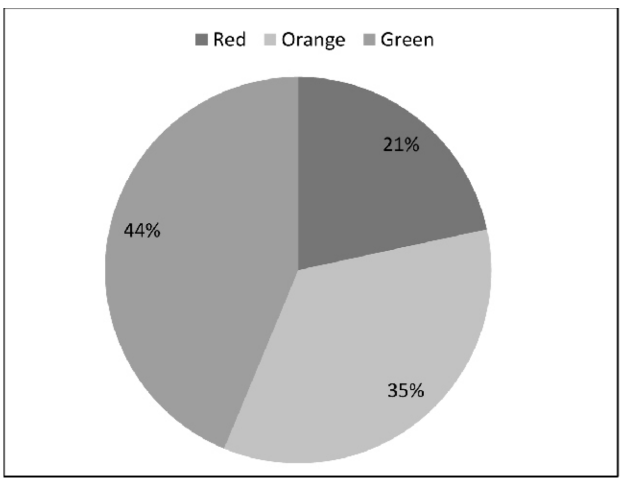

स्रोत–यू.पी.पी.सी.बी, अलीगढ़

अलीगढ़ नगर के कुछ क्षेत्रों के व्यक्तिगत घरों में अनेक अवैध पशु वधशालायें संचालित हैं जिनमें मुख्य रूप से सराय रहमान, शाह जमाल, सराई सुल्तानी, जमालपुर, तांतांपारा, कुज़ि सराई, कुज़िपारा, ख्वाजा चौक, तुर्कमान गेट, बानी इस्लाम, खैदोरा, भुजपुरा आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (N.G.T.) ने उत्तर प्रदेश में सभी अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाया था और राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि "मांस की सभी दुकानों को ठीक से विनियमित किया जाए"।

मा0 अभिकरण ने यह भी आदेशित किया था कि जो वधशालाएँ उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (S.E.I.A.A.) से अनुमति नहीं ले पाए हैं और स्थानीय अधिकारियों से अनुमति प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन्हें खुले में या दुकान में संचालन करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन अभी भी शहर में अस्वच्छ कसाईखाने मौजूद हैं।

5.2.4 वनावरण, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र

अलीगढ़ जनपद में वनावरण अत्यंत कम है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में जलाशय, झीलें, नमभूमि या अन्य परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र सम्मिलित हैं। शेखा झील क्षेत्र एक जल भूमि/परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र है। विकास क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैले कई तालाब और जल संरचनाएँ हैं, जिन्हें अतिक्रमण से संरक्षित किया जाना चाहिये।

शेखा झील एक संरक्षित क्षेत्र है। यह क्षेत्र तीन तरफ से प्राकृतिक वनस्पति से घिरा हुआ है। इसमें कई सारे वनस्पति, मुक्त–फ्लोटिंग वनस्पति, जलीय जंतु यथा मत्स्य, सरीसृप आदि हैं। झील के आसपास कुछ जंगली जानवरों की उपस्थिति भी संज्ञान में आयी है।

5.3 आपदा प्रबंधन

आपदाएँ प्रगति में बाधा डालती हैं तथा बड़ी मेहनत और यत्नपूर्वक किए गए विकास सम्बंधी प्रयासों को नष्ट कर देती हैं और प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे राष्ट्रों को कई दशक पीछे धकेल देती हैं। हाल के समय में भारत और विदेशों में आपदाओं के घटित होने पर कार्रवाई करने की बजाय उनके कुशल प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार देश के प्रत्येक राज्य के सभी जिलों के लिए अलग–अलग एक आपदा प्रबंधन योजना (डी.एम.पी.) तैयार की जानी प्रस्तावित है।

अध्याय–6 वर्तमान भू-उपयोग एवं प्रभावी महायोजना का तुलनात्मक अध्ययन

6.1 वर्तमान भू–उपयोग

अलीगढ़ महायोजना–2021 को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 13.09 लाख की अनुमानित आबादी के लिए तैयार किया गया था। महायोजना–2021 को जी.आई.एस. प्लेटफार्म में परिवर्तित करते समय, भूमि उपयोग क्षेत्रों में भिन्नता देखी गई है जिसे नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

तालिका–14

प्रस्तावित भूमि उपयोग–2021

अलीगढ़ महायोजना–2021 प्रस्तावित रिपोर्ट के अनुसार भू–उपयोग				जी.आई.एस. के अनुसार	
क्र.सं.	भूमि उपयोग प्रकार	प्रस्तावित भूमि उपयोग क्षेत्र (हैक्टेयर)	प्रतिशत (%)	प्रस्तावित भूमि उपयोग क्षेत्र (हैक्टेयर)	प्रतिशत (%)
1	**आवासीय**				
1.1	वर्तमान निर्मित आवासीय (उच्च घनत्व)	1138.48		1037	
1.2	आवासीय (मध्य घनत्व)	1908.08		1856	
1.3	आवासीय (कम घनत्व)	3081.74		3182	
	कुल	**6128.3**	**53.43**	**6075**	**53.78**
2	**व्यवसायिक**				
2.1	जिला व्यापारिक केन्द्र	202.28		212	
2.2	थोक व्यापारिक केन्द्र	56.64		45.1	
	कुल	**258.92**	**2.26**	**257.1**	**2.28**
3	औद्योगिक				
3.1	लघु उद्योग	445.85		401	
3.2	भारी उद्योग	612.61		523	
3.3	लघु उद्योग कम आवासीय	19.24		21	
	कुल	**1077.7**	**9.40**	**945**	**8.37**
4	**कार्यालय**	343.24	2.99	322	2.85
5	**सामुदायिक सुविधाएँ**				
5.1	सामुदायिक सुविधाएँ	428.95		412	
5.2	विश्वविद्यालय	514		502	
	कुल	**942.95**	**8.22**	**914**	**8.09**

6	**पार्क एवं खुले स्थल**				
6.1	पार्क नियोजित खुले स्थान	432.79		423	
6.2	हरित पट्टिका	411.24		404	
6.3	प्रदर्शनी स्थल	17.84		19.1	
6.4	बाग	42.50		32.5	
6.5	क्षेत्रीय पार्क	205.00		217	
	कुल	**1109.37**	**9.67**	**1095.6**	**9.70**
7	**यातायात एवं परिवहन**				
7.1	परिवहन नगर	38.4		31.5	
7.2	बस स्टैंड	38.4		43	
7.3	वर्तमान सड़क	391.94		449	
7.4	प्रस्तावित सड़क	428.2		435	
7.5	रेलवे भूमि	186.72		196	
	कुल	**1083.48**	**9.45**	**1154.5**	**10.22**
8	**जलाशय (नहर, तालाब, पोखर आदि)**	152.85	1.33	149	1.32
9	**सीवेज फार्म**	373.76	3.26	383	3.39
	कुल	**11470.57**	**100**	**11295.2**	**100**

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

6.1.1 अलीगढ़ शहर का विद्यमान भूमि उपयोग

मौजूदा विकास का विश्लेषण :

अलीगढ़ महायोजना–2031, विकास क्षेत्र के 610 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए बनाई गई है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1635.7 वर्ग किलोमीटर है। अमृत योजना के अन्तर्गत अलीगढ़ महायोजना–2031 हेतु नेशनल रिमोट सेंसिग सेन्टर से आधार मानचित्र प्राप्त किये जाने हेतु तत्समय के विकास प्रतिरूप को ध्यान में रखते हुये 747.35 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को चयनित किया गया। चयनित क्षेत्र का डाटा फर्म को नेशनल रिमोट सेंसिग सेन्टर द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उक्त क्षेत्र के अतिरिक्त प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में से 888.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भी सम्मिलत है जो प्राथमिक रूप से कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है। अभिकरण के अधिसूचित क्षेत्र को वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र–9 में दर्शाया गया है। तैयार किये गये वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र में एन.आर.एस.सी. से प्राप्त डाटा के इतर ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी क्षेत्र को मानचित्र पर दर्शित करते हुय शेष भाग को कृषि भू–उपयोग के रूप में दर्शाया गया है। वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र के अनुसार विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका–15

मौजूदा विकास का विश्लेषण

क्र.सं.	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	प्रतिशत
1	आवासीय	5582.59	7.47 %
2	व्यवसायिक	580.47	0.78 %
3	औद्योगिक	710.70	0.95 %
4	सार्वजनिक, अर्ध–सार्वजनिक	1531.18	2.05 %
5	कार्यालय	278.18	0.37 %
6	मनोरंजन	128.21	0.17 %
7	रिक्त भूमि	6348.51	8.49 %
8	यातायात परिवहन	1778.86	2.38 %
9	पार्क एवं खुले स्थल	497.12	0.67 %
10	जल निकाय	1164.49	1.56 %
11	अन्य	489.22	0.65 %
12	ए.ओ.आई. के अन्तर्गत आने वाला कृषि क्षेत्र	55644.87	74.46 %
	योग	**74734.39**	**100 %**

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

आवासीय

अलीगढ़ नगर का सर्वाधिक आवासीय विकास रामघाट रोड पर व जाफरी ड्रेन के किनारे हुआ है। यहाँ सांगवान सिटी, ओजोन सिटी, विनय नगर, गोकुलेशपुरम, आदि; आगरा रोड पर विकास नगर कॉलोनी, आवास विकास, समृद्धि टाउनशिप, आदि; दिल्ली रोड पर वृज विहार, स्मृति टाउनशिप व ग्रुप हाउसिंग विकसित किये जा रहे हैं, इसी प्रकार खैर रोड, कानपुर रोड, अनूपशहर रोड, पर भी इकरा कॉलोनी, सर सैय्यद कॉलोनी, वैष्णों धाम कॉलोनी, सतनाम नगर, खेरेश्वर विहार, दुर्गा विहार, आर.के. पुरम, पैराडाइज, प्रोफेसर कॉलोनी, आदि कई आवासीय कॉलोनियाँ विकसित हुई हैं। इस प्रकार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत अलीगढ़ विकास क्षेत्र में लगभग 5582.59 हैक्टेयर भूमि जो कि वर्ष 2019–20 में कुल विकसित नगरीयकृत विद्यमान है।

व्यवसायिक

अलीगढ़ नगर में मुख्य व्यवसायिक गतिविधियाँ पुराने शहर में स्थापित हैं, शहर के इस भाग में मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र बड़ा बाजार, पत्थर बाजार, रसलगंज, रेलवे रोड, महावीरगंज, बारहद्वारी, मामू–भान्जा, ऊपरकोट, देहलीगेट, मानिक चौक, सर्राफा बाजार, फूल चौराहा, आदि पुराना बस अड्डे वाली सड़क पर स्थिति हैं। वर्तमान में नगर की समस्त प्रमुख सड़कों पर व्यवसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं। सड़कों के सहारे पट्टीनुमा व्यवसायिक गतिविधियों के कारण शहर में जाम की समस्या आम बात है। शहर में पार्किंग स्थलों का अभाव है, व्यवसायिक अधिष्ठानों द्वारा सैटबैक नहीं छोड़े जाते हैं, जो कि इस समस्या को और जटिल बनाते हैं। नगर में वाणिज्य क्षेत्र दिल्ली रोड पर सारसौल फल मण्डी, कानपुर रोड पर धनीपुर मण्डी प्रमुख हैं। धनीपुर मण्डी में 735 दुकानें विद्यमान हैं, जिससे सम्पूर्ण शहर को फल, अनाज व सब्जी

मानचित्र–10

महायोजना–2021 में विचलन

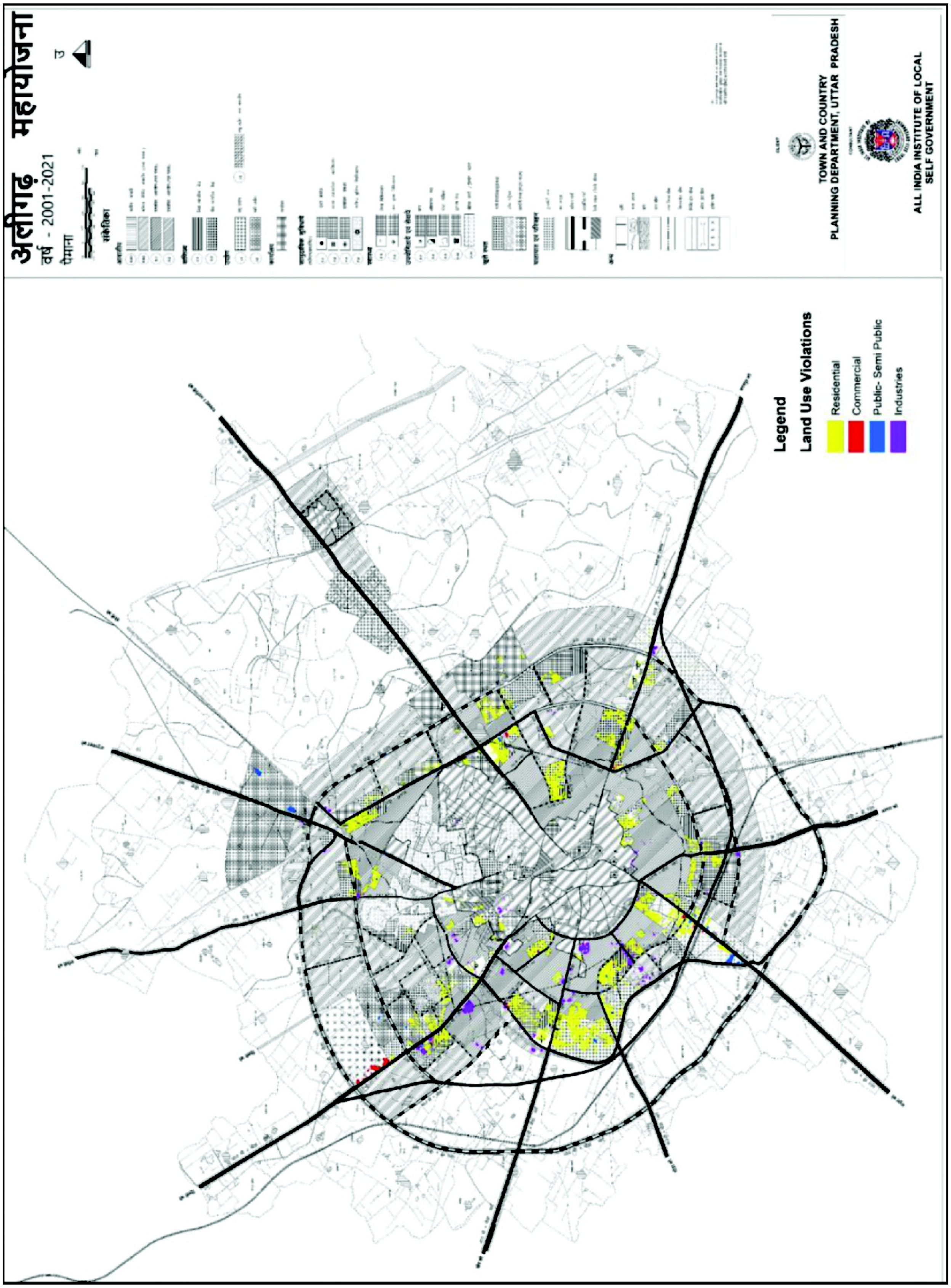

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

का वितरण किया जाता है। धनीपुर मण्डी का क्षेत्रफल लगभग 46.96 हेक्टेयर है, तथा दिल्ली रोड पर विद्यमान फल मण्डी का क्षेत्रफल लगभग 19.5 हेक्टेयर है। वर्तमान भू–उपयोग विश्लेषण 2019–20 से विदित होता है कि अलीगढ़ विकास क्षेत्र में 580.47 हैक्टेयर भूमि व्यवसायिक गतिविधियों के अधीन है।

कार्यालय

अलीगढ़ में विभिन्न कार्यालय विद्यमान हैं, जिसमें कलेक्ट्रेट, सिविल कोर्ट, कमिश्नरी, नगर निगम, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, जल निगम, दूर संचार निगम, परिवहन विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग, तहसीलें आदि प्रमुख हैं। शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के लिये प्रशासनिक व्यवस्था एक प्रमुख अंग है। अलीगढ़ जनपद मुख्यालय होने के कारण प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र है, जहाँ पर जनपद के सभी राजकीय कार्यालय, अर्द्ध–राजकीय कार्यालय व स्थानीय निकाय के कार्यालय स्थित हैं। वर्तमान भू–उपयोग विश्लेषण 2019–20 से विदित होता है कि अलीगढ़ विकास क्षेत्र में कार्यालय भू–उपयोग के अन्तर्गत 278.18 हैक्टेयर भूमि विद्यमान है।

औद्योगिक

अलीगढ़ नगर तालानगरी के नाम से जाना जाता है, यह एक औद्योगिक शहर है। दिल्ली के समीप कई शहर टी.टी.जेड. क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, जिस कारण वहाँ औद्योगिक इकाईयाँ प्रतिबंधित हैं, अतः अलीगढ़ उद्योगपतियों के लिए एक उचित विकल्प के रूप में उभरा है। कासिमपुर पावर हाउस, जे.के. सीमेन्ट, वंडर सीमेन्ट, अल्ट्राटेक, मंगलम सीमेन्ट लि., एम.आई. इण्डस्ट्रीज, पावना इण्डस्ट्रीज, अल–हलाल इन्टरनेशनल प्रा.लि., अल–हसन एग्रोफूड प्रा.लि., भोलेबाबा मिल्क फूड, इण्डस्ट्रीज लि., अल–अमार फ्रोजन फूडस एक्सपोर्ट्स प्रा.लि., आदि यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। अलीगढ़ मीट व्यापार का बड़ा निर्यातक है। वर्तमान भू–उपयोग विश्लेषण 2019–20 से विदित होता है कि अलीगढ़ विकास क्षेत्र में 710.7 हैक्टेयर भूमि औद्योगिक गतिविधियों के अन्तर्गत विद्यमान है।

सार्वजनिक/अर्ध–सार्वजनिक

सार्वजनिक/अर्ध–सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, डाक एवं तारघर, विद्युत, जलापूर्ति, आदि आते हैं। शिक्षण संस्थाओं के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वद्यिालय, लेडी फातिमा, मंगलायतन विश्वविद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल, वार्ष्णेय महाविद्यालय, धर्म समाज महाविद्यालय, संत फिदेलिस स्कूल, प्रमुख हैं। शहर में पं. दीनदयाल अस्पताल, मलखान सिंह अस्पताल, जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कॉलेज, तिब्बिया कॉलेज, आदि प्रमुख अस्पताल हैं। अलीगढ़ विकास क्षेत्र में 1531.18 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक, अर्ध–सार्वजनिक गतिविधियों के अन्तर्गत विद्यमान है।

यातायात परिवहन

शहर में गाँधी पार्क बस अड्डा, मसूदाबाद बस अड्डा, अलीगढ़–सारसौल बस अड्डा, छर्रा अड्डा, अलीगढ़ जंक्शन, धनीपुर एयरपोर्ट प्रमुख हैं। अलीगढ़ विकास क्षेत्र में 1778.86 हैक्टेयर भूमि यातायात परिवहन गतिविधियों के अन्तर्गत विद्यमान है।

पार्क एवं खुले स्थल

शहर में नकवी पार्क, गाँधी पार्क, मैरिस गार्डन, शिवाजी पार्क, अम्बेडकर पार्क, आदि प्रमुख पार्क हैं। महायोजना–2021 में प्रस्तावित पार्क, पार्क एवं खुले स्थल, क्षेत्रीय पार्क आदि का विकास न हो पाने के कारण उक्त स्थलों पर अनाधिकृत विकास हुआ है। शहर में पार्क एवं खुले स्थल के रूप में कुल 497.12 हैक्टेयर भूमि विद्यमान है।

6.2 महायोजना–2021 से विचलन की स्थिति

तालिका–16

अलीगढ़ महायोजना–2021 में प्रस्तावित भू–उपयोग के विरुद्ध व अनुरूप विकास

क्र.सं.	भू–उपयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग 2021 (है0)		विरुद्ध विकास (है0)				कुल विरुद्ध विकास		महायोजना 2021 के अनुरूप विकास		कुल विकसित क्षेत्र 2021		खाली रिक्त भूमि	
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	आवा.	व्यव.	औद्यो.	सार्व. सु.	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आवासीय	6075	53.78	–	153.5	80.25	191.7	425.45	7.00	4299.55	70.77	4725	77.78	1350	22.22
2.	व्यवसायिक	257.1	2.28	81.15	–	13.5	40.55	135.22	52.59	67.61	26.30	202.83	78.89	54.27	21.11
3.	औद्योगिक	945	8.37	55.3	12.05	–	26.95	94.3	9.98	489.33	51.78	583.63	61.76	361.37	38.24
4.	कार्यालय	322	2.85	44.2	6.02	2.12	28	80.34	24.95	187.6	58.26	267.94	83.21	54.06	16.79
5.	सार्व. सुविधाएँ (ए.एम.यू सहित)	914	8.09	60.33	19.2	6.87	–	86.4	9.45	577.85	63.22	664.25	72.68	249.75	27.32
6.	पार्क व खेल के मैदान	1095.6	9.70	170.05	40.5	6.45	35.5	252.5	23.05	593.06	54.13	845.56	77.18	250.04	22.82
7.	यातायात एवं परिवहन	1154.5	10.22	24.6	20.82	2.3	5.65	53.37	4.62	758.3	65.68	811.67	70.30	342.83	29.70
8.	जलनिकाय	149	1.32	8.64	1.04	1.63	3.25	14.56	9.77	33.5	22.48	48.06	32.26	100.94	67.74
9.	सीवेजफार्म3	83	3.39	5.1	0.01	0.41	0.29	5.9	1.54	143.48	37.46	149.38	39.00	233.62	61.00
	कुल	**11295.20**	**100**	**449.37**	**253.23**	**113.53**	**331.89**	**1148**	**10.16**	**7150.3**	**63.30**	**8298.3**	**73.47**	**2996.9**	**26.53**

स्रोत–ए.आई.आई.एल.एस.जी.

6.2.1 वर्तमान भू–उपयोग

अलीगढ़ महायोजना–2021 वर्ष 2021 तक के लिए अनुमानित जनसंख्या 13.09 लाख हेतु विभिन्न भू–उपयोगों के अन्तर्गत कुल 11295.2 हैक्टेयर भूमि (जी.आई.एस. में परिवर्तन उपरान्त) प्रस्तावित की गयी थी। महायोजना–2021 में विभिन्न भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि के सापेक्ष कुल 8298.3 हैक्टेयर भूमि वास्तव में विकसित हुई है, जिसमें 1148 हैक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित भू–उपयोगों के विपरीत तथा शेष 7150.3 हैक्टेयर भूमि महायोजना 2021 के प्रस्तावित भू–उपयोगों के अनुसार विकास हुआ है। शेष 2996.9 हैक्टेयर का क्षेत्र रिक्त अथवा अविकसित है। तालिका–16 में महायोजना–2021 के भू–उपयोग प्रस्तावों से विचलन और विकास दर्शाया गया है। विचलन/विकास के भू–उपयोगवार विस्तृत विवरण निम्नवत हैं–

आवासीय

तालिका–16 से स्पष्ट होता है कि महायोजना–2021 में आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल 6075 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी थी, जिसके सापेक्ष कुल 4299.55 हैक्टेयर भूमि पर भू–उपयोग के अनुरुप विकास हुआ है। अलीगढ़ में ओजोन सिटी, सांगवान सिटी, समृद्धि टाउनशिप, संस्कार सिटी, स्मृति सिटी, आदि प्रमुख आवासीय कॉलोनियाँ हैं जोकि भवन उपविधि के मानकों के अनुरूप विकसित हो रही हैं एवं 425.45 हैक्टेयर भूमि पर भू–उपयोग के विपरीत विकास हुआ है। इस प्रकार कुल 4725.00 हैक्टेयर भूमि पर विकास हुआ है।

व्यवसायिक

अलीगढ़ महायोजना–2021 में यह ध्यान रखा गया था कि वाणिज्यक क्रियाएँ इस प्रकार हो कि बाहरी क्षेत्र में जिला व्यापारिक केन्द्र के रूप में आस–पास की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। वर्ष 2021 की प्रक्षेपित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 257.1 हैक्टेयर भूमि व्यवसायिक भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित की गयी थी, जिसके सापेक्ष 67.61 हैक्टेयर भूमि भू–उपयोग के अनुरूप तथा 135.22 हैक्टेयर भूमि भू–उपयोग के विपरीत विकसित हुयी है।

औद्योगिक

अलीगढ़ महायोजना–2021 में औद्योगिक भू–उपयोग के अन्तर्गत 945.0 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी थी। महायोजना में प्रस्तावित औद्योगिक भू–उपयोग के सापेक्ष कुल 489.33 हैक्टेयर भूमि भू–उपयोग के अनुरूप विकसित हुई है। अलीगढ़ में जे.के. सीमेंट, वंडर सीमेंट, डिफेन्स कॉरिडोर, राठी आयरन्स आदि कई औद्योगिक इकाइयाँ विकसित हो रही हैं। 94.30 हैक्टेयर भूमि भू–उपयोग के विरुद्ध विकसित हुई है। इस प्रकार 583.63 हैक्टेयर भूमि पर विकास हुआ है।

सामुदायिक सुविधायें

अलीगढ़ महायोजना–2021 में सामुदायिक सुविधायें भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल 914.00 हैक्टेयर भूमि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित की गयी थी, जिसके सापेक्ष कुल 577.85 हैक्टेयर भूमि सामुदायिक सुविधाओं के भू–उपयोग के अनुरूप विकसित हुई है। 86.4 हैक्टेयर भूमि पर महायोजना के प्रस्तावित भू–उपयोग के विपरीत विकास हुआ है। इस प्रकार कुल 664.25 हैक्टेयर भूमि पर विकास हुआ है।

कार्यालय

अलीगढ़ महायोजना–2021 के अन्तर्गत कार्यालय भू–उपयोग के अन्तर्गत 322.00 हैक्टेयर भूमि आरक्षित की गयी थी जिसके सापेक्ष कुल 187.6 हैक्टेयर भूमि कार्यालय के रूप में विकसित है जिसमें से 80.34 हैक्टेयर भूमि कार्यालय भू–उपयोग के विरुद्ध तथा 267.94 हैक्टेयर भूमि कार्यालय भू–उपयोग के अनुरूप विकसित हुयी है।

यातायात और परिवहन

अलीगढ़ महायोजना–2021 में यातायात एवं परिवहन हेतु 1154.5 हैक्टेयर भूमि आरक्षित की गयी थी जिसके सापेक्ष कुल 811.67 हैक्टेयर भूमि विकसित हुई जिसमें से 53.37 हैक्टेयर भूमि भू–उपयोग के विरुद्ध तथा 758.30 हैक्टेयर भूमि भू–उपयोग के अनुरूप विकसित हुयी।

पार्क और खेल के मैदान

अलीगढ़ महायोजना–2021 में पार्क एवं खुले स्थल भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल 1095.6 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी जिसमें हरित पट्टिका हेतु 404.00 हैक्टेयर व प्रदर्शनी स्थल की 19.10 हैक्टेयर भूमि भी सम्मिलित है। इस प्रकार कुल नगरीय क्षेत्र का 9.70 प्रतिशत भूमि खुले क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित की गयी थी। जिसमें से 593.06 हैक्टेयर भूमि पर भू–उपयोग के अनुरूप तथा 252.5 हैक्टेयर भूमि पर भू–उपयोग के विरुद्ध विकास हुआ। इस प्रकार कुल 845.56 हैक्टेयर भूमि पर विकास हुआ।

सीवेज फार्म

अलीगढ़ महायोजना–2021 में सीवेज फार्म भू–उपयोग के अन्तर्गत 383.00 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी थी, जिसके सापेक्ष कुल 143.48 हैक्टेयर भूमि पर भू–उपयोग के अनुरूप विकास हुआ है। 5.90 हैक्टेयर भूमि पर महायोजना के प्रस्तावित भू–उपयोग के विपरीत विकास हुआ है। इस प्रकार कुल 149.38 हैक्टेयर भूमि पर विकास हुआ है।

निष्कर्ष

महायोजना–2021 में कुल प्रस्तावित 11295.20 हैक्टेयर भूमि के सापेक्ष 8298.30 हैक्टेयर भूमि पर विकास हुआ। 63.30 प्रतिशत विकास प्रस्तावित भू–उपयोग के अनुसार हुआ है, जबकि 10.16 प्रतिशत विकास भू–उपयोग के विरुद्ध हुआ है। शेष 26.53 प्रतिशत भूमि का क्षेत्र अविकसित अथवा रिक्त भूमि की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

अलीगढ़ महायोजना–2021 की अवधि में किये गये भू–उपयोग परिवर्तन का विवरण–

क्र.सं.	ग्राम का नाम	वर्तमान भू–उपयोग	परिवर्तित भू–उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अधिसूचना संख्या
1.	ग्राम एलमपुर	भारी उद्योग	आवासीय	7.453	आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की संख्या–6382/8–3–2008–76 एल.यू.सी.–2008, लखनऊ, दि0– 04.02.2009
2.	ग्राम नगौला	कृषि	औद्योगिक	1.3814	आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की संख्या–1940/8–3–15–28 एल.यू.सी.–2015, लखनऊ, दि0– 10.11.2015
3	ग्राम भांकरी खास	कृषि	औद्योगिक	5.5528	आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की संख्या–40/आठ–8–19–26 एल.यू.सी.–2017, लखनऊ, दि0– 10.02.2019
4.	ग्राम ल्हौसरा विसावन	कृषि	ट्रॉन्सपोर्ट नगर	85.416	आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की संख्या–10/आठ–8–2022–14 एल.यू.सी.–2020, लखनऊ, दि0– 07.01.2022
5.	ग्राम साथा	कृषि	औद्योगिक	6.8318	आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की संख्या–157/आठ–8–23–29 एल.यू.सी.–2018, लखनऊ, दि0– 17.02.2023

अध्याय–7

नियोजन की समस्याएँ

अलीगढ़ नगर, तीव्र शहरीकरण के कारण नगरीय समस्याओं का सामना कर रहा है। अलीगढ़ नगर हेतु प्रथम महायोजना की संरचना वर्ष 1981 में की गयी थी, जो वर्ष 2001 तक प्रभावी रही। वर्ष 2001 के बाद नई महायोजना वर्ष 2021 तक के लिये तैयार की गयी। जिसमें विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय, व्यवसायिक, उद्योग एवं अन्य भू–उपयोग निर्धारित किये गये जिसमें भू–उपयोग के अनुसार विकास नहीं हो पाया।

आवासीय क्षेत्र

अलीगढ़ शहर में आवासीय क्रियाओं की मुख्य विशेषता कुटीर उद्योगों का घरेलू स्तर पर क्रियाशील होना है इसलिए आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक क्रियाओं में भी वृद्धि हुई है।

जलापूर्ति और उपचार

जल आपूर्ति शहर की एक प्रमुख समस्या है क्योंकि पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत भूजल है। अलीगढ़ नगर क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का अभाव है जिससे शुद्ध पेय जल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। प्राथमिक सर्वेक्षण से यह पाया गया कि लोगों को नल के पानी के बजाय भू–जल पर निर्भर रहना पड़ता है। शहर में पानी की आपूर्ति कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त नहीं है।

खुली जल निकासी तथा सीवेज

शहर में मुख्य रूप से जल निकासी खुले नालों में करने की व्यवस्था है। यह एक चिंता का विषय है, क्यूंकि खुले नालों के कारण डेंगु, मलेरिया, चिकुनगुनिया आदि बीमारियों फैलती हैं साथ ही दुर्घटनााएँ होने की सम्भावनाएँ भी रहती हैं। इसके अलावा, बरसाती पानी के संग्रह और शहरी क्षेत्र में उत्पन्न मलजल के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। 12 एम.एल.डी. की क्षमता का केवल एक मलजल उपचार संयंत्र है जहाँ अति उपचार के बाद मलजल जाफरी ड्रेन में निस्तारण होता है। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ मलजल उपचार की जरूरत में भी वृद्धि होगी। जाफरी ड्रेन में निस्तारण के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता है।

परिवहन

शहर में चरम समय पर यातायात का जाम भी एक गम्भीर समस्या है। यातायात नियमों का सख्ती से पालन नहीं होता, साईकिल या पैदल चलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ फेरी वाले निर्दिष्ट अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में हैं और सभी गतिविधियाँ सड़क किनारे चल रही हैं जिससे यातायात बाधित होता है। अलीगढ़ में बारहद्वारी, रेलवे रोड, कनवरीगंज, आदि बाजार वाली सड़कों पर शाम को भारी भीड़ होती है इसलिये यातायात के जाम का कारण बनने वाले घटकों को ध्यान में रखकर प्रस्ताव दिये जाने चाहियें।

पार्किंग की सुविधाएँ

शहर के भीतर कोई उचित पार्किंग की सुविधा नहीं है। इसे वाणिज्यिक क्षेत्रों में विशेष रूप से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। पार्किंग सुविधा के अभाव से यातायात बाधित होता है।

मनोरंजन सुविधाएँ

अलीगढ़ में मनोरंजन सुविधा बहुत ही कम है। लोग मनोरंजन स्थानों के रूप में केवल मंदिरों, स्मारकों पर ही जाते हैं। नगर में कई छोटे पार्क विद्यमान हैं। मौजूदा मनोरंजन सुविधाओं के सौंदर्यीकरण एवं मनोरंजन के स्थानों का प्राविधान अवश्यक है।

अनौपचारिक क्षेत्र

अलीगढ़ में सड़कों के किनारे अनेक अनौपचारिक गतिविधियाँ चलती हैं और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है। इसलिए, फेरी वाले विक्रेता आदि बेतरतीब ढंग से फैले दिखाई पड़ते हैं। शहर के अनौपचारिक क्षेत्रों हेतु वेडिंग योजना की आवश्यकता है जिससे शहर के सौन्दर्य में वृद्धि हो सके।

आगामी परियोजनाएँ

नगर में चल रही परियोजनाओं और नई आगामी परियोजनाओं से विकास क्षेत्र में प्रवासन की वृद्धि होगी। आगामी दशक में जनसंख्या के चार गुणा होने का अनुमान है। उक्त के दृष्टिगत नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है।

अध्याय–8 महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य

8.1 दृष्टि

''महायोजना–2031 अलीगढ़ नगर को उच्च गुणवत्तायुक्त जीवन पद्धति एवं विश्वस्तरीय भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं से युक्त परिकल्पना पर आधारित है जो कि नगर के उद्यमशील एवं नवाचारयुक्त समुदाय को व्यापारित निवेश एवं विकास हेतु प्रोत्साहित करेगा।''

नगर के लिए दीर्घकालिक दृष्टि और योजनाओं को सुविधाजनक बनाने और विकसित करने के लिए शहर की जनता, हितधारकों और जन–प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करके अलीगढ़ शहर के भविष्य के लिए बनाई गई है।

8.2 उद्देश्य

1. अलीगढ़ नगर की नगरीय सीमा के अन्तर्गत विभिन्न भू–उपयोगों के लिये पर्याप्त भूमि के क्षेत्रफल को निर्धारित कर विभिन्न भू–उपयोगों के क्रियात्मक सम्बंधों के आधार पर नगर के भावी भौतिक विकास के स्वरूप के अनुसार नगर में विभिन्न भू–उपयोगों के युक्तिसंगत प्रस्ताव करना।
2. वर्तमान समय में नगर में हो रहे अनियोजित निर्माण को नियोजित कर भावी विकास हेतु एक समायोजित दिशा प्रदान करना। नगर तथा नगर के संलग्न बाह्‌य क्षेत्रों में होने वाले अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास को रोकना तथा भावी सुनियोजित विकास हेतु दिशा–निर्दिष्ट करना।
3. नगर में समुचित विकास हेतु विभिन्न आय वर्गों के लिये आवासीय व अन्य उपयोगों, तथा सामुदायिक सुविधाओं, उपयोगिताओं एवं सेवाओं का प्राविधान करना।
4. नगर में यातायात एवं परिवहन के सुगम व सुचारु व्यवस्था के प्राविधान तथा औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों की अवस्थापना कर नगर के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक स्वरुप के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करना। नगर में भावी एवं विकासशील क्षेत्रों में उपर्युक्त यातायात व्यवस्था के विभिन्न स्तरों का समुचित प्राविधान करना।
5. नगर के संतुलित विकास हेतु विभिन्न आय वर्गों के लिए भावी आवासीय व विभिन्न क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, उपयोगिताओं व सेवाओं का प्राविधान करना एवं नगर में मनोरंजनात्मक क्रियाओं तथा पार्क एवं खुले स्थलों का प्राविधान करना तथा संतुलित पर्यावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक प्रस्ताव तैयार करना।
6. अलीगढ़ में कृषि योग्य भूमि को अनाधिकृत रूप से अन्य उपयोगों में परिवर्तन को रोकना।
7. नगर के वर्तमान तथा भावी विकासशील क्षेत्रों में उपयुक्त मार्गों का प्राविधान करना।
8. अलीगढ़ विकास प्राधिकरण हेतु नगर के भावी विकास के लिए मार्गदर्शन करना तथा निजी/शासकीय/अर्द्ध–शासकीय संस्थाओं के विकास कार्यक्रमों का समन्वय कर उसके लिए समुचित दिशा–निर्दिष्ट करना।
9. विभिन्न आंकड़ों को विश्लेषित कर नगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर भविष्य में तैयार की जाने वाली जनपदीय योजनाओं तथा वर्तमान योजना के सुधार हेतु लक्ष्य रखना।

अध्याय–9	आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण

9.1 जनसंख्या प्रक्षेपण

जनसंख्या की विशिष्टताओं का अध्ययन समस्त प्रकार के विकास के लिये आधार के रूप में कार्य करता है। सभी प्रकार की योजनाओं का एक उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएँ प्रदान कर सकें। इसलिए जनसंख्या के मापदंडों का अध्ययन करके उसका विश्लेषण करना अनिवार्य है, जिससे अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नगर के भावी आकार तथा विभिन्न उपयोगों के लिये भूमि की आवश्यकता आदि का सही–सही अनुमान लगाया जाना आवश्यक होता है।

किसी भी नगर की महायोजना तैयार करने से पूर्व उस क्षेत्र की जनसंख्या की विशिष्टताओं का अध्ययन किया जाना अनिवार्य हो जाता है। योजना काल में जनसंख्या का आकार तथा विशिष्टताओं का सही अनुमान लगाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे कि अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नगर का भावी आकार व विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि की आवश्यकता आदि का सही अनुमान लगाया जा सके। जनसंख्या की वृद्धि अपनी स्वाभाविक वृद्धि, जो कि जन्म–मृत्यु दर पर आधारित होती है तथा प्रवासन प्रवृत्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। औद्योगीकरण के कारण आस–पास क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में आने वाली जनसंख्या के कारण नगर की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती हैं। इन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि जनसंख्या का पूर्वानुमान किया जाये तो सही अनुमान किया जा सकता है।

नीचे दी गई तालिका में वर्ष–2031 तक की अनुमानित जनसंख्या को दर्शाया गया है:

तालिका–17

अलीगढ़ नगर का जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2031

विधि		2011	2021		2031	
		जनगणना	प्रक्षेपित	औसत	प्रक्षेपित	औसत
अलीगढ़ नगर निगम	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	8,74,408	1142735.3	11,19,253	1493403.564	13,63,514
	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति		1285050		1490371	
	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति		1174012.5		1576277.5	
	ज्यामितीय एक्सट्रापोलेशन पद्धति		897984.98		922206.3612	
	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति		1096483		1335312	
नगर निगम में (2017 में) 19 गाँव जोड़े गए	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	1,94,637	453986	3,57,517	1089698	6,15,487
	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति		409818		520158	
	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति		321727		509486	
	ज्यामितीय एक्सट्रापोलेशन पद्धति		205385		223090	
	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति		365320		702496	
	कुल नगर निगम		**14,76,770**		**19,79,001**	

हरदुआ गंज (नगर पंचायत)	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	13,690	16181	16,152	19126.8	18,537
	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति		17906		20014.0	
	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति		16748		20860.0	
	ज्यामितीय एक्सट्रापोलेशन पद्धति		13920		14154.5	
	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति		16006		18530.0	
	कुल		**14,92,922**		**19,97,538**	

स्रोत– जनगणना–2011 व ए.आई.आई.एल.एस.जी

तालिका–18

वर्ष 2031 के लिए अन्य शहरी केंद्र जनसंख्या अनुमान

विधि		2011	2021		2031	
		जनगणना	प्रक्षेपित	औसत	प्रक्षेपित	औसत
खैर (नगर पालिका परिषद)	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	35,751	46197	45,519	59695.3	55,531
	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति		51919		60003	
	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति		46783.5		61858	
	ज्यामितीय एक्सट्रापोलेशन पद्धति		36674.2		37621.59	
	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति		46022		58480	
गभाना (नगर पंचायत)	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	17,021	21448	21,036	27025	24,941
	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति		24047		27560	
	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति		20534		24647.5	
	ज्यामितीय एक्सट्रापोलेशन पद्धति		17417		17823	
	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति		21735		27650	
जलाली (नगर पंचायत)	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	20,238	23470	23,541	27218	25,707
	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति		25812		28599	
	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति		23976.5		29108.5	
	ज्यामितीय एक्सट्रापोलेशन पद्धति		20539		20845	
	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति		23909		22766	
पिलखना (नगर पंचायत)	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	11,518	13649	13,548	16176	15,371
	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति		15116		16915	
	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति		14487		18355	
	ज्यामितीय एक्सट्रापोलेशन पद्धति		11714		11915	
	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति		12776		13493	

कौड़िया गंज (नगर पंचायत)	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	12,244	14157	14,143	16,370	15,919
	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति		15554		17209	
	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति		14770.5		18124	
	ज्यामितीय एक्सट्रापोलेशन पद्धति		12422		12604	
	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति		13811		15290	
मडराक (नगर पंचायत)	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	22,322	26711	26,294	31964	29,824
	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति		29658		33326	
	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति		25990		29855	
	ज्यामितीय एक्सट्रापोलेशन पद्धति		22725		23136	
	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति		26384		30840	
पिसावा (नगर पंचायत)	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	11,960	14821	14,970	18367	17,892
	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति		16578		18887	
	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति		16187		20804.5	
	ज्यामितीय एक्सट्रापोलेशन पद्धति		12218		12482	
	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति		15048		18919	
चण्डौस (नगर पंचायत)	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	12,319	16069	15,499	20961	18,430
	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति		18069		20944	
	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति		15194		18229	
	ज्यामितीय एक्सट्रापोलेशन पद्धति		12649		12988	
	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति		15514		19029	
बरौली (नगर पंचायत)	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	17,024	20755	22,467	25303	25,408
	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति		23144		26204	
	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति		20084		23392.5	
	ज्यामितीय एक्सट्रापोलेशन पद्धति		17364		17710	
	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति		30990		34433	
जवाँ–सिकंदरपुर (नगर पंचायत)	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	25,424	39964	37,214	62820	50,704
	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति		43924		53174	
	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति		34674		47051	
	ज्यामितीय एक्सट्रापोलेशन पद्धति		26580		27791	
	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति		40928		62686	
अन्य शहर				2,20,605		2,79,727
कुल शहरी				17,13,527		22,77,265

स्रोत– जनगणना–2011 व ए.आई.आई.एल.एस.जी

तालिका–19

वर्ष 2031 के लिए अन्य ग्रामीण जनसंख्या अनुमान

विधि		2011	2021		2031	
		जनगणना	प्रक्षेपित	औसत	प्रक्षेपित	औसत
ग्रामीण (184 गाँव)	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	4,36,422	523706	5,55,555	628446	6,94,838
	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति		773066		941388	
	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति		627085.5		901910	
	ज्यामितीय एक्सट्रापोलेशन पद्धति		457786		480222	
	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति		396133		522225	
ग्रामीण (380 गाँव) (407–27)	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	7,47,694	880597	10,42,402	1037124	13,03,161
	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति		1395318		1719130	
	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति		1103493		1621198	
	ज्यामितीय एक्सट्रापोलेशन पद्धति		790199		835192	
	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति		704155		1355156	
कुल ग्रामीण				**15,97,957**		**19,97,999**

स्रोत– जनगणना–2011 व ए.आई.आई.एल.एस.जी

तालिका–20

विकास प्राधिकरण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या–2031

क्षेत्र	अनुमानित जनसंख्या 2031
शहरी	22,77,265
ग्रामीण	19,97,999

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

अलीगढ़ व हरदुआगंज नगर की जनसंख्या वर्ष 2031 तक लगभग 19,97,538 तथा अलीगढ़ विकास क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या लगभग 19,97,999 होने का अनुमान है। अलीगढ़ विकास क्षेत्र की प्रक्षेपित ग्रामीण जनसंख्या में से योजना अवधि तक लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात कुल 2,99,699 के अलीगढ़ व हरदुआगंज नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित होने का अनुमान है। तदानुसार अलीगढ़ (हरदुआगंज सहित) की वर्ष 2031 हेतु जनसंख्या लगभग 22,97,237 होने का अनुमान है। विकास क्षेत्र की प्रक्षेपित ग्रामीण जनसंख्या में से वर्ष 2031 तक लगभग 1,55,430 खैर नगर में तथा 89,909 ग्रामीण जनसंख्या अन्य नगर पंचायतों में सम्मिलित होने का अनुमान किया गया है। विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका–21

खैर नगर पालिका परिषद और अन्य नगर पंचायतों की अनुमानित जनसंख्या

क्र.स.	नगर	जनसंख्या 2011	अनुमानित जनसंख्या 2031	ग्रामीण जनसंख्या (19,97,999 व्यक्ति)	कुल अनुमानित जनसंख्या 2031
1	खैर (न.पा.प.)	35,751	55,531	1,55,430(7.5%)	2,10,961
2	जवाँ सिकन्दरपुर (न.प.)	25,424	50,704	9989.9 (0.5%)	60,694
3	मडराक (न.प.)	22,322	29,824	9989.9 (0.5%)	39,814
4	जलाली (न.प.)	20,238	25,707	9989.9 (0.5%)	35,697
5	बरौली (न.प.)	17,024	25,408	9989.9 (0.5%)	35,398
6	चण्डौस (न.प.)	12,319	18,430	9989.9 (0.5%)	28,420
7	पिसावा (न.प.)	11,960	17,892	9989.9 (0.5%)	27,882
8	पिलखना (न.प.)	11,518	15,371	9989.9 (0.5%)	25,361
9	कौड़ियागंज (न.प.)	12,244	15,919	9989.9 (0.5%)	25,909
10	गभाना (न.प.)	17,021	24,941	9989.9 (0.5%)	34,931

स्रोत–ए.आई.आई.एल.एस.जी

9.2 जनसंख्या घनत्व

तालिका–22

जनसंख्या घनत्व–अलीगढ़

क्र.स.	वर्ष	जनसंख्या (वर्ग किमी.)	क्षेत्रफल	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति / वर्ग किमी.)
1	2001	6,69,087	36.70	18231
2	2011	8,74,408	40.43	21627

स्रोतः जनगणना 2011

तालिका–23

अन्य न.पा.प. और न.प. का जनसंख्या घनत्व

क्र.स.	वर्ष	जनसंख्या	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति / वर्ग किमी.)
हरदुआगंज				
1	**2011**	**13,690**	**15.40**	**889**

मानचित्र–11
वार्डवार जनसँख्या घनत्व

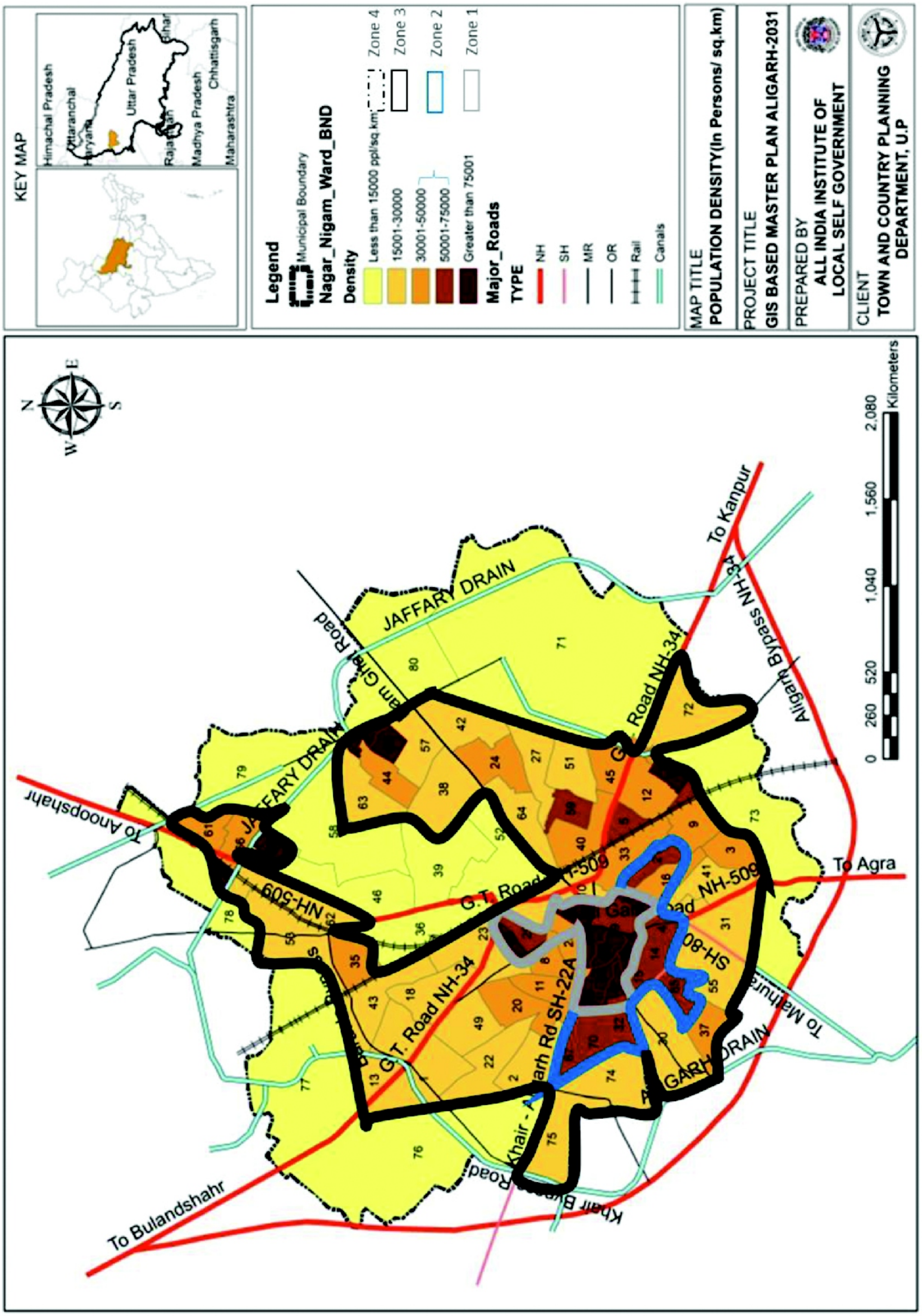

(स्रोतः नगर निगम अलीगढ़)

खैर				
2	2011	35,751	15.54	2301
गभाना				
3	2011	17,021	11.25	1513
जलाली				
4	2011	20,238	17.62	1148
पिलखना				
5	2011	11,518	12.62	913
कौड़ियागंज				
6	2011	12,244	14.20	862
पिसावा				
7	2011	11,960	9.6	1246
चण्डौस				
8	2011	12,319	10.1	1219
बरौली				
9	2011	17,024	15.1	1127
जवाँ सिकन्दरपुर				
10	2011	25,424	17.2	1478
मडराक				
11	2011	22,322	16.1	1386

स्रोतः नगर निगम अलीगढ़

घनत्व के वितरण को ध्यान में रखते हुए, अलीगढ़ शहर को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जैसा कि नीचे दिए गए मानचित्र में दिखाया गया हैः जोन 1 में सबसे अधिक घनत्व 75,000 व्यक्ति/वर्ग किमी. से अधिक है जो शहर का सबसे पुराना क्षेत्र है। जोन 2 जिसका उच्च घनत्व 30,000–75,000 व्यक्ति/वर्ग किमी. है, जोन 3 का मध्यम घनत्व 15,000–30,000 व्यक्ति/वर्ग किमी. है। जोन 4 का घनत्व सबसे कम है जो 15,000 व्यक्ति/वर्ग किमी. से कम है।

वार्ड संख्या 7, 17, 25, 34, 28, 34, 48, 54, 60 आदि का घनत्व सबसे अधिक है जो 75000 व्यक्ति/वर्ग किमी. से अधिक है। रेलवे लाइन के पूर्वी हिस्से का घनत्व सबसे कम है जो 15000 व्यक्ति/वर्ग किमी. से कम है। कोर सिटी क्षेत्र के वार्डों का घनत्व परिधि क्षेत्रों के वार्डों की तुलना में अधिक है। जी.टी. रोड के साथ वाले वार्डों का घनत्व अधिक है, जो इन वार्डों के पुराने शहर में स्थित होने तथा वाणिज्य गतिविधियाँ के कारण है।

9.3 जनसंख्या वृद्धि दर

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अलीगढ़ ने आवासीय क्षेत्रों में उद्योगों के विकास का अनुभव किया। 1971 की जनगणना ने अलीगढ़ को एक औद्योगिक–सह सेवा केंद्र के रूप में वर्गीकृत किया। 2011 की जनगणना के अनुसार शहर की जनसंख्या 8.74 लाख है जो वर्ष 2001 की जनसंख्या–6.69 लाख से अधिक है। आस–पास के क्षेत्रों से रोजगार के कारण आने वाली जनसंख्या के कारण नगर की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। अलीगढ़ नगर में भी 1981–91 की समयावधि में 49.75 प्रतिशत की उच्च वृद्धि

दर रही। अलीगढ़ शहर की वर्तमान जनसंख्या 13.21 लाख है, वर्ष 2011 से 51.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नगरपालिका सीमा 40.3 वर्ग किमी. (70 वार्ड) से बढ़कर 63 वर्ग किमी. (80 वार्ड) तक हो गई है।

ग्राफ–9

जनसंख्या की दशकीय वृद्धि

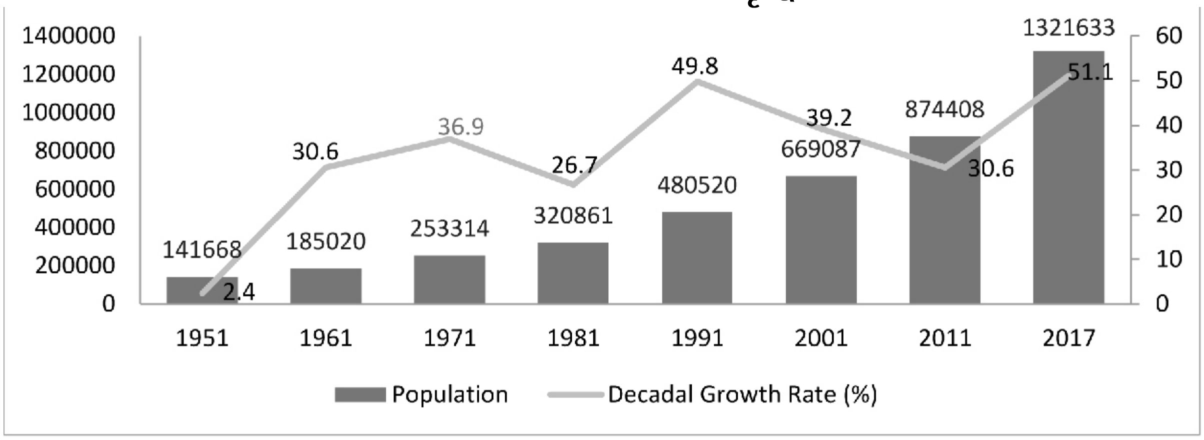

स्रोतः नगर निगम अलीगढ़

तालिका–24

न.पा.प. और न.प. की जनसंख्या और विकास दर

वर्ष	जनसंख्या	जनसंख्या वृद्धि दर
1. हरदुआगंज		
1991	9,682	
2001	11,582	19.62
2011	13690	18.20
2. खैर		
1991	21,770	
2001	27,667	27.08
2011	35751	29.22
3. गभाना		
1991	11196	
2001	13508	20.65
2011	17021	26.0
4. कौड़ियागंज		
1991	8,846	
2001	10,589	19.70
2011	12244	15.63

5. पिलखना		
1991	7,379	
2001	9,719	31.71
2011	11518	18.51
6. जलाली		
1991	15,548	
2001	17,451	12.23
2011	20,238	15.97
7. मडराक		
1991	15,380	
2001	18,654	21.28
2011	22,322	19.66
8. पिसावा		
1991	8,125	
2001	9,651	18.78
2011	11,960	23.92
9. चण्डौस		
1991	6,889	
2001	9,444	37.08
2011	12,319	30.44
10. बरौली		
1991	11,401	
2001	13,964	22.48
2011	17,024	21.91
11. जवाँ सिकन्दरपुर		
1991	13,178	
2001	16,174	22.73
2011	25,424	57.19

स्रोतः जनगणना 1991, 2001 व 2011

9.3.1 जनसंख्या वितरण (शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या)

नियोजन सीमा में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र सम्मिलित हैं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:–

तालिका–25

शहरी और ग्रामीण जनसंख्या

क्षेत्र	निकाय का नाम	जनसंख्या 2011
नगरीय	अलीगढ़ नगर निगम	10,69,045
	खैर नगर पालिका परिषद	35,751
	नगर पंचायतें (कुल 10)	1,63,760
ग्रामीण	564 गाँव (नगरीय सीमा में 46 गाँव सम्मिलित)	11,84,116

स्रोतः जनगणना 2011

अलीगढ़ नगर निगम की वर्ष 2011 की जनसंख्या में नगर विकास अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अधिसूचना संख्या–3330/नौ–7–17–20(ए0क्यू0)/2013, दिनाँक–31.08.2017 के द्वारा सम्मिलित किये गये ग्रामों की जनसंख्या–1,94,637 को भी सम्मिलित किया गया है।

9.4 प्रवासन

अलीगढ़ शहर में वर्ष 1975 तक जनसंख्या की वृद्धि सामान्य रही तथा इस में जनसंख्या के प्रवासन का योगदान पिछले कई दशकों से लगभग नगण्य था, परन्तु वर्तमान परिवेश मे अलीगढ़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समीप होने के कारण अलीगढ़ नगर के आस–पास कई अवस्थापना परियोजनाएँ प्रस्तावित हुई। जिसमें मुख्यतः जेवर एयरपोर्ट, डिफेन्स कोरिडोर, डैडीकेटिड फ्रेट कोरिडोर आदि के साथ–साथ पूरब की ओर भी दिल्ली–कानपुर राजमार्ग (एन.एच.–34) प्रस्तावित किया गया, जिसका निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। चूंकि अलीगढ़ नगर कानपुर, आगरा, बुलन्दशहर, गाजियाबाद आदि से प्रभावी रूप से सड़क एवं रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है। जिसके दृष्टिगत यात्रियों को यात्रा करने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है एवं अलीगढ़ नगर जलवायु तथा भूमि की उपलब्धता एवं एन.सी.आर. क्षेत्र में अपेक्षाकृत भूमि मूल्य की कम दर होने तथा नगर में विद्यमान एवं प्रस्तावित औद्योगिकीकरण के कारण प्रबल आर्थिक सम्भावनाओं के दृष्टिगत अलीगढ़ नगर की जनसंख्या में प्रवासन से भी वृद्धि हो रही है, जिस हेतु अलीगढ़ महायोजना में उचित प्रस्ताव दिये गये हैं।

9.5 आवास प्रक्षेपण

वर्ष 2031 तक अलीगढ़ एवं हरदुआगंज की अनुमानित 22.97 लाख आबादी के लिए आवास की आवश्यकताएँ निम्नानुसार हैं:–

तालिका–26

आवास आवश्यकताएँ अलीगढ़ शहर (हरदुआगंज सहित)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2031
1	जनसंख्या	10,82,735	22,97,237
2	अतिरिक्त जनसंख्या	.	.
3	परिवार का औसत आकार	6.00	5.00
4	कुल परिवार	1,80,455	4,59,448
5	वर्तमान आवासीय इकाईयाँ	1,70,000 (अनुमानित)	.
6	वर्तमान में आवासीय इकाईयों की कमी	10,455	.
7	वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में आवासीय इकाई (कुल इकाई का 3 प्रतिशत जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने का अनुमान करते हुये)	5100	.
8	वर्तमान में कुल आवासीय इकाईयों की कमी (6+7)	15,555	15,555
9	वर्ष 2031 तक अतिरिक्त परिवार	.	2,78,993
10	वर्ष 2031 तक कुल अतिरिक्त आवासीय इकाईयों की आवश्यकता (8+9)	.	2,94,548

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

आवास के लिए क्षेत्र की आवश्यकता

आय समूह	भूमि का प्रकार	प्रतिशत	वर्ष 2031 तक कुल आवासीय इकाइयों की कमी	आवासीय इकाईयों का क्षेत्रफल (वर्ग. मी.)	औसत आवासीय इकाइयाँ	कुल अनुमानित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्रतिशत (आवासीय क्षेत्र)	कुल अनुमानित आवश्यकता (हैक्टेयर)	कुल (हैक्टेयर)
EWS	भूखण्डीय (प्लॉटिड)	20	58910	60	1.0 प्रति भूखण्ड	353.46	40	883.65	1051.96
	समूह आवास	20	58910	60	350 प्रति हैक्टेयर	168.31	.	168.31	
LIG	भूखण्डीय (प्लॉटिड)	15	44182	80	1.0 प्रति भूखण्ड	353.46	45	785.45	932.72
	समूह आवास	15	44182	80	300 प्रति हैक्टेयर	147.27	.	147.27	
MIG	भूखण्डीय (प्लॉटिड)	10	29455	180	2.0 प्रति भूखण्ड	265.095	55	481.99	599.81
	समूह आवास	10	29455	90	250 प्रति हैक्टेयर	117.82	.	117.82	
HIG	भूखण्डीय (प्लॉटिड)	5	14727	270	2.0 प्रति भूखण्ड	198.81	55	361.47	435.11
	समूह आवास	5	14727	135	200 प्रति हैक्टेयर	73.64	.	73.64	
	कुल		**100**	**294548**					**3019.6**

3019.60 हैक्टेयर भूमि की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

आवास क्षेत्र की आवश्यकताएँ–अन्य एन.पी.पी. एवं एन.पी.

खैर नगर पालिका परिषद

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2031
1	जनसंख्या	35751	210961
2	अतिरिक्त जनसँख्या	.	.
3	परिवार का औसत आकार	6.00	5.00
4	कुल परिवार	5958	42192
5	वर्तमान आवासीय इकाईयाँ	5000 (अनुमानित)	.
6	वर्तमान में आवासीय इकाईयों की कमी	958	.
7	वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में आवासीय इकाई (कुल इकाई का 3 प्रतिशत जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने का अनुमान करते हुये)	150	.
8	वर्तमान में कुल आवासीय इकाईयों की कमी (6+7)	1108	1108
9	वर्ष 2031 तक अतिरिक्त परिवार	.	36234
10	वर्ष 2031 तक कुल अतिरिक्त आवासीय इकाईयों की आवश्यकता (8+9)	.	37342

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

गभाना नगर पंचायत

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2031
1	जनसंख्या	17021	34931
2	अतिरिक्त जनसँख्या	.	.
3	परिवार का औसत आकार	6.00	5.00
4	कुल परिवार	2836	6986
5	वर्तमान आवासीय इकाईयाँ	2700 (अनुमानित)	.
6	वर्तमान में आवासीय इकाईयों की कमी	136	.
7	वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में आवासीय इकाई (कुल इकाई का 3 प्रतिशत जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने का अनुमान करते हुये)	81	.
8	वर्तमान में कुल आवासीय इकाईयों की कमी (6+7)	217	217
9	वर्ष 2031 तक अतिरिक्त परिवार	.	4150
10	वर्ष 2031 तक कुल अतिरिक्त आवासीय इकाईयों की आवश्यकता (8+9)	.	4367

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

जलाली नगर पंचायत

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2031
1	जनसंख्या	20238	35697
2	अतिरिक्त जनसँख्या	.	.
3	परिवार का औसत आकार	6.03	5.00
4	कुल परिवार	3358	7140
5	वर्तमान आवासीय इकाईयाँ	3000 (अनुमानित)	.
6	वर्तमान में आवासीय इकाईयों की कमी	358	.
7	वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में आवासीय इकाई (कुल इकाई का 3 प्रतिशत जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने का अनुमान करते हुये)	90	.
8	वर्तमान में कुल आवासीय इकाईयों की कमी (6+7)	448	448
9	वर्ष 2031 तक अतिरिक्त परिवार	.	3782
10	वर्ष 2031 तक कुल अतिरिक्त आवासीय इकाईयों की आवश्यकता (8+9)	.	4230

;**स्रोत–** ए.आई.आई.एल.एस.जी

पिलखना नगर पंचायत

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2031
1	जनसंख्या	11518	25361
2	अतिरिक्त जनसँख्या	.	.
3	परिवार का औसत आकार	6.00	5.00
4	कुल परिवार	1730	5072
5	वर्तमान आवासीय इकाईयाँ	1600 (अनुमानित)	.
6	वर्तमान में आवासीय इकाईयों की कमी	130	.
7	वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में आवासीय इकाई (कुल इकाई का 3 प्रतिशत जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने का अनुमान करते हुये)	48	.
8	वर्तमान में कुल आवासीय इकाईयों की कमी (6+7)	178	178
9	वर्ष 2031 तक अतिरिक्त परिवार	.	3342
10	वर्ष 2031 तक कुल अतिरिक्त आवासीय इकाईयों की आवश्यकता (8+9)	.	3520

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

कौडियागंज नगर पंचायत

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2031
1	जनसंख्या	12244	25909
2	अतिरिक्त जनसँख्या	.	.
3	परिवार का औसत आकार	6.58	5.00
4	कुल परिवार	1862	5182
5	वर्तमान आवासीय इकाईयाँ	1700 (अनुमानित)	.
6	वर्तमान में आवासीय इकाईयों की कमी	162	.
7	वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में आवासीय इकाई (कुल इकाई का 3 प्रतिशत जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने का अनुमान करते हुये)	51	.
8	वर्तमान में कुल आवासीय इकाईयों की कमी (6+7)	213	213
9	वर्ष 2031 तक अतिरिक्त परिवार	.	3320
10	वर्ष 2031 तक कुल अतिरिक्त आवासीय इकाईयों की आवश्यकता (8+9)	.	3533

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

पिसावा नगर पंचायत

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2031
1	जनसंख्या	11960	27882
2	अतिरिक्त जनसंख्या	.	.
3	परिवार का औसत आकार	6.00	5.00
4	कुल परिवार	1993	5576
5	वर्तमान आवासीय इकाईयाँ	1800 (अनुमानित)	.
6	वर्तमान में आवासीय इकाईयों की कमी	193	.
7	वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में आवासीय इकाई (कुल इकाई का 3 प्रतिशत जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने का अनुमान करते हुये)	54	.
8	वर्तमान में कुल आवासीय इकाईयों की कमी (6+7)	247	247
9	वर्ष 2031 तक अतिरिक्त परिवार	.	3583
10	वर्ष 2031 तक कुल अतिरिक्त आवासीय इकाईयों की आवश्यकता (8+9)	.	3830

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

चण्डौस नगर पंचायत

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2031
1	जनसंख्या	12319	28420
2	अतिरिक्त जनसँख्या	.	.
3	परिवार का औसत आकार	6.00	5.00
4	कुल परिवार	2053	5684
5	वर्तमान आवासीय इकाईयाँ	1900 (अनुमानित)	.
6	वर्तमान में आवासीय इकाईयों की कमी	153	.
7	वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में आवासीय इकाई (कुल इकाई का 3 प्रतिशत जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने का अनुमान करते हुये)	57	.
8	वर्तमान में कुल आवासीय इकाईयों की कमी (6+7)	210	210
9	वर्ष 2031 तक अतिरिक्त परिवार	.	3631
10	वर्ष 2031 तक कुल अतिरिक्त आवासीय इकाईयों की आवश्यकता (8+9)	.	3841

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

बरौली नगर पंचायत

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2031
1	जनसंख्या	17024	35398
2	अतिरिक्त जनसँख्या	.	.
3	परिवार का औसत आकार	6.00	5.00
4	कुल परिवार	2837	7080
5	वर्तमान आवासीय इकाईयाँ	2700 (अनुमानित)	.
6	वर्तमान में आवासीय इकाईयों की कमी	137	.
7	वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में आवासीय इकाई (कुल इकाई का 3 प्रतिशत जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने का अनुमान करते हुये)	81	.
8	वर्तमान में कुल आवासीय इकाईयों की कमी (6+7)	218	218
9	वर्ष 2031 तक अतिरिक्त परिवार	.	4243
10	वर्ष 2031 तक कुल अतिरिक्त आवासीय इकाईयों की आवश्यकता (8+9)	.	4461

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

जवाँ सिकन्दरपुर

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2031
1	जनसंख्या	25424	60694
2	अतिरिक्त जनसँख्या	.	.
3	परिवार का औसत आकार	6.00	5.00
4	कुल परिवार	4238	12139
5	वर्तमान आवासीय इकाईयाँ	4000 (अनुमानित)	.
6	वर्तमान में आवासीय इकाईयों की कमी	238	.
7	वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में आवासीय इकाई (कुल इकाई का 3 प्रतिशत जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने का अनुमान करते हुये)	120	.
8	वर्तमान में कुल आवासीय इकाईयों की कमी (6+7)	358	358
9	वर्ष 2031 तक अतिरिक्त परिवार	.	7901
10	वर्ष 2031 तक कुल अतिरिक्त आवासीय इकाईयों की आवश्यकता (8+9)	.	8259

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

मडराक नगर पंचायत

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2031
1	जनसंख्या	22322	39814
2	अतिरिक्त जनसँख्या	.	.
3	परिवार का औसत आकार	6.00	5.00
4	कुल परिवार	3720	7963
5	वर्तमान आवासीय इकाईयाँ	3000 (अनुमानित)	.
6	वर्तमान में आवासीय इकाईयों की कमी	720	.
7	वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में आवासीय इकाई (कुल इकाई का 3 प्रतिशत जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने का अनुमान करते हुये)	90	.
8	वर्तमान में कुल आवासीय इकाईयों की कमी (6+7)	810	810
9	वर्ष 2031 तक अतिरिक्त परिवार	.	4243
10	वर्ष 2031 तक कुल अतिरिक्त आवासीय इकाईयों की आवश्यकता (8+9)	.	5053

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

महायोजना 2031 में उपरोक्त न.पा. परि. एवं नगर पंचायतों में अनुमानित अतिरिक्त 42202 आवासीय इकाईयों के लिये आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत इन नगरों में आवश्यक भूमि का प्राविधान किया गया है, जिसे भू–उपयोग प्रस्ताव के अध्याय के अन्तर्गत अलग–अलग सारणियों में दर्शाया गया है। आवासीय प्रस्ताव नगर के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार दिये गये है कि इन क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को आवासीय सुविधा के साथ–साथ अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध हो सकें।

9.6 अलीगढ़ विकास क्षेत्र में जलापूर्ति की आवश्यकता

9.6.1 जलापूर्ति

लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की आपूर्ति भौतिक बुनियादी ढाँचे में से एक है। जल आपूर्ति की माँग जनसंख्या के आकार, जीवन स्तर, जलवायु, आपूर्ति के प्रकार आदि पर निर्भर करती है। CPHEEO और URDPFI द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पानी की आपूर्ति की आवश्यकताएँ, जहाँ पाइप से पानी की आपूर्ति होती है तथा सीवरेज सिस्टम मौजूद है, वहाँ 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एल.पी.सी.डी.) है। विकास क्षेत्र में सम्मिलित ऐसे स्थानीय निकाय जहाँ सीवरेज सिस्टम उपलब्ध नहीं है परन्तु पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति है, वहाँ पानी का मानक 70 ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एल.पी.सी.डी.) है। अलीगढ़ नगर में जल का प्रमुख स्रोत भूजल है। अलीगढ़ नगर में जलकल विभाग, अलीगढ़ नगर निगम द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

वर्ष 2031 तक की अनुमानित जलापूर्ति आवशकताएँ निम्न तालिका में दर्शायी गयीं हैं–

तालिका–27

अनुमानित जल आपूर्ति आवश्यकताएँ–2031

क्षेत्र	प्रक्षेपित जनसंख्या (वर्ष 2031)	पानी की आवश्यकता–2031 (सी.पी.एच.ई.ई.ओ. / यू.आर.डी.पी.एफ.आई. दिशा–निर्देश)
अलीगढ़ एवं हरदुआगंज	2297237	310.12 MLD
खैर	210961	14.76 MLD
पिलखना	25361	1.78 MLD
जलाली	35697	2.50 MLD
कौड़ियागंज	25909	1.81 MLD
पिसावा	27882	1.95 MLD
चंडौस	28420	1.99 MLD
गभाना	34931	2.45 MLD
बरौली	35398	2.48 MLD
जवाँ सिकंदरपुर	60694	4.25 MLD
मडराक	39814	2.79 MLD

स्रोतः नगर निगम अलीगढ़

प्रस्तावः–

1. वर्ष 2031 तक के लिये अलीगढ़ नगरीय क्षेत्र हेतु जलापूर्ति की अतिरिक्त आवश्यकता के लिये समुचित प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

2. जल के वितरण हेतु पाइपलाइन के नेटवर्क को उच्चीकृत एवं पम्पिंग सिस्टम से सम्बन्धित सुविधायें व न्यू फीडर मेन्स को उच्चीकृत करना और प्रतिस्थापित करना।
3. विस्तृत नेटवर्क प्लान तैयार करना एवं तदानुसार नये ट्यूबवैल की व्यवस्था करना एवं पुराने ट्यूबवैल को प्रतिस्थापित करना।
4. जल निस्तारण में जल की क्षति को जहाँ तक हो सके कम से कम रखना, रख–रखाव की व्यवस्था को उच्चीकृत करना तथा जलकर आदि प्राप्त करने की उचित व्यवस्था तैयार कर व्यवस्थित करना।
5. नये ओवरहैड टैंक का निर्माण करना व क्षतिग्रस्त ओवरहैड टैंक की मरम्मत किया जाना।

9.7 वर्षा जल निकासी

जीवन और पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जल एक आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन मनमाने तरीके से भूजल संसाधनों के अति–दोहन के कारण भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है इसलिए भूजल स्रोतों का संरक्षण, अर्थव्यवस्था, जल उपयोग और पुनर्भरण अनिवार्य है। वर्तमान में स्वीकृत कॉलोनियों एवं प्राधिकरण की कॉलोनियों में स्थिति पार्कों में वर्षा जल संचयन के प्राविधान विकसित किया जाना प्रस्तावित है। महायोजना–2031 में भू–जल के संरक्षण एवं पुनर्भरण के लिए निहित प्राविधानों के अंतर्गत 20 एकड़ एवं इससे अधिक क्षेत्रफल की विभिन्न योजनाओं में तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने का प्राविधान है तथा 300 वर्ग मीटर व इससे अधिक क्षेत्रफल की सभी स्वीकृत भू–खण्डों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कराना अनिवार्य है। वर्षा जल और पुनर्भरण कार्यक्रमों को एकीकृत तरीके से लागू करने और कुशल जल उपयोग और तकनीकों के माध्यम से जल–संरक्षण करने व भू–खण्डों एवं ग्रुप हाउसिंग में खुले स्थानों पर प्राप्त वर्षा जल तथा संग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

1. औद्योगिक एवं रिहायशी क्षेत्र में वर्षा जल संचयन और संरक्षण उपायों संरचनाओं की योजना बनाना और डिजाइन तैयार करना।
2. छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली की योजना और डिजाइनिंग करना।
3. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग के नियमों का अनुपालन करना।
4. कृत्रिम रिचार्ज परिसर के योजना क्षेत्र में जल निकासी का डिजाइन, जल निकासी पैटर्न का अध्ययन और कृत्रिम पुनर्भरण के लिए योजना तैयार करना।
5. कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के लिए डिजाइन तैयार करना।

सुझाव

अलीगढ़ नगर के प्राकृतिक नालों की वर्षा ऋतु से पूर्व डीसिल्टिंग, मरम्मत व सफाई आवश्यक है जिससे वह वर्षा ऋतु व जल भराव की स्थिति में सही रूप से कार्य कर सकें।

9.8 सीवेज

वर्ष 2031 तक की अनुमानित जनसंख्या के लिये जलापूर्ति 310.12 एम.एल.डी. जलापूर्ति की आवश्यकता होगी। मानक के अनुसार जलापूर्ति का 80 प्रतिशत भाग सीवरेज उत्पन्न करता है। इस प्रकार वर्ष–2031 तक 248.10 एम.एल.डी. उत्सर्जन के लिए सुव्यवस्थित सीवरेज नेटवर्क का निर्माण किया जाना होगा।

सुझाव

1. सीवरेज ट्रीटमेन्ट हेतु पर्याप्त मात्रा में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, पम्पिंग स्टेशन आदि तैयार किया जाना आवश्यक है।
2. एक सुव्यवस्थित सीवरेज नेटवर्क का निर्माण किया जाना होगा।

3. क्षतिग्रस्त सीवरेज लाइन की मरम्मत किया जाना आवश्यक है, जिससे कि उसे उपयोग में लाया जा सके।
4. वेस्ट वाटर मैनेजमेन्ट के सम्बन्ध में नागरिकों को जागरुक किया जाना होगा।
5. नई विकास/आवास योजनाओं/वाणिज्यिक/होटल/संस्थानों में दोहरी पाइप लाईन प्रणाली को सम्मिलित किया जाना चाहिय और ग्रे–वाटर के पुर्नचक्रण और पुनः उपयोग का अभ्यास करना चाहिये।

चित्र–11

पृथक्करण प्रबंधन से लाभ

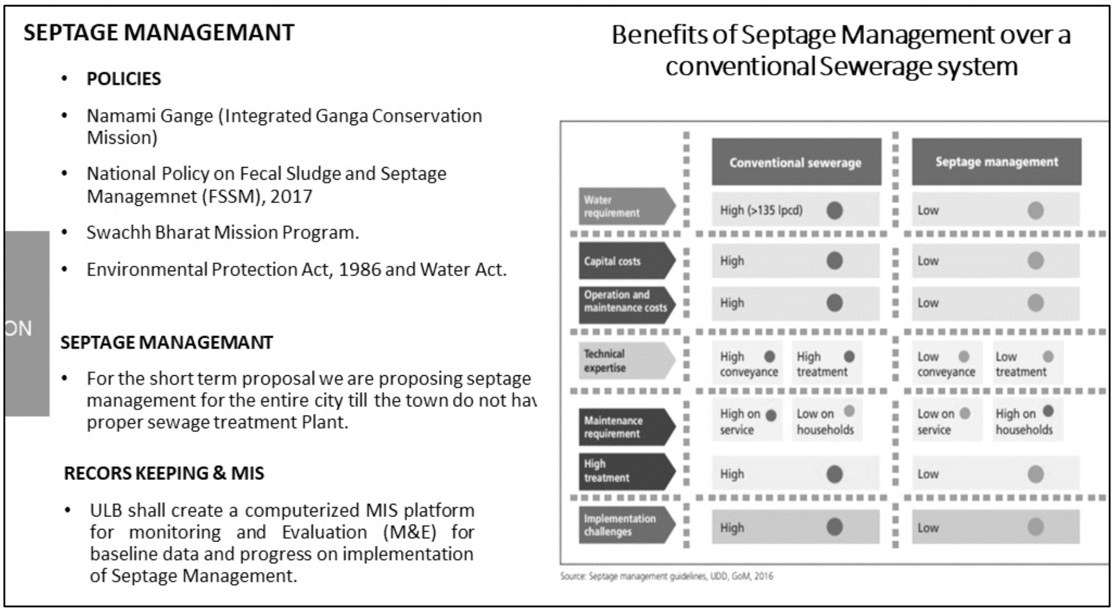

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

ड्रेनेजः– अलीगढ़ नगरीय क्षेत्र में ड्रेनेज सम्बन्धी सुविधाओं का रख–रखाव नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा किया जाता है। वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में बने नाले व नाली का निर्माण नियोजित रूप से नहीं होने के कारण उनमें प्रवाह सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप वर्षा के समय मार्गों व मौहल्लों में जल भराव की स्थिति बन जाती है। नगर की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्णतया पम्पिंग स्टेशनों पर निर्भर है। ड्रेनेज व्यवस्था हेतु नगर में 25 पम्पिंग स्टेशन क्रियाशील हैं जो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

सुझाव

अलीगढ़ नगर निगम द्वारा आवश्यकता का आंकलन कर पम्पिंग स्टेशन की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये। जल निकासी हेतु नई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिये।

9.9 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

अलीगढ़ नगर के ठोस कचरे में घरेलू, व्यवसायिक, औद्योगिक एवं रसायनिक कचरा सम्मिलित है। नगर में उत्पन्न कुल कचरा 593.06 एम.टी./दिन है। महायोजना–2031 में तहसील कोल के ग्राम पनैठी में 14.015 हैक्टेयर भूमि पर बायो–मेडिकल वेस्ट के निस्तारण एवं सैप्टिक मैनेजमेन्ट योजना एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के विस्तार हेतु भूमि प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी नगर निगम, अलीगढ़ से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु स्मार्ट सिटी कन्वरजेन्स के अन्तर्गत इगलास रोड स्थित नगर निगम की स्लेज फार्म की 6.39 हैक्टेयर भूमि पर वेस्ट–टू–एनर्जी प्लान्ट लगाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2031 तक अनुमानित ठोस अपशिष्ट 1046.8 टी.पी.डी. होगा।

सुझाव

1. शहरी स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये। बायो–डिग्रेडेबल कचरे के लिए बायो गैस संयंत्रों को लगाया जाना चाहिये। जहाँ कचरे को संशोधित किया जा सकता है और परिसर में खाद, या बायो मीथेनेशन के माध्यम से निस्तारण की व्यवस्था की जा सकती है और अवशेष अपशिष्ट स्थानीय निकाय द्वारा नामित एजेंसी को दिया जा सकता है।
2. **रिफ्यूज**– डिराइव्ड फ्यूल (RFD) सामग्री को पास के उद्योगों को भेजा जाना चाहिये। केवल शेष निष्क्रिय अपशिष्ट को निकटतम लैंडफिल साइट पर भेजा जाना चाहिये जो 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।
3. कूड़े को खुले में फेंकने तथा नालों में बहाये जाने पर उचित रोकथाम की आवश्यकता है, जिसके लिये नागरिकों में जागरुकता फैलाने हेतु समुचित प्रचार–प्रसार की आवश्यकता होगी।
4. R's (Reduce, Reuse and Recycle) का पालन किया जाना चाहिये। न्यूनतम कचरा, जिसे पुर्ननवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, उसको ही लैंडफिल साइटों पर भेजा जाना चाहिये। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के अनुसार, शून्य लैंडफिल साइट की स्थिति प्राप्त करने की आवश्यकता है।

चित्र–12

शून्य लैंडफिल के लिए पहल

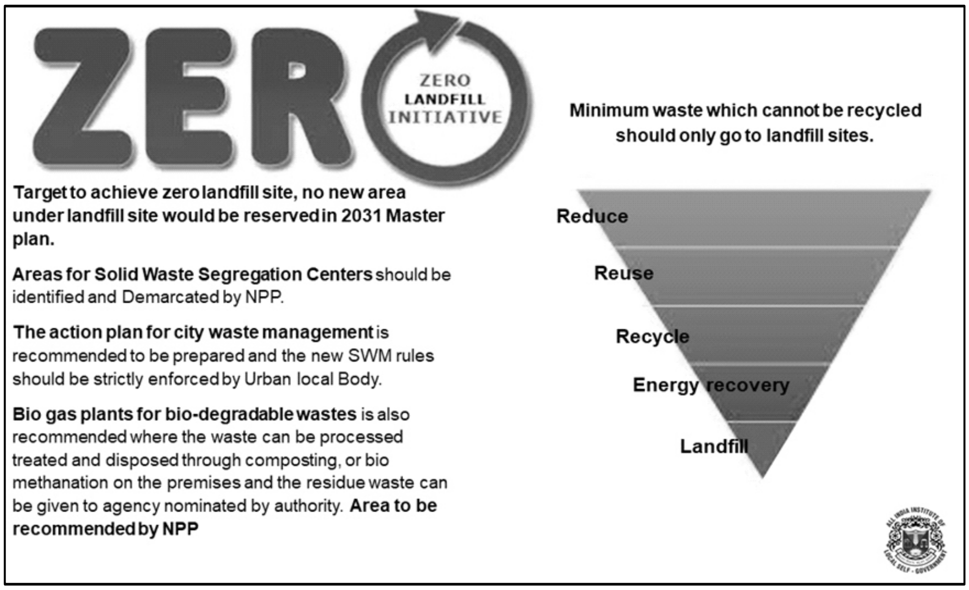

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

ई–वेस्ट के निस्तारण के लिए ईको पार्क बनाया जाना चाहिये, जहाँ उचित निराकरण, नवीनीकरण किया जा सके। ई–वेस्ट को हटाने और निस्तारण के लिए ई–वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैंडलिंग) नियमावली 2011 का पालन किया जाना चाहिये।

9.10 बिजली की आवश्यकताएँ

9.10.1 बिजली के लिये प्रक्षेपण

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. में उल्लिखित राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 के अनुसार वर्ष 2031 के लिए 62 एमयू/माह विद्युत की आवश्यकता का अनुमान है।

9.11 डाकघर एवं संचार के लिये आवश्यकताएँ

9.11.1 विकास क्षेत्र में डाकघर एवं संचार के लिए अनुमान

विकास क्षेत्र में डाकघर एवं संचार की आवश्यकताएँ तालिका संख्या 31 में दी गयी हैं।

9.12 शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकताएँ

9.12.1 अलीगढ़ नगर में शैक्षणिक सुविधाओं का अनुमान

अलीगढ़ नगर को वर्ष 2031 तक 194 हैक्टेयर क्षेत्र की आवश्यकता होगी। नीचे दी गई तालिका शैक्षणिक आवश्यकताओं की सुविधाओं की वर्तमान स्थिति और वर्ष 2031 तक की शैक्षिक आवश्यकताओं को दर्शाती है।

तालिका–28

आवश्यकताएँ 2031– शैक्षिक सुविधाएँ

क्र.स.	श्रेणी	जनसंख्या प्रति इकाई	इकाई क्षेत्र (हैक्टेयर)	2031 के लिए आवश्यकता (संख्या)	2031 के लिए कुल क्षेत्रफल की आवश्यकता (हैक्टेयर में)	वर्तमान (संख्या)	वर्तमान क्षेत्र (हैक्टेयर)	2031 के लिए अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता (हैक्टेयर)
अलीगढ़ एवं हरदुआगंज नगर								
1	प्री–प्राइमरी	2500	0.08	919	74	289	22.771	51
2	प्राइमरी	5000	0.4	459	184	219	87.61	96
3	उच्च माध्यमिक	7500	1.8	306	551.3	500	892.32	0
4	छात्रावास सुविधा–विहीन एकीकृत विद्यालय	100000	3.5	23	80.4	365	1278	0
5	छात्रावास सुविधा के साथ एकीकृत विद्यालय	100000	3.9	23	89.6	20	78	12
6	शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए स्कूल	45000	0.7	51	35.7	0	0	36
7	मानसिक रूप से विकलांगों के लिए स्कूल	1000000	0.2	2	0.5	0	0	0
8	महाविद्यालय	125000	5	18	91.9	60	300	0
9	तकनीकी शिक्षा	1000000	4	2	9.2	12	48	0
10	इंजीनियरिंग महाविद्यालय	1000000	6	2	13.8	14	84	0

11	चिकित्सा महाविद्यालय	1000000	15	2	34.5	11	165	0
12	अन्य पेशेवर	1000000	4	2	9.2	18	72	0
13	नर्सिंग होम और पैरामेडिकल	1000000	0.2	2	0.5	4	0.8	0
	कुल				**1173.8**		**3028.50**	**194**
खैर								
1	प्री–प्राइमरी	2500	0.08	84	6.75	2	0.3	6.45
2	प्राइमरी	5000	0.4	42	16.88	18	5.1	0.00
3	उच्च माध्यमिक	7500	1.8	28	50.63	11	16.1	0.00
4	शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए स्कूल	45000	0.7	5	3.28	0	0	3.28
	कुल			**159**	**77.54**	**31**	**21.5**	**9.73**
जलाली, पिलखना, कौड़ियागंज								
1	प्री–प्राइमरी	2500	0.08	35	2.78	2	0.65	2.13
2	प्राइमरी	5000	0.4	17	6.96	2	1.2	5.76
3	उच्च माध्यमिक	7500	1.8	12	20.87	3	2.6	18.27
4	शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए स्कूल	45000	0.7	2	1.35	0	0	1.35
	कुल			**66**	**31.97**	**7**	**4.45**	**27.5**
मडराक								
1	प्री–प्राइमरी	2500	0.08	16	1.27	6	0.7	0.57
2	प्राइमरी	5000	0.4	8	3.19	10	4.1	0.00
3	उच्च माध्यमिक	7500	1.8	5	9.56	11	13.1	0.00
	कुल			**29**	**14.01**	**27**	**17.9**	**0.57**
पिसावा								
1	प्री–प्राइमरी	2500	0.08	11	0.89	2	0.65	0.24
2	प्राइमरी	5000	0.4	6	2.23	2	1.2	1.03
3	उच्च माध्यमिक	7500	1.8	4	6.69	3	2.6	4.09
	कुल			**20**	**9.81**	**7**	**4.45**	**5.4**

चण्डौस								
1	प्री–प्राइमरी	2500	0.08	11	0.91	1	0.1	0.81
2	प्राइमरी	5000	0.4	6	2.27	2	0.41	1.86
3	उच्च माध्यमिक	7500	1.8	4	6.82	2	3.12	0
	कुल			**21**	**10.00**	**5**	**3.63**	**2.67**
बरौली								
1	प्री–प्राइमरी	2500	0.08	14	1.13	1	0.2	0.93
2	प्राइमरी	5000	0.4	7	2.83	3	1.2	1.63
3	उच्च माध्यमिक	7500	1.8	5	8.50	5	4.6	3.90
	कुल			**26**	**12.46**			**6.46**
जवाँ सिकन्दरपुर								
1	प्री–प्राइमरी	2500	0.08	24	1.94	2	0.3	1.64
2	प्राइमरी	5000	0.4	12	4.86	18	5.1	0.00
3	उच्च माध्यमिक	7500	1.8	8	14.57	11	16.1	0.00
4	शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए स्कूल	45000	0.7	1	0.94	0	0	0.94
	कुल			**46**	**22.31**	**31**	**21.5**	**2.59**
गभाना								
1	प्री–प्राइमरी	2500	0.08	14	1.12	1	0.2	0.92
2	प्राइमरी	5000	0.4	7	2.79	3	1.2	1.59
3	उच्च माध्यमिक	7500	1.8	5	8.38	5	4.6	3.78
	कुल			**26**	**12.30**			**6.30**

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

9.13 स्वास्थ्य सुविधाएँ

9.13.1 अलीगढ़ विकास क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रक्षेपण

नगर को 2031 की अनुमानित जनसंख्या के लिए अतिरिक्त अस्पतालों, औषधालयों, नर्सिंग होम और विशेष अस्पतालों की आवश्यकता होगी। अग्र तालिका नगर की 2031 तक की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं और वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को दर्शाती है।

तालिका–29

स्वास्थ्य आवश्यकताएँ– 2031

क्र.स.	श्रेणी	जनसंख्या प्रति इकाई	इकाई क्षेत्र	2031 के लिए आवश्यकता (संख्या)	2031 के लिए कुल क्षेत्रफल की आवश्यकता (हैक्टेयर में)	वर्तमान (संख्या)	वर्तमान क्षेत्र (हैक्टेयर)	2031 के लिए अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता (हैक्टेयर)
अलीगढ़ एवं हरदुआगंज नगर								
1	औषधालय	15000	0.1	153	15.31	33	3.81	149
2	नर्सिंग होम, बाल कल्याण एवं प्रसूति केंद्र	100000	0.25	23	5.74	91	2`2.54	0
3	पॉलीक्लिनिक	100000	0.25	23	5.74	24	6	17
4	इंटरमीडिएट अस्पताल (श्रेणी बी)	100000	1	23	22.97	156	156	0
5	इंटरमीडिएट अस्पताल (श्रेणी ए)	100000	3.7	23	85.00	86	318.2	0
6	मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल	100000	9	23	206.75	13	117	0
7	विशेषता अस्पताल	100000	3.7	23	85.00	2	7.4	16
8	सामान्य अस्पताल	250000	6	9	55.13	2	6	3
9	परिवार कल्याण केंद्र	50000	0.065	46	2.99	4	1.4	45
10	डायग्नोस्टिक सेंटर	50000	0.065	46	2.99	11	3.45	42
11	पालतू जानवरों के लिए पशु और जानवर चिकित्सालय	500000	0.2	5	0.92	2	2.1	2
12	पालतू जानवरों और पक्षियों के लिए औषधालय	100000	0.03	23	0.69	1	0.3	23
	कुल	**489.23**		**644.2**	**298**			
खैर								
1	औषधालय	15000	0.1	14	1.41	4	0.2	1.21

2	नर्सिंग होम, बाल कल्याण एवं प्रसूति केंद्र	45000	0.25	5	1.17	0	0	1.17
3	परिवार कल्याण केंद्र	50000	0.065	4	0.27	2	0.2	0.00
4	डायग्नोस्टिक सेंटर	50000	0.065	4	0.27	5	1.1	0.00
	कुल			**27**	**3.13**	**11**	**1.5**	**2.38**
जलाली, पिलखना, कौड़ियागंज								
1	औषधालय	15000	0.1	6	0.58	7	1.01	0.00
2	नर्सिंग होम, बाल कल्याण एवं प्रसूति केंद्र	45000	0.25	2	0.48	1	0.04	0.44
3	परिवार कल्याण केंद्र	50000	0.065	2	0.11	2	0.1	0.00
4	डायग्नोस्टिक सेंटर	50000	0.065	2	0.11	6	0.2	0.00
	कुल			**11**	**1.29**	**16**	**1.35**	**0.44**
मडराक								
1	औषधालय	15000	0.1	3	0.27	4	0.2	0.00
	कुल			**3**	**0.27**	**4**	**0.2**	**0.00**
पिसावा								
1	औषधालय	15000	0.1	2	0.19	7	1.01	0.00
	कुल			**2**	**0.19**	**7**	**1.01**	**0.00**
चण्डौस								
1	औषधालय	15000	0.1	2	0.19	6	0.1	0
	कुल			**2**	**0.19**	**6**	**0.1**	**0**
बरौली								
1	औषधालय	15000	0.1	2	0.24	8	1.5	0
	कुल			**2**	**0॰24**	**8**	**1॰5**	**0**
जवाँ सिकन्दरपुर								
1	औषधालय	15000	0.1	4	0.40	4	0.2	0.20

2	नर्सिंग होम, बाल कल्याण एवं प्रसूति केंद्र	45000	0.25	1	0.34	0	0	0.34
3	परिवार कल्याण केंद्र	50000	0.065	1	0.08	2	0.2	0.00
4	डायग्नोस्टिक सेंटर	50000	0.065	1	0.08	5	1.1	0.00
	कुल			**8**	**0.90**	**11**	**1.5**	**0.54**
गभाना								
1	औषधालय	15000	0.1	2	0.23	8	1.5	0
	कुल			**2**	**0.23**	**8**	**1.5**	**0**

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

9.14 मनोरंजन, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सुविधाएँ

9.14.1 अलीगढ़ विकास क्षेत्र में आवश्यक मनोरंजन एवं धार्मिक सुविधाओं का प्रक्षेपण

नगर को अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोरंजक बुनियादी स्वरुप को मजबूत करने की जरूरत है। निम्न तालिका सभी सुविधाओं की 2031 तक की आवश्यकता एवं वर्तमान स्थिति को दर्शाती हैं।

तालिका–30

सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं मनोरंजनात्मक आवश्यकताएँ

क्र.स.	श्रेणी	जनसंख्या प्रति इकाई	इकाई क्षेत्र (हैक्टेयर)	2031 के लिए आवश्यकता (संख्या)	2031 के लिए कुल क्षेत्रफल की आवश्यकता हैक्टेयर में	वर्तमान (संख्या)	वर्तमान क्षेत्र (हेक्टेयर)	2031 के लिए अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता (हैक्टेयर)
अलीगढ़ एवं हरदुआगंज नगर								
1	आंगनवाड़ी	5000	0.03	459	13.78	332	10.17	3.61
2	सामुदायिक भवन, मंगल कार्यालय, बारात घर, पुस्तकालय	15000	0.2	153	30.63	24	17.61	13
3	संगीत, नृत्य, नाटक केंद्र	100000	0.1	23	2.3	0	0	2.3
4	ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र	100000	0.5	23	11.5	0	0	11.5
5	मनोरंजन क्लब	100000	1	23	23	0	0	23

6	वृद्धाश्रम	500000	0.1	5	0.5	0	0	0.5
7	धार्मिक (नेबरहुड स्तर पर)	5000	0.04	459	18.4	0	0	18.4
8	धार्मिक (शहर स्तर पर)	1000000	4	2	9.2	0	0	9.2
9	अनाथालय / बाल केंद्र	1000000	0.1	2	0.2	0	0	0.2
10	शारीरिक रूप से देखभाल केंद्र / मानसिक रूप से विकलांग	1000000	0.1	2	0.2	0	0	0.2
11	कामकाजी महिला – पुरुष छात्रावास	1000000	0.1	2	0.2	4	0.2	0
12	रात्रि आश्रय	1000000	0.1	2	0.2	0	0	0.2
13	सामाजिक– सांस्कृतिक केंद्र / प्रदर्शनी सह मेला मैदान	1000000	15	2	34.5	0	0	34.5
	कुल			**130.8**		**17.81**	**113**	
खैर								
1	आंगनवाड़ी	5000	0.03	42	1.27	2	0.01	1.26
2	सामुदायिक भवन, मंगल कार्यालय, बारात घर, पुस्तकालय	15000	0.2	14	2.81	19	15.1	0
3	सामुदायिक कक्ष	5000	0.075	42	3.16	0	0	3.16
4	धार्मिक (नेबरहुड स्तर पर)	5000	0.04	42	1.69	3	2	0
	कुल		**37.02**	**2.35**	**140.6**	**8.93**	**24**	

जलाली, पिलखना, कौड़ियागंज								
1	आंगनवाड़ी	5000	0.03	8	0.24	2	0.05	0.47
2	सामुदायिक भवन, मंगल कार्यालय, बारात घर, पुस्तकालय	15000	0.2	3	0.53	2	0.2	0.96
3	सामुदायिक कक्ष	5000	0.075	8	0.6	0	0	1.3
4	धार्मिक (नेबरहुड स्तर पर)	5000	0.04	8	0.32	0	0	0.7
	कुल		**37.998**	**2.41**	**57.97**	**3.68**	**4**	
मडराक								
1	आंगनवाड़ी	5000	0.03	8	0.24	2	0.01	0.23
2	सामुदायिक भवन, मंगल कार्यालय, बारात घर, पुस्तकालय	15000	0.2	3	0.53	19	15.1	0.00
3	सामुदायिक कक्ष	5000	0.075	8	0.60	0	0	0.60
4	धार्मिक (नेबरहुड स्तर पर)	5000	0.04	8	0.32	3	2	0.20
	कुल			**27**	**1.69**	**24**	**17.11**	**1.03**
पिसावा								
1	आंगनवाड़ी	5000	0.03	6	0.17	2	0.05	0.12
2	सामुदायिक भवन, मंगल कार्यालय, बारात घर, पुस्तकालय	15000	0.2	2	0.37	2	0.2	0.17
3	सामुदायिक कक्ष	5000	0.075	6	0.42	0	0	0.42
4	धार्मिक (नेबरहुड स्तर पर)	5000	0.04	6	0.22	0	0	0.22
	कुल			**19**	**1.18**	**4**	**0.25**	**0.93**
चण्डौस								
1	आंगनवाड़ी	5000	0.03	6	0.17	1	0.01	0.16
2	सामुदायिक भवन, मंगल कार्यालय, बारात घर, पुस्तकालय	15000	0.2	2	0.38	0	0	0.38

3	सामुदायिक कक्ष	5000	0.075	6	0.43	0	0	0.43
4	धार्मिक (नेबरहुड स्तर पर)	5000	0.04	6	0.23	0	0	0.23
	कुल			**19**	**1.20**	**1**	**0.01**	**1.19**
बरौली								
1	आंगनवाड़ी	5000	0.03	7	0.21	1	0.01	0.20
2	सामुदायिक भवन, मंगल कार्यालय, बारात घर, पुस्तकालय	15000	0.2	2	0.47	8	1.3	0.00
3	सामुदायिक कक्ष	5000	0.075	7	0.53	0	0	0.53
4	धार्मिक (नेबरहुड स्तर पर)	5000	0.04	7	0.28	0	0	0.28
	कुल			**24**	**1.50**	**9**	**1.31**	**1.02**
जवाँ सिकन्दरपुर								
1	औषधालय	5000	0.03	12	0.36	2	0.01	0.35
2	नर्सिंग होम, बाल कल्याण एवं प्रसूति केंद्र	15000	0.2	4	0.81	19	13.1	0.00
3	परिवार कल्याण केंद्र	5000	0.075	12	0.91	0	0	0.91
4	डायग्नोस्टिक सेंटर	5000	0.04	12	0.49	3	2	0.36
	कुल			**8**	**2.57**	**24**	**15.11**	1.62
गभाना								
1	आंगनवाड़ी	5000	0.03	7	0.21	1	0.01	0.20
2	सामुदायिक भवन, मंगल कार्यालय, बारात घर, पुस्तकालय	15000	0.2	2	0.47	8	1.3	0.00
3	सामुदायिक कक्ष	5000	0.075	7	0.52	0	0	0.52
4	धार्मिक (नेबरहुड स्तर पर)	5000	0.04	7	0.28	0	0	0.28
	कुल			**23**	**1.48**	**9**	**1.31**	**0**

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

9.15 फायर व पुलिस स्टेशन

9.15.1 अलीगढ़ विकास क्षेत्र के लिए फायर स्टेशन व पुलिस स्टेशन का प्रक्षेपण

नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये फायर स्टेशन और सब फायर स्टेशन की आवश्यकता होगी, जिसे महायोजना–2031 में सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें भू–उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य किया जा सकेगा। वर्तमान में शहर में 16 पुलिस स्टेशन हैं तथा 02 अग्निशमन केन्द्र हैं। वर्ष 2031 तक 30 पुलिस स्टेशन एवं 09 अग्निशमन केन्द्र की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। अलीगढ़ विकास क्षेत्र की वर्ष 2031 तक की अनुमानित जनसंख्या के लिये इन सभी सुविधाओं का आंकलन तालिका संख्या–31 में किया गया है :–

तालिका–31

सार्वजनिक उपयोगिताओं की आवश्यकता– 2031

क्र.स.	श्रेणी	सेवा जनसंख्या प्रति इकाई	इकाई क्षेत्र (हैक्टेयर)	2031 के लिए आवश्यकता (संख्या)	2031 के लिए कुल क्षेत्रफल की आवश्यकता (हैक्टेयर में)	वर्तमान (संख्या)	वर्तमान क्षेत्र (हैक्टेयर)	2031 के लिए अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता (हैक्टेयर)
अलीगढ़ एवं हरदुआगंज नगर								
1	पुलिस स्टेशन	50000	0.4	46	18.38	16	22.8	0
2	पुलिस पोस्ट	15000	0.15	153	22.97	60	12.51	10.46
3	दमकल केंद्र	200000	1	11	11.49	2	1	10.49
4	सब फायर स्टेशन 3-4 km radius	0.6	15	9	3	1.99	7.01	
5	आपदा प्रबंधन केंद्र		1	1	1	0	0	1
6	डिलीवरी के साथ डाकघर काउंटर	15000	0.0085	153	1.3	33	0.2735	1.03
7	विस्तार काउंटर और एटीएम सुविधा वाला बैंक	15000	0.0081	153	1.24	130	5.31	1.67
8	लॉकर, एटीएम और अन्य के साथ बैंक बैंकिंग सुविधा	100000	0.25	23	5.74			
9	विद्युत दाह संस्कार		2	1	2	1	1	1
10	शमशान घाट	500000	2.5	5	11.49	37	17.1	0
11	कब्रिस्तान	500000	4	5	18.38	39	19.5	0

12	टेलिफोन एक्सचेंज	400000	4	6	22.97	9	30.11	0
13	रेडियो – टीवी स्टेशन	800000	0.17	3	0.49	2	32	0
14	सार्वजनिक शौचालय	50	6.75E-05	45945	3.1	49	0.408	2.968938
15	मूत्रालय	250	0.00003	9189	0.28			
16	फेरी वेंडिंग जोन	10,000	0.1	230	22.97	0	0	22.97237
17	कचरा संग्रहण केंद्र	10,000	0.01	230	2.3	0	0	2.297237
18	ठोस अपशिष्ट स्थानांतरण स्टेशन	200000	0.5	11	5.74	80	2.4	3.343093
19	लैंडफिल साइट	100000	1	23	22.97	1	9.8	13.17237
20	दूध वितरण	5000	0.015	459	6.89	0	0	6.89
21	जिला जेल	1000000	10	2	22.97	1	10.9	12.07
22	नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड	1000000	2	2	4.59	0	0	4.59
23	एलपीजी गैस गोदाम	50000	0.052	46	2.39	0	0	2.39
	कुल		**220.66**		**167.1015**			
खैर								
1	पुलिस स्टेशन	50000	0.4	4	1.69	1	0.2	1.49
2	पुलिस पोस्ट	15000	0.15	14	2.11	2	0.1	2.01
3	सब फायर स्टेशन 3-4 km radius	0.6	2	1.2	1	0.1	1.1	
	कुल		**20**	**5**	**4**	**0.4**	**4.6**	
जलाली, पिलखना, कौड़ियागंज								
1	पुलिस स्टेशन	50000	0.4	1	0.46	1	0.3	0.16
2	पुलिस पोस्ट	15000	0.15	2	0.7	1	0.3	0.4
3	सब फायर स्टेशन 3-4 km radius	0.6	6	0.87	1	0.12	0.75	
	कुल		9	2.03	3	0.72	1.31	

मडराक								
1	पुलिस स्टेशन	50000	0.4	1	0.32	1	0.2	0.12
2	पुलिस पोस्ट	15000	0.15	3	0.40	2	0.1	0.30
3	सब फायर स्टेशन 3-4 km radius	0.6	2	1.20	1	0.1	1.10	
	कुल		**5**	**1.92**	**4**	**0.4**	**1.52**	
पिसावा								
1	पुलिस स्टेशन	50000	0.4	1	0.22	1	0.3	0.00
2	पुलिस पोस्ट	15000	0.15	2	0.28	1	0.12	0.16
3	सब फायर स्टेशन 3-4 km radius	0.6	2	1.20	1	0.89	0.31	
	कुल		**5**	**1.70**	**3**	**1.31**	**0.47**	
चण्डौस								
1	पुलिस स्टेशन	50000	0.4	1	0.23	0	0	0.00
2	पुलिस पोस्ट	15000	0.15	2	0.28	1	0.04	0.24
3	सब फायर स्टेशन 3-4 km radius	0.6	2	1.20	1	0.4	0.80	
	कुल		**5**	**1.71**	**2**	**0.44**	**1.04**	
बरौली								
1	पुलिस स्टेशन	50000	0.4	1	0.28	0	0	0.28
2	पुलिस पोस्ट	15000	0.15	2	0.35	2	0.25	0.10
3	सब फायर स्टेशन 3-4 km radius	0.6	2	1.20	1	0.7	0.50	
	कुल		**5**	**1.84**	**3**	**0.95**	**0.89**	
जवाँ सिकन्दरपुर								
1	पुलिस स्टेशन	50000	0.4	1	0.49	1	0.2	0.29
2	पुलिस पोस्ट	15000	0.15	4	0.61	2	0.1	0.51
3	सब फायर स्टेशन 3-4 km radius	0.6	2	1.20	1	0.1	1.10	
	कुल		**7**	**2.29**	**3**	**0.72**	**1.89**	

गभाना								
1	पुलिस स्टेशन	50000	0.4	1	0.4	0	0	0.4
2	पुलिस पोस्ट	15000	0.15	2	0.35	2	0.35	0.0
3	सब फायर स्टेशन 3-4 km radius	0.6	2	1.2	2	0.7	0.5	
	कुल		**5**	**1.9**	**4**	**1.05**	**0.9**	

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

9.16 अन्य सुविधाएँ (पार्क और खेल के मैदान

अलीगढ़ नगरीय क्षेत्रों के लिये वर्ष 2031 तक के लिये खुले स्थानों, पार्कों और खेल के मैदानों की आवश्यकतायें नीचे दी गई हैं :–

तालिका–32

पार्क और खेल के मैदान की आवश्यकता– 2031

क्र.स.	श्रेणी	जनसंख्या प्रति इकाई	इकाई क्षेत्र (हैक्टेयर)	2031 के लिए आवश्यकता (संख्या)	2031 के लिए कुल क्षेत्रफल की आवश्यकता (हैक्टेयर में)	वर्तमान (संख्या)	वर्तमान क्षेत्र (हैक्टेयर)	2031 के लिए अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता (हैक्टेयर)
अलीगढ़ एवं हरदुआगंज नगर								
पार्क								
1	हाउसिंग एरिया पार्क	5000	0.5	459	229.7	20	26.6	203.1
2	पड़ौस पार्क	15000	1	153	153.1	4	7	146.1
3	सामुदायिक पार्क	100000	5	23	114.9	0	0	114.9
4	जिला पार्क	500000	25	5	114.9	0	0	114.9
5	उप–शहर पार्क	1000000	100	2	229.7	0	0	229.7
	कुल				**842.3**		**33.6**	**808.7**
खेल के मैदान								
1	आवासीय इकाई खेल क्षेत्र	5000	0.5	459	229.7	101	50	179.7
2	पड़ोस खेल क्षेत्र	15000	1.5	153	229.7	38	53.88	175.8
3	जिला खेल केंद्र	100000	8	23	183.8	3	24	159.8
4	संभागीय खेल केंद्र	1000000	20	2	45.9	0	0	45.9

5	बहुउद्देशीय मैदान (उप–शहर स्तर)	1000000	8	2.297237	18.4	0	0	18.4
6	बहुउद्देशीय मैदान (जिला स्तर)	500000	4	4.594474	18.4	1	129	0.0
7	बहुउद्देशीय मैदान (सामुदायिक स्तर)	100000	2	22.97237	45.9	0	0	45.9
	कुल				**771.9**		**256.88**	**625.6**
				खैर				
पार्क								
1	हाउसिंग एरिया पार्क	5000	0.5	42	21.1	1	0.0079	21.1
2	पड़ौस पार्क	15000	1	14	14.1	0	0	14.1
3	सामुदायिक पार्क	100000	5	2	10.5	0	0	10.5
	कुल			**58**	**45.7**	**1**	**0.0079**	**45.7**
खेल के मैदान								
1	आवासीय इकाई खेल क्षेत्र	5000	0.5	42	21.10	0	0	21.10
2	पड़ोस खेल क्षेत्र	15000	1.5	14	21.10	0	0	21.10
	कुल			**56**	**42.19**	**0**	**0**	**42.19**
				जलाली, पिलखना, कौड़ियागंज				
पार्क								
1	हाउसिंग एरिया पार्क	5000	0.5	17	8.7	2	1.2	7.5
2	पड़ौस पार्क	15000	1	6	5.8	0	0	5.8
3	सामुदायिक पार्क	100000	5	1	4.3	0	0	4.3
	कुल			**24**	**18.8**	**2**	**1.2**	**17.6**
खेल के मैदान								
1	आवासीय इकाई खेल क्षेत्र	5000	0.5	17	8.70	0	0	8.70
2	पड़ौस खेल क्षेत्र	15000	1.5	6	8.70	2	0.98	7.72
	कुल			**23**	**17.39**	**2**	**0.98**	**16.41**

मडराक								
पार्क								
1	हाउसिंग एरिया पार्क	5000	0.5	8	4.0	1	0.0079	4.0
2	पड़ौस पार्क	15000	1	3	2.7	0	0	2.7
	कुल			**11**	**6.6**	**1**	**0.0079**	**6.6**
खेल के मैदान								
1	आवासीय इकाई खेल क्षेत्र	5000	0.5	8	3.98	0	0	3.98
2	पड़ोस खेल क्षेत्र	15000	1.5	3	3.98	0	0	3.98
	कुल			**11**	**17.39**	**0**	**0**	**16.41**
पिसावा								
पार्क								
1	हाउसिंग एरिया पार्क	5000	0.5	6	2.8	2	1.2	1.6
2	पड़ौस पार्क	15000	1	2	1.9	0	0	1.9
	कुल			**8**	**4.6**	**2**	**1.2**	**3.45**
खेल के मैदान								
1	आवासीय इकाई खेल क्षेत्र	5000	0.5	6	3	0	0	3
2	पड़ोस खेल क्षेत्र	15000	1.5	2	3	2	0.98	2.02
	कुल			**11**	**6**	**2**	**0.98**	**5.02**
चण्डौस								
पार्क								
1	हाउसिंग एरिया पार्क	5000	0.5	6	3	0.0	0.0	3
	कुल			**6**	**3**	**0.0**	**0.0**	**3**
खेल के मैदान								
1	आवासीय इकाई खेल क्षेत्र	5000	0.5	6	3	0	0	3
	कुल			**6**	**3**	**0.0**	**0.0**	**3**
बरौली								
पार्क								
1	हाउसिंग एरिया पार्क	5000	0.5	7	3.5	4	1.4	2.1

2	पड़ौस पार्क	15000	1	2	2	0	0	2
	कुल			**9**	**5.5**	**4**	**1.4**	**4.1**
खेल के मैदान								
1	आवासीय इकाई खेल क्षेत्र	5000	0.5	7	3.5	1	0.2	3.3
2	पड़ौस खेल क्षेत्र	15000	1.5	2	3	1	0.4	2.6
	कुल			**9**	**6.5**	**2**	**0.6**	**5.9**
जवाँ सिकन्दरपुर								
पार्क								
1	हाउसिंग एरिया पार्क	5000	0.5	12	6.0	1	0.0079	5.9
2	पड़ौस पार्क	15000	1	4	4.0	0	0	4.0
3	सामुदायिक पार्क	100000	5	1	5.0	0	0	5.0
	कुल			**17**	**15.0**	**1**	**1.4**	**14.9**
खेल के मैदान								
1	आवासीय इकाई खेल क्षेत्र	5000	0.5	12	6.0	0	0	6.0
2	पड़ौस खेल क्षेत्र	15000	1.5	4	6.0	0	0	6.0
	कुल			**9**	**12.00**	**0**	**0**	**12.00**
गभाना								
पार्क								
1	हाउसिंग एरिया पार्क	5000	0.5	7	3.5	4	1.4	2.1
2	पड़ौस पार्क	15000	1	2	2	0	0	2
	कुल			**9**	**5.5**	**4**	**1.4**	**4.1**
खेल के मैदान								
1	आवासीय इकाई खेल क्षेत्र	5000	0.5	7	3.5	1	0.2	3.3
2	पड़ौस खेल क्षेत्र	15000	1.5	2	3	1	0.4	2.6
	कुल			**9**	**6.5**	**2**	**0.6**	**5.9**

अध्याय–10

भू–उपयोग प्रस्ताव

10.1 नगर के विकास/विस्तार की दिशा

नगर की भविष्य की योजनाओं के लिए वर्तमान विकास की गतिशीलता और शहर के विकास की दिशाओं को समझना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अलीगढ़ नगर के नगरीयकरण में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, जिसके कारण शहर के आसपास के क्षेत्रों में शहरी विस्तार हुआ है। वर्ष 1970 तक शहर का विकास नगरपालिका सीमा के भीतर ही सीमित था। वर्ष 1980 के अंत तक कोर क्षेत्रों के आसपास हुए विकास का घनत्व कम था। वर्ष 1990 में विकास का पैटर्न मुख्य मार्गों के किनारे कम घनत्व से उच्च घनत्व वाले पट्टीनुमा विकास में बदल गया। दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर और मुरादाबाद से अलीगढ़ नगर को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों और राजमार्गों से सटी भूमि पर प्रमुख रूप से विकास हुआ। वर्ष 2010 के बाद उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थान के कारण रामघाट रोड पर विकास का विस्तार देखा जा सकता है।

यमुना एक्सप्रेस–वे पर जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निकट होने के कारण खैर रोड पर विकास की सम्भावनायें हैं। खैर रोड पर ही राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। खैर रोड पर रक्षा गलियारा हेतु अंडला गाँव में भूमि निर्धारित की गई है, जो विकास को आकर्षित कर रहे हैं।

चित्र–13

सफेद बिंदुएँ जनसंख्या घनत्व की दिशा को दर्शाती हैं

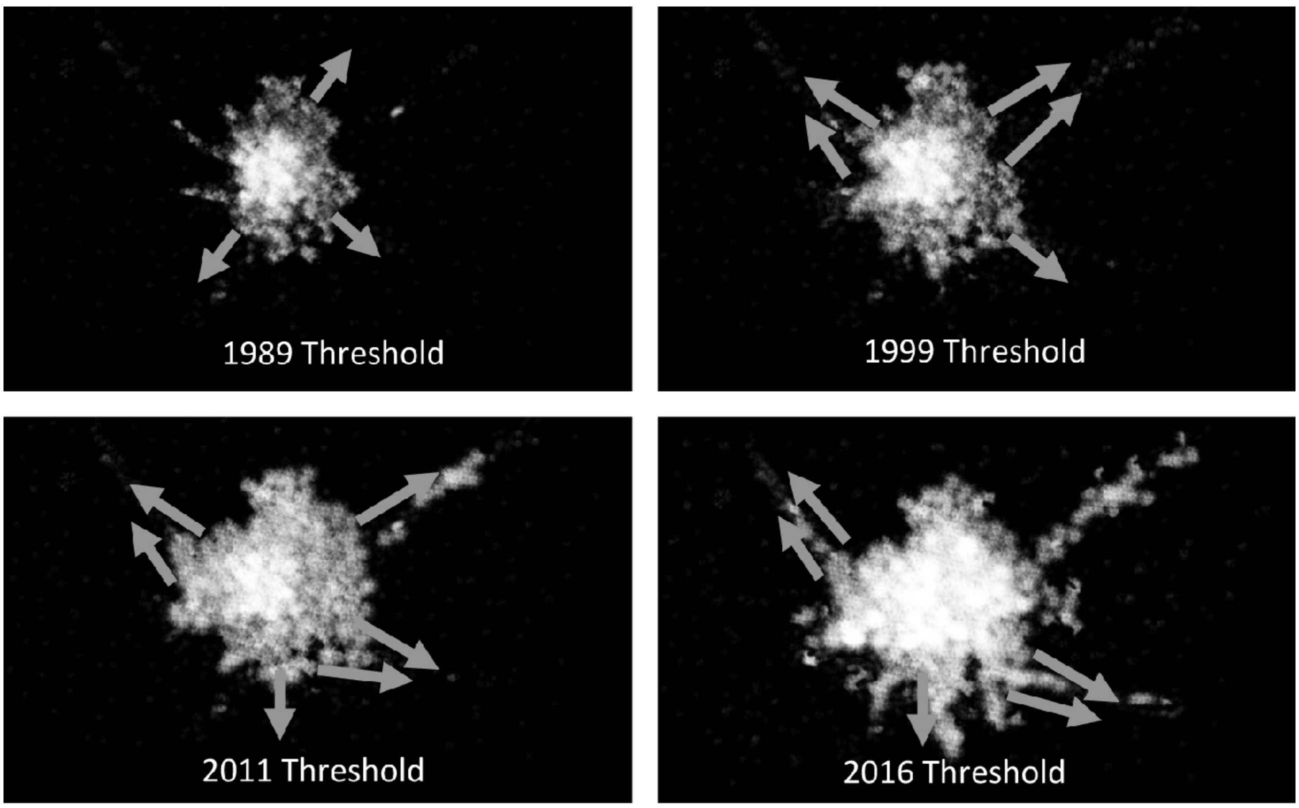

10.2 भू–उपयोग एवं प्रस्ताव

तालिका–33

भू–उपयोग एवं प्रस्ताव

	भू–उपयोग अलीगढ़ महायोजना–2021			प्रस्तावित भू–उपयोग 2031	
क्र.सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (है0 में) जी.आई.एस. आधारित	अतिरिक्त क्षेत्र (है0 में)	योग (है0 में)	प्रतिशत
1	**आवासीय**				
1-1	वर्तमान निर्मित क्षेत्र	1037.00	-	1037.00	
1.2	आवासीय	-	3002.05	3002.05	
1.3	आवासीय (मध्य घनत्व)	1856.00	7.45	1863.45	
1.4	आवासीय (न्यून घनत्व)	3182.00	5.50	3187.50	
	योग	**6075.00**		**9090.00**	**39.25**
2	**व्यवसायिक/ वाणिज्य**				
2.1	बाजार स्ट्रीट	-	376.51	376.51	
2.2	जिला व्यापारिक केन्द्र/वाणिज्य	212.00	408.45	620.45	
2.3	थोक व्यापारिक केन्द्र	45.10	-	45.10	
	योग	**257.10**		**1042.06**	**4.50**
3	**उद्योग**				
3.1	लघु उद्योग	401.00	1820.00	2221.00	
3.2	वृहद उद्योग	523.00	-	523.00	
3.3	लघु उद्योग कम आवासीय	21.00	-	21.00	
3.4	डिफेन्स इन्डस्ट्रियल कॉरीडोर	-	45.83	45.83	
	योग	**945.00**		**2810.83**	**12.14**
4	**कार्यालय**	322.00	161.38	483.38	2.09
5	**सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें, स्वास्थ**				
5.1	सामुदायिक सुविधाएँ	412.00	844.88	1256.88	
5.2	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	502.00	-	502.00	
5.3	सीवेज फार्म/ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/ठोस अपशिष्ट	383.00	12.29	395.29	
	योग	**1297.00**		**2154.17**	**9.30**

6	**खुले स्थल**				
6.1	पार्क / नियोजित खुले स्थल	423.00	744.84	1167.84	
6.2	हरित पट्टिका	404.00	672.41	1076.41	
6.3	क्षेत्रीय पार्क	217.00	317.20	534.20	
6.4	रिवर बफर	-	287.67	287.67	
6.5	प्रदर्शनी स्थल	19.10	-	19.10	
6.6	शेखा झील ईको सेंसिटिव	-	501.28	501.28	
	जोन / लेक जोन				
	योग	**1063.10**		**3586.50**	**15.49**
7	**यातायात एवं परिवहन**				
7.1	ट्रान्सपोर्ट नगर	31.50	233.82	265.32	
7.2	बस अड्डा	43.00	5.99	48.99	
7.3	हवाई पट्टी / अड्डा	-	110.26	110.26	
7.4	वर्तमान मार्ग	449.00	1489.72	1938.72	
7.5	प्रस्तावित मार्ग	435.00	869.18	1353.62	
7.6	रेलवे भूमि (फ्रेट कॉरीडोर सहित)	196.00	77.10	273.10	
	योग	**1154.50**		**3990.01**	**17.23**
	कुल योग			**23156.95**	**100**
8	**अन्य**				
8.1	जलाशय / नदी / नाला /				
	तालाब / नहर	149.00	168.97	317.97	
8.2	बाग	32.5	-	28.66	
8.3	वन क्षेत्र	-	356.95	356.95	
8.4	शमशान / कब्रिस्तान	-	7.91	7.91	
	योग			**711.49**	
9	**कृषि क्षेत्र**				
9.1	कृषि			49663.03	
9.2	हाई–वे फैसिलिटी		1268.53	1268.53	
	योग			**50931.56**	

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

तालिका–10 में अलीगढ़ नगर और हरदुआगंज की जनसंख्या व आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों की 15 प्रतिशत जनसंख्या, जो इन शहरी केंद्रों पर निर्भर होगी, का अनुमान लगाया गया है। अलीगढ़ महायोजना में वर्ष 2031 के लिये

नगर के सुनियोजित एवं नियंत्रित विकास हेतु विभिन्न भू–उपयोगों के अन्तर्गत कुल 23156.95 हैक्टेयर क्षेत्रफल का प्रस्ताव दिया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है :–

10.2.1 आवासीय

अलीगढ़ महायोजना–2031 में आवासीय क्षेत्र का प्रस्ताव भूमि के वर्तमान आवासीय विकास एवं उसके सम्भावित विकास हेतु उपलब्ध भूमि की उपयुक्तता के आधार पर किया गया है। आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत 9090.00 हैक्टेयर भूमि का प्रस्ताव है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 39.25 प्रतिशत है। आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :–

वर्तमान निर्मित क्षेत्र

अलीगढ़ महायोजना–2031 में वर्तमान निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 1037.00 हैक्टेयर भूमि विद्यमान है, जो मुख्य रूप से उच्च घनत्व आवासीय क्षेत्र है। जनसंख्या घनत्व को कम करने के लिये इस क्षेत्र में स्थित सभी थोक मण्डियों को बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित करते हुये तथा इस प्रकार रिक्त पड़ने वाले स्थलों पर सुव्यवस्थित रूप से पार्किंग आदि सेवाएँ एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुये मात्र रिटेल आउटलेट के रूप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। खुले क्षेत्रों को यथावत् व नियोजित खुले क्षेत्र के रुप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। जहाँ पार्किंग, पुलिस चौकी, बाल उद्यान, प्राइमरी स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र विकसित किये जाने का भी प्रस्ताव है।

आवासीय

नगर के क्षेत्र से बाहर पड़ने वाले नए क्षेत्र, जो भावी विकास के अन्तर्गत विकसित होंगे, को आवासीय जनसंख्या घनत्व के अन्तर्गत रखा गया है, जिसके लिये 3002.05 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 12.96 प्रतिशत है। आवासीय भू–उपयोग के प्रस्ताव रामघाट रोड पर ताला नगरी के दोनों ओर, अलीगढ़–खैर मार्ग पर ग्राम लोधा, अटलपुर, हरदासपुर, करसुआ आदि ग्रामों पर तथा आगरा–अलीगढ़ मार्ग एवं आगरा–मथुरा मार्ग पर दिये गये हैं।

आवासीय (मध्य घनत्व)

नगरीय क्षेत्र के मध्य पड़ने वाले वह क्षेत्र जो निर्मित क्षेत्र से बाहर हैं एवं विकसित हों, को मध्य आवासीय जनसंख्या घनत्व के अन्तर्गत आता है, जिसमें 7.45 हैक्टेयर भूमि की वृद्धि हुई है, महायोजना–2031 में आवासीय (मध्य घनत्व) का कुल क्षेत्रफल 1863.45 हैक्टेयर हो गया है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 8.05 प्रतिशत है।

आवासीय (न्यून घनत्व)

वह क्षेत्र जो वर्ष 2031 तक के अन्तर्गत विकासशील हों, को आवासीय (न्यून घनत्व) में प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिये 3187.50 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 13.76 प्रतिशत है। आवासीय (न्यून घनत्व) के प्रस्ताव जी.टी. रोड पर ग्राम बसई, बझेड़ा, मोरथल, खेड़ा खुशखबर, ग्राम महुआखेड़ा एवं ग्राम असदपुर क्याम आदि ग्रामों पर दिये गये हैं।

10.2.2 व्यवसायिक

वाणिज्य एवं व्यवसायिक अलीगढ़ नगर की एक प्रमुख क्रिया है। नगर में विद्यमान व्यवसायिक क्रिया–कलापों को ध्यान में रखते हुये भावी नगरीय एवं क्षेत्रीय जनसंख्या की व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपनगर केन्द्र, जिला व्यपारिक केन्द्र, थोक व्यापारिक केन्द्र तथा बाजार स्ट्रीट/बाजार मार्गों को सम्मिलित करते हुये अलीगढ़ महायोजना–2031 में व्यवसायिक/वाणिज्य भू–उपयोग के अन्तर्गत 1042.06 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है, जोकि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 4.5 प्रतिशत है। व्यवसायिक भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है –

मानचित्र–12

शहर के विकास की दिशा (1989 से 2016) – अलीगढ

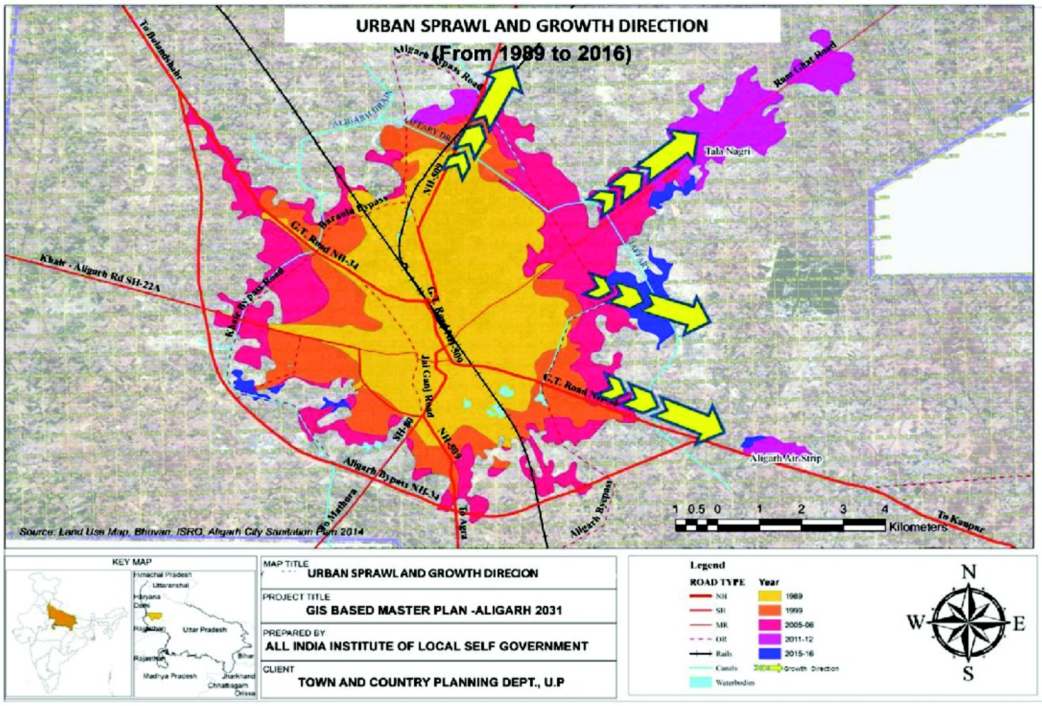

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

मानचित्र–13

शहर के विकास की दिशा (2016 के बाद) – अलीगढ़

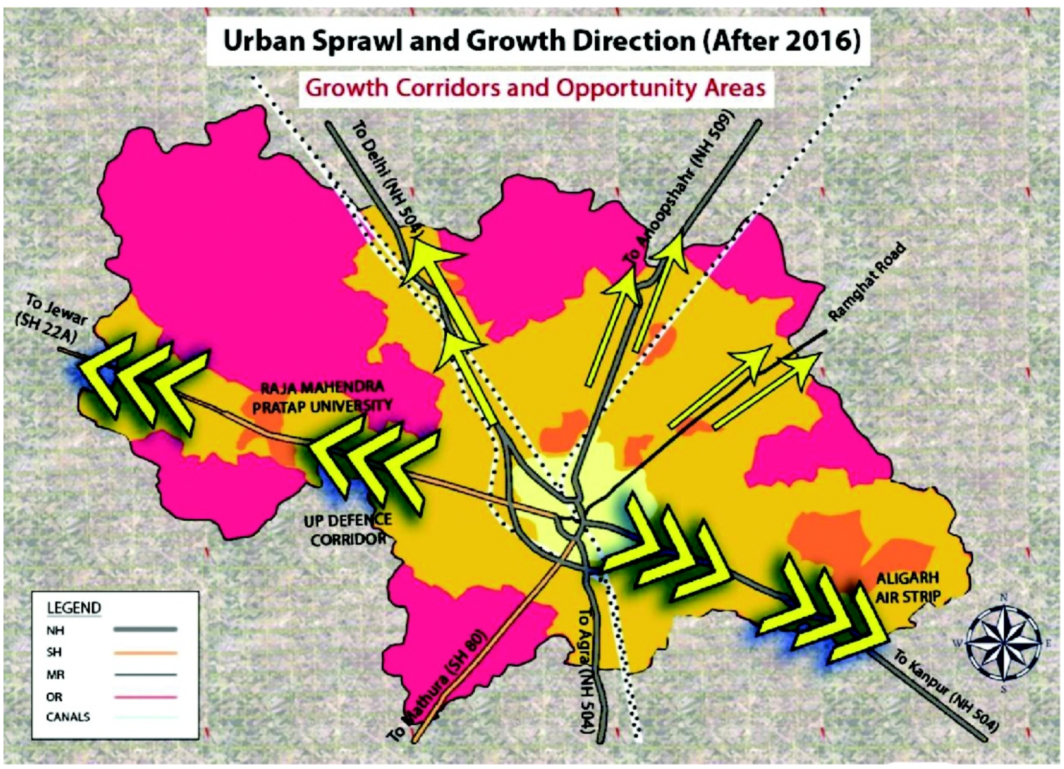

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

बाजार स्ट्रीट/बाजार मार्ग

अलीगढ़ महायोजना–2031 में बाजार स्ट्रीट भू–उपयोग के अन्तर्गत 376.51 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 1.6 प्रतिशत है। वर्तमान निर्मित आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत 12 मी0 चौड़े मार्गों पर अधिकतम 15 मी0 गहराई तक अथवा महायोजना–2031 प्रवृत्त होने की तिथि तक भू–स्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई जो कि प्रश्नगत बाजार मार्ग से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट अनुमन्य किया जा सकेगा। प्रस्तावित आवासीय भू–उपयोग में बाजार स्ट्रीट केवल निम्नलिखित विद्यमान मार्गों पर एवं नीति के अनुसार अनुमन्य की जायेगी–

1. रामघाट रोड पर (गाँधी आई अस्पताल से जाफरी ड्रेन/प्रस्तावित रिंग रोड तक)।
2. कानपुर रोड पर (निर्मित क्षेत्र के उपरान्त प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर/बस अड्डा तक)।
3. आगरा रोड पर (निर्मित क्षेत्र के उपरान्त सामुदायिक सुविधा भू–उपयोग तक)।
4. मथुरा रोड पर (निर्मित क्षेत्र के उपरान्त ग्राम दौलताबाद में प्रस्तावित पार्क नियोजित खुले स्थल तक)।
5. खैर रोड पर (निर्मित क्षेत्र के उपरान्त अशरफपुर जलाल पर स्थित जिला व्यापारिक केन्द्र/लघु उद्योग तक)।
6. दिल्ली रोड पर (निर्मित क्षेत्र के उपरान्त प्रस्तावित रिंग रोड तक)।
7. बरौली/पहासू रोड पर (निर्मित क्षेत्र के उपरान्त प्रस्तावित रिंग रोड तक)।
8. अनूपशहर रोड पर (निर्मित क्षेत्र के उपरान्त प्रस्तावित रिंग रोड तक)।
9. नाले के उपरान्त 45 मी. चौड़े पुराने बाईपास के समानान्तर आवासीय भू–उपयोग में 12 मी0 चौड़ा मार्गाधिकार सुरक्षित करते हुए रोड की ओर बाजार स्ट्रीट अनुमन्य किया जा सकेगा।

नीति–

- ✦ महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य की जायेगी कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भू–स्वामी के स्वामित्व में आने वाले भू–खण्ड की सम्पूर्ण गहराई, जो कि प्रश्नगत बाजार मार्ग से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट भू–उपयोग अनुमन्य किया जा सकेगा।
- ✦ प्राधिकरण की पूर्व की योजनाओं/स्वीकृत ले–आउट में महायोजना प्रस्तावों के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित होने की दशा में नियमानुसार ले–आउट में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त प्रभावी होंगे। प्राधिकरण/निजी विकासकर्ता की नई योजनाएँ, जो 100 एकड़ से अधिक हों उन पर नियमानुसार बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव प्रभावी होंगे, ऐसे तलपट मानचित्रों में व्यवसायिक क्रिया के मानकों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट प्रदान की जाएगी।
- ✦ बाजार स्ट्रीट के अन्तर्गत विभिन्न भू–उपयोगों/क्रियाओं की अनुमन्यता महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों के अनुसार होगी।
- ✦ अलीगढ़ नगर में निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत 12.00 मी. चौड़े विद्यमान मार्गों पर 15.00 मी. की गहराई तक बाजार स्ट्रीट/बाजार मार्ग भू–उपयोग का प्राविधान किया गया है। अलीगढ़ महायोजना–2031 में विकसित आवासीय भू–उपयोग में नगर में विद्यमान प्रमुख मार्गों पर भी आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत 18.00 मी. चौडे मार्गों पर 24.00 मी. की गहराई तक, 24.00 मी. चौड़े विद्यमान मार्गों पर तथा 30.00 मी. की गहराई तक व 30.00 मी. एवं उससे अधिक चौड़े विद्यमान मार्गों पर 12.00 मीटर की सर्विस रोड की चौड़ाई के उपरान्त 50.00 मी. की गहराई के उपरान्त ही बाजार स्ट्रीट/बाजार मार्ग के प्राविधान लागू किये जायेंगे। शेष प्राविधान शासकीय समिति द्वारा जारी बाजार स्ट्रीट/बाजार मार्ग की नीति के अनुसार रहेंगे।

जिला व्यापारिक केन्द्र / वाणिज्य

अलीगढ़ महायोजना–2031 में जिला व्यापारिक केन्द्र के रूप में 620.45 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। इसके प्रस्ताव जी.टी. रोड पर धनीपुर मण्डी के सामने, अलीगढ़ से खैर जाने वाले मार्ग पर ग्राम लोधा, ग्राम करसुआ पर, रामघाट रोड पर तथा आगरा–अलीगढ़ मार्ग पर ग्राम पड़ियावली, ग्राम क्वार्सी चौराहे से अनूपशहर को जोड़ने वाले मार्ग पर एवं अनूपशहर रोड पर कासिमपुर तिराहे से पहले दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त महायोजना में प्रस्तावित मार्गों पर भी जिला व्यापारिक केन्द्र के प्रस्ताव दिये गये हैं।

थोक व्यापारिक केन्द्र

अलीगढ़ महायोजना–2031 में थोक व्यापारिक केन्द्र के रूप में 45.10 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

10.2.3 औद्योगिक

अलीगढ़ नगर में भविष्य की बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए औद्योगिक भूमि आवंटित करते समय डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डिफेन्स कॉरिडोर के कारण विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास पुराने स्टोरेज और डिफेंस कॉरिडोर जैसी औद्योगिक गतिविधियों की औद्योगिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए महायोजना–2031 में 2810.83 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक भू–उपयोग के अन्तर्गत आरक्षित की गई है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 12.14 प्रतिशत है।

लघु उद्योग

नगर में लघु उद्योग भू–उपयोग के अन्तर्गत पूर्व प्रस्तावों को यथावत् रखते हुये अतिरिक्त प्रस्ताव निम्नवत् दिये गये हैं :–

- दिल्ली से कानपुर जाने वाले मार्ग (जी.टी. रोड) पर ग्राम भाँकरी खास, ग्राम भरतरी पर।
- आगरा–अलीगढ़ मार्ग पर ग्राम मडराक, मईनाथ में।
- आगरा–मथुरा लिंक मार्ग में।
- रामघाट रोड पर ताला नगरी के पीछे ग्राम मोरथल, किढ़ारा, दैवसेनी में।
- अलीगढ़–खैर मार्ग पर डिफेन्स कोरीडोर के सामने ग्राम करसुआ में।
- खैर नगर से गुजरने वाले मार्ग जो कि यमुना एक्सप्रेस–वे से अलीगढ़ को जोड़ता है, उस पर ग्राम सोफा, ग्राम लोहागढ़, गौमत आदि पर।
- इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई. में प्रस्तावित ग्राम ख्यामई में भी लघु उद्योग प्रस्तावित है।
- महायोजना–2031 में लघु उद्योग के अन्तर्गत 2221.00 हैक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 9.59 प्रतिशत है।

वृहद् उद्योग

अलीगढ़ नगरीय क्षेत्र में स्थित वृहद उद्योगों में प्रमुखतः हिन्द एग्रो प्रा.लि. तालसपुर अलीगढ़, हैन्ज इण्डिया प्रा.लि., मंजूरगढ़ी अलीगढ़, एच.एम.ए. एग्रो इन्डस्ट्रीज लि., तालसपुर अलीगढ़, अलशाद फ्रोजन फूड (प्रा.) लि. तालसपुर खुर्द, अलीगढ़ रामवे फूड लि., जी.टी. रोड अलीगढ़, अग्रवाल फैरोमैटिक प्रा.लि. बैनोर जी.टी. रोड अलीगढ़, जागरण प्रकाशन लि. ताला नगरी, अलीगढ़, लिंक लॉक्स प्रा.लि. सी–7 इन्ड. एरिया अलीगढ़ आदि हैं। वृहद् उद्योगों के अन्तर्गत 523.00 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 2.26 प्रतिशत है। विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत वृहद उद्योग को विशेष रूप से बढ़ावा दिये जाने हेतु कृषि क्षेत्र में निम्नाकिंत तालिका में अंकित महायोजना मार्गों के मार्गाधिकार के उपरान्त दोनों ओर 500.00 मी. गहराई तक वृहद उद्योग अनुमन्य किये जायेंगे।

क्र.सं.	मार्ग का नाम	महायोजना में प्रस्तावित मार्गाधिकार
1	छाता रोड से मैना मौजपुर रोड तक	45.00 मी0
2	नगर पंचायत पिसावा से चण्डौस नगर पंचायत को जोड़ते हुए दिल्ली रोड तक	45.00 मी0
3	खैर नगर पालिका से गभाना नगर पंचायत को जोड़ने वाले मार्ग पर	45.00 मी0
4	गभाना नगर पंचायत से बरौली नगर पंचायत को जोड़ने वाली व उत्तर दिशा में बरौली नगर पंचायत से दिल्ली रोड को जोड़ने वाले मार्ग पर	45.00 मी0
5	बरौली नगर पंचायत से जवां सिकन्दरपुर नगर पंचायत तक	45.00 मी0
6	अतरौली की ओर जाने वाली रामघाट रोड से कानपुर रोड को जोड़ने वाले मार्ग पर	60.00 मी0
7	कानपुर रोड से सासनी रोड को जोड़ने वाले मार्ग पर	45.00 मी0

कृषि क्षेत्र में उपरोक्त तालिका में अंकित मार्गों के दोनों ओर मार्गाधिकार के उपरान्त 500.00 मी0 गहराई तक वृहद उद्योग की अनुमन्यता हेतु निम्न प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा–

1. तालिका में अंकित मार्गों से सम्बन्धित विभाग (लो.नि. विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण इत्यादि) के अभिलेखानुसार मार्गाधिकार अथवा महायोजना में अंकित मार्गाधिकार, दोनों में जो अधिक हो, के उपरान्त ही निर्माण अनुमन्य किया जायेगा।
2. उपरोक्त प्रमुख मार्गों को जोड़ने वाले मार्गों (यथा चकरोड, आदि) पर वृहद उद्योग का प्रस्ताव होने की स्थिति में न्यूनतम 24.00 मी. का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
3. भू–खण्ड के चारों ओर 15.00 मी. का हरित पट्टिका का प्राविधान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। महायोजना मार्ग के साथ प्रस्तावित हरित पट्टिका अथवा 15 मीटर की हरित पट्टिका, जो अधिक हो, का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
4. उपविधि के मानकों के अनुरूप वृहद उद्योग अनुमन्य किये जायेंगे। कृषि भू–उपयोग में जोनिंग रेगुलेशन की विशेष अनुमति की अनुमन्यता स्थगित रहेगी।
5. इन प्रकरणों में कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत जोनिंग रेगुलेशन की विशेष अनुमति की अनुमन्यता स्थगित रहेगी।

लघु उद्योग कम आवासीय

अलीगढ़ महायोजना–2031 में लघु उद्योग कम आवासीय भू–उपयोग में महायोजना–2021 में प्रस्तावित 21.00 हैक्टेयर भूमि का प्रस्ताव यथावत् रखा गया है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.09 प्रतिशत है।

डिफेन्स इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में उ.प्र. डिफेन्स इन्डस्ट्रियल कॉरीडोर का प्रस्ताव कानपुर, लखनऊ सहित अलीगढ़, आगरा, झांसी एवं चित्रकूट से गुजरने वाले उत्तर प्रदेश के 06 नोड्स को जोड़ने के लिए किया गया था। इन जिलों में रक्षा निर्माण की आवश्यकताओं जैसे–कच्चे माल, श्रम आदि की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह एक मजबूत सहायक आधार है, जिसमें 45.83 हैक्टेयर भूमि अलीगढ़ से है। अलीगढ़ को एक नोड के रूप में चुनने का प्रमुख कारण सड़क मार्ग से दिल्ली और आगरा से इसकी सम्बद्धता थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अंडला गांव में खैर रोड के पास डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कुल 47 हैक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। डिफेन्स कॉरीडोर

के अन्तर्गत जितनी भूमि अधिगृहित की गई है, केवल उतनी ही भूमि का भू–उपयोग डिफेन्स कॉरीडोर रहेगा शेष भूमि का भू–उपयोग उद्योग ही माना जायेगा। अलीगढ़ महायोजना–2031 में डिफेन्स कोरीडोर के अन्तर्गत 45.83 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

10.2.4 कार्यालय

नगर के अधिकांश कार्यालय सिविल लाइन्स, रामघाट रोड, जी.टी. रोड एवं मैरिस रोड पर तथा जिलाधिकारी कार्यालय अनूपशहर मार्ग पर स्थित हैं। कार्यालय भू–उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान में 322.00 हैक्टेयर भूमि पर विभिन्न शासकीय/अर्द्ध–शासकीय कार्यालय स्थापित हैं। महायोजना–2031 में कार्यालय भू–उपयोग के अन्तर्गत 483.38 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 2.09 प्रतिशत है। नगर में पूर्व प्रस्तावों को यथावत् रखते हुये अलीगढ़ कानुपर मार्ग पर पी.ए.सी. की बटालियन स्थापित किये जाने के लिये अधिग्रहीत की गई भूमि को तथा अनूपशहर रोड पर पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तावित पुलिस लाईन को भी महायोजना मे कार्यालय भू–उपयोग के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

10.2.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएँ

अलीगढ़ महायोजना–2031 में वर्ष 2031 तक नगर की अनुमानित जनसंख्या की सामुदायिक सुविधा संबंधी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सामुदायिक सुविधाओं, उपयोगितायें एवं सेवाएँ भू–उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान सामुदायिक सुविधायें यथा–शिक्षा, चिकित्सालय, पुलिस आदि तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं को सम्मिलित करते हुये 2154.17 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 9.3 प्रतिशत है। सामुदायिक सुविधाओं का तात्पर्य नागरिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से है, जो किसी भी समुदाय के लिये आवश्यक होती हैं। इनमें प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन क्षेत्र, डाकघर एवं तारघर, फायर स्टेशन, सांस्कृतिक मनोरंजन सुविधाओं को सम्मिलित करते हुये कुल 1256.88 हैक्टेयर भूमि का प्रस्ताव दिया गया है जो कुल महायोजना क्षेत्र का 5.43 प्रतिशत है। इसमें विश्वविद्यालय की 502.00 हैक्टेयर भूमि भी सम्मिलित है। नगर के निवासियों के जीवन निर्वाह हेतु जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति सुविधाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2031 तक की प्रक्षेपित जनसंख्या की आवश्यकता के दृष्टिगत महायोजना–2021 के सीवेज फार्म के प्रस्ताव को यथावत रखते हुये सारसौल स्थित नगर निगम की 0.365 हैक्टेयर भूमि पर कूड़ा प्रबन्धन हेतु ट्रॉन्सफर स्टेशन तथा तहसील कोल के गाँव पनैठी में 14.015 हैक्टेयर भूमि बायो–मेडिकल बेस्ड के निस्तारण एवं सैप्टिक मैनेजमेन्ट योजना एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन विस्तार हेतु भूमि प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 395.29 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 17.70 प्रतिशत है।

10.2.6 खुले स्थल

नगर के निवासियों के स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के लिए पार्क एवं खुले स्थल अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह नागरिकों को शुद्ध वायु, प्राकृतिक सौन्दर्य एवं व्यायाम आदि के अवसर उपलब्ध कराते हैं तथा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अलीगढ़ महायोजना–2031 में वर्तमान पार्क/खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्षेत्रीय पार्क तथा प्रदर्शनी स्थल को सम्मिलित करते हुये 3586.50 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 15.49 प्रतिशत है। पार्क एवं खुले स्थल भू–उपयोग सम्बन्धी प्रस्तावों का विवरण निम्नवत् है :–

पार्क/नियोजित खुले स्थल

इस भू–उपयोग के अन्तर्गत पार्क/नियोजित खुले स्थल हेतु 1167.84 हैक्टेयर भूमि को प्रस्तावित किया गया है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 5.04 प्रतिशत है।

हरित पट्टी

पर्यावरण और वाटर हार्वेस्टिंग के दृष्टिकोण से नगर में गुजरने वाली नदी/नहर/नाला/बम्बा/रजवाहा के दोनों ओर 15–15 मीटर तथा महायोजना के कृषि भू–उपयोग में राजस्व अभिलेखों में अंकित तालाब/जलाशय/पोखर

के चतुर्दिक 30–30 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का प्राविधान किया गया है। नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा प्रस्तावित ठोस अपशिष्ट तथा बायो मेडिकल बेस्ड निस्तारण के स्थानों के चतुर्दिक 100 मीटर हरित पट्टिका का प्राविधान किया गया है। समस्त एन.एच. व एस.एच. के दोनों ओर 30–30 मीटर हरित पट्टिका का प्राविधान है।

60.00 मीटर चौड़े मार्गों के दोनों तरफ 30–30 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका के प्रस्ताव –

- मथुरा मार्ग पर (ग्राम अजीतपुर आसना से मथुरा की ओर)
- आगरा मार्ग पर (ग्राम पड़ियावली से आगरा की ओर)
- कानपुर मार्ग पर (ग्राम बोनेर से कानपुर की ओर)
- रामघाट रोड पर (पी.ए.सी. से तालानगरी के मध्य एवं अपर गंगा कैनाल से)
- अनूपशहर मार्ग पर (ग्राम छेरत सुढ़ियाल में भारी उद्योग के पश्चात् अनूपशहर की ओर)
- दिल्ली मार्ग पर (ग्राम सिकन्दरपुर भुकरावली में बाहरी रिंग रोड से दिल्ली की ओर)
- बाहरी रिंग रोड पर
- अनूपशहर रोड से कानपुर रोड तक पूर्व दिशा की ओर समिति द्वारा बाहरी रिंग रोड की चौड़ाई 60.00 मीटर के स्थान पर 24.00 मीटर की गयी है, किन्तु ग्रीन बैल्ट की चौड़ाई को यथावत् (30–30 मीटर दोनों ओर) रखा गया है।

45.00 मीटर चौड़े मार्गों के दोनों तरफ 30–30 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका के प्रस्ताव

- बरौली मार्ग पर (ग्राम मंजूरगढ़ी में बाहरी रिंग रोड से प्रारम्भ होकर बरौली की ओर)
- खैर मार्ग पर (ग्राम वाजिदपुर नादा में नाले से प्रारम्भ होकर अरैना नहर तक एवं खैर में प्रस्तावित 45.00 मीटर चौड़े बाईपास के दोनों ओर (जो कि खैर टप्पल मार्ग पर मिलता है, उससे खैर मार्ग पर विकास क्षेत्र की आखिरी सीमा तक ग्राम नारायणपुर तक)
- गौण्डा मार्ग पर (ग्राम शाहपुरकुतुब में नाले से प्रारम्भ होकर गौण्डा की ओर)
- खैर से छाता, खैर से इगलास, खैर से गभाना मार्ग पर

इसके अतिरिक्त अलीगढ़ महायोजना–2031 में विभिन्न स्थानों पर भी हरित पट्टिका के प्रस्ताव हैं, जो कि महायोजना मानचित्र में प्रदर्शित किये गये हैं। हाईटेंशन लाइन के दोनों ओर इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स के प्राविधानुसार हरित पट्टिका छोड़ा जाना प्रस्तावित है। अलीगढ़ महायोजना–2031 में 1075.81 हैक्टेयर भूमि हरित पट्टिका के रूप में प्रस्तावित की गई है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 4.65 प्रतिशत है।

क्षेत्रीय पार्क

महायोजना 2031 में क्षेत्रीय पार्क के पूर्व प्रस्ताव को यथावत् रखते हुये क्षेत्रीय पार्क से लगी हुई भूमि पर (दिल्ली–अलीगढ़ रेलवे लाईन के निकट) ग्राम महरावल में 534.20 हैक्टेयर भूमि क्षेत्रीय पार्क के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल महायोजना क्षेत्र का 2.30 प्रतिशत है।

रिवर बफर

खैर नगर से गुजरने वाली करवन नदी जो कि नगरीय प्रस्तावों के मध्य से भी गुजरती है, के दोनों ओर 200–200 मीटर के रिवर बफर का प्राविधान किया गया है। इसी नदी के दोनों ओर कृषि क्षेत्र में 15–15 मीटर चौड़ी हरित् पट्टिका भी 287.67 हैक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित की गई है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 1.24 प्रतिशत है।

प्रदर्शनी स्थल/नुमाइश ग्राउण्ड

महायोजना–2031 में प्रदर्शनी स्थल/नुमाइश ग्राउण्ड के अन्तर्गत 19.10 हैक्टेयर भूमि महायोजना–2021 के अनुसार यथावत रखी गई है, जो कि कुल महायोजना क्षेत्र का 0.08 प्रतिशत है।

शेखा झील

अलीगढ़ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर जी.टी. रोड से 05 किमी. दूर शेखा गाँव के पास लगभग 25.00 हैक्टेयर झील पर एक पक्षी अभयारण्य है, जिसमें शीत ऋतु में अनेक विदेशी पक्षी भी आते हैं। यह एक ताजे पानी का बारहमासी जल निकाय है, जो वर्ष 1854 में अपर गंगा कैनाल के निर्माण के उपरान्त अस्तित्व में आया है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय नवम्बर से फरवरी के बीच रहता है। यह अलीगढ़ का एक मात्र ईको सेन्सिटिव जोन है, जिसे बर्ड सैन्चुरी के रूप में संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है। इसके आस–पास का क्षेत्र कृषि भू–उपयोग में प्रस्तावित है। वर्षा ऋतु में औसतन 650.00 मि.मी. वर्षा प्राप्त होती है। शेखा झील के चारों ओर लेक जोन (बफर जोन) एवं ईको–सेन्सिटिव जोन का कुल क्षेत्रफल 501.28 हैक्टेयर है जो कि सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 2.16 प्रतिशत है।

लेक जोन (बफर जोन)– अलीगढ़ महायोजना–2031 में शेखा झील के चारों ओर 200.00 मी0 का लेक–जोन प्रस्तावित किया गया है, जिसे बफर जोन के रूप में रखा गया है। इस जोन में केवल सरकारी विभागों के अवस्थापना के कार्य, मनोरंजन से सम्बन्धित कार्य/संरचनाएँ यथा– झूले, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, पेय जल, फुटपाथ, वॉचटॉवर, अस्थाई खान–पान स्थल, सुरक्षा चौकी इत्यादि अनुमन्य होंगे। उपरोक्त क्रियायें लेक जोन हेतु निर्धारित क्षेत्रफल के अधिकतम 05 प्रतिशत की सीमा के अन्दर विकसित की जा सकेंगी।

ईको–सेन्सिटिव जोन– लेक जोन के उपरान्त झील के चारों ओर का शेष क्षेत्र ईको–सेन्सिटिव जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। ईको–सेन्सिटिव जोन में किये जाने वाले निर्माण जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार अनुमन्य होंगे, जिनका अधिकतम भू–आच्छादन 20 प्रतिशत व एफ.ए.आर. 0.4 प्रतिशत होगा। अन्य सभी मानक भवन उपविधि के अनुसार होंगे। ईको–सेन्सिटिव जोन में बेसमेन्ट अनुमन्य नहीं होगा।

10.2.7 यातायात एवं परिवहन

नगर के विकास में परिवहन एक प्रमुख कारक है, जो आवागमन के साथ–साथ माल/सामानों की ढुलाई करने व उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का साधन है। नगर के यातायात एवं परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाये रखने एवं विविध प्रकार की भावी परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्तमान प्रस्तावों को यथावत् रखते हुये प्रस्तावित मार्ग, ट्रॉन्सपोर्ट नगर आदि के प्रस्ताव स्थल की उपयुक्तता एवं विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये महायोजना–2031 में 3990.01 हैक्टेयर भूमि का प्रस्ताव दिया गया है, जो कुल प्रस्तावित महायोजना क्षेत्र का 17.23 प्रतिशत है। यातायात व परिवहन सम्बन्धी प्रस्तावों का विवरण निम्नवत् है :–

ट्रांसपोर्ट नगर

खैर रोड पर ग्राम ल्हौसरा विसावन में दक्षिण की ओर एक ट्रॉन्सपोर्ट नगर तथा ग्राम अलहदादपुर, ग्राम पनैठी की सीमान्तर्गत गंगीरी व कानपुर मार्ग के मध्य दूसरा ट्रॉन्सपोर्ट नगर प्रस्तावित है। अलीगढ़ महायोजना–2031 में ट्रॉन्सपोर्ट नगर के पूर्व प्रस्तावों को यथावत् रखते हुये कुल 265.32 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र का 1.14 प्रतिशत है।

बस अड्डा

अलीगढ़ महायोजना–2031 में बस अड्डा भू–उपयोग में 48.99 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.21 प्रतिशत है।

हवाई अड्डा

अलीगढ़ महायोजना–2031 में हवाई अड्डा हेतु 110.26 हैक्टेयर भूमि सुरक्षित रखी गई है। हवाई पट्टी की मध्य रेखा से दोनों ओर 125–125 मी0 तथा हवाई पट्टी के किनारे से आगे एवं पीछे 500 मी0 तक कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। इस दूरी के उपरान्त नागरिक उड्डयन अनुभाग के शासनादेश संख्या–202/छप्पन/2010, दिनाँक–04.02.2010 के प्राविधानुसार ही अनुमन्य ऊँचाई के भवन मानचित्र प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य किये जा सकेंगे।

वर्तमान मार्ग / प्रस्तावित मार्ग

अलीगढ़ महायोजना–2031 में 30.00 मीटर, 45.00 मीटर एवं 60.00 मीटर चौड़े मार्ग विभिन्न स्थानों पर प्रस्तावित किये गये हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 1353.62 हैक्टेयर है। वर्तमान / प्रस्तावित मार्ग के अन्तर्गत कुल 3292.34 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कुल महायोजना प्रस्तावों का 14.21 प्रतिशत है।

रेलवे भूमि (फ्रेट कॉरीडोर सहित)

रेलवे की हाईस्पीड डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के अन्तर्गत अलीगढ़ से कानपुर की ओर दाउद खाँ रेलवे स्टेशन के पास डी.एफ.सी. का विशाल पाँच रेलवे ट्रैक का जंक्शन यार्ड बनाया गया है। जहाँ मालगाड़ियों के लोडिंग, अनलोडिंग का कार्य होता है। इस हाईस्पीड डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर से नये औद्योगिक कार्य कलापों तथा मल्टी मॉडल मूल्य वर्धित सेवा केन्द्रों को सहायता प्रदान की जा सकेगी।

महायोजना–2031 में रेलवे भूमि (फ्रेट कॉरीडोर सहित) 273.10 हैक्टेयर क्षेत्र में है, जो कि कुल महायोजना क्षेत्र का 1.18 प्रतिशत है।

10.2.8 अन्य भू–उपयोग

जलाशय / नदी / नाला / नहर / तालाब / रजवाहा

महायोजना–2031 में जल स्रोतों के संरक्षण हेतु जलाशय / नदी / नाला / नहर / तालाब के अन्तर्गत 317.97 हैक्टेयर भूमि सुरक्षित रखी गई है। अलीगढ़ विकास क्षेत्र में स्थित राजस्व अभिलेखों में अंकित जलाशय / तालाब तथा शमशान घाट / कब्रिस्तान आदि की भूमि को यथावत् रखा जायेगा तथा महायोजना के प्रस्तावित भू–उपयोग में यथा सम्भव सभी जलाशय / तालाब तथा शमशान घाट / कब्रिस्तान आदि को अंकित किये जाने का प्रस्ताव है, परन्तु मानचित्र के मापक के अनुरूप लघु क्षेत्रफल के स्थलों के दृष्टिगत जलाशय / तालाब एवं शमशान घाट / कब्रिस्तान आदि की भूमि राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार ही मान्य होंगे भले ही प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र में उनके स्थान पर अन्य भू–उपयोग का प्रस्ताव हो।

बाग

अलीगढ़ महायोजना–2031 के अन्तर्गत 28.66 हैक्टेयर भूमि बाग के रुप में विद्यमान है।

वन क्षेत्र

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के अनुसार ग्राम नगोला, रठगवाँ, पला माजरा, कस्तली वैश्य, सिकन्दरपुर छेरत, छेरत सुढ़ियाल एवं महेशपुर में कुल 387.11 हैक्टेयर भूमि वन / परिसरों हेतु आरक्षित है, जिसमें से 356.95 हैक्टेयर शेष भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन वन भूमि घोषित किया गया है एवं वृक्षारोपण हेतु संरक्षित है तथा शेष भूमि कृषि वानिकी चेतना केन्द्र तथा कार्यालय / कर्मचारी परिसर हेतु है। अलीगढ़ महायोजना–2031 के अन्तर्गत वन क्षेत्र के रूप में 356.95 हैक्टेयर भूमि आरक्षित रखे जाने का प्राविधान किया गया है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 1.54 प्रतिशत है।

शमशान / कब्रिस्तान

अलीगढ़ महायोजना–2031 के अंतर्गत शमशान / कब्रिस्तान हेतु 7.91 हेक्टेयर भूमि विद्यमान है।

10.2.9 कृषि क्षेत्र

कृषि

तालिका–11 के अनुसार अलीगढ़ एवं हरदुआगंज क्षेत्र हेतु कुल 23156.95 हैक्टेयर भूमि विभिन्न उपयोगों हेतु प्रस्तावित की गई है तथा शेष 49365.74 हैक्टेयर भूमि को कृषि भूमि के रूप में दर्शाया गया है।

हाईवे फैसेलिटी जोन

महायोजना नगरीकरण सीमा के बाहर स्थित ग्रामीण क्षेत्र के लिये व्यवसायिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं तथा मार्गीय सुविधाओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय राजमार्गों व निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित बाईपास के दोनों तरफ 30–30 मीटर हरित पट्टिका के पश्चात् नगर के विकास की सम्भावित क्षमता का आंकलन करते हुये अधिकतम 300 मीटर की गहराई तक हाइवे फैसिलिटी जोन भू–उपयोग का प्रस्ताव दिया गया है। हाइवे फैसेलिटी जोन की श्रेणी को कृषि भू–उपयोग का ही भाग माना जायेगा। हाइवे फैसेलिटी जोन में कोई भूखण्ड/भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग एवं बाईपास से सम्बद्ध होने के साथ–साथ यदि चक मार्ग से भी सम्बद्ध है तो उक्त चकमार्ग के मध्य से न्यूनतम 12.00 मीटर का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। हाईवे फैसेलिटी भू–उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियाएँ इस भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन में अनुमन्य क्रियाओं के अनुसार होंगी। महायोजना में प्रस्तावित हाईवे फैसेलिटी, जोन से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य की जायेगी कि हाईवे फैसेलिटी में आने वाले भूखण्ड हाइवे से सीधे सम्बद्ध हो, पर हाईवे फैसेलिटी जोन भू–उपयोग अनुमन्य किया जा सकेगा।

महायोजना–2031 में स्थित मुख्य मार्गों पर हाईवे–फैसिलिटी भू–उपयोग हेतु 1268.53 हैक्टेयर का प्रस्ताव किया गया है।

नीचे उल्लिखित नवगठित शहरी स्थानीय निकायों को महायोजना–2031 में सम्मिलित किया गया है, जिनका विवरण तालिकावार दर्शाया गया है–

तालिका–34

महायोजना 2031 में सम्मिलित नवगठित शहरी स्थानीय निकाय

नाम	स्थिति
पिसावा	नगर पंचायत
चण्डौस	नगर पंचायत
जवाँ सिकन्दरपुर	नगर पंचायत
गभाना	नगर पंचायत
मडराक	नगर पंचायत
बरौली	नगर पंचायत
जलाली	नगर पंचायत
पिलखना	नगर पंचायत
कौड़ियागंज	नगर पंचायत
खैर	नगर पालिका परिषद

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

तालिका–35

खैर (न.पा.प) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031

भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	प्रतिशत
निर्मित	124	3.79%
आवासीय	1299	39.72%
व्यावसायिक	176	5.38%
सार्वजनिक अर्ध–सार्वजनिक	381	11.65%
औद्योगिक	362	11.07%
यातायात और परिवहन	320	9.79%
पार्क और खुली जगह	542	16.57%
जलाशय (नाला, तालाब, पोखर आदि)	66	2.02%
कुल	**3270**	**100.00%**

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

तालिका–36

पिसावा (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031

भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	प्रतिशत
निर्मित	62	22.46%
आवासीय	81	29.35%
व्यवसायिक	17	6.16%
सार्वजनिक अर्ध–सार्वजनिक	25	9.06%
यातायात और परिवहन	53	19.20%
पार्क और खुली जगह	35	12.68%
जलाशय (नाला, तालाब, पोखर आदि)	3	1.09%
कुल	**276**	**100.00%**

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

तालिका–37

बरौली (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031

भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	प्रतिशत
निर्मित	28	18.67%
आवासीय	44	29.33%
व्यवसायिक	6	4.00%
सार्वजनिक अर्ध–सार्वजनिक	18	12.00%
यातायात और परिवहन	27	18.00%
पार्क और खुली जगह	27	18.00%
कुल	**150**	**100.00%**

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

तालिका–38

चण्डौस (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031

भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	प्रतिशत
निर्मित	51	25.00%
आवासीय	58	28.43%
व्यवसायिक	7	3.43%
सार्वजनिक अर्ध–सार्वजनिक	21	10.29%
यातायात और परिवहन	31	15.20%
पार्क और खुली जगह	36	17.65%
कुल	**204**	**100.00%**

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

तालिका–39

गभाना (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031

भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	प्रतिशत
निर्मित	70	31.67%
आवासीय	54	24.43%
व्यवसायिक	10	4.52%
सार्वजनिक अर्ध–सार्वजनिक	28	12.67%
यातायात और परिवहन	35	15.84%
पार्क और खुली जगह	24	10.86%
कुल	**221**	**100.00%**

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

तालिका–40

जलाली (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031

भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	प्रतिशत
निर्मित	27	6.62%
आवासीय	176	43.14%
व्यवसायिक	15	3.68%
सार्वजनिक अर्ध–सार्वजनिक	56	13.73%
यातायात और परिवहन	43	10.54%
पार्क और खुली जगह	91	22.30%
कुल	**408**	**100.00%**

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

तालिका–41

जवाँ सिकन्दरपुर (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031

भूमि उपयोग	**क्षेत्रफल (हैक्टेयर)**	**प्रतिशत**
निर्मित	50	7.99%
आवासीय	113	18.05%
व्यवसायिक	25	3.99%
सार्वजनिक अर्ध–सार्वजनिक	59	9.42%
औद्योगिक	235	37.54%
यातायात और परिवहन	66	10.54%
पार्क और खुली जगह	78	12.46%
कुल	**626**	**100.00%**

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

तालिका–42

पिलखना (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031

भूमि उपयोग	**क्षेत्रफल (हैक्टेयर)**	**प्रतिशत**
निर्मित	45	11.51%
आवासीय	132	33.76%
व्यवसायिक	24	6.14%
सार्वजनिक अर्ध–सार्वजनिक	32	8.18%
यातायात और परिवहन	45	11.51%
पार्क और खुली जगह	113	28.90%
कुल	**391**	**100.00%**

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

तालिका–43

कौड़ियागंज (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031

भूमि उपयोग	**क्षेत्रफल (हैक्टेयर)**	**प्रतिशत**
निर्मित	34	7.87%
आवासीय	189	43.75%
व्यवसायिक	21	4.86%
सार्वजनिक अर्ध–सार्वजनिक	35	8.10%
यातायात और परिवहन	52	12.04%
पार्क और खुली जगह	101	23.38%
कुल	432	100.00%

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

तालिका–44

मडराक (न.प.) प्रस्तावित भू–उपयोग 2031

भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	प्रतिशत
निर्मित	19	14.39%
आवासीय	42	31.82%
व्यवसायिक	6	4.55%
सार्वजनिक अर्ध–सार्वजनिक	18	13.64%
यातायात और परिवहन	24	18.18%
पार्क और खुली जगह	23	17.42%
कुल	**132**	**100.00%**

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

10.2.10 आपदा प्रबंधन परियोजनाएँ

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार देश के प्रत्येक राज्य के सभी जिलों के लिए अलग–अलग एक आपदा प्रबंधन योजना (डी.एम.पी.) तैयार की जानी है।

आपदा पूर्व तैयारी

भूमि उपयोग योजना के लिए माइक्रो–जोनेशन सर्वेक्षणों को संदर्भित किया जाना चाहिये और क्षेत्रीय योजनाएँ और ले–आउट योजनाएँ तैयार करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिये। उच्च विकास दर वाले चयनित क्षेत्रों के लिए भूकंपीय सूक्ष्म–क्षेत्रीकरण को प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिये। संवेदनशीलता अध्ययन और खतरे की पहचान के आधार पर, जिसमें मिट्टी की स्थिति, भूकंप की संभावित तीव्रता, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आदि सम्मिलित हैं, स्थानीय स्तर पर भूमि उपयोग जोनिंग और योजना बनाई जानी चाहिये। बिल्डिंग उपनियमों में मल्टीहैजर्ड सेफ्टी और रेट्रोफिटिंग के पहलुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिये। परिभाषित तीव्रता के भूकंप को झेलने की क्षमता के लिए सार्वजनिक भवनों (जैसे अस्पताल, शैक्षिक, संस्थागत, बिजलीघर, स्टेशन, आदि) बुनियादी ढांचे मानकों के अन्तर्गत होने चाहिये।

आपदा प्रबंधन के बाद

यह देखा गया है कि किसी भी आपदा के बाद आमतौर पर संचार लाइनें टूट जाती हैं और आवश्यक सेवाएँ बाधित हो जाती हैं। इसलिए, प्रमुख संचार केंद्रों को प्राकृतिक आपदाओं यानी बाढ़ आदि से बचाया जाना चाहिये और सेवाओं की बहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिये। ऐसी घटनाओं के लिए प्रत्येक सम्बंधित विभाग में आवश्यक सेटअप बनाया जाना चाहिये।

10.2.11 नदी केन्द्रित विकास

नदी केन्द्रित नगर नियोजन दिशा–निर्देश आवासन और नगरी कार्य मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.05.2019 को नदी केन्द्रित नगर नियोजन दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिनको राज्य सरकारों को भी अंगीकृत करने हेतु आग्रह किया गया है। उक्त दिशा–निर्देशों की शुरुआत वर्ष 1986 में पर्यावरण एवं वन जलवायु विकास एवं औद्योगिक गतिविधियों को नियोजित किये जाने हेतु किया गया। उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत ''नदी क्षेत्रीय विकास योजना'' तैयार करना है। उक्त योजना के अन्तर्गत जल आपूर्ति में वृद्धि, प्रदूषण को नियंत्रित करना, भूमि का उपयोग एवं प्रबंधन तथा पर्यावरण के अनुरूप विकास को बढ़ावा देना है। अतः नगरों में नदी के तटों के विकास में उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है, इसके अन्तर्गत विकास क्षेत्र की महायोजना में नदी के किनारों

को संरक्षित करने हेतु हरित पट्टिका, रिवर फ्रंट डेवलपमेन्ट को प्रस्तावित किया गया है। शासनादेशों के अन्तर्गत नगरीय सीमा में नदियों को दो भागों में बाँटा गया है।

प्रथम श्रेणी में नगर का वह भाग सम्मिलित है, जिसमें शहर की नदियों और उसकी सहायक नदियों, (तटबंद्ध अथवा तटबंद्ध के बगैर) के समीप आधारभूत सुविधायें यथा सड़कें, भवन (आवासीय, व्यवसायिक, मनोरंजनात्मक) मन्दिर एवं घाट आदि विद्यमान हैं।

द्वितीय श्रेणी की परिधि में वह नगरीय क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिसमें नदियों और उसकी सहायक नदियों उपनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र (तटबंद्ध अथवा तटबंद्ध के बगैर), के समीप आधारभूत विकास मध्यम श्रेणी का है तथा भूमि मुख्यतः प्राकृतिक, वनस्पति, वन, कृषि अथवा चारागाह के रूप में काम ली जा रही है।

उक्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत नदियों के सक्रिय बाढ़ क्षेत्र को उच्च बाढ़ स्तर परिभाषित किया गया है, जो नदी की धारा या दो तटबंद्धो के बीच या दो सड़कों के मध्य जो नदी के दोनों ओर तटबंद्ध की तरह काम करती है, या उच्च बाढ़ स्तर/सक्रिय बाढ़ क्षेत्र पिछले 100 वर्षों की बाढ़ स्तर के आधार पर परिभाषित किया जायेगा।

ये क्षेत्र उच्च और मध्यम प्रभाव के क्षेत्र हो सकते हैं, जो स्थानीय धरातलीय स्थितियों पर निर्भर करेगा। मैदानी क्षेत्रों में यह प्रभाव क्षेत्र, नदी के चौड़ाई के आधार पर 1 से 3 किलोमीटर चौड़े हो सकते है।

10.2.12 निषिद्ध उपयोग एवं गतिविधियाँ

1. सक्रिय बाढ़ क्षेत्र एवं निश्चित विकास एवं निर्माण क्षेत्र में अस्पताल, नर्सिंग होम एवं आवासीय निर्माण जहाँ रहने वाले लोग बाढ़ की स्थिति में शीघ्रता से बाहर नहीं जा सकते हैं।
2. पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, वाहन एवं उपकरण, भण्डारण सुविधायें एवं आकस्मिक परिचालन केन्द्र जो बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद उपयोग में लिये जाते हैं।
3. भवन या सुविधायें जिनका उपयोग अति अस्थिर ज्वलनशील, विस्फोटक, विषाक्त एवं जल प्रतिक्रियाशील पदार्थ में भण्डारण हेतु है।
4. गैर सरकारी संस्था, प्राइवेट एजेन्सी जो भूजल का व्यापारिक प्रयोजनार्थ दोहन करते हैं निश्चित विकास एवं निर्माण क्षेत्र में अनुज्ञा नहीं है।

10.2.13 अनुमन्य उपयोग/गतिविधियाँ

इस क्षेत्र में पार्क, उद्यान, खेल के मैदान, खेल सुविधायें, शमशान, कब्रिस्तान, अनुमन्य होंगे तथा इन सुविधाओं के लिए पार्किंग की सुविधा का प्राविधान महायोजना/भवन विनियमन में दिये गये प्राविधानों के अनुसार होगा। उक्त क्षेत्र में पक्के निर्माण अनुमन्य नहीं होंगे। फुटपाथ व ट्रैक्स यथा संभव पर्मीएबल एवं सेमीपर्मीएबल परफोरेटेड ब्लाक के प्रयोग से ही बनाये जायें।

10.2.14 विशेष परिस्थितियों में प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा अनुमत उपयोग/गतिविधियाँ

विनिश्चित विकास एवं निर्माण क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों में प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा खुला थियेटर, मनोजरंनात्मक उपयोग तथा इनके कर्मचारियों हेतु आवासीय सुविधा, खेल क्लब, मिल्क बूथ, कृषि उत्पाद एवं कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग एवं प्रसंस्करण से सम्बन्धित संस्था, सार्वजनिक शौचालय एवं जल पर्यटन विकास से सम्बन्धित परियोजनाएँ आदि अनुमन्य हैं। उपरोक्त नीति में दिये गये दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों से समन्वय से एक नगरीय नदी प्रबन्ध योजना बनाया जाना उचित होगा।

अलीगढ़ महायोजना–2031 में काली नदी, करवन नदी, सेंगर नदी के लिये ग्रीन बफर प्रस्तावित किया गया है। शेखा झील के संरक्षण हेतु झील के आस–पास का क्षेत्र ईको सेंसेटिव जोन के रूप में अंकित किया गया है साथ ही शेखा झील के किनारे ग्रीन बफर भी प्रस्तावित किया गया है।

10.3 शासकीय नीतियों का अनुपालन

10.3.1 आवास नीति, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति

1. अलीगढ़ महायोजना–2031 में रिहायशी, कार्यक्षेत्र तथा मनोरंजन स्थल पर पारस्परिक सामंजस्य व सम्बद्धता रखी गई है, जिससे ऊर्जा का संरक्षण हो सके तथा यात्रा की दूरी व समय में कटौती लायी जा सके, जिससे कि यातायात पर सबसे अधिक भार न हो। उक्त के अतिरिक्त अलीगढ़ विकास क्षेत्र को 22 जोन्स में विभाजित किया गया है एवं प्रत्येक जोन में व्यवसायिक क्रियाएँ व सामुदायिक सुविधायें, उपयोगिताएँ व सेवाओं को आवासीय उपयोग के साथ सम्बद्ध किया जायेगा।
2. पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण पर ध्यान दिया गया है, जिसके अन्तर्गत वन क्षेत्र, तालाब एवं पोखरों नाला आदि को संरक्षित किया गया है तथा अतिरिक्त खुले स्थल अथवा पार्क प्रस्तावित किये गये हैं।
3. प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में आने वाली ग्रामीण आबादियों को उचित सम्पर्क मार्गों से आपस में सम्बद्ध किया गया है तथा प्रत्येक जोन का जोनल प्लान तैयार करते समय उक्त आबादियों हेतु आधारभूत अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था कराई जायेगी।
4. नगर की अनाधिकृत एवं अविकसित कालोनियों में भी आधारभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने एवं उन्हें उचित व्यवस्थानुसार नियमित किये जाने का सुझाव है।
5. दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के आबादियों में शासन द्वारा जारी जोनिंग रेगुलेशन के आधार पर भूतल पर सेवा एवं कुटीर उद्योगों को अनुमन्य किये जाने का प्राविधान किया गया है।
6. महायोजना तैयार करते समय आधुनिक तकनीकी (जी.आई.एस.) का उपयोग किया गया है तथा कम्प्यूटर के माध्यम से अधिकांश कार्य किये गये है।

अलीगढ़ नगर में इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति के विकास हेतु कोई पंजीकरण नहीं हुआ है और न ही अभी तक किसी ने इसमें रूचि दिखाई हैं।

10.3.2 उ0 प्र0 पर्यटन नीति

अलीगढ़ नगर जैन तीर्थ धाम मंग्लायतन, शेखा झील तथा खेरेश्वर महादेव मन्दिर आदि के निकट स्थित होने के कारण इन स्थलों पर आने वाले व्यक्तियों का प्रमुख ठहराव स्थल बन गया है। अतः नगर में होटल, गेस्ट हाउस, मॉल आदि के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि आरक्षित की गयी है।

10.3.3 सौर उर्जा नीति

अलीगढ़ शहर एक एतिहासिक केन्द्र एवं पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और भविष्य में शहर में पर्यटकों की संख्या में आमूल–चूल वृद्धि होने की सम्भावना है। इस उद्देश्य के परिपेक्ष में अलीगढ़ शहर को एनर्जी एफिशिएन्ट बनाए जाने हेतु सोलर सिटी के रूप में विकसित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

10.3.4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीति

जीवन में पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है, परन्तु ग्राउण्ड वाटर स्रोत के अनियोजित ढ़ंग से तथा मनमानी मात्रा में अति दोहन के कारण ग्राउण्ड वाटर स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। परिणामस्वरूप शहरों की बढ़ती आबादी को समुचित जलापूर्ति करने में भविष्य में कठिनाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि पेयजल के उपयोग एवं ग्राउण्ड वाटर के स्रोतों के संरक्षण, मितव्यता, जल प्रयोग तथा रिचार्जिंग में समुचित जल प्रन्बधन द्वारा सन्तुलन स्थापित नहीं किया गया तो निकट भविष्य में पेयजल का भारी संकट पैदा हो सकता है। इस ओर शासन द्वारा भी ध्यान आकर्षित किया गया है तथा समुचित व्यवस्था हेतु प्राविधान करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

प्रस्ताव–

1. नगरीय क्षेत्र में प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों अथवा पोखरों को चिन्हित कर संरक्षित किये जायें जिसमें किसी अन्य प्रकार का उपयोग अनुमन्य न किया जाये।
2. राजस्व अभिलेखों के अनुसार दर्ज सभी जलाशय/नाले का भू–उपयोग महायोजना–2031 में जलाशय/नाले ही माना जायेगा भले ही उनके आकार छोटे होने के कारण मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किया जा सका है।
3. जहाँ तक हो सके ऐसे प्राकृतिक जलाशय एवं तालाब/पोखर के आस–पास की भूमि को मनोरंजन की दृष्टि से विकसित किया जाये जिससे कि नगर की जनता को दोहरे लाभ हो सकें।
4. 20 एकड़ से अधिक विभिन्न योजनाओं के ले–आउट प्लान में पार्क एवं खुले क्षेत्रों के अन्तर्गत कुल योजना क्षेत्र की लगभग 05 प्रतिशत भूमि जलाशय के रूप में विकसित की जाये। ऐसे जलाशयों का न्यूनतम क्षेत्रफल 01 एकड़ तथा गहराई 06 मीटर रखे जाने का प्राविधान है।
5. 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में उपरोक्तानुसार जलाशय अथवा पार्क/ग्रीन बैल्ट के अनुसार निर्धारित मानक के अनुरूप एक कोने में रिचार्ज वेल/रिचार्ज टैंक बनाया जाये।
6. नई योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जूलोजीकल/हाइड्रो–जूलोजीकल सर्वेक्षण कराया जाये ताकि ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपरोक्त पद्धति को अपनाया जा सके।
7. पार्कों का निर्माण (पक्के पेवमेन्ट सहित) 05 प्रतिशत से अधिक न किया जाये तथा फुटपाथ व ट्रैक्स यथा सम्भव पर्मीयेबल एवं सेमीपर्मीयेबल परफोरेटिड ब्लॉक के प्रयोग से बनाये जायें।
8. सड़कों/पार्कों तथा खुले स्थानों में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाये, जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो, जिससे वे ग्रीष्म ऋतु में भी हरे–भरे रह सकें।
9. जहाँ तक सम्भव हो सके सड़कों के किनारे ब्रिक ओवऐज/जूल स्टोन पेवमेन्ट का प्राविधान किया जाये ताकि ग्राउन्ड वाटर की रिचार्जिंग हो सके। 1000 वर्गमीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों एवं ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग के लिये अनिवार्य किया जाये। रेनवाटर हार्वेस्टिंग को भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय भवनों के लिये भी अनिवार्य किया जाये तथा पूर्व निर्मित शासकीय भवनों में रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज प्रणाली को अपनाया जाये।

10.3.5 फिल्म नीति

अलीगढ़ नगर में अनेक छविगृह विद्यमान हैं। फिल्म नीति के अन्तर्गत निर्मित एवं विद्यमान सिनेमा हॉलों को संरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है। मल्टीप्लेक्स हेतु भूमि महायोजना में प्रस्तावित व्यवसायिक भू–उपयोग के अन्तर्गत उपलब्ध हो सकेगी।

10.3.6 सूचना प्रौद्योगिक नीति

1. प्रति एकड़ भूमि, न्यूनतम 200 कर्मी रोजगार उपलब्ध कराने वाली सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र की इकाई को, प्रति कर्मी रु. 15000/– की दर से भूमि की लागत के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रदत्त रोजगार निरन्तर न्यूनतम एक वर्ष के लिए होना आवश्यक है यह प्रतिपूर्ति सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर प्रदान की जायेगी। इस छूट की प्रतिपूर्ति राजकीय बजट से की जायेगी।
2. फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.) आई.टी. सिटी और आई.टी. पार्क सहित, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा/बी.पी.एस. ईकाइयों को न्यूनतम फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.

आर.) तीन तथा अतिरिक्त एक (क्रय करने योग्य, बिल्डिंग बायलाज में तत्समय लागू नियमों के आधार पर) किया जाना अनुमन्य होगा।

3. ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी/बी.पी.ओ. इकाइयाँ जिनमें कम से कम 20 तक अधिकतम 50 व्यक्ति काम करते हों, मास्टर प्लान अथवा भू–उपयोग वर्गीकरण के बावजूद, सार्वजनिक, अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं, यातायात एवं परिवहन, पार्क एवं खुले क्षेत्र, हरित पट्टिका तथा कृषि भू–उपयोग को छोड़कर, कहीं भी स्थापित की जा सकेंगी।

10.3.7 आपदा प्रबंधन नीति

1. देश में समय–समय पर आये भूकम्पों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा समय–समय पर जारी भूकम्परोधी शासनादेशों एवं सुरक्षात्मक प्राविधानों को शत–प्रतिशत अनुपालन किये जाने का प्रस्ताव है। भूकम्प से सुरक्षा हेतु सभी प्राविधानों के अनुपालन उपरान्त ही किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य होगा तथा उसके अनुरूप स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार किये जाने का प्राविधान है।
2. अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं से सम्बन्धित शासन द्वारा जारी एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अपेक्षित प्राविधानों की व्यवस्था सभी भवनों में भवन निर्माण की स्वीकृति के समय सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी भवन जो पूर्व में बन चुके है। निर्माणाधीन है, मानचित्र स्वीकृत है, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, परन्तु उनमें वर्तमान में अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करते हैं में भी उपयुक्त प्राविधान कराया जाना प्रस्तावित है।

10.3.8 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति

महायोजना–2031 में 2799.22 हैक्टेयर भूमि अलीगढ़ नगरीय क्षेत्र में उद्योग हेतु प्रस्तावित की गयी है। औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 के क्रम में शासनादेश संख्या–3352/9–आ–3–04–12विविध/2004 दिनांक–23.08.2004 के अनुसार नगरीय हाट/बाजारों की स्थापना भूमि हेतु प्रदर्शनी स्थल के रूप में चिन्हित की गयी है। जहाँ लघु एवं सेवा तथा कुटीर उद्योग को प्रदर्शन व विक्रय किया जा सकेगा तथा औद्योगिक उपयोग से सम्बन्धित अन्य व्यवसायिक क्रियायें विकसित हो सकेंगी।

10.3.9 अन्य

भूमि मूल्य में उत्पन्न विषमताओं के निराकरण के लिये महायोजना के पुनरीक्षण अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना तैयार किये जाने के कारण "निम्न भू–उपयोग से उच्चीकृत भू–उपयोग" में प्रस्तावित भूमि के स्वामियों से ''नगरीय उपयोग प्रभार'' उद्ग्रहीत करने हेतु अधिनियम में संशोधन के माध्यम से विधिक व्यवस्था का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है। उक्त व्यवस्था के प्रभावी होने पर अभिकरणों द्वारा नगरीय उपयोग प्रभार उद्ग्रहीत किया जा सकेगा।

महायोजना में हरित क्षेत्रों/ग्रीन बैल्ट और जनसुविधाओं के लिये आरक्षित भूमि को भू–स्वामी द्वारा शासकीय अभिकरण के पक्ष में निःशुल्क समर्पित किये जाने की दशा में उक्त भूमि के सापेक्ष सम्बन्धित भू–स्वामियों को आवासीय उपयोग का ''ट्रॉन्स्फरेबल डेवलपमेन्ट राइट्स'' प्रदान करने की व्यवस्था लागू की जायेगी।

महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोगों, शासन द्वारा निर्गत नीतियों एवं पर्यावरणीय संरक्षण के सम्बन्ध में नीति निर्धारण से सम्बन्धित प्रस्ताव महायोजना में दिये गये हैं, जिन नीतिगत विषयों पर वर्तमान में प्राविधान विद्यमान है, किन्तु जिनका नीति निर्धारण में समावेश/उल्लेख नहीं हो पाया है अथवा नीतिगत विषयों पर शासन द्वारा भविष्य में नीतिगत प्राविधान निर्गत किये जाते हैं, तो शासन के निर्देशानुसार सम्बन्धित अभिकरण द्वारा अंगीकार किये जाने की स्थिति में महायोजना में निर्दिष्ट नीतिगत प्राविधान उस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

10.4 नियोजन खण्ड

अलीगढ़ महायोजना–2031 (जोन)

अलीगढ़ विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु सम्पूर्ण विकास क्षेत्र को विभिन्न नियोजन खण्डों में विभक्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है–

तालिका–45

अलीगढ महायोजना–2031 जोन्स

जोन	क्षेत्र
जोन 1	निर्मित आवासीय क्षेत्र
जोन 2	आगरा रोड और कानपुर रोड (जी.टी. रोड) के मध्य का क्षेत्र
जोन 3	आगरा रोड और मथुरा रोड के मध्य का क्षेत्र
जोन 4	खैर रोड और मथुरा रोड के मध्य का क्षेत्र
जोन 5	खैर और दिल्ली रोड के मध्य का क्षेत्र
जोन 6	दिल्ली रोड और बरौली रोड के मध्य का क्षेत्र
जोन 7	बरौली रोड और बरेली रेलवे लाइन के मध्य का क्षेत्र
जोन 8	बरेली रेलवे लाइन और रामघाट रोड के मध्य का क्षेत्र
जोन 9	रामघाट रोड और कानपुर रोड के मध्य का क्षेत्र
जोन 10	खैर रोड का क्षेत्र
जोन 11	खैर–करवन नदी के लिए छोड़ा गया क्षेत्र
जोन 12	बाईपास मिलने तक खैर–क्षेत्र राईट से करवन नदी तक
जोन 13	मेरठ खैर रोड बाईपास के बाद का क्षेत्र
जोन 14	शेखा झील और उसके आसपास का क्षेत्र
जोन 15	जलाली क्षेत्र
जोन 16	कौड़ियागंज क्षेत्र
जोन 17	पिलखना क्षेत्र
जोन 18	जवाँ सिकन्दरपुर
जोन 19	बरौली
जोन 20	गभाना
जोन 21	चण्डौस
जोन 22	पिसावा

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिये इन विभिन्न क्षेत्रों के जोनल प्लान प्राथमिकता के आधार पर तैयार किये जायेंगे।

10.5 चरणबद्ध विकास

10.5.1 परिचय

महायोजना के अनुसार संतुलित एवं संगठित विकास सुनिश्चित करने हेतु दीर्घकालीन अवधि को अलग–अलग चरणों में विभाजित करना व विकास गतिविधियों/क्रियाओं की प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के साथ तद्नुसार क्षेत्रीय योजनाएँ बनाया जाना आवश्यक हैं, ताकि मूलभूत सुविधाओं का चरणबद्ध रूप से विकास किया जा सके। शहरी क्षेत्र के विकास हेतु तैयार की गई दीर्घकालीन विकास योजना के प्रस्तावों के अनुसार विकास कार्यों की योजना एवं क्रियान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसे स्वीकृत नीति के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में भू–उपयोग करने हेतु क्रियान्वयन संस्थाओं द्वारा महायोजना के प्रति वचनबद्धता एवं सम्मान प्रमुख बिन्दु है।

नियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु चरणबद्ध किया जाता है। अलीगढ़ महायोजना 10 वर्ष के अंतराल हेतु तैयार किया जा रहा है एवं क्षितिज वर्ष को 2 चरणों की अवधि अर्थात 5–5 वर्ष में विभक्त किया गया है। प्रथम चरण को अधिकतम 5 वर्ष के अंतराल में पूर्ण करना होगा। जैसा कि महायोजना में आवश्यकतानुसार चरणबद्ध किया जाता है। प्रथम चरण में विचलन का अनुमान लगाया जाएगा एवं दूसरे चरण में विकास कार्यों को सम्पादित किया जाएगा। प्रथम चरण की अवधि वर्ष 2021–26 तक है।

10.5.2 तत्काल चरण 1. प्रमुख कार्य

1. **ज़ोनल योजनाएँ**
   - ✦ महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग के आलोक में ज़ोनल प्लान तैयार करना, जिसमें विकास कार्यों, क्रियान्वयन, प्राथमिकताओं एवं कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण हो, क्षेत्रीय योजनाओं को लागू करने हेतु आवश्यक वित्तीय पहलू को भी योजना का भाग बनाया जाना चाहिये।
   - ✦ शहरी क्षेत्र के अनावश्यक विस्तार को रोकने तथा उपजाऊ कृषि भूमि को दीर्घ समय तक शहरीकरण से पृथक करने हेतु आगामी 5 वर्षों में विकसित किये जाने वाले चिन्हित क्षेत्रों हेतु ज़ोनल योजनाएँ तैयार कराई जानी चाहिये।
   - ✦ महायोजना एवं ज़ोनल योजना के सन्दर्भ में विस्तृत यातायात एवं परिवहन योजना एवं जलापूर्ति योजना, जल एवं सीवेज निस्तारण योजना एवं शहरी अपशिष्ट के संग्रहण, ट्रीटमेंट एवं उपयोग हेतु विस्तृत योजनाएँ आवश्यक विशेषज्ञ की सहायता से पंचवर्षीय आधार पर तैयार की जानी चाहिये।
2. **अवसंरचना विकास एवं उन्नयन**
   - ✦ आवास एवं विकास परिषद, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जल निगम, उद्यान विभाग आदि द्वारा अधोसंरचना सुविधाओं का विकास कार्यबल द्वारा परियोजनाओं की पहचान हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
   - ✦ शहर में मूलभूत सुविधाओं एवं सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था को प्राथमिकता देना।
3. **स्वच्छ एवं हरित क्षेत्र कार्य योजना**
   - ✦ एक स्वच्छ एवं हरित कार्य योजना बनाने हेतु – इसमें भूमि स्थल को चिन्हित किया जाना सम्मिलित होगा, जिसे शहर में पार्क के रूप में लिया जा सकता है। वर्तमान पार्कों का पुनर्विकास एवं उन्नयन व नदी सम्मुख विकास एवं प्राकृतिक विशेषताओं का संरक्षण।
   - ✦ पर्यावरण एवं प्रदूषण का विस्तृत अध्ययन कर भविष्य की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में पर्यावरण योजना एवं कार्यक्रम तैयार करना।

मानचित्र–14

अलीगढ के विभिन्न जोन्स का मानचित्र

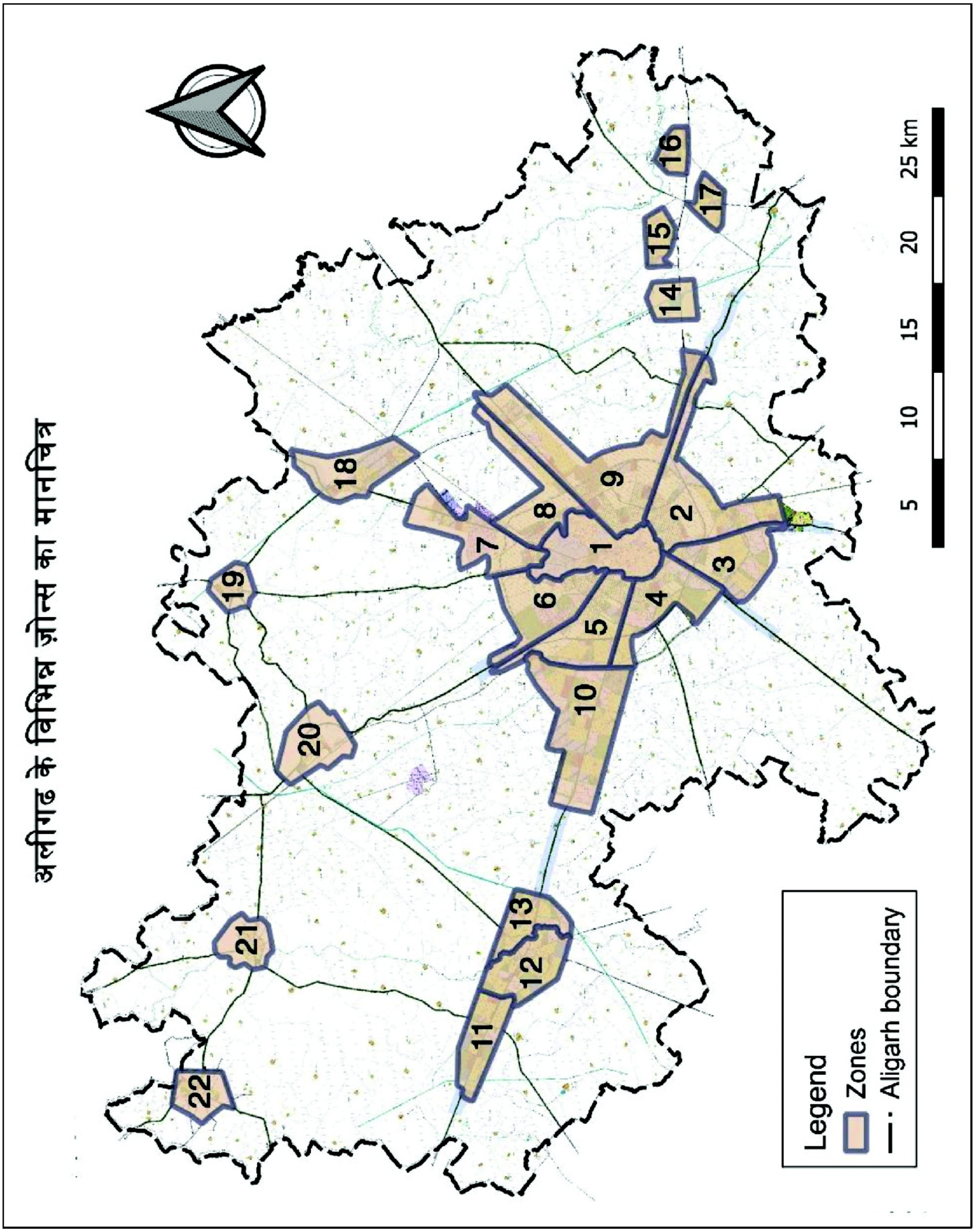

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

4. **निजी क्षेत्र की भागीदारी**

- ✦ सभी विकास कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की सम्भावनाओं का अध्ययन करना, उत्तरदायी निजी संस्थाओं की पहचान करना एवं कार्यान्वयन कार्यक्रमों एवं नीतियों का निर्धारण करना।

5. **निर्मित क्षेत्र कार्य योजना (Built Area Action Plan)/मुख्य शहर कार्य योजना (Core City Action Plan)**

- ✦ शहर के निर्मित क्षेत्र विकास हेतु विस्तृत योजना तैयार करना एवं पुनर्विकास की स्थिति में संरचनाओं के चिन्हिकरण हेतु कार्य योजना तैयार करना।
- ✦ शहर में यातायात एवं परिवहन सम्बन्धी समस्याओं के निस्तारण हेतु शहरी डिजाइन प्रस्तावों सहित कार्य योजना एवं व्यवहार्यता तैयार करना।

6. **क्रियान्वयन निगरानी**

- ✦ निगरानी एवं कार्यान्वयन हेतु एक समर्पित समिति नियुक्त करना।
- ✦ निगरानी हेतु जी.आई.एस. विधियों को लागू करना एवं इसे प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों को आवश्यक क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- ✦ महायोजना के अनुरूप अथवा महायोजना के विपरीत किये जा रहे विकास कार्यों को नियमित रूप से अंकित करना तथा इन कार्यों के आकार एवं स्वरूप को मानचित्र पर अंकित करना।

वर्तमान में यह देखा गया है कि महायोजना प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक समयावधि में कार्य योजनाएँ एवं कार्यक्रम/योजनाएँ तैयार नहीं की जाती हैं। यह भी देखा गया है कि विकास गतिविधियों हेतु कार्यकारी ऐजेंसीज़ द्वारा स्थानीय नीतियों का पालन किया जाता है, जोकि शहर के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। इससे मूलभूत सुविधाओं को लागू करने में समय लगता है एवं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। यह सुझाव दिया जाता है कि कार्यान्वयन प्रक्रिया की जाँच हेतु एक निगरानी समिति का गठन किया जाये।

10.5.3 महायोजना क्रियान्वयन के अनुश्रवण

वर्तमान में, महायोजना प्रस्तावों के अनुसार अथवा महायोजना प्रस्तावों के विपरीप, नियमित रूप से विकास एवं निर्माण कार्यों को चिन्हित करने हेतु, उनके कार्य के अनुसार मानचित्र तैयार करने व उससे उत्पन्न होने वाली सम्भावित समस्याओं को निर्धारित करने एवं उनके निस्तारण हेतु एक निश्चित व नियमित प्रभावी निगरानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्यतः विकास प्राधिकरण के पास महायोजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक क्रियाओं एवं नकारात्मक समस्याओं की भौगोलिक व वित्तीय प्रकृति व आकार का आंकलन नहीं होता है। इसकी अनुपस्थिति के कारण, सुधार की आवश्यकता का भी ठीक से आंकलन नहीं किया जाता है।

वर्तमान में निगरानी हेतु कई विधि उपलब्ध हैं। इसमें नवीनतम एवं आधुनिक विधि जी.आई.एस. तकनीक है। इस तकनीक का प्रयोग कर विकास गतिविधियों का मानचित्र तैयार कर अनाधिकृत एवं अनियोजित विकास एवं निर्माण कार्य की पहचान कर कार्यवाही की नियमित निगरानी हेतु प्राधिकरण प्रारम्भ कर एक निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिये जोकि वर्तमान में कार्यरत् प्रवर्तन अनुभाग से भिन्न है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाने आवश्यक हैं।

- ✦ शहरी क्षेत्र में सभी प्रकार के विकास एवं निर्माण कार्यों को महायोजना एवं क्षेत्रीय योजना मानचित्र पर अंकित करना।
- ✦ अनाधिकृत विकास एवं निर्माण कार्यों का विस्तृत विवरण तैयार करना।
- ✦ महायोजना के अनुसार विकास एवं निर्माण कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की पहचान कर वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तावित करना। विकास के अधिकांश क्षेत्रों में चरणबद्धता

दो चरणों में की जाती है, चरण का अंतराल क्षेत्र की समस्या के निस्तारण करने/विचलन के समाधान में लगने वाले समय पर निर्भर करता है एवं दूसरे चरण का उपयोग विकास हेतु किया जाता है।

सरकारी ऐजेंसीज़ की भूमिका

1. केन्द्र एवं राज्य क्षेत्रों के आवास एवं मूलभूत सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
2. शहरों के नियोजित विकास हेतु अधिनियमों के प्राविधानों एवं नियामक उपायों (नियम, आदेश, दिशानिर्देश आदि) का प्रभावी कार्यान्वयन।
3. अनाधिकृत कॉलोनियों, झुग्गी बस्तियों (स्लम), अवैध निर्माणों एवं रिहायशी क्षेत्रों में अवैध/गैर–अनुरूप गतिविधियों के प्रसार को नियंत्रित करना।
4. महायोजना के अन्तर्गत समयबद्ध तरीके से आंचलिक विकास योजनाओं को तैयार करना एवं नियमित रूप से अद्यतन करना व उनके तहत अनौपचारिक क्षेत्र (स्लम निवासियों व आवासहीन नागरिक) हेतु उचित प्राविधान करना।
5. आवास एवं पर्यावास कार्य योजना तैयार करना व किसी विशेष शहर हेतु आवास की कमी एवं भविष्य की आवश्यकता का आंकलन करके इसका समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
6. निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु राज्य सरकार द्वारा घोषित हाई–टेक टाउनशिप एवं न्यू टाउनशिप पॉलिसी–2023 के तहत निजी विकासकर्ताओं (डेव्लेपर्स) के सामाजिक दायित्वों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृत परियोजनाओं को लागू करना।

निगरानी समिति

	समिति में अनुशंसित पद
उपाध्यक्ष, अलीगढ विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़	सदस्य
सहयुक्त नियोजक, संभागीय खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	सदस्य
उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा मनोनीत व्यक्ति	सदस्य
मुख्य नगर नियोजक, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	सदस्य संयोजक
मुख्य अभियन्ता, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	सदस्य

10.6 स्ट्रैटजिक प्लान एवं वित्त पोषण

महायोजना प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है। सरकार द्वारा बजटीय सहायता प्राप्त कर तथा विकास एजेंसीज़ द्वारा बजटीय सहायता प्राप्त कर तथा विकास एजेंसीज़ द्वारा वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर अधोसंरचना सुविधाओं के विकास की वर्तमान पद्धति भविष्य के विकास की आवश्यकताओं की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। शहरी क्षेत्र का विकास एक सत्त प्रक्रिया है, जिसमें शहरी प्रशासन एवं विकास अभिकरणों को अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों की व्यवस्था एवं प्रबन्धन में व्यापक परिवर्तन करने होंगे। खुले बाजार के इस काल में निशुल्क सुविधाओं एवं सेवाओं को भी वर्तमान मानसिकता से त्यागना होगा। प्रत्येक

सुविधा एवं सेवा हेतु व्यय की लागत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता को स्वयं वहन करनी होगी। विकास कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ानी होगी एवं विकासकर्ताओं को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना होगा, ताकि अपेक्षित विकास हो सके।

10.6.1 प्रमुख संसाधन जुटाने हेतु स्रोत

1. भू–सम्पत्ति बैंक की स्थापना : नवीनतम सेटेलाइट इमेज एवं जी.आई.एस. तकनीकी के आधार पर विकास क्षेत्र एवं नगर निगम की समस्त भूमि का मानचित्रण एवं विस्तृत विवरण देना। सैटेलाइट इमेज के आधार पर सभी भूमि का वास्तविक माप लेना एवं राजस्व रिकॉर्ड से मिलान करके अतिरिक्त भूमि को चिन्हित करना। प्रत्येक राजस्व ग्राम में बहुत अधिक अतिरिक्त भूमि होती है। इस भूमि का उपयोग भविष्य के विकास हेतु किया जा सकता है।
2. वास्तविक उपयोग के आधार पर शमन शुल्क का निर्धारण : शहरी क्षेत्र में कई ऐसे भवन हैं, जिनका उपयोग स्वीकृत से अधिक अथवा पूर्ण रूप से अनाधिकृत रूप से व्यवसायिक उद्देश्यो हेतु किया जा रहा है एवं इन सम्पत्तियों को हटाया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी सभी सम्पत्तियों को चिन्हित कर उनकी मैपिंग की जानी चाहिये। अशमनीय सम्पत्ति पर दो गुना शमन शुल्य निर्धारित किया जाना चाहिये।
3. फेरीवाले से मासिक किराये हेतु निर्धारण : शहरी क्षेत्रों में कई फेरीवाले वाहन सार्वजनिक भूमि पर स्थाई रूप से खड़े रहते है, विशेष तौर पर रात्रि के समय। ऐसे सभी वाहनों से अतिरिक्त रूप में अनाधिकृत निर्माण पर मासिक किराया वसूला जाना चाहिये।
4. सामान्यतः शहरी क्षेत्र में अनुमन्य एफ.ए.आर. की अधिकतम सीमा 1.5 निर्धारित की जानी चाहिये एवं अतिरिक्त एफ.ए.आर. को चिन्हित स्थानों पर विक्रय किया जाना चाहिये। मूलभूत संरचना की उपलब्धता के आधार पर प्राधिकरण द्वारा 1.5 से एफ.ए.आर. को बिक्री योग्य बनाया जा सकता है।
5. भूमि एवं निर्मित सम्पत्ति के वास्तविक उपयोग के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क एवं प्रभाव शुल्क में परिवर्तन किया जाना चाहिये।
6. प्रमुख मूलभूत संरचना परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के आधार पर प्रारम्भ किया जाना चाहिये।
7. भविष्य में सड़क चौड़ीकरण एवं हरित पट्टी हेतु छोड़े गए क्षेत्र का तत्काल उपयोग किया जाना चाहिये एवं उपरोक्त उद्देश्यों हेतु छोड़ी गई भूमि हेतु अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रदान किया जाना चाहिये।
8. इस प्रकार संस्थाएँ निरन्तर प्रयासों से विभिन्न माध्यमों से अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ कर अलीगढ़ के विकास में सक्रिय योगदान दे सकती हैं।

10.6.2 भूमि संग्रहण एवं प्रबन्धन

मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु 'संसाधन जुटाने' हेतु संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करने पर विशेष बल दिया जायेगा, ताकि ''आत्मनिर्भर विकास'' सुनिश्चित किया जा सके।

10.6.3 भूमि संग्रहण हेतु अनुसंशाएँ

भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुगम बनाकर शहरी विकास में किसानों/भूस्वामियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक प्रगतिशील भूमि अधिग्रहण नीति बनाई जानी चाहिये। नई नीति के अन्तर्गत सामाजिक प्रभाव आंकलन की प्रक्रिया में जन भागीदारी को यथासम्भव बढ़ाया गया है तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली एवं विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नवास हेतु उपयुक्त प्राविधान किये गये हैं।

लैण्ड पूलिंग योजना

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य रूप से भूमि अधिग्रहण कराना जटिल होता जा रहा है। कानूनी विवाद भी होते हैं एवं भूमि अधिग्रहण में देरी होती है। अतः राज्य सरकार की कल्याण नीति के तहत किसानों को अपनी भूमि बसाने हेतु कई विकल्प दिये गये हैं, लैण्ड पूलिंग योजना एक ऐसा ही विकल्प है। वर्तमान में, एकीकृत टाउनशिप नीति एवं हाईटेक टाउनशिप नीतियाँ भूमि पूलिंग पर आधारित हैं, जहाँ प्राधिकरण अथवा सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी है। इस योजना के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा चयनित भू–स्वामियों की भूमि को विकास/पुनर्विकास हेतु पूल करके ले–आउट तैयार किया जाता है एवं भूमि अधिग्रहण के बिना अधोसंरचना विकास किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत भूमि सड़कों, मूलभूत सुविधाओं, पार्कों एवं खुले क्षेत्रों, सामुदायिक सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित हैं एवं भूमि के कुछ भाग का उपयोग प्राधिकरण द्वारा मूलभूत ढांचे के विकास के व्यय को पूर्ण करने हेतु किया जाता है, जबकि मूलभूत ढांचे के विकास के परिणामस्वरूप पुनर्निर्मित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी। सम्बन्धित भू–स्वामियों को उनके स्वामित्व वाली भूमि के अनुपात में पुनर्वितरित किया जाता है एवं आरक्षित भूमि को सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में प्राधिकरण को निशुल्क स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस पद्धति के अन्तर्गत भू–स्वामियों के सहयोग से सुनियोजित शहरी विकास सुनिश्चित किया जायेगा एवं भूमि अधिग्रहण हेतु किसी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति–2014, लैंड पूलिंग योजना के मानकों की अनुशंसा करती है, जिन्हें अपनाया जा सकता है।

किसानों से सीधे तौर पर भूमि क्रय

भूमि संग्रहण हेतु यह भी विकल्प अनुमन्य होगा कि विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास बोर्ड तथा अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय एजेंसीज़ आपसी सहमति से अपनी योजनाओं हेतु सीधे भूमि क्रय कर सकें।

हस्तांतरणीय विकास अधिकार

महायोजना के अन्तर्गत सार्वजनिक सुविधाओं एवं महायोजना सड़कों हेतु आरक्षित भूमि के बदले भू–स्वामियों को 'विकास अधिकारों के हस्तांरण' (Transfer of Development Rights, TDR) के रूप में मुआवजा दिया जाता है, जो जनता के विकास हेतु स्थानीय एजेंसी को निशुल्क भूमि प्रदान करते हैं। टी.डी.आर. नीति के अनुसार, भू–स्वामी को दिया गया 'विकास अधिकार प्रमाण पत्र' (Development Rights Certificate, DRC) उस भूमि हेतु अनुमन्य तल क्षेत्र अनुपात (Floor Area Ratio, FAR) का उपयोग कहीं और किया जा सकता है अथवा भूमि स्वामी को उक्त तल पर किसी अन्य व्यक्ति को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्थानांतरित भी किया जा सकता है, जो व्यक्ति इसे क्रय करता है वह अतिरिक्त फ्लोर एरिया की गणनानुसार अपनी भूमि पर निर्माण कर सकता है। टी.डी.आर. अवधारणा भारत के कई राज्यों में प्रचलित है एवं किसी भी नियोजित क्षेत्र में आरक्षण क्षेत्रों को लागू करने हेतु एक सफल प्रक्रिया रही है, जहां सार्वजनिक सुविधाएँ निजी सम्पत्ति के अंतर्गत आती हैं। टी.डी.आर. वर्तमान महायोजना में प्रमुख अनुशंसाओं में से एक है, जो शहर के मुख्य क्षेत्रों हेतु, विशेष रूप से खुले स्थान एवं पार्कों को आत्मसात करने के लिये, पुनर्विकास प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु है।

अध्याय–11

जोनिंग रेगुलेशन्स

11.1 परिचय

11.1.1 जोनिंग के उद्देश्य

महायोजना में सामान्यतः प्रमुख भू–उपयोगों यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएँ, पार्क एवं खुले स्थल, कृषि, आदि को ही दर्शाया जाता है। प्रमुख भू–उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्य अनुषांगिक क्रियाएँ (Activities) जिन्हें महायोजना मानचित्र पर अलग से दर्शाया जाना सम्भव नही है, की अनुज्ञा जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर प्रदान की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई योजनाओं में भी विविध अनुषांगिक (Ancillary/Incidental) क्रियाओं/उपयोगों का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन्स तथा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ताकि जन–स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

11.1.2 जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएँ

1. नगरों के परिवर्तनशील, भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों का विकास एक सत्त प्रक्रिया है। प्रस्तुत जोनिंग रेगुलेशन्स में प्रमुख भू–उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता को समय के परिपेक्ष्य में अनुक्रियाशील (Responsive) बनाने तथा अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने के उद्देश्य से समुचित प्राविधान किये गये हैं। आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features) निम्न प्रकार हैं–
2. परम्परागत जोनिंग रेगुलेशन्स में व्याप्त जटिलताओं को समाप्त कर सरल बनाया गया है। इस हेतु प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता को ग्राफिक्स प्रस्तुतिकरण (Matrix) के माध्यम से सर्वग्राही (User Friendly) बनाया गया है।
3. परम्परागत (Regimented) भू–उपयोग पद्धति के स्थान पर "Flexible" एवं "मिश्रित भू–उपयोग" कान्सेप्ट को अपनाया गया है, जो नगरों के गतिशील विकास में प्रोत्साहन स्वरूप होगा।
4. मिश्रित भू–उपयोगों की अनुमन्यता, उनकी अनुषांगिकता तथा कार्यपूर्ति मापदण्डों पर आधारित की गई है। ताकि परस्पर आश्रित भू–उपयोग की ऑपरेशनल एवं आर्थिक कार्यक्षमता में वृद्धि हो और किसी भी प्रमुख–उपयोग जोन का मूल स्वरूप विकृत न होने पाये।
5. जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रभाव शुल्क लिये जाने की व्यवस्था की गई है, जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण को अवस्थापना विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे।
6. जोनिंग रेगुलेशन में ''फ्लोटिंग'' भू–उपयोग कॉन्सेप्ट अपनाया गया है जिसके अनुसार ऐसी क्रियायें जो महायोजना/जोनल प्लान में परिकल्पित नहीं हैं, को भविष्य में गुण अवगुण के आधार पर सम्बन्धित भू–उपयोग जोन में अनुमन्य किया जा सकेगा।
7. प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने वाले उपयोगों के परीक्षण एवं विकास प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति के लिये एक समिति के गठन की व्यवस्था की गई है।

8. नियोजित कॉलोनियों में अविवेकपूर्ण भू–उपयोग परिवर्तन को नियंत्रित रखने हेतु निर्मित क्षेत्र (नगरीय) एवं ''आवासीय'' जोन्स के चिन्हीकरण की व्यवस्था की गयी है, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार महायोजना / जोनल प्लान / सेक्टर प्लान / ले–आउट प्लान में चिन्हित किया जा सकता है।

9. जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रभाव शुल्क लिये जाने की व्यवस्था की गयी है। जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण / परिषद को अवस्थापना विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे।

11.1.3 विभिन्न क्रियाओं / उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू–उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं / उपयोगों की निम्न अनुज्ञा श्रेणियाँ होंगी–

(क) अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएँ / उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू–उपयोगों के अनुषांगिक होंगे तथा सामान्यतः अनुमन्य होंगे।

(ख) सशर्त अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएँ / उपयोग जो कार्यपूर्ति के आधार पर सम्बन्धित प्रमुख भू–उपयोगों में अनिवार्य शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य होंगे। अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध प्रस्तर–11.3 में दिए गए हैं।

(ग) सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएँ / उपयोग जो आवेदन किए जाने पर निर्माण के प्रकार के संदर्भ में अवस्थापनाओं की संरचना तथा आस–पास के क्षेत्र पर पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव, आदि अर्थात गुण–दोष को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुमन्य होंगे। विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएँ प्रस्तर–11.4 में दी गई हैं।

(घ) निषिद्ध उपयोग

वह क्रियाएँ / उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू–उपयोग जोन में अनुमन्य नही होंगे। निषिद्ध क्रियाओं के अन्तर्गत सूचीबद्ध क्रियाओं के अतिरिक्त ऐसी सभी क्रियाएँ तथा विकास / निर्माण कार्य जो प्रमुख उपयोग के अनुषांगिक नही हैं अथवा उपरोक्त (क), (ख) अथवा (ग) श्रेणी के अनुमन्य क्रियाओं की सूची में सम्मिलित नही हैं, की अनुमति नही दी जाएगी।

(ङ) अस्थायी क्रियाएँ

ऐसी क्रियाएँ जिसमें किसी विशेष प्रयोजन हेतु जनसामान्य एकत्र होते हों तथा जो पूर्णतः अस्थायी रूप से अल्प अवधि के लिए स्थापित होती हैं। ऐसी क्रियाओं की अनुमन्यता सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने–अपने ततसमय प्रचलित नियमों / अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी। उक्त प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–11.4 ''प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध'' की शर्त कोड–16 पर भी लागू होंगी।

11.1.4 फ्लोटिंग उपयोग

महायोजना लागू होने के उपरान्त प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में कतिपय क्रियाएँ / उपयोग नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनैतिक परिवेश में आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किए जाते हैं जो समय की माँग के अनुसार व्यवहारिक होते हैं, परन्तु महायोजना अथवा जोनिंग रेगुलेशन्स में परिकल्पित नहीं हैं। इस प्रकार के उपयोगों में बस / ट्रक / रेल / हवाई टरमिनल, थोक मार्केट काम्पलेक्स, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ यथा विद्युत् सब–स्टेशन,

ट्रीटमेंट प्लान्ट्स, इत्यादि सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसी क्रियाओं को अनुमन्य किए जाने हेतु कई बार अधिनियम के अन्तर्गत भू–प्रयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाया जाना अपरिहार्य हो जाता है जो अन्यथा प्रत्येक मामले में औचित्यपूर्ण न हो। अतः आवश्यकतानुसार ऐसी क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता हेतु ''फ्लोटिंग उपयोग'' (Floating Use) कान्सेप्ट अपनाया गया है।

''फ्लोटिंग उपयोग''/क्रियाओं के लिए महायोजना में अलग से ''जोन'' आरक्षित किया जाना सम्भव नही है क्योंकि ऐसे उपयोग की जानकारी विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही हो सकेगी और उस उपयोग की प्रकृति तथा उसके कार्यपूर्ति मापदण्ड (Performance Standard) से ही तय हो सकेगा कि उसे किस भू–उपयोग जोन में अनुमन्य किया जाए। ''फ्लोटिंग उपयोग'' कान्सेप्ट अपनाए जाने के फलस्वरूप जोनिंग प्रणाली में Flexibility रहेगी। इसका यह भी लाभ होगा कि किसी एक भू–उपयोग जोन में नॉन–कन्फर्मिंग उपयोगों का केन्द्रीयकरण नही हो सकेगा। इसके अतिरिक्त ''फ्लोटिंग'' उपयोग के फलस्वरूप किसी भू–उपयोग जोन की प्रधान प्रकृति (Dominant Character) पर पड़ने वाले कुप्रभाव अथवा होने वाले ह्रास पर अंकुश लगाने तथा सम्बन्धित क्षेत्र में अवस्थापनाओं पर अनावश्यक दबाव को नियन्त्रित रखने हेतु यह प्राविधान किया गया है कि फ्लोटिंग उपयोग यदि उस जोन में सामान्यतः अनुमन्य नही है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण–अवगुण के आधार पर अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

11.1.5 प्रभाव शुल्क

विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होंगे। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 11.7.3 में निहित प्राविधानों के अधीन ही विचार किया जाएगा। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के आधीन विचार किया जायेगा। यदि निम्न भू–उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा ''प्रभाव शुल्क'' (Impact Fee) देय होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन भू–उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा। प्रभाव शुल्क उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में निहित व्यवस्थानुसार वसूल किया जायेगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु उक्त नियामावली में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू–उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सक्रिल रेट के आधार पर किया जाएगा। विभिन्न भू–उपयोग जोन्स का ''निम्न'' से ''उच्च'' क्रम एवं प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्धति जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 11.6 में दी गई है।

प्रभाव शुल्क निम्न परिस्थितियों में देय नही होगा :–

1. निर्मित क्षेत्र में सामान्यतः अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु।
2. मिश्रित भू–उपयोग जोन में शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित की जाने वाली सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं/ क्रियाओं हेतु।

3. विभिन्न प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में अस्थायी रूप से (अधिकतम समय सीमा एक सप्ताह) अनुमन्य की जाने वाली क्रियाओं/उपयोगों हेतु।

4. राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों–पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, फिल्म नीति, आदि के अधीन जिन क्रियाओं/उपयोगों को शासकीय आदेशों के अनुसार कतिपय भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य किया गया है, हेतु प्रभाव शुल्क देय नही होगा यथा पार्क एवं खुले स्थल, बाग–बगीचे, हरित क्षेत्र, वन क्षेत्र, संकटमय उद्योग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, भू–उपयोगों को छोड़कर अन्य समस्त भू–उपयोगों में होटल की अनुमन्यता तथा आवासीय क्षेत्र में पाँच के.वी.ए. क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयाँ/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की अनुमन्यता हेतु प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा।

5. होटल अथवा व्यवसायिक उपयोग से भिन्न उपयोग में होटल की अनुमन्यता हेतु परिवर्तन शुल्क/प्रभाव शुल्क देय नही होगा।

11.1.6 अनुज्ञा की प्रक्रिया

विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू–उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य क्रियाओं की विशेष अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में एक समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा तथा समिति की संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उक्त समिति में निम्न सदस्य होंगे –

(i) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि,

(ii) विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी,

(iii) अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर–सरकारी सदस्य।

जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन आवेदक द्वारा किसी क्रिया अथवा उपयोग की अनुज्ञा अधिकार स्वरूप प्राप्त नही की जा सकेगी।

11.1.7 अन्य अपेक्षाएँ

✦ महायोजना में चिन्हित प्रमुख भू–उपयोग जोन्स के अन्तर्गत किसी क्रिया या विशिष्ट उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थल पर विकास/निर्माण, उस क्रिया या विशिष्ट उपयोग की अनुषांगिकता के अनुसार ही अनुमन्य होगा। उदाहरणार्थ, सामुदायिक सुविधाओं में अस्पताल उपयोग के अन्तर्गत केवल अस्पताल तथा उसकी अनुषांगिक क्रियाएँ ही अनुमन्य होंगी।

✦ महायोजना में प्रस्तावित किसी भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत वर्तमान वन क्षेत्र या सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं से सम्बन्धित स्थल, जैसे पार्क, क्रीड़ा–स्थल तथा सड़क आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग वही रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू–उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।

✦ यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले–आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू–उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा। ऐसे स्थलों/भूखण्डों पर जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 11.3, 11.4 एवं 11.5 के प्राविधानों के अनुसार ''सामान्यतः अनुमन्य'' क्रियाओं को छोड़कर ''सशर्त अनुमन्य'' एवं ''विशेष अनुमति से अनुमन्य'' क्रियाओं की अनुमति निम्न समिति की संस्तुति पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन से प्रदान की जायेगी–

1	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
2	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3	अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर–सरकारी सदस्य	सदस्य

परन्तु ''विशेष अनुमति से अनुमन्य'' क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण–अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी–

1. प्रमुख भू–उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुआँ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।
2. प्रस्तावति क्रिया यथा–सम्भव मुख्य भू–उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो।
3. प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि भवन का :–

3.1. प्रमुख भू–उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा–जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत–आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

3.2. प्रस्तावित क्रिया के कारण अगल–बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राईवेसी भंग न हो।

3.3. प्रस्तावित क्रिया हेतु भू–आच्छादन, अधिकतम एफ.ए.आर. एवं ऊँचाई प्रमुख भू–उपयोग अथवा प्रस्तावित क्रिया के मानकों में, जो न्यूनतम हो, अनुमन्य होगा।

3.4. किसी भी प्रमुख जोन में विशेष अनुमति से अन्य क्रिया को अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग, इत्यादि हेतु दर्शायी गयी भूमि आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।

टिप्पणीः– प्रमुख भू–उपयोग जोन्स के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं/क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग ''सामान्यतः अनुमन्य'', ''सशर्त अनुमन्य'', ''विशेष अनुमति से अनुमन्य'' हो), अनुमन्य किये जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुये जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जायेंगे एवं इन आपत्ति/सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जायेगा।

- ✦ जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विभिन्न अभिकरणों द्वारा तैयार की जाने वाली परिक्षेत्रीय विकास योजनाओं/विन्यास मानचित्र/पुर्नविकास योजना के लिये तथा ऐसे क्षेत्र जिनकी परिक्षेत्रीय विकास योजना/विन्यास मानचित्र अभी तक तैयार नही किये जा सके है, हेतु कार्यवाही की जायेगी।
- ✦ प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सभी भू–उपयोग श्रेणियों (अनुमन्य, सशर्त अनुमन्य, विशेष अनुमति से अनुमन्य) में विकास एवं निर्माण कार्य भवन उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

11.1.8 परिभाषाएँ

1. इन रेगुलेशन्स हेतु ''सक्षम प्राधिकारी'' का तात्पर्य उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत घोषित विकास क्षेत्र का विकास प्राधिकरण बोर्ड से है।
2. 'निर्मित क्षेत्र' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो महायोजना में इस रूप में परिभाषित किया गया है।
3. ''विकासशील/अविकसित क्षेत्र'' का तात्पर्य उक्त क्षेत्र से है जो निर्मित क्षेत्र के बाहर, परन्तु विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत है।

11.2 भू–उपयोग परिसरों / क्रियाओं की परिभाषाएँ

11.2.1 आवासीय

तालिका–46

आवासीय भू–उपयोग परिसरों / क्रियाओं की परिभाषाएँ

ग्रामीण आबादी	अलीगढ़ विकास क्षेत्र में प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित कृषि भू–उपयोग में राजस्व अभिलेखों में दर्ज ग्रामीण आबादी है।
आवासीय क्षेत्र	महायोजना / जोनल प्लान / सेक्टर प्लान / ले–आउट प्लान में चिन्हित ऐसे आवासीय क्षेत्र जहाँ आवासीय क्रियाओं के अतिरिक्त जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानों के अधीन अन्य क्रियाओं की भी अनुमन्यता हो।
एकल आवास	वह परिसर जिसमें स्वतन्त्र आवासीय इकाईयाँ (भू–खण्डीय आवास) हों।
समूह आवास	वह परिसर जिसमें दो या इससे अधिक मंजिल का भवन (ग्रुप हाउसिंग) होगा एवं प्रत्येक तल पर स्वतन्त्र आवासीय इकाइयाँ होंगी तथा जिसमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थलों व आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं सह–स्वामित्व होगा।
आनुषांगिक कर्मचारी आवास	वह परिसर जिसमें किसी प्रमुख उपयोग में कार्यरत आवास कर्मचारियों हेतु उसी उपयोग में आवासीय इकाइयों का प्राविधान एकल अथवा समूह आवास के रूप में किया गया हो।
चौकीदार / संतरी आवास	वह परिसर जिसमें उस उपयोग की सुरक्षा एवं रखरखाव से सम्बंधित व्यक्तियों हेतु आवासीय व्यवस्था की गई हो।

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

11.2.2 वाणिज्यक / व्यवसायिक

तालिका–47

वाणिज्यक / व्यवसायिक भू–उपयोग परिसरों / क्रियाओं की परिभाषाएँ

फुटकर दुकानें	वह परिसर जहाँ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सीधे उपभोक्ता को की जाती हो।
शो–रूम	वह परिसर जहाँ वस्तुओं की बिक्री, उनके संग्रह को उपभोक्ताओं को प्रदर्शित करने की व्यवस्था के साथ, की जाती है।
आटा चक्की	वह परिसर जहाँ गेहूँ, मसालों इत्यादि सूखे भोज्य पदार्थों को पीसकर दैनिक प्रयोग हेतु तैयार किया जाता है।
थोक मण्डी / व्यापार	वह परिसर जहाँ माल और वस्तुएँ थोक व्यापारियों को बेची और सुपुर्द की जाती हैं। परिसर में भण्डारण व गोदाम और माल चढ़ाने एवं उतारने की सुविधायें भी सम्मिलित हैं।
कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)	वह परिसर जहाँ आवश्यक तापमान आदि बनाये रखने के लिये यांत्रिक और विद्युत साधनों का प्रयोग करके आवृत्त स्थान में नाशवान वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।

होटल	वह परिसर जिसका उपयोग ठहरने के लिये, खाने सहित या खाने रहित, अदायगी करने पर किया जाता हो।
मोटल	वह परिसर, जो मुख्य मार्ग के किनारे स्थित हो। वहाँ यात्रियों की सुविधाओं के लिये ठहरने सहित खान–पान का प्रबन्ध तथा वाहनों के लिये पार्किंग की व्यवस्था हो।
कैन्टीन	वह परिसर, जिसमें संस्था के कर्मचारियों के लिये कुकिंग सुविधाओं सहित खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिये उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान भी हो सकता है।
भोजनालय, जलपान गृह / रेस्टोरेन्ट	वह परिसर, जिसे कुकिंग सुविधाओं सहित व्यवसायिक आधार पर खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिये उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान आवृत्त या खुला अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है।
सिनेमा	वह परिसर जिसमें दर्शकों के बैठने के लिये आवृत्त स्थान सहित चलचित्र के प्रदर्शन सुविधाओं की व्यवस्था हो।
मल्टीप्लेक्स (बहुसामुच्य)	वह परिसर जिसमें फिल्म प्रदर्शन की नवीनतम तकनीकी सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं तथा आनुषांगिक व्यवसायिक क्रियाओं की व्यवस्था एक कॉम्पलैक्स में हो।
पी.सी.ओ. / सेल्यूलर / मोबाइल सर्विस	वह परिसर जहाँ से स्थानीय, अन्तर्राज्यीय, देश–विदेश इत्यादि में दूरभाष अथवा सेल्यूलर पर शुल्क अदा करके बातचीत किये जाने की व्यवस्था हो।
पेट्रोल / डीजल / सी.एन.जी. / बायो डीजल फिलिंग स्टेशन / ई.वी. चार्जिंग	उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने का परिसर जिसमें ऑटोमोबाइल की सर्विसिंग भी सम्मिलित हो सकती है।
गैस गोदाम / गैस अधिष्ठान / ज्वलन, नाश एवं आपात वस्तुओं का भण्डारण	वह परिसर जहाँ कुकिंग गैस या सिलेन्डरों का भण्डारण किया जाता हो।
जंकयार्ड / कबाड़खाना	वह परिसर जहाँ निष्प्रयोज्य माल, वस्तुओं, सामग्री की बिक्री और खरीद सहित आवृत्त, अर्द्ध आवृत्त या खुला भण्डारण किया जाता हो।
भण्डारण, गोदाम, वेयर–हाउसिंग	वह परिसर जिसमें सम्बन्धित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार माल और वस्तुओं के केवल भण्डारण के लिये उपयोग किया जाता हो। ऐसे परिसर में सड़क परिवहन या रेल परिवहन जैसी भी स्थिति हो द्वारा माल चढ़ाने व उतारने की सुविधायें सम्मिलित होंगी।

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

11.2.3 औद्योगिक

तालिका–48

औद्योगिक भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ

खनन सम्बन्धी उद्योग	वह परिसर जिसमें पत्थर अथवा अन्य भूमिगत सामग्रियों को खोदकर निकालने एवं उनके प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता हो।
साफ्टवेयर/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क	वह परिसर जहाँ सूचना प्रोद्योगिकी में प्रयोग होने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, इस क्षेत्र के अद्यतन प्रौद्योगिकी के अन्य साफ्टवेयर इत्यादि का निर्माण किया जाता है।
तेल डिपो	वह परिसर जहाँ सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पैट्रोलियम उत्पाद का भण्डारण किया जाता हो।

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

11.2.4 कार्यालय

तालिका–49

कार्यालय भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ

राजकीय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों के लिये किया जाता है।
स्थानीय निकाय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग स्थानीय निकायों के कार्यालयों के लिये किया जाता हो।
अर्ध–राजकीय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अभिकरण, निकाय परिसर आदि के कार्यालयों के लिये किया जाता हो।
निजी कार्यालय	वह परिसर जिसमें किसी एक या छोटे ग्रुप द्वारा व्यवसायिक कार्यों हेतु कन्सलटेन्सी/सर्विसिंग प्रदान की जाती हो जैसे–चाटर्ड एकाउंटेन्ट, अधिवक्ता, चिकित्सक, वास्तुविद, डिजाइनर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, टूर एवं ट्रेवल एजेन्ट आदि।
बैंक	वह परिसर जिसमें बैंको के कार्य प्रचालन को पूरा करने के लिये व्यवस्था हो।
वाणिज्यिक/व्यवसायिक कार्यालय	वह परिसर जो व्यवसयिक प्रतिष्ठानों के कार्यालयों के लिये उपयोग किया जाता हो।
श्रमिक कल्याण केन्द्र	वह परिसर जहाँ श्रमिकों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
अनुसंधान एवं विकास केन्द्र/शोध केन्द्र	वह परिसर जहाँ सामान्य एवं श्रेणी विशेष के लिये अनुसंधान एवं विकास के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।

मौसम अनुसंधान केन्द्र	वह परिसर जहाँ मौसम और उससे सम्बन्धित आंकड़ों के अध्ययन/अनुसंधान और विकास के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
माईक्रोवेव तथा वायरलेस केन्द्र	वह परिसर जिसका उपयोग संचार उद्देश्यों के लिये किया जाता हो जिसमें टावर भी सम्मिलित है।

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

11.2.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक

तालिका–50

सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ

अतिथिगृह/निरीक्षण गृह	वह परिसर जहाँ सरकारी/अर्द्ध–सरकारी उपक्रम अथवा निजी कम्पनी के स्टाफ तथा अन्य व्यक्तियों को लघु अवधि के लिये ठहराया जाता है।
धर्मशाला	वह परिसर जिसमें लाभरहित आधार पर लघु अवधि के अस्थायी आवास की व्यवस्था होती है।
बोर्डिंग/लोजिंग हाउस	वह परिसर जिसके कमरे आवासीय सुविधा हेतु दीर्घावधि हेतु किराये पर दिये जाते हैं।
अनाथालय	वह परिसर जहाँ अनाथ बच्चों के रहने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था भी हो सकती है।
रैन–बसेरा	वह परिसर जिसमें बिना शुल्क या नाममात्र के शुल्क से रात्रि के समय रहने की व्यवस्था होती है।
सुधारालय	वह परिसर जहाँ अपराधियों को रखने और उनका सुधार करने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
हैन्डीकैप्ड चिल्ड्रेन हाउस	वह परिसर जहाँ अपाहिज तथा मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के सुधार तथा चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसका प्रबन्ध व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता हो।
शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र (Day Care Centre)	वह परिसर जहाँ दिन के समय शिशुओं के लिये नर्सरी सुविधाओं की व्यवस्था हो। केन्द्र का प्रबन्ध व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र (Old age Home)	वह परिसर जहाँ पर सामान्यतः वृद्ध अवस्था के व्यक्तियों के लिये लघु अथवा दीर्घकालिक रहने की व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक व्यवस्था हो। इसमें वृद्धों के मनोरंजन, सामान्य स्वास्थ्य, खानपान आदि की भी व्यवस्था हो सकती है। जिसका प्रबन्ध किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।

उच्च माध्यमिक/इंटर विद्यालय	वह परिसर जहाँ पर दसवीं/बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिये शिक्षण एवं खेलकूल सुविधाओं की व्यवस्था हो।
महाविद्यालय	वह परिसर जहाँ किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षण एवं खेलकूद तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
पॉलिटेक्निक	वह परिसर जहाँ तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें तकनीकी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आदि सम्मिलित होंगे।
मेडिकल/डेन्टल कॉलेज	वह परिसर जहाँ मानव विज्ञान के अन्तर्गत रोगों के उपचार हेतु शिक्षण तथा उपचार एवं शोध कार्य किया जाता हो।
उच्च तकनीकी संस्थान	वह परिसर जहाँ तकनीकी क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर तक की शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
कुटीर उद्योग प्रशिक्षण	वह परिसर जहाँ घरेलू/लघु/सेवा उद्योग जैसे– सिलाई, बुनाई, कढाई, पेन्टिंग, कम्प्यूटर, टूर एवं ट्रैवल्स आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।
प्रबन्धन संस्थान	वह परिसर जहाँ प्रबन्धन क्षेत्र में शिक्षण/प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
सामान्य शैक्षिक संस्थान	वह परिसर जहाँ गैर तकनीकी शिक्षा दी जाती हो।
डाकघर	वह परिसर जहाँ जनता के उपयोगार्थ डाक प्रेषण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
डाक एवं तारघर	वह परिसर जहाँ जनता के उपयोगार्थ डाक एवं दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था हो।
टेलीफोन कार्यालय/केन्द्र	वह परिसर जहाँ सम्बन्धित क्षेत्र के लिये टेलीफोन पद्धति के केन्द्रीय प्रचालन के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
रेडियो व टेलीविज़न केन्द्र	वह परिसर जहाँ सम्बन्धित माध्यम द्वारा समाचार और अन्य कार्यक्रम रिकार्ड करने तथा प्रसारित करने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
कारागार	वह परिसर जहाँ विधि के अन्तर्गत अपराधियों को नजरबन्द करने, कैद करने और उन्हें सुधारने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
पुलिस स्टेशन	वह परिसर जहाँ स्थानीय पुलिस कार्यालय के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
नर्सिंग होम	वह परिसर जहाँ तीस शैय्या तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के लिये चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा इसका प्रबन्धन व्यवसायिक आधार पर किया जाता हो।

अस्पताल	वह परिसर जहाँ अन्तरंग व बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिये सामान्य या विशिष्ट प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो।
क्लीनिक / पॉलीक्लीनिक	वह परिसर जहाँ बहिरंग रोगियों के इलाज के लिये सुविधाओं की व्यवस्था किसी डॉक्टर / डॉक्टरों के समूह द्वारा की जाती हो।
स्वास्थ्य केन्द्र / परिवार कल्याण केन्द्र / हेल्थ सेन्टर	वह परिसर जहाँ तीस शैय्याओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के लिये चिकित्सा और सुविधाओं की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबन्ध गैर व्यवसायिक आधार पर सार्वजनिक या धमार्थ या अन्य संस्था द्वारा किया जा सकता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है।
डिस्पेन्सरी	वह परिसर जहाँ चिकित्सा परामर्श की सुविधाओं और दवाइयों की व्यवस्था हो और जिसका प्रबन्ध सार्वजनिक या धर्माथ या अन्य संस्था द्वारा किया जाता हो।
नैदानिक प्रयोगशाला	वह परिसर जहाँ बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिये विभिन्न प्रकार की जांच करने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
सभा भवन, सामुदायिक भवन	वह परिसर जहाँ सभा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिओं के लिये व्यवस्था हो।
योग, मनन, अध्यात्मिक धार्मिक प्रवचन केन्द्र / सत्संग भवन	वह परिसर जहाँ स्वयं सिद्धि, बुद्धि और शरीर के उच्च गुणों की उपलब्धि, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन आदि से सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
धार्मिक भवन	वह परिसर जिसका उपयोग उपासना तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिये किया जाता हो।
सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान / भवन	वह परिसर जहाँ मुख्य रूप से गैर व्यवसायिक आधार पर जनता या स्वैछिक रूप से किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
सांस्कृतिक केन्द्र	वह परिसर जहाँ किसी संस्था, राज्य और देश के लिये सांस्कृतिक सेवाओं हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
बारात घर / बैंकट हाल	वह परिसर जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिये किया जाता है।
ऑडिटोरियम	वह परिसर जहाँ संगीत सभा, नाटक, संगीत प्रस्तुतिकरण, समारोह आदि जैसे विभिन्न प्रदर्शनों के लिये मंच और दर्शकों के बैठने के लिये सुविधा हो।
खुली नाट्यशाला	वह परिसर जहाँ खुले में दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिये मंच की सुविधाओं आदि की व्यवस्था हो।

थियेटर / नाट्यशाला	वह परिसर जहाँ दर्शकों के बैठने और प्रदर्शनों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
म्यूजियम / अजायबघर	वह परिसर जहाँ पुरावशेषों, प्राकृतिक, इतिहास, कला आदि के उदाहरण देने के लिये वस्तुओं का संग्रह एवं प्रदर्शन करने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
आर्टगैलरी / प्रदर्शनी केन्द्र	वह परिसर जहाँ चित्रकारी, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, भित्ति चित्रों, हस्तशिल्प या किसी विशेष वर्ग के उत्पादों की प्रदर्शनी और सजावट के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
संगीत / नृत्य नाटय प्रशिक्षण / कला केन्द्र	वह परिसर जहाँ संगीत, नृत्य नाट्य कला का प्रशिक्षण देने और सिखाने की व्यवस्था हो।
पुस्तकालय / लाइब्रेरी	वह परिसर जहाँ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिये पढ़ने और संदर्भ के लिये पुस्तकों के संग्रहण की व्यवस्था हो।
वाचनालय	वह परिसर जहाँ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिये समाचार पत्र–पत्रिकायें आदि पढ़ने की व्यवस्था हो।
सूचना केन्द्र	वह परिसर जहाँ राज्य तथा देश की विभिन्न गतिविधिओं की सूचनाओं के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
अग्निशमन केन्द्र	वह परिसर जहाँ उससे सम्बद्ध क्षेत्र के लिये आग बुझाने की सुविधाओं की व्यवस्था हो।
समाज कल्याण केन्द्र	वह परिसर जहाँ समाज के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो। यह सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा चलाया जाता हो।
विद्युत शवदाहगृह	वह परिसर जहाँ शवों को विद्युत दाहक द्वारा जलाने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
शमशान	वह परिसर जहाँ शवों को जलाकर अन्तिम धार्मिक कृत्य को पूरा करने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
कब्रिस्तान	वह परिसर जहाँ शवों को दफनाने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
मेला स्थल	वह परिसर जहाँ सहभागियों के समूह के लिये प्रदर्शनी और सजावट तथा अन्य सांस्कृतिक / धार्मिक गतिविधियों हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
धोबी घाट	वह परिसर जिसका उपयोग धोबियों द्वारा कपड़े धोने और सुखाने हेतु किया जाता हो।

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

11.2.6 सार्वजनिक उपयोगिताएँ

तालिका–51

सार्वजनिक उपयोगिताएँ भू–उपयोग परिसरों / क्रियाओं की परिभाषाएँ

डम्पिंग ग्राउण्ड	वह परिसर जहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा (सॉलिड वेस्ट) इकट्ठा करके अन्तिम उपचार होने तक जमा किया जाता हो।
सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट	वह परिसर जहाँ ठोस एवं तरल अपशिष्टों को तकनीकी रसायनिक क्रिया से हानिरहित बनाया जाता हो।
सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित भवन / प्रतिष्ठान	वह परिसर जहाँ सार्वजनिक उपयोग के लिये जल भण्डारण तथा उसकी आपूर्ति हेतु ओवरहेड / भूमिगत टैंक, पम्प हाउस आदि सीवरेज से सम्बन्धित ऑक्सीकरण तालाब, सेप्टिक टेंक, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन आदि हों। इसमें सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय व कूड़ादान भी सम्मिलित हैं।
कम्पोस्ट प्लान्ट	वह परिसर जहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से ठोस कूड़े एवं अपशिष्ट पदार्थों को मैकेनिकल क्रिया द्वारा उपचार के उपरान्त उर्वरक में परिवर्तित किया जाता हो।
विद्युत केन्द्र / सब–स्टेशन	वह परिसर जहाँ बिजली के वितरण के लिये विद्युत उपकरण आदि लगे हों।

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी

11.2.7 यातायात एवं परिवहन

तालिका–52

यातायात एवं परिवहन भू–उपयोग परिसरों / क्रियाओं की परिभाषाएँ

पार्किंग स्थल	वह परिसर जिसका उपयोग गाड़ियों की पार्किंग के लिये किया जाता हो।
बस स्टैण्ड	वह परिसर जिसका उपयोग जन सुविधा एवं सेवा के लिये, लघु अवधि हेतु बसें खड़ी करने के लिये सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी अथवा किसी संस्था द्वारा किया जाता हो।
मोटर गैराज / सर्विस गैराज तथा वर्कशॉप	वह परिसर जिसमें ऑटोमोबाइल्स की सर्विसिंग और मरम्मत की जाती हो।
टैक्सी / टैम्पो / रिक्शा स्टैन्ड	वह परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक / गैर व्यवसायिक आधार पर चलने वाली मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों की पार्किंग के लिये किया जाता हो।
मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र	वह परिसर जहाँ ऑटोमोबाइल्स ड्राइविंग के प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।

ट्रान्सपोर्ट नगर	वह परिसर जिसका उपयोग ट्रकों के लिये लघु अथवा दीर्घावधि हेतु खड़ी करने के लिये किया जाता हो। इसमें ट्रक एजेन्सी के कार्यालय, गाड़ियों की मरम्मत एवं सर्विसिंग सेन्टर, ढाबे, स्पेयर पार्ट्स शॉप्स तथा गोदाम, पैट्रोल पम्प आदि भी हो सकते हैं।
धर्मकांटा	वह परिसर जहाँ भरे हुये अथवा खाली ट्रकों का वजन किया जाता हो।
बस डिपो	वह परिसर जिसका उपयोग बसों की पार्किंग, रखरखाव और मरम्मत के लिये सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी या इसी प्रकार किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाता हो। इसमें वर्कशाप भी हो सकता है।

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

11.2.8 पार्क, खेल/खुले स्थल

तालिका–53

पार्क, खेल/खुले स्थल भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ

पार्क	वह परिसर जिसमें मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिये लॉन, खुला स्थल, हरियाली आदि समानार्थी व्यवस्थायें हों इसमें भू–दृश्य, पार्किंग सुविधायें, सार्वजनिक शौचालय, फेंसिंग आदि सम्बन्धित आवश्यकताओं की व्यवस्था हो सकती है।
क्लब	सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित वह परिसर जिसका उपयोग सामाजिक और मनोरंजनात्मक उद्देश्य के लिये लोगों के समूह द्वारा किया जाता हो।
क्रीड़ा स्थल/खेल का मैदान	आउटडोर खेलों के लिये उपयोग किया जाने वाला परिसर जिसमें पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय आदि की व्यवस्था हो।
मनोरंजन पार्क	वह परिसर जहाँ मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के पार्क तथा मनोरंजन से सम्बन्धित अन्य सुविधाओं के लिये पार्क या मैदान हों।
स्टेडियम	वह परिसर जिसमे खिलाड़ियों के लिये सम्बन्धित सुविधाओं सहित दर्शकों के बैठने के लिये मण्डप भवन और स्टेडियम की व्यवस्था हो।
ट्रैफिक पार्क	पार्क के रूप मे वह परिसर जहाँ यातायात और संकेतन के सम्बन्ध मे बच्चों को जानकारी और शिक्षा देने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
स्वीमिंग पूल (तरणताल)	वह परिसर जिसमें तैरने, दर्शको के बैठने तथा अनुषांगिक सुविधाओं जैसे–ड्रेसिंग–रूम, शौचालय आदि की व्यवस्था हो।
पिकनिक स्थल/शिविर स्थल	पर्यटक ओर मनोरंजनात्मक केन्द्र के अन्दर स्थित परिसर जिसका उपयोग मनोरंजनात्मक या अवकाश उद्देश्य के लिऐ थोड़ी अवधि के लिये ठहरने के लिये किया जाता हो।

फ्लाइंग क्लब	वह परिसर जिसका उपयोग ग्लाइडरों और अन्य छोटे वायुयानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और फन–राइडिंग के लिए किया जाता हो।
शूटिंग रेन्ज	यह परिसर जो विभिन्न प्रकार की पिस्टल/बन्दूकों को चलाने/निशाने साधने इत्यादि के प्रशिक्षण/प्रेक्टिस के प्रयोग मे लाया जाता हो।

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

11.2.9 कृषि

तालिका–54

कृषि भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ

नर्सरी/पौधशाला	वह परिसर जहाँ छोटे पौधौं को उगाने और बिक्री के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
दुग्धशाला/डेरी फार्म	वह परिसर जहाँ डेरी–उत्पाद बनाने और तैयार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पशुओं के शैड्स के लिए ढांचा हो सकता है।
कुक्कुटशाला	वह परिसर जहाँ मुर्गी, बतख आदि पक्षियों के अण्डे, माँस आदि उत्पादों के व्यवसाय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमे पक्षियों हेतु शैड्स हो सकते है।
फार्म हाउस	वह परिसर जहाँ फार्म के स्वामी के उपयोग हेतु उसी कृषि भूमि पर आवासीय भवन हो।
उद्यान	वह परिसर जिसे फलों के प्रयोजनार्थ पेड़–पौधे लगाने हेतु उपयोग किया जाता हो।
दूग्ध संग्रह केन्द्र	वह परिसर जहाँ सम्बद्ध क्षेत्र से किसी डेयरी हेतु दूध का संग्रहण किया जाता हो।
कृषि उपकरणों की मरम्मत एवं सर्विसिंग	वह परिसर जहाँ कृषि में प्रयोग होने वाले मैकेनिकल/इलेक्ट्रीकल जैसे–ट्रेक्टर, ट्राली हार्वेस्टर आदि की सर्विसिंग की जाती हो।

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

11.2.10 अस्थायी क्रियाएँ/अन्य परिसर

तालिका–55

अस्थायी क्रियाएँ/अन्य परिसर भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ

वन	वह परिसर जिसमें प्राकृतिक अथवा मनुष्य द्वारा लगाये गये पेड़–पौधे हों। इसमें नगर वन भी सम्मिलित होंगे।
स्मारक	दर्शकों के लिये सभी सुविधाओं सहित वह परिसर जहाँ भूतकाल से सम्बन्धित संरचनायें या स्मारक बना हुआ हो।

चिड़िया घर/जल जीवशाला	वह परिसर जिसका उपयोग सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित प्रदर्शनी तथा अध्ययन के लिये जानवरों, जीव–जन्तुओं और पक्षियों के समूह सहित उद्यान/पार्क/जल–जीवशाला के रूप में किया जाता हो।
पक्षी शरण स्थल	सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पक्षियों के परिरक्षण और पालन पोषण के लिये विस्तृत पार्क या वन के रूप में परिसर।

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

11.3 प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु शर्तें एवं प्रतिबंध

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 के अन्तर्गत प्रमुख भू–उपयोग जोन्स मे विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता से सम्बन्धित ग्राफिक प्रस्तुतिकरण मे सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगो हेतु कोड संख्या अंकित की गयी है। विभिन्न भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु कोड संख्या के अनुसार निर्धारित अनिवार्य एवं प्रतिबन्ध निम्न प्रकार से हैं–

तालिका–56

अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध

कोड	अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध
1	भूतल पर चौकीदार/संतरी आवास
2	भूतल छोड़कर ऊपरी तलों पर आवास
3	योजना के कुल क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत तक
4	योजना के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 0.4 हैक्टेयर अथवा कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत दोनों में जो भी कम हो
5	भूतल को छोड़कर अनुवर्ती तलों के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत दोनो में से जो भी कम हो
6	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर
7	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर
8	न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर
9	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 20 शैय्याओं तक
10	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 50 शैय्याओं तक
11	केवल महायोजना में चिन्हित थोक वाणिज्यिक केन्द्र/स्थलों के अन्तर्गत
12	केवल दुर्बल/अल्प आय वर्ग की योजना में (अनुलग्नक–2 के अनुसार)
13	ज्वलनशील, नाशवान एवं आपात वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का भण्डारण
14	केवल शहर की विकसित आबादी के बाहर
15	5 हार्स पावर तक (अनुलग्नक–2 के अनुसार)
16	राईट–ऑफ–वे के बाहर

17	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 5 हार्स पावर तक
18	ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत
19	अनुमन्य एफ.ए.आर. का 25 प्रतिशत अथवा 100 वर्ग मीटर दोनों में जो भी कम हो
20	केवल अनुषांगिक उद्योग हेतु
21	केवल खुले रूप में एवं अस्थायी
22	केवल संक्रामक रोगों से सम्बन्धित
23	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर केवल तीन स्टार तक
24	न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर
25	10 हार्स पावर तक (अनुलग्नक–3 के अनुसार)
26	द्वितीय तल एवं उसके उपरी तलों पर

स्रोत– ए.आई.आई.एल.एस.जी.

निर्मित क्षेत्रों में व्यवसायिक क्रियाओं/उपयोगों की अनुमति आस–पास के विद्यमान प्रधान भू–उपयोग के दृष्टिगत प्रदान की जायेगी।

विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) हेतु अपेक्षाएँ

प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) उपयोगों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न परिस्थितियों तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दी जाएगी–

1–विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू–उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य क्रियाओं की अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में निम्न समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा जिसकी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही अनुज्ञा प्रदान की जाएगी:–

- ✦ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।
- ✦ मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि।
- ✦ अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर–सरकारी सदस्य।

विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण–अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएँगी :–

1. प्रमुख भू–उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुआँ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।
2. प्रस्तावति क्रिया यथा–सम्भव मुख्य भू–उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो।
3. प्रस्तावित क्रिया की स्वकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि भवन का–

3.1. प्रमुख भू–उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत–आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

3.2. प्रस्तावित अन्य क्रिया के कारण अगल–बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राईवेसी भंग न हो।

3.3. प्रस्तावित क्रिया के कारण अधिकतम एफ.ए.आर. एवं ऊँचाई प्रमुख भू–उपयोग के प्राविधानों के अन्तर्गत है।

3.4. किसी भी प्रमुख जोन में विशेष अनुमति से अन्य क्रिया अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग, इत्यादि हेतु दर्शायी गयी भूमि आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।

2 महायोजना में चिन्हित हैरिटेज जोन में खान–पान से सम्बन्धित दुकानें, रेस्टोरेन्ट्स, फोटोग्राफर, रेल/वायु/टैक्सी, इत्यादि के बुकिंग ऑफिस, गाईड कार्यालय, पर्यटन से सम्बन्धित कार्यालय, तथा अन्य आवश्यक क्रियाएँ यथा अस्थायी मेला/प्रदर्शनी स्थल, इत्यादि की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन उपविधियों के अधीन प्रदान की जायेगी।

3 जोनिंग रेगुलेशन्स में दर्शायी गई क्रियाओं के अतिरिक्त प्रमुख भू–उपयोग के अनुषांगिक (Compatible) अन्य क्रियाएँ जिनका उल्लेख नहीं है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण–अवगुण के आधार पर अनुमन्य की जा सकेंगी।

टिप्पणी:

✦ जोनिंग रेगुलेशन्स में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य किए जाने की दशा में समस्त क्रियाओं/उपयोगों के मानचित्र, प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किये जायेंगे। जिन क्रियाओं/उपयोगों हेतु भवन उपविधि में भू–आच्छादन, एफ.ए.आर., सेट–बैक, पार्किंग, आदि के बारे में प्राविधान नही हैं, के सम्बन्ध में क्रिया विशेष की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समिति द्वारा प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुति प्रस्तुत की जाएगी।

✦ विशेष अनुमति से किसी उपयोग/क्रिया की अनुमन्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी बाध्य नहीं होंगे तथा आवेदक अधिकार के रूप में इसकी माँग नहीं कर सकेगा।

तालिका–57

11.4 प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं (Activities) की अनुमन्यता

संकेताक्षर					संकेत
★ नि.क्षे. :निर्मित क्षेत्र आवासीय (नगरीय)	★ ल.उद्यो.: लघु उद्योग	★ स.सुवि.:सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें	★ क्षे.पा.:क्षेत्रीय पार्क	★ ह.प. : हरित पट्टी	अनुमन्य उपयोग
★ आ. : आवासीय	★ वृ.उद्यो.: वृहद उद्योग	★ सार्व.उपयोग : सीवेज फार्म/ एस.टी.पी./एस.डब्ल्यू.एम.	★ पार्क एवं खुले : पार्क नियोजित खुले स्थल	★ ग्रा.आ. : ग्रामीण आबादी	सशर्त अनुमन्य उपयोग
★ जि.व्या.के./न.उ.के./वाणि. : जिला व्यापारिक केन्द्र/नगर उपकेन्द्र/वाणिज्य	★ ल.उद्यो.कम.आ.: लघु उद्योग कम आवासीय	★ ट्रा.न. : ट्रान्सपोर्ट नगर	★ शे.झी. : शेखा झील इको-सेन्सिटिव जोन	★ हा.फै. : हाइवे फैसिलिटीज	विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग
★ थो. व्या.: थोक व्यापारिक केन्द्र	★ डि.को. : डिफेन्स इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर	★ ब.अ. : बस अड्डा	★ प्र.स्थल : प्रदर्शनी स्थल/ नुमाइश ग्राउण्ड	★ वन : वन क्षेत्र	निषिद्ध उपयोग
★ बाजार स्ट्रीट : बाजार स्ट्रीट	★ कार्या. : कार्यालय	★ ए.पट्टी : एयरपोर्ट/हवाई पट्टी	★ रि.ब. : रिवर बफर	★ कृषि : कृषि	

क्रियाएँ (Activities) / उपयोग		नि. क्षे.	आ.	व्यवसायिक			विकासशील / अविकसित क्षेत्र																			
				जि.व्या.के./ न.उ.के./ वाणि.	थो. व्या.	बाजार स्ट्रीट	उद्योग				कार्या.	सामुदायिक सुविधायें		यातायात परिवहन			पार्क नियोजित खुले स्थल						वन	ग्रा. आ.	कृषि	
							ल. उद्यो.	वृ. उद्यो.	ल.उद्यो. कम.आ.	डि. को.		स. सुवि.	सार्व. उपयोग	ट्रा. न.	ब. अ.	ए. पट्टी	क्षे. पा.	पार्क एवं खुले	शे. झी.	प्र. स्थल	रि. ब.	ह. प.			हा. फै.	कृषि
क्रम सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	**आवासीय**																									
1.1	एकल आवास	अनुमन्य	अनुमन्य	निषिद्ध	निषिद्ध	सशर्त (26)	सशर्त (3)	निषिद्ध	अनुमन्य	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	अनुमन्य	निषिद्ध	निषिद्ध
1.2	समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)	सशर्त (6)	अनुमन्य	विशेष अनुमति	सशर्त (2)	सशर्त (26)	सशर्त (3)	निषिद्ध	सशर्त (3)	सशर्त (3)	सशर्त (5)	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	सशर्त (6)	निषिद्ध	निषिद्ध
1.3	सम्बन्धित कर्मचारी/चौकीदार/संतरी आवास	अनुमन्य	अनुमन्य	सशर्त (1)	सशर्त (1)	अनुमन्य	सशर्त (4)	सशर्त (4)	सशर्त (4)	सशर्त (1)	सशर्त (3)	सशर्त (4)	सशर्त (4)	सशर्त (1)	सशर्त (1)	निषिद्ध	सशर्त (1)	विशेष अनुमति	विशेष अनुमति	विशेष अनुमति	विशेष अनुमति	विशेष अनुमति	विशेष अनुमति	अनुमन्य	अनुमन्य	सशर्त (20)
2	**व्यवसायिक**																									
2.1	फुटकर दुकानें (अनुलग्नक-1 के अनुसार)	अनुमन्य	सशर्त (6)	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	विशेष अनुमति	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	अनुमन्य	निषिद्ध	निषिद्ध
2.2	दैनिक उपयोग की दुकानें (अनुलग्नक-1 "क" के अनुसार)	सशर्त (6)	निषिद्ध	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	सशर्त (6)	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	अनुमन्य	निषिद्ध	निषिद्ध
2.3	शोरूम (मोटर वाहनों के अतिरिक्त)	सशर्त (7)	निषिद्ध	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	विशेष अनुमति	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	विशेष अनुमति	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध
2.4	मोटर वाहनों के शोरूम	निषिद्ध	निषिद्ध	सशर्त (24)	विशेष अनुमति	सशर्त (8)	विशेष अनुमति	अनुमन्य	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	अनुमन्य	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	विशेष अनुमति	निषिद्ध
2.5	मोटर वाहनों के स्पे. पार्टस की बिक्री हेतु दुकानें	निषिद्ध	निषिद्ध	सशर्त (8)	सशर्त (8)	अनुमन्य	विशेष अनुमति	विशेष अनुमति	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	अनुमन्य	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	सशर्त (6)	निषिद्ध
2.6	साप्ताहिक बाजार	विशेष अनुमति	सशर्त (7)	अनुमन्य	अनुमन्य	निषिद्ध	अनुमन्य	अनुमन्य	अनुमन्य	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	विशेष अनुमति	निषिद्ध	सशर्त (6)	निषिद्ध	अनुमन्य
2.7	थोक मण्डी/थोक व्यापार	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	अनुमन्य	निषिद्ध	विशेष अनुमति	विशेष अनुमति	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	विशेष अनुमति	विशेष अनुमति
2.8	नीलामी बाजार	निषिद्ध	निषिद्ध	सशर्त (7)	सशर्त (7)	निषिद्ध	अनुमन्य	अनुमन्य	विशेष अनुमति	निषिद्ध	निषिद्ध	विशेष अनुमति	निषिद्ध	विशेष अनुमति	विशेष अनुमति	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध	विशेष अनुमति

क्रियाएँ (Activities)/उपयोग		नि. क्षे.	आ.	व्यवसायिक			विकासशील / अविकसित क्षेत्र																			
							उद्योग				कार्या.	सामुदायिक सुविधायें		यातायात परिवहन			पार्क नियोजित खुले स्थल						वन	ग्रा. आ.	कृषि	
				जि.व्या.के./न.उ.के./वाणि.	थो. व्या.	बाजार स्ट्रीट	ल. उद्यो.	वृ. उद्यो.	ल.उद्यो. कम.आ.	डि. को.		स. सुवि.	सार्व. उपयोग	ट्रा. न.	ब. अ.	ए. पट्टी	क्षे. पा.	पार्क एवं खुले	शे. झी.	प्र. स्थल	रि. ब.	ह. प.			हा. फै.	कृषि
क्रम सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2.9	बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, आटा चक्की (10 हार्स पावर तक)		6						7																	
2.10	कोयला तथा लकड़ी के टाल	6	7	7	7		7		7															6		
2.11	कृषि उपजों के विक्रय केन्द्र				11																			6		6
2.12	शीतगृह																									
2.13	रिसॉर्ट																									
2.14	होटल	23	23			8																				
2.15	मोटल, वे-साइड रेस्तरां (ढाबा)						8	8	8					6	8											
2.16	भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन		6																							
2.17	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स		8			8			8																	
2.18	पी.सी.ओ./सेल्युलर मोबाइल सर्विस																									
2.19	पेट्रोल/डीजल/सी.एन.जी./बायो डीजल फिलिंग स्टेशन/ई.वी.चार्जिंग	6	8						8	8	8	8												7		
2.20	गैस गोदाम/गैस अधिष्ठान/ज्वलन, नाश एवं आपात वस्तुओं का भण्डारण																									
2.21	भण्डारण, गोदाम, वेयरहाऊस, संग्रहण केन्द्र, जंकयार्ड/कबाड़खाना			13	13		13			13				13	13											
2.22	सर्विस अपॉर्टमेन्ट																									
3	**औद्योगिक**																									
3.1	सेवा/कुटीर उद्योग	15	12	17																						
3.2	सूचना प्रौद्योगिकी/साफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क	17	17	17	17						17															
3.3	लघु उद्योग				25																					
3.4	वृहद उद्योग, शुगर मिल, राइस शैलर, फ्लोर मिल्स																									
3.5	संकटपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषण कारक उद्योग																									
3.6	खनन, ईंट /चूने का भट्ठा, क्रेशर																									
3.7	तेल डिपो/एल.पी.जी. रिफिलिंग प्लांट																									

क्रियाएँ (Activities) / उपयोग		नि. क्षे.	आ.	व्यवसायिक			विकासशील / अविकसित क्षेत्र																			
							उद्योग				कार्या.	सामुदायिक सुविधायें		यातायात परिवहन			पार्क नियोजित खुले स्थल						वन	ग्रा. आ.	कृषि	
				जि.व्या.के./ न.उ.के./ वाणि.	थो. व्या.	बाजार स्ट्रीट	ल. उद्यो.	वृ. उद्यो.	ल.उद्यो. कम.आ.	डि. को.		स. सुवि.	सार्व. उपयोग	ट्रा. न.	ब. अ.	ए. पट्टी	क्षे. पा.	पार्क एवं खुले	शे. झी.	प्र. स्थल	रि. ब.	ह. प.			हा. फै.	कृषि
क्रम सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3.8	पाश्चराइजिंग प्लांट/दुग्ध संग्रहण केन्द्र																									
3.9	विद्युत उत्पादन संयन्त्र/केन्द्र																									
3.10	लॉजिस्टिक पार्क/वेयर हाउसिंग																									
4	**कार्यालय**																									
4.1	राजकीय, अर्द्ध-राजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय	6	7				20	20	20	20		20		20	20											
4.2	निजी कार्यालय, एजेन्ट कार्यालय, इत्यादि		19									20		20	20											
4.3	बैंक	6								20																
4.4	वाणिज्यिक/व्यापारिक कार्यालय	6								20																
4.5	श्रमिक कल्याण केन्द्र									20																
4.6	पी.ए.सी./पुलिस लाइन्स																									
4.7	साइबर कैफे	6	7																							
4.8	बायोटेक पार्क																									
4.9	बिजनेस पार्क																									
4.10	डेटा प्रोसेसिंग सेन्टर	7																								
4.11	कॉल सेन्टर																									
4.12	बी.पी.ओ.																									
4.13	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, शोध केन्द्र					8	20				20															
4.14	मौसम अनुसंधान केन्द्र/वायरलैस केन्द्र/वेधशाला																									
5	**सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें**																									
5.1	अतिथि गृह, निरीक्षण गृह										20															
5.2	धर्मशाला, रैन-बसेरा, लाजिंग/बोर्डिंग हाउस	6	6																					6		
5.3	छात्रावास	6	6																					6		

क्रियाएँ (Activities) / उपयोग		नि. क्षे.	आ.	व्यवसायिक			विकासशील / अविकसित क्षेत्र																			
				जि.व्या.के./ न.उ.के./ वाणि.	थो. व्या.	बाजार स्ट्रीट	उद्योग				कार्या.	सामुदायिक सुविधायें		यातायात परिवहन			पार्क नियोजित खुले स्थल						वन	ग्रा. आ.	कृषि	
							ल. उद्यो.	वृ. उद्यो.	ल.उद्यो. कम.आ.	डि. को.		स. सुवि.	सार्व. उपयोग	ट्रा. न.	ब. अ.	ए. पट्टी	क्षे. पा.	पार्क एवं खुले	शे. झी.	प्र. स्थल	रि. ब.	ह. प.			हा. फै.	कृषि
क्रम सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5.4	अनाथालय, सुधारालय																									
5.5	कारागार																									
5.6	हैण्डीकेप्ड चिल्ड्रेन हाउस	6	6																							
5.7	शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र										19															
5.8	वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र																									
5.9	प्राथमिक शैक्षिक संस्थान	6	6																							
5.10	उच्च, माध्यमिक, इण्टर	6	7			24																		7		
5.11	महाविद्यालय	8	24																							
5.12	विश्वविद्यालय																									
5.13	पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल/डैन्टल कालेज																									
5.14	प्रबन्धन संस्थान/विशिष्ट शैक्षिक संस्थान																									
5.15	डाकघर/तारघर		6																							
5.16	पुलिस स्टेशन/चौकी, अग्निशमन केन्द्र		7																							
5.17	पुस्तकालय/वाचनालय		6																							
5.18	स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार कल्याण केन्द्र, डिस्पेन्सरी	9																								
5.19	अस्पताल	10					10	10	10	20	10													10		22
5.20	नर्सिंग होम	9	9				10	10	10	20	10													9		
5.21	नैदानिक प्रयोगशाला									20																22
5.22	हैल्थ क्लब/जिमनेजियम									20																
5.23	विद्युत शवदाह गृह, शमशान, कब्रिस्तान											14	14													
5.24	संगीत/नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र	6	6			6			6															6		
5.25	सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि		19			6			6																	

क्रियाएँ (Activities)/उपयोग		नि. क्षे.	आ.	व्यवसायिक			विकासशील / अविकसित क्षेत्र																			
							उद्योग				कार्या.	सामुदायिक सुविधायें		यातायात परिवहन			पार्क नियोजित खुले स्थल						वन	ग्रा. आ.	कृषि	
				जि.व्या.के./ न.उ.के./ वाणि.	थो. व्या.	बाजार स्ट्रीट	ल. उद्यो.	वृ. उद्यो.	ल.उद्यो. कम.आ.	डि. को.		स. सुवि.	सार्व. उपयोग	ट्रा. न.	ब. अ.	ए. पट्टी	क्षे. पा.	पार्क एवं खुले	शे. झी.	प्र. स्थल	रि. ब.	ह. प.			हा. फै.	कृषि
क्रम सं	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5.26	ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर		7			8	8		8								21	21	21	21	21				21	21
5.27	योग, मनन, आस्था, एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र/सत्संग भवन	6	7			8											21	21	21	21	21				21	21
5.28	धार्मिक भवन	6																						6		
5.29	सामुदायिक केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र	6	7	6	6									1	1									6		
5.30	बारात घर, बैंक्वेट हॉल			7	7																					
5.31	कान्फ्रेन्स/ मीटिंग हॉल	6																								
5.32	अजायबघर																									
5.33	आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी केन्द्र	21	7				21		21					21	21		21	21	21	21	21					21
5.34	टेलीफोन, रेडियो एवं टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र																									
5.35	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, शोध केन्द्र						20			20																
5.36	समाज कल्याण केन्द्र																									
5.37	सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट						14	14	14			14														
5.38	कूड़ा डम्पिंग											14														
5.39	डस्टबिन/कूड़ा एकत्रीकरण स्थल																									
5.40	सामुदायिक शौचालय																									
5.41	ए.टी.एम.																									
5.42	जन सुविधा केन्द्र																									
5.43	ट्यूबवेल, ओवरहेड रिजर्वायर, विद्युत केन्द्र/सब-स्टेशन																									
5.44	वाटर वर्क्स																									
5.45	माइक्रोवेव केन्द्र																									
5.46	कम्पोस्ट प्लान्ट											14	14													
5.47	पशुवधशाला											14														
5.48	रिसाईक्लिंग ऑफ वेस्ट																									

क्रम सं	क्रियाएँ (Activities) / उपयोग	नि. क्षे.	आ.	व्यवसायिक: जि.व्या.के./न.उ.के./वाणि.	व्यवसायिक: थो. व्या.	व्यवसायिक: बाजार स्ट्रीट	विकासशील / अविकसित क्षेत्र — उद्योग: ल. उद्यो.	उद्योग: वृ. उद्यो.	उद्योग: ल.उद्यो. कम.आ.	उद्योग: डि. को.	कार्या.	सामुदायिक सुविधायें: स. सुवि.	सामुदायिक सुविधायें: सार्व. उपयोग	यातायात परिवहन: ट्रा. न.	यातायात परिवहन: ब. अ.	यातायात परिवहन: ए. पट्टी	पार्क नियोजित खुले स्थल: क्षे. पा.	पार्क नियोजित खुले स्थल: पार्क एवं खुले	पार्क नियोजित खुले स्थल: शे. झी.	पार्क नियोजित खुले स्थल: प्र. स्थल	पार्क नियोजित खुले स्थल: रि. ब.	पार्क नियोजित खुले स्थल: ह. प.	वन	ग्रा. आ.	कृषि: हा. फै.	कृषि: कृषि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6.	**यातायात एवं परिवहन**																									
6.1	पार्किंग स्थल													16	16		21	21	21	21	21					
6.2	टैक्सी, टैम्पो, रिक्शा आदि के स्टैण्ड													16	16											
6.3	बस स्टॉप	7	7	8	8		7	7																7		
6.4	ट्रान्सपोर्ट नगर, बस डिपो																									
6.5	बस टर्मिनल			24																						
6.6	मोटर गैराज, सर्विस गैराज, तथा वर्कशॉप	7																						6		
6.7	मोटरचालन प्रशिक्षण केन्द्र																									
6.8	लोडिंग-अनलोडिंग प्लेटफार्म	7																						6		
6.9	रेलवे गोदाम, रेलवे यार्ड/साइडिंग/टर्मिनल																									
6.10	धर्मकांटा	7		11	11		7																	6		
6.11	एयरपोर्ट/हवाई पट्टी																									
7.	**पार्क, क्रीड़ा/खुले स्थल**																									
7.1	पार्क, क्रीड़ा स्थल/खेल का मैदान																									
7.2	बहुउद्देशीय खुले स्थल	7	7																					7		
7.3	गोल्फ/रेसकोर्स																									
7.4	स्टेडियम/खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र																									
7.5	कारवां पार्क, पिकनिक स्थल, शिविर स्थल																21	21	21	21	21					21
7.6	ट्रैफिक पार्क																									
7.7	मनोरंजन पार्क	6															21	21	21	21	21			6		
7.8	क्लब, स्विमिंग पूल	6	6						6															6		
7.9	चिड़ियाघर, जल जीवशाला, वन्य जीव/पक्षी शरण स्थल																									

क्रियाएँ (Activities) / उपयोग		नि. क्षे.	आ.	व्यवसायिक			विकासशील / अविकसित क्षेत्र																			
							उद्योग				कार्या.	सामुदायिक सुविधायें		यातायात परिवहन			पार्क नियोजित खुले स्थल						वन	ग्रा. आ.	कृषि	
				जि.व्या.के./ न.उ.के./ वाणि.	थो. व्या.	बाजार स्ट्रीट	ल. उद्यो.	वृ. उद्यो.	ल.उद्यो. कम.आ.	डि. को.		स. सुवि.	सार्व. उपयोग	ट्रा. न.	ब. अ.	ए. पट्टी	क्षे. पा.	पार्क एवं खुले	शे. झी.	प्र. स्थल	रि. ब.	ह. प.			हा. फै.	कृषि
क्रम सं	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.10	फ्लाइंग क्लब/हैलीपेड											21														
7.11	शूटिंग रेंज																									
8.	**कृषि**																									
8.1	बागवानी, पौधशाला, वन, उद्यान, बॉटेनिकल गार्डेन																									
8.2	फार्म हाउस																									
8.3	चारागाह, दुग्धशाला (डेरी फार्म), कैटिल कॉलोनी																									
8.4	धोबीघाट																									
8.5	सुअर/मत्स्य/कुककुट/मधुमक्खी पालन, पशु संवर्द्धन एवं प्रजनन केन्द्र																									
8.6	कृषि उपकरणों की मरम्मत/ सर्विसिंग वर्कशॉप																									
9.	**फ्लोटिंग उपयोग**																									
9.1	सार्वजनिक सुविधायें एवं उपयोगिताएँ																									
9.2	थोक व्यवसायिक																									
9.3	यातायात एवं परिवहन																									
9.4	सेवा/कुटीर उद्योग																									
9.5	विशेष उद्योग (संकटपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषण कारक)																									

नोटः

1. विद्यमान सामुदायिक सुविधायें/उपयोगितायें/सेवायें यथा- सामान्य शैक्षिक संस्थायें, तकनीकी शैक्षिक संस्थायें, चिकित्सालय, जलकल, दूरदर्शन/रेडियो, पशु वधशाला, एस.टी.पी., विद्युत स्टेशन, कब्रिस्तान/शमशान-घाट के परिसरों में अनुशांगिक उपयोगों को ही अनुमन्य किया जायेगा। प्रस्तावित क्षेत्रें में अनुमन्य विभिन्न क्रियायें इस तालिका के अनुसार होंगी।
2. उपरोक्त तालिका में वर्णित विभिन्न क्रियाओं के लिये मार्गों की चौड़ाई सम्बन्धी मानक समय-समय पर लागू किये जाने वाले भवन उपविधि के प्राविधानों से भी आच्छादित होंगे।

11.5 भू-उपयोग जोन्स में निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क (Impact Fee) का निर्धारण

प्रभाव शुल्क में छूट	
गैर–व्यवसायिक एवं चैरिटेबल क्रियाएँ/उपयोग	①
सेवा एवं कुटीर उद्योग	②
सम्बन्धित उपयोग के प्रयोजनार्थ समूह आवास	③

संकेत	
प्रभाव शुल्क लागू नहीं	(धूसर)
प्रभाव शुल्क देय नहीं	(हल्का नीला)
प्रभाव शुल्क देय	(बैंगनी)

भू–उपयोग जोन्स

↓ क्रियाएँ (Activities)/उपयोग श्रेणी (निम्न से उच्च क्रम में)	निर्मित क्षेत्र	विकासशील/अविकसित क्षेत्र (निम्न से उच्च क्रम में) →						
		कृषि, ह० पट्टी, पार्क, क्रीड़ास्थल	सार्वजनिक सुविधाएँ	यातायात एवं परिवहन	औद्योगिक	आवासीय (ग्रामीण आबादी सहित)	कार्यालय	व्यवसायिक एवं पर्यटन
		1	2	3	4	5	6	7
1. कृषि, हरित पट्टी (ग्रीन वर्ज) पार्क, क्रीड़ास्थल								
2. सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएँ		0.25 ①				0.25 ①		
3. यातायात एवं परिवहन		0.30	0.10					
4. औद्योगिक		0.40 ②	0.25 ②	0.25 ②				
5. आवासीय		0.50	0.40	0.40	0.25 ③			
6. कार्यालय		1.00	0.75	0.75	0.75	0.50		
7. व्यवसायिक		1.50	1.25	1.25	1.00	1.00	0.50	

टिप्पणी :– 1. विभिन्न भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु निर्धारित "प्रभाव शुल्क गुणांक" की वैल्यू उन प्रकोष्ठों में दी गई है जहाँ प्रभाव शुल्क देय है।

2. सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु प्रभाव शुल्क 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु 50 प्रतिशत देय होगा तथा प्रभाव शुल्क का आंकलन सम्बन्धित भू–उपयोग जोन हेतु निर्धारित "प्रभाव शुल्क गुणांक" की वैल्यू के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार किया जायेगा :–

2.1 सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु :– भूखण्ड का क्षेत्रफल × सर्किल रेट × "प्रभाव शुल्क गुणांक" × 0.25

2.2 विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु :– भूखण्ड का क्षेत्रफल × सर्किल रेट × "प्रभाव शुल्क गुणांक" × 0.50

3. प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद की वर्तमान सैक्टर (आवासीय) दर एवं प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू–उपयोग के लिये जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा। किसी विद्यमान भू–उपयोग हेतु सर्किल रेट उपलब्ध/निर्धारित न होने की दशा में उसका निर्धारण शासन द्वारा संगत नीति के अधीन किया जायेगा।

प्रभाव शुल्क के आगणन हेतु उदाहरण

उदाहरण–1

विभिन्न आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम की अनुज्ञा हेतु :–

भूखण्ड का क्षेत्रफल = 350 वर्ग मीटर

प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर = रु0 2,000 प्रति वर्ग मीटर

देय प्रभाव शुल्क = भूखण्ड का क्षेत्रफल × सैक्टर रेट × "प्रभाव शुल्क गुणांक" × 0.25

अर्थात 350 × 2,000 × 0.25 × 0.25 = रु० 43,750

उदाहरण–2

कृषि भू–उपयोग जोन में विशेष अनुमति से पेट्रोल पम्प की अनुज्ञा हेतु :–

भूखण्ड का क्षेत्रफल = 500 वर्ग मीटर

कृषि भूमि का सर्किल रेट = रु० 200 प्रति वर्ग मीटर

देय प्रभाव शुल्क = 500 × 200 × 1.5 × 0.5 = रु० 75,000

फुटकर उपयोग के दुकानों की सूची

(अधिकतम आच्छादन 15.00 वर्ग मी0)

1. जनरल प्राविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएँ यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फल
4. फलों के जूस
5. पान, बीड़ी, सिगरेट
6. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
7. ब्यूटी पार्लर
8. हेयर ड्रेसिंग
9. कपड़े इस्तरी करना

नोट : मूल क्रिया के भवन हेतु निर्धारित अग्र सेट–बैक को छोड़ने के उपरान्त ही उपरोक्त वर्णित दैनिक उपयोग की दुकानें निर्मित की जा सकेंगी।

दैनिक उपयोग के दुकानों की सूची

1. जनरल प्राविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएँ यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फल
4. फलों के जूस
5. मिठाई एवं पेय पदार्थ
6. पान, बीड़ी, सिगरेट
7. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
8. स्टेशनरी
9. टाइपिंग, फोटोस्टेट, फैक्स, आदि
10. किताबें/मैगजीन/अखबार इत्यादि
11. खेल का सामान
12. टेलीफोन बूथ, पी.सी.ओ.
13. रेडीमेड गारमेंट
14. ब्यूटी पार्लर
15. सौन्दर्य प्रसाधन
16. हेयर ड्रेसिंग
17. टेलरिंग व बुटीक
18. घड़ी मरम्मत
19. घड़ी, पेन, चश्में की मरम्मत
20. कढ़ाई–बुनाई एवं पेन्टिंग
21. केबल टी.वी. संचालन, वीडियों पार्लर
22. प्लम्बर शाप
23. विद्युत उपकरण
24. हार्डवेयर
25. टायर पंचर की दुकानें
26. साईकिल की सर्विसिंग एवं मरम्मत
27. कपड़े इस्तरी करना
28. समरूप दैनिक उपयोगिताओं की अन्य दुकानें
29. लाण्ड्री, ड्राई–क्लीनिंग
30. दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना
31. प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइंडिंग
32. सोना तथा चाँदी का कार्य
33. जूते का फीता तैयार करना
34. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य

35. साइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
36. फोटो फ्रेमिंग
37. जूता मरम्मत
38. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
39. बेकरी, कन्फेक्शनरी
40. आटा चक्की (10 अश्व शक्ति तक)
41. फर्नीचर
42. साईबर कैफे
43. समरूप सेवा उद्योग

निर्मित/मिश्रित आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची
(5 हार्स पावर तक)

1. लाण्ड्री, ड्राई–क्लीनिंग
2. टी.वी., रेडियो, आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत
3. दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना
4. साईकिल की सर्विसिंग एवं मरम्मत
5. प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइडिंग
6. सोना तथा चाँदी का कार्य
7. कढ़ाई एवं बुनाई
8. जूते का फीता तैयार करना
9. टेलरिंग व बुटीक
10. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य
11. घड़ी, पेन, चश्में की मरम्मत
12. साइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
13. फोटो फ्रेमिंग
14. जूता मरम्मत
15. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
16. बेकरी, कन्फेक्शनरी
17. आटा चक्की
18. फर्नीचर
19. समरूप सेवा उद्योग
20. साईबर कैफे

व्यवसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषणमुक्त लघु उद्योगों की सूची

(10 हार्स पावर तक)

1. आटा चक्की
2. मूँगफली सुखाना
3. चिलिंग
4. सिलाई
5. सूती एवं ऊनी बुने वस्त्र
6. सिले वस्त्रों का उद्योग
7. हथकरघा
8. जूते का फीता तैयार करना
9. सोना तथा चाँदी/तार एवं जरी का काम
10. चमड़े के जूते तथा अन्य चर्म उत्पाद जिसमें चर्म शोधन सम्मिलित न हो
11. शीशे की शीट से दर्पण तथा फोटो तैयार करना
12. संगीत वाद यन्त्र तैयार करना
13. खेलों का सामान
14. बांस एवं बेंत उत्पाद
15. कार्ड बोर्ड एवं कागज उत्पाद
16. इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर
17. विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित यंत्र
18. स्टील एवं लकड़ी के साज–सज्जा सामान
19. घरेलू विद्युत उपकरणों को तैयार करना
20. रेडियो, टी.वी. बनाना
21. पेन, घड़ी, चश्में की मरम्मत
22. सर्जिकल पट्टियाँ
23. सूत कताई व बुनाई
24. रस्सियाँ बनाना
25. दरियाँ बनाना
26. कूलर तैयार करना
27. साईकिल एवं अन्य बिना इंजन चालित वाहनों की एसेम्बलिंग
28. वाहनों की सर्विसिंग एवं मरम्मत
29. इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण तैयार करना
30. खिलौने बनाना
31. मोमबत्ती बनाना

32. आरा मशीन के अतिरिक्त बढ़ई का कार्य
33. तेल निकालने कार्य (शोधन को छोड़कर)
34. आइसक्रीम बनाना
35. मिनरल वाटर
36. जाबिंग एवं मशीनिंग
37. लोहे के संदूक तथा सूटकेस
38. पेपर पिन तथा यू–क्लिप
39. छपाई हेतु ब्लॉक तैयार करना
40. चश्में के फ्रेम
41. समरूप प्रदूषण रहित उद्योग

भू–उपयोग जोन्स की अनुमन्यता ज्ञात करने की विधि

प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता ज्ञात करने हेतु ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के उपयोग की विधि

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं (Activities)/उपयोगों की अनुमन्यता जोनिंग रेगुलेशन्स के माध्यम से निर्धारित की जाती है। यदि आवेदक द्वारा किसी भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत क्रिया विशेष की निर्माण अनुज्ञा से सम्बन्धित मानचित्र विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर ही यह तय किया जा सकेगा कि प्रश्नगत निर्माण उस भू–उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नही। महायोजना के प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित विवरण जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–11.4 में मैट्रिक्स (Matrix) के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें क्षैतिज रेखा (X-Axis) पर कालम–2 से 26 में महायोजना के प्रमुख भू–उपयोग जोन्स दर्शाए गए हैं जबकि इन जोन्स के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियाएं/उपयोग ऊर्ध्वाधर रेखा (Y-Axis) पर दर्शाए गए हैं। किसी प्रमुख भू–उपयोग जोन में किसी क्रिया/उपयोग की अनुमन्यता ज्ञात करने के लिए क्षैतिज रेखा (X-Axis) पर दर्शायी गई उस क्रिया के सम्मुख ऊर्ध्वाधर रेखा (Y-Axis) पर दर्शाए गए भू–उपयोग जोन्स के कालम में दिए गए संकेत के आधार पर अनुमन्यता ज्ञात की जा सकती है। ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) जो Coloured तथा Black & White दोनों प्रकार से दर्शाया गया है, में निम्न चार संकेतों का प्रयोग किया गया हैः–

(i)	(हरा)	**अनुमन्य उपयोग** : जो सामान्यतः अनुमन्य हैं।
(ii)	20 20 (नीला)	**सशर्त अनुमन्य उपयोग** : जो जोनिंग रगुलेशन्स के प्रस्तर–11.4 में कोड संख्या 1 से 25 तक निर्दिष्ट शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ अनुमन्य हैं।
(iii)	(पीला)	**विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग** : जो जोनिंग रगुलेशन्स के प्रस्तर–11.4 में निर्दिष्ट अपेक्षायों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य हैं। 'सक्षम प्राधिकारी' की परिभाषा जोनिंग रगुलेशन्स के 11.1.8 में क्रमांक 11.1.8.1 पर दी गई है।
(iv)	(लाल)	**निषिद्ध उपयोग** : जो अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्त चार संकेतों के आधार पर महायोजना के प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित उदाहरण निम्न प्रकार हैं :

उदाहरण –1 : कोई व्यक्ति यह ज्ञात करना चाहता है कि 'नर्सिंग होम' व्यवसायिक भू–उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नहीं?

जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–11.4 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर क्रियाएँ के नीचे क्रमांक – 5.19 पर नर्सिंग होम के सम्मुखX-Axis पर व्यवसायिक भू–उपयोग जोन के कालम में संकेत (अनुमन्य) दिया गया है, जिसका अर्थ है कि व्यवसायिक भू–उपयोग जोन में नर्सिंग होम अनुमन्य है।

उदाहरण–2 : निर्मित क्षेत्र में ''शोरूम'' अनुमन्य है अथवा नही ?

जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–11.4 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर क्रियाएँ के नीचे क्रमांक–2.2 पर शोरूम के सम्मुख X-Axis पर ''निर्मित क्षेत्र'' के कालम में संकेत 6 6 (सशर्त अनुमन्य) दिया गया है, अर्थात् जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–3 में निर्दिष्ट कोड संख्या–6 के अनुसार निर्मित क्षेत्र में शोरूम न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर अनुमन्य है।

अध्याय–12 स्पेशल असिस्टेंस के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनायें

12.1 कम्प्रिहैन्सिव मोबिलिटी प्लान / ट्रांसपोर्टेशन प्लान

अलीगढ़ नगर निगम शहरी विकास विभाग भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले शहरी परिवहन निदेशालय के सहयोग से शहर के लिए कम्प्रिहैन्सिव मोबिलिटी प्लान (सी.एम.पी.) पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। 2031 और 2041 पर ध्यान केंद्रित करने वाले इस रणनीतिक दस्तावेज का लक्ष्य एक टिकाऊ कुशल और लागत प्रभावी गतिशीलता योजना बनाना है। सी.एम.पी. में स्वच्छ और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देते हुए प्रदूषण रहित और यात्रा के समय को कम करने की व्यापक दृष्टि के साथ सड़क, बुनियादी स्वरुप, सार्वजनिक परिवहन और शहरी नियोजन सहित विभिन्न तत्व सम्मिलित हैं। यह पहल अलीगढ़ के भविष्य के गतिशीलता परिदृश्य को आकार देने और इसके निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ–साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

12.1.1 महत्वपूर्ण गतिविधि क्षेत्र

महत्वपूर्ण गतिविधि क्षेत्रों में पैदल और वाहनों के अधिक आवाजाही क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये क्षेत्र प्राथमिक यात्रा उद्गम और गंतव्य के रूप में काम करते हैं और आमतौर पर आवश्यक शहरी केंद्रों या भविष्य के विकास के लिए निर्धारित स्थानों के निकट स्थित होते हैं। भविष्य के विकास क्षेत्रों की पहचान महायोजना–2031 में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप अलीगढ़ में नियोजित परियोजनाओं द्वारा सूचित की जा सकती है।

मौजूदा गतिविधि क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित हैं :

- कोर सिटी एरिया / बड़े बाजार का क्षेत्र
- ऊपरकोट मस्जिद
- रामघाट रोड
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
- तालानगरी
- यू.पी.एस.आई.डी.सी. औद्योगिक क्षेत्र, आदि
- सरसौल चौराहा
- एटा चुंगी चौराहा
- मदार गेट
- अग्रसेन चौराहा
- मसूदाबाद बस स्टैंड
- पुराना बस स्टैंड
- सासनी गेट, आदि

भविष्य के प्रत्याशित विकास क्षेत्र :

- धनीपुर हवाई अड्डा
- हरदुआगंज
- खानगढ़ी
- मुकंदपुर
- रुस्तमपुर
- भांकरी खास
- सिकन्दरपुर छेरत
- ओजोन सिटी, सांगवान सिटी आदि

वे क्षेत्र जहाँ भविष्य में जनसंख्या का अधिक घनत्व अपेक्षित है :

- एन.एच. 334डी के किनारे का क्षेत्र
- बुलंदशहर रोड
- एन.एच. 509 के किनारे का क्षेत्र
- रामघाट रोड
- दिल्ली जी.टी. रोड
- एस.एच. 80 के किनारे का क्षेत्र
- इनर रिंग रोड आदि के किनारे का क्षेत्र, आदि

वर्तमान और भविष्य के विकास क्षेत्र उच्च घनत्व वाली सड़कों के साथ शहर के मुख्य भाग से जुड़ते हैं। इन उच्च घनत्व वाली सड़कों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी क्योंकि इनमें यातायात का प्रवाह अधिक रहेगा। शहर के मौजूदा और भविष्य में अपेक्षित महत्वपूर्ण गतिविधि क्षेत्र नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाये गए हैंः–

12.1.2 सार्वजनिक परिवहन रणनीति

अलीगढ़ में महानगर बस सेवाएँ शुरु में पांच स्थानीय मार्गों पर संचालित होती थीं लेकिन उनका परिचालन बंद हो गया था। 2022 में FAME-2 योजना के अंतर्गत 25 इलेक्ट्रिक बसें शुरु की गईं जो पांच मार्गों पर सेवा प्रदान कर रही हैं। ये इलेक्ट्रिक बसें 100 किलोमीटर की लंबाई तय करती हैं और रास्ते में 60 बस स्टॉप निर्धारित किये गए हैं। इन इलेक्ट्रिक बसों के लिए सूतमिल चौराहा पर एक स्वतंत्र डिपो बनाया गया है।

वर्ष 2031 के लिए कम्प्रिहैन्सिव मोबिलिटी प्लान (सी.एम.पी.) के संदर्भ में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए 11 मार्गों को प्रस्तावित करने की योजना है जिसके लिए 255 बसों एवं बस अड्डों की आवश्यकता होगी। 2041 को देखते हुए सी.एम.पी. ने सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 17 मार्गों के विस्तार की कल्पना की है जिसके लिए 768 बसों एवं बस अड्डों की आवश्यकता होगी।

वर्तमान में गाँधी पार्क बस स्टैंड और मसूदाबाद बस स्टैंड इंटरसिटी या अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के रूप में काम करते हैं जो शहर के अन्दर जाम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। योजना में इन बस टर्मिनलों को इंट्रासिटी सुविधाओं में बदलना सम्मिलित है जबकि शहर के बाहरी क्षेत्रों में नए इंटरसिटी या अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल विकसित किए जायेंगे। नीचे दिया गया मानचित्र कम्प्रिहैन्सिव मोबिलिटी प्लान (सी.एम.पी.) के अनुसार इन इंटरसिटी या अंतर्राज्यीय और इंट्रासिटी बस टर्मिनलों के लिए प्रस्तावित स्थानों को दर्शाता है।

मानचित्र–15
महत्वपूर्ण गतिविधि केंद्र

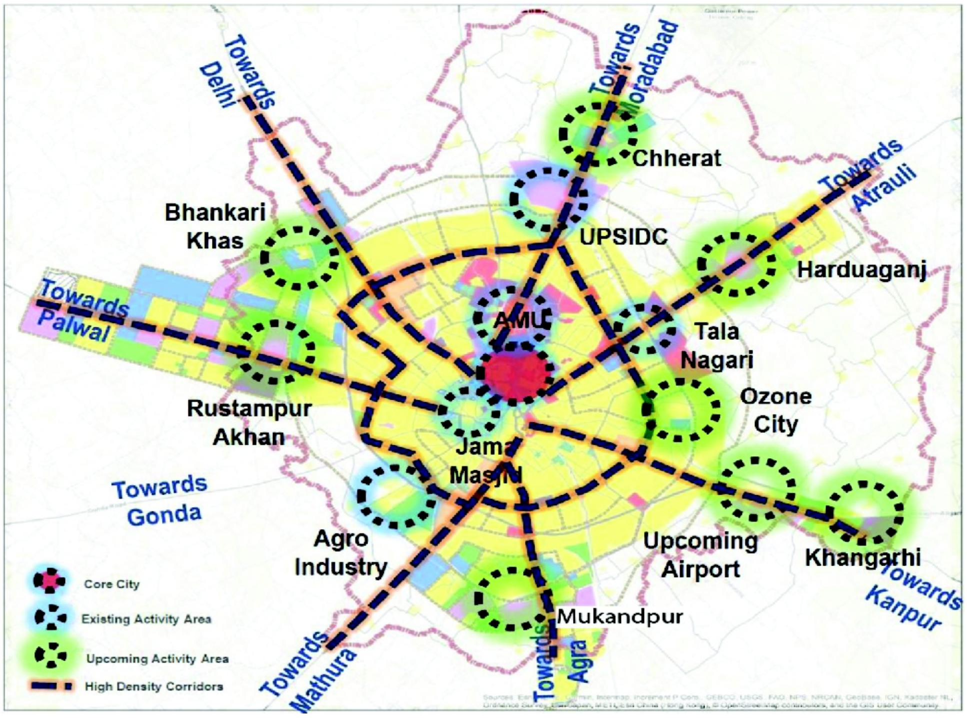

स्रोत–यू.एम.टी.सी.एल.

मानचित्र–16
प्रस्तावित बस टर्मिनलों की अवस्थिति

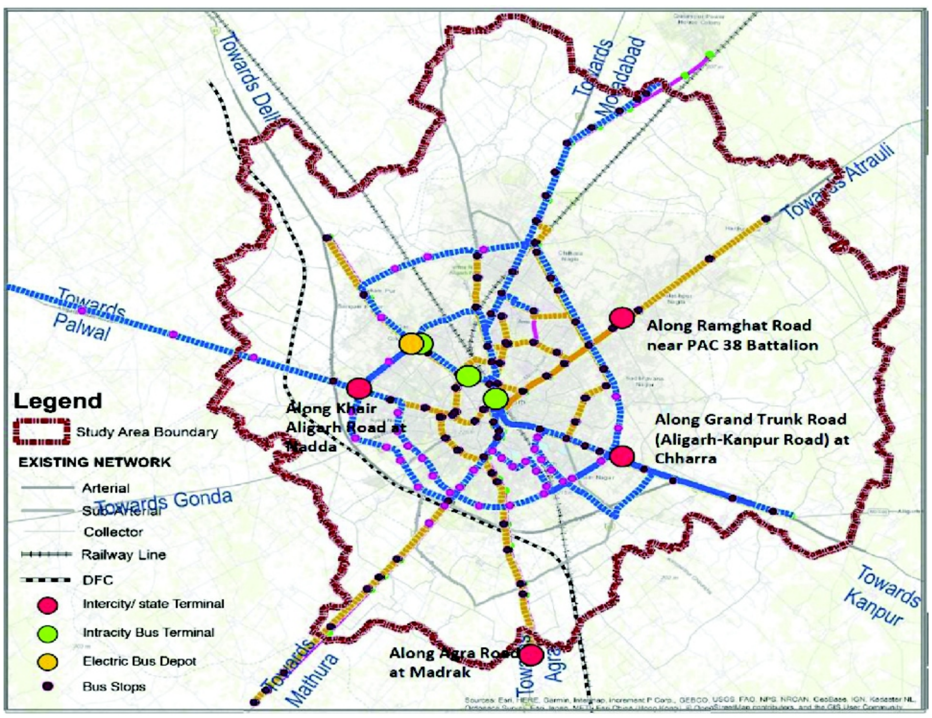

स्रोत–यू.एम.टी.सी.एल.

मानचित्र–17

प्रस्तावित फुटपाथ की अवस्थिति

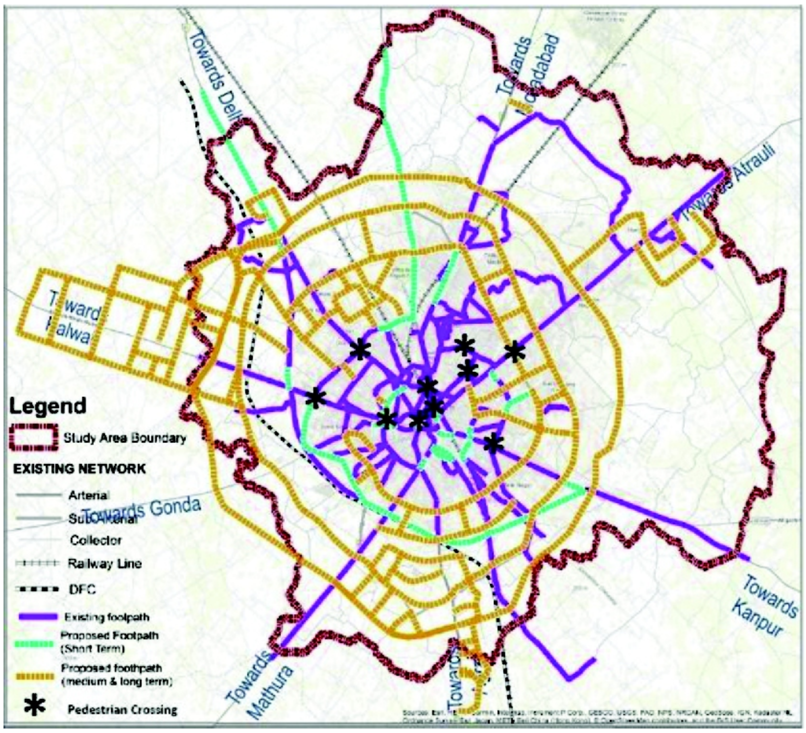

स्रोत–यू.एम.टी.सी.एल.

मानचित्र–18

प्रस्तावित साइकिल ट्रैकों की अवस्थिति

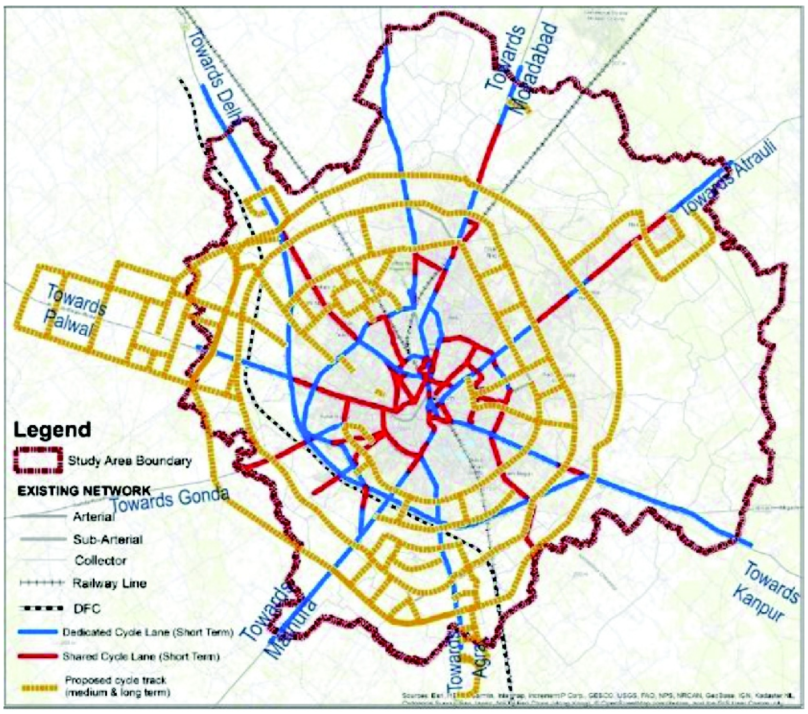

स्रोत–यू.एम.टी.सी.एल.

मानचित्र–19

प्रस्तावित जंक्शनों की अवस्थिति

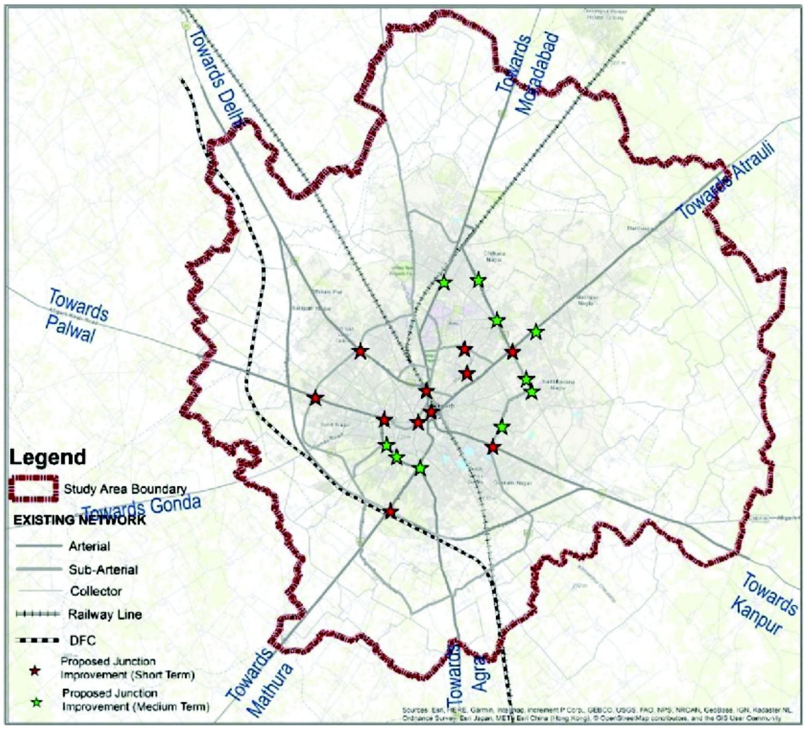

स्रोत–यू.एम.टी.सी.एल.

मानचित्र–20

प्रस्तावित पार्किंग स्थलों की अवस्थिति

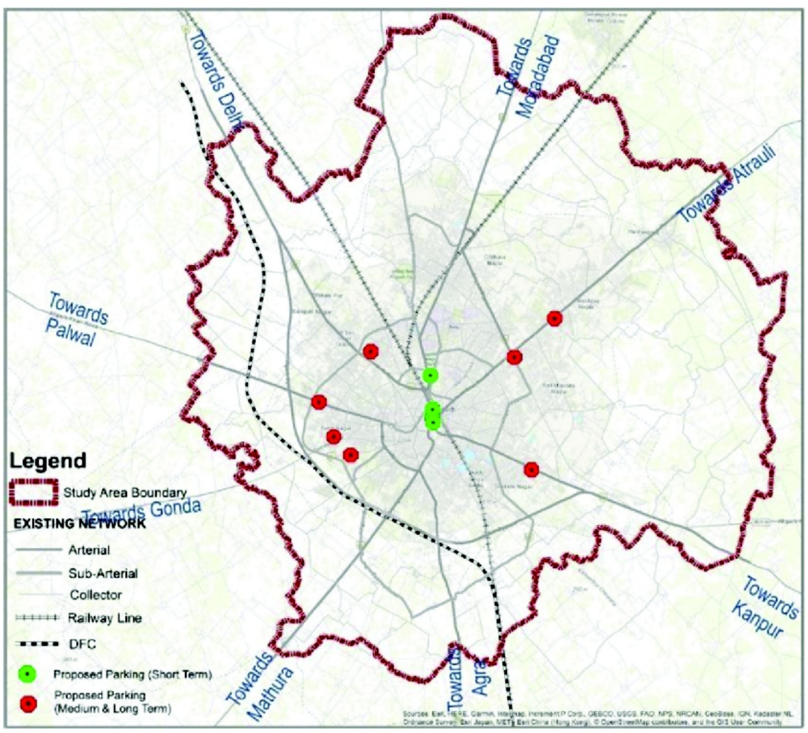

स्रोत–यू.एम.टी.सी.एल.

मानचित्र–21

नगर का आर्थिक आधार

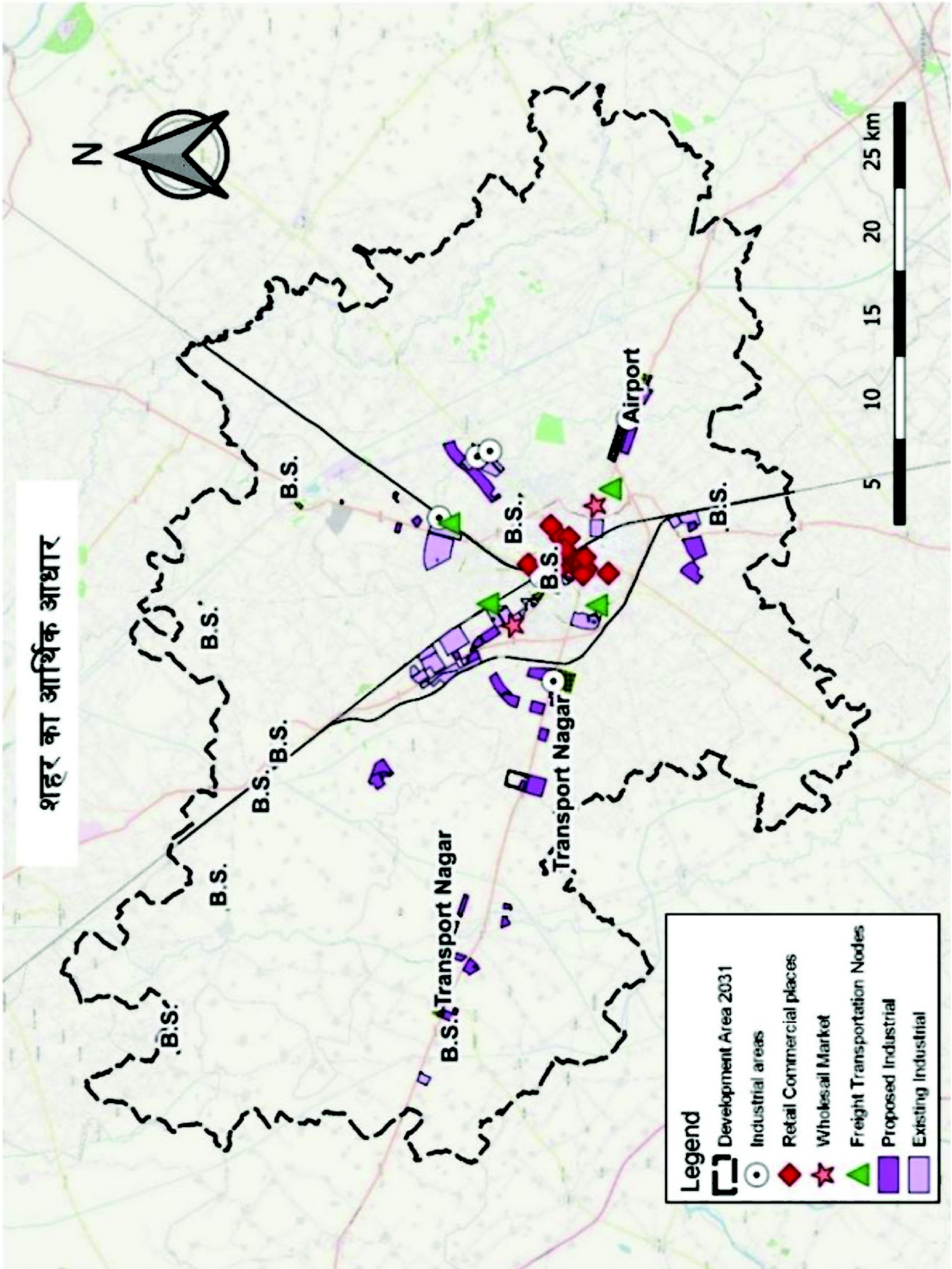

स्रोत–यू.एम.टी.सी.एल.

12.1.3 गैर मोटर चालित परिवहन

वर्तमान में शहर के अंदर गैर–मोटर चालित परिवहन अवसंरचना अविकसित है जिसके कारण शहर में बड़े पैमाने पर कच्चे फुटपाथ मौजूद हैं और चौराहों पर सुरक्षित पैदल यात्री क्रॉसिंग का अभाव है। शहर के अन्दर केवल 64 किलोमीटर पक्के फुटपाथ हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए कम्प्रेहैन्सिव मोबिलिटी प्लान (सी.एम.पी.) के अंतर्गत कई नए फुटपाथ और पैदल यात्री क्रॉसिंग प्रस्तावित किये गए हैं।

वर्तमान में शहर में साईकिल चालकों के लिए निर्दिष्ट बाइक लेन और पार्किंग क्षेत्र जैसी सुविधाएँ मौजूद नहीं हैं। आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (लगभग 14%) साईकिल पर निर्भर होने के बावजूद साईकिल चालकों को वर्तमान में कम सुविधाएँ मिलती हैं और उन्हें मिश्रित यातायात से गुजरना पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए सी.एम.पी. समर्पित और साझा साईकिल लेन दोनों के निर्माण का सुझाव देती है। सी.एम.पी. में साईकिलिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और शहर के निवासियों के बीच स्वस्थ परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए नए साईकिल ट्रैक के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं।

12.1.4 यातायात इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन

उच्च यातायात दुर्घटना दर वाले क्षेत्र जो अक्सर जंक्शनों और चौराहों पर पाए जाते हैं उन्हें मानचित्र–19 में इंगित किया गया है। सी.एम.पी. के तहत इन क्षेत्रों में सुधार पर जोर दिया गया है। इन स्थानों पर बढ़ी हुई दुर्घटना दर आमतौर पर यातायात की अधिकता, यातायात नियंत्रण और सड़क डिजाइन मापदंडों जैसे कारकों के कारण होती है। इन स्थलों पर यातायात प्रबंधन को बढ़ाने के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों की आवश्यकता है जिसमें सड़कों और चौराहों को फिर से व्यवस्थित करना, रोशनी में सुधार करना, अँधेरे स्थानों पर लाइट लगाना, और परिवहन के विभिन्न साधनों के लिए ग्रेड पृथक्करण लागू करना सम्मिलित है।

12.1.5 पार्किंग प्रबंधन

अलीगढ़ बढ़ते यातायात घनत्व और अपर्याप्त पार्किंग विकल्पों से सम्बंधित महत्वपूर्ण मुद्दों से जूझ रहा है। सशुल्क पार्किंग सेवाएँ वर्तमान में कई स्थानों पर उपलब्ध हैं जिनमें श्री अक्रूर पार्क से तसवीर महल चौराहा, गाँधी पार्क से दुबे का पड़ाव तिराहा और महाराजा अग्रसेन पार्क से गाँधी मार्ग सम्मिलित हैं। इन सभी में पर्याप्त पार्किंग टर्नओवर प्रदर्शित हुआ है, इसके अलावा अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड इस कठिनाई को दूर करने के लिए स्थलों में एक बहु–स्तरीय पार्किंग सुविधा के निर्माण की प्रक्रिया में पार्किंग स्थलों को और अधिक बढ़ाने के लिए शहर 10 नए पार्किंग स्थल प्रारम्भ करने की योजना बना रहा है जैसा कि मानचित्र–20 में दिखाया गया है।

12.1.6 कार्यान्वयन योजना

अलीगढ़ कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान की निष्पादन रणनीति को अलग–अलग उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन, गैर–मोटर चालित परिवहन, माल ढुलाई प्रबंधन, यातायात इंजीनियरिंग और प्रबंधन, माल ढुलाई प्रबंधन, यात्रा मांग प्रबंधन, और तकनीकी उपाय सम्मिलित हैं। अलीगढ़ में सी.एम.पी. को लागू करने की कुल अनुमानित लागत 7335 करोड़ रुपये का प्राथमिक आवंटन सड़क नेटवर्क को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसमें सार्वजनिक परिवहन योजना व्यय का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा।

चित्र–14

अलीगढ में सी.एम.पी. लागू करने हेतु अनुमानित लागत का श्रेणीवार विवरण

Road Network Plan	Rs. 4,863 Cr	66%
Public Transport Plan	Rs. 1,324 Cr	18%
Non-Motorized Transport Plan	Rs. 869 Cr	12%
Freight Management Plan	Rs. 125 Cr	1.7%
Traffic Engineering & Management	Rs. 30 Cr	0.5%
Travel Demand Management Measures	Rs. 115 Cr	1.7%
Technological Measures	Rs. 9 Cr	0.1%

स्रोत–यू0एम0टी0सी0एल0

12.2 आर्थिक योजना (Economic Plan)

12.2.1 कार्यबल

अलीगढ़ की आर्थिक व्यवस्था मुख्य रूप से इसके औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों पर निर्भर करती है। शहर में ताले और हार्डवेयर उद्योगों की पर्याप्त उपस्थिति है, जिससे लगभग 2,00,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। इन औद्योगिक इकाइयों के लिए श्रम शक्ति मुख्य रूप से शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आती है। जिले का कार्यबल प्रतिशत आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का 32.48% सक्रिय रूप से कार्यबल में भाग लेता है, जो औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों के भरण–पोषण और उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

12.2.2 वाणिज्यिक और औद्योगिक नोड्स

अलीगढ़ पड़ोसी शहरों और गाँवों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। शहर के वाणिज्यिक परिदृश्य को दो खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है– खुदरा और थोक बाजार।

खुदरा बाजार : खुदरा क्षेत्र में रेलवे रोड, रसलगंज, सराय हकीम, बारहद्वारी, छिपेटी, महावीरगंज, जयगंज, मदार गेट, स्टेशन रोड, शमशाद मार्केट, सुदामापुरी, रामघाट रोड, चंदनिया, जैसे विभिन्न बाजार क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं।

थोक बाजार : थोक बाजार में सकूरगंज सब्जी मंडी, धनीपुर मंडी, बारहद्वारी मंडी, उदयसिंह रोड पर बांस मंडी, सरसोल फल मंडी और पत्थर बाजार जैसे महत्वपूर्ण बाजार माल के वितरण और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अलीगढ़ शहर उत्तर प्रदेश राज्य में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में स्थान रखता है जो अपने ताले और हार्डवेयर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ निर्मित उत्पाद न केवल देश में जाते हैं बल्कि अतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी निर्यात होते हैं। इनमें से कई उद्योग कुटीर आधारित हैं जिनमें पड़ोस के शहरों और गाँवों के श्रमिक कार्यरत हैं।

अपने हार्डवेयर उत्पादों के अलावा अलीगढ़ बड़े पैमाने पर मांस निर्यात इकाइयों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में मांस उत्पादों का एक उल्लेखनीय निर्यातक है। कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पन्न अपेक्षाकृत कमतर राजस्व के बावजूद वे रोजगार सृजन के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यू.पी.एस. आई.डी.सी. (UPSIDC) और जिला उद्योग निगम (DIC) ने शहर में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं– आई.टी.आई. औद्योगिक क्षेत्र, तालानगरी चरण–1, और चरण–2, और सी.डी.एफ. छेरत औद्योगिक क्षेत्र।

12.2.3 माल परिवहन अवसंरचना

कम्प्रिहैन्सिव मोबिलिटी प्लान के अंतर्गत कई माल परिवहन नोड्स और एकत्रीकरण केंद्रों को प्रस्तावित किया गया है। इन केंद्रों का उद्देश्य शहर में रसद परिवहन के प्रबंधन के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करना है। इन लॉजिस्टिक्स केंद्रों की स्थापना से परिवहन व्यय और पारगमन समय को कम करके सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है जिससे शहर की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इन रसद और एकत्रीकरण केंद्रों का स्थान मानचित्र–21 में प्रदर्शित किया गया है।

अलीगढ़ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और रक्षा गलियारा से जुड़ा हुआ है। रक्षा गलियारा उन्नत प्रौद्योगिकी उद्योगों की उपस्थिति के कारण स्थानीय व्यवसायों को तकनीकी और विशेषज्ञता के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा। शहर के नजदीक पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में दाउदखान रेलवे स्टेशन पर स्थित एक महत्वपूर्ण फ्रेट स्टेशन बनाया जा रहा है, इस स्टेशन के पास गोदाम और एक लोको शेड स्थापित किये किये जा रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और रक्षा गलियारा दोनों के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक उद्यमों की आमद देखने की संभावना है एवं यहाँ भविष्य में होने वाले विकास को ध्यान में रखते हुए महायोजना–2031 को नियोजित किया गया है जिसमें निकटवर्ती भूमि का उपयोग विशेष रूप से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया है।

12.2.4 आवास

यह देखते हुए कि शहर का प्रमुख विकास पथ इसे दिल्ली, खैर, और कानपुर से जोड़ने वाली सड़कों के साथ संरेखित है, इन मार्गों पर रक्षा गलियारा उद्योग और ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने की पहल की गयी है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में कार्यबल और बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए आवासीय योजनाएँ तैयार की जा रही हैं। ऐसी ही एक पहल ग्रेटर अलीगढ़ हाउसिंग योजना जो खैर की ओर जाने वाली अलीगढ़ पलवल मार्ग के साथ 330 हैक्टेयर के व्यापक विस्तार पर प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अलीगढ़ विकास प्राधिकरण खैर के पास सुजानपुर गाँव में एक अन्य आवासीय योजना पर भी कार्य कर रहा है।

12.2.5 पैदल यात्री और गैर–वाहन क्षेत्र

पैदल यात्रियों के अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित करने और यातायात की भीड़ को कम करने के प्रयास में अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (A.S.C.L.) ने एक योजना हेतु सुझाव दिए हैं, जिसमें पैदल यात्रियों के अनुकूल पैदल मार्ग को बनाया जाना, विकलांग व्यक्तियों की पहुँच के लिए मार्ग बनाना, चौराहों का संवर्द्धन, कैरिजवे में सुधार करना

जैसी पहल सम्मिलित हैं। उनके प्रस्ताव में एबीडी क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 11.5 किलोमीटर फुटपाथ का निर्माण सम्मिलित है जो सड़क के फर्नीचर और पेड़ों से छायादार होगा।

इसके अलावा कम्प्रिहैन्सिव मोबिलिटी प्लान अल्पावधि में 47 किलोमीटर फुटपाथ और मध्यम और दीर्घकालिक में महायोजना सड़कों और नई सड़कों के साथ 250 किलोमीटर फुटपाथ के निर्माण की रूपरेखा तैयार करती है।

इसके अतिरिक्त, एबीडी योजना में शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर 11 सिग्नलयुक्त पैदल यात्री क्रॉसिंग की स्थापना भी सम्मिलित है। इन विकास कार्यों के क्रियान्वयन से इन क्षेत्रों को पर्याप्त लाभ मिलने की उम्मीद है।

12.2.6 वेंडिंग जोन

अलीगढ़ नगर निगम शहर के विभिन्न स्थानों पर 23 समर्पित फूड वेंडिंग जोन स्थापित कर रहा हैं। इन क्षेत्रों को पीने के पानी, पार्किंग, और सार्वजनिक शौचालय जैसी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनका उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना और रोजगार के अवसर सृजित करते हुए विक्रेताओं को समकालीन सुविधाएँ प्रदान करना है।

चित्र–15

वेंडिंग जोन की पहले व बाद की स्थिति

स्रोत–अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड

12.2.7 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु योजना

अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (ए.एस.सी.एल.) ने मौजूदा कचरे से खाद बनाने की सुविधा को बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई है जिसके लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर 20 इन–सीटू कंपोस्टिंग मशीनों की आवश्यकता है। ए.एस. सी.एल. की योजना में जी.टी. रोड के पास नुमाइश ग्राउंड के पास स्थित ट्रांसफर स्टेशन और रसलगंज चौराहा के पास अंडरग्राउंड ट्रांसफर स्टेशन पर स्वचालित सॉर्टिंग मशीनों की तैनाती भी सम्मिलित है। एबीडी क्षेत्र में कचरे को उसके स्रोत पर ही छांटा जाएगा जबकि वेंडिंग जोन और सड़कों सहित शहर के कचरे को जीपीएस युक्त ट्रकों का उपयोग करके प्रबंधित किया जाएगा। निवासियों को अपने स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण के बारे में शिक्षित करने के लिए एक जागरुकता अभियान आवश्यक है।

इसके अलावा, A2Z वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ने अलीगढ़ में मथुरा बाईपास रोड पर एक अपशिष्ट रीसाईक्लिंग और निपटान स्टेशन स्थापित किया है। इस जगह के आसपास के क्षेत्रों के साथ–साथ सिंधौली के पास जीटी रोड और

एनएच 504 के बीच स्थित एक अन्य स्थान को मास्टर प्लान 2031 में सीवेज फार्म/ट्रीटमेंट प्लांट उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एक समर्पित बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन स्टेशन के निर्माण की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है।

12.3 ब्लू–ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना

अलीगढ़ जिला उत्तर–पूर्व और दक्षिण–पश्चिम दिशा में गंगा और यमुना नदियों से घिरा हुआ है। शहर के विकास क्षेत्र में, काली नदी, करवन नदी और सेंगर नदी की उपस्थिति उल्लेखनीय है। पिछले अनुभवों से संकेत मिलता है कि ये नदियाँ आम तौर पर बाढ़ का खतरा उत्पन्न नहीं करती हैं, और उनके आसपास के क्षेत्रों में विशेष बाढ़ शमन योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था और समर्पित वर्षा जल निकासी चैनलों की अनुपस्थिति के कारण शहर में अक्सर भारी वर्षा के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त, शहर का सीवेज अनुपचारित करवन नदी में छोड़ा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इस नदी में प्रदूषण होता है। इसलिए, नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र का आंकलन करना और नदी की पर्यावरणीय अखंडता को संरक्षित करने के लिए एक समर्पित योजना लागू करना आवश्यक है।

12.3.1 जल निकासी अवसंरचना

शहर के जल निकासी बुनियादी स्वरुप का निर्माण और रखरखाव अलीगढ़ नगर निगम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। हालाँकि, वर्तमान में जल निकासी प्रणाली अपर्याप्त रूप से नियोजित की गई है, जिसके कारण अपशिष्ट जल निकासी अकुशल है। परिणामस्वरूप, शहर के मध्य क्षेत्र में जलभराव एक आम समस्या है, जिसे कम करने के लिए 25 पंपिंग स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये पंपिंग स्टेशन बढ़ती आबादी के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसे संबोधित करने के लिए, नगर निगम ने पंपिंग स्टेशनों की संख्या में तत्काल वृद्धि का प्रस्ताव दिया है।

नगर निगम के अनुसार, अलीगढ़ में 60 किमी. तक फैला सीवर नेटवर्क है, जो पूर्ण शहरवासियों को सुविधा प्रदान करने में असमर्थ है। प्रत्येक दिन, शहर लगभग 135 MLD सीवेज उत्पन्न करता है। वर्तमान में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पास 9 MLD क्षमता वाला सीवेज उपचार संयंत्र है। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इगलास के पास 40 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। मास्टर प्लान 2031 का अनुमान है कि शहर को अपनी बढ़ती जरुरतों को पूरा करने के लिए 248 MLD सीवेज उपचार क्षमता की 2031 में आवश्यकता होगी।

12.3.2 ग्रीन बेल्ट और बफर जोन

मास्टर प्लान 2031 के अनुसार, सभी जल निकायों और जल निकासी प्रणालियों को जी.आई.एस. तकनीक का उपयोग करके सावधानीपूर्वक मानचित्र पर उल्लेखित किया गया है। इन संसाधनों को अतिक्रमण से बचाने के लिए, नालों और जल निकायों के किनारे क्रमशः नामित ग्रीन बेल्ट और बफर जोन स्थापित किए गए हैं। आसपास के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नदियों, नहरों, नालों और जल चैनलों के किनारे 15.00 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का प्रस्ताव किया गया है। तालाबों और अन्य जल निकायों के मामले में 30.00 मीटर चौड़ी हरित पट्टी की सिफारिश की गई है।

इसके अतिरिक्त, शेखा झील और इसके आसपास के 501 हैक्टेयर क्षेत्र को ग्रीन बफर जोन के रूप में रखा गया

है और मास्टर प्लान–2031 के तहत पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। 45 मीटर या 60 मीटर की चौड़ाई वाली सड़कों के साथ, 30–30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी दोनों तरफ लगाई गई है। इसके अतिरिक्त, करवन नदी के दोनों किनारों पर 200 मीटर का एक नदी बफर स्थापित किया गया है। पार्कों और खुले स्थानों के साथ संयुक्त होने पर, हरित स्थानों द्वारा कवर किया गया कुल क्षेत्र कुल मास्टर प्लान क्षेत्र का 15.45% है।

12.3.3 हरित बुनियादी संरचना के लिए प्रस्ताव

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण वर्तमान में अलीगढ़–खैर रोड के किनारे ट्रांसपोर्ट नगर और ग्रेटर अलीगढ़ विकसित करने की प्रक्रिया में है। मुख्य सड़क के किनारे 30.00 मीटर चौड़ी हरित पट्टी प्रस्तावित है। इस हरित पट्टी को एक लैंडस्केप क्षेत्र में बदल दिया जाएगा और उद्यानीकरण किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों के सौंदर्य में वृद्धि होगी, साथ ही यह मुख्य सड़क से यातायात के ध्वनि और प्रदूषण के विरुद्ध एक बफर के रूप में भी काम करेगा। इसके अतिरिक्त, लोधा एस्केप ड्रेन, जो ट्रांसपोर्ट नगर से होकर गुजरता है, दोनों तरफ 15.00 मीटर चौड़ी हरित पट्टी से घिरा होगा। ट्रांसपोर्ट नगर के भीतर समग्र पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार के लिए इस हरित पट्टी क्षेत्र का भू–दृश्यीकरण कर के उद्यानीकरण किया जाएगा।

अमृत 2.0 की अमृत सरोवर योजना के अनुरूप, आवास विकास अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के पास आवास विकास नई बस्ती में स्थित एक तालाब के सौंदर्यीकरण की योजना बना रहा है। तालाब के आसपास का क्षेत्र आवासीय है इस लिए बफर घोषित करने की क्षमता नही है। वर्तमान में, तालाब खराब स्थिति में है, शैवाल निर्माण और सतही वनस्पति जैसे मुद्दों से ग्रस्त है जो पानी में सूर्य के प्रकाश के प्रवेश को बाधित करते हैं। इसके अलावा, तालाब का पानी खारा है और जलीय जीवन के लिए अनुपयुक्त है।

चित्र–16

नई बस्ती स्थित तालाब की वर्तमान स्थिति

स्रोत–आवास विकास अलीगढ़

परियोजना को सात विकास चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। इसकी शुरुआत वनस्पति और शैवाल को हटाने से होगी, इसके बाद तालाब से गाद निकालने, ड्रेजिंग और गहरा करने की प्रक्रियाएँ होंगी। जल निस्पंदन भी योजना का एक हिस्सा होगा, उपचारित पानी को बाद में तालाब में पुनः उपयोग किया जाएगा। तालाब के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, इस योजना में रास्ते का निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, एक चारदीवारी और हरियाली का रोपण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, जल उपचार उद्देश्यों के लिए यंग पिस्टिया पौधे प्रस्तावित हैं। पर्याप्त बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.) स्तर को बनाए रखने के लिए, सौर ऊर्जा से संचालित वातन प्रणाली की स्थापना की भी योजना बनाई गई है।

चित्र–17

नयी बस्ती तालाब का प्रस्तावित डिजाइन

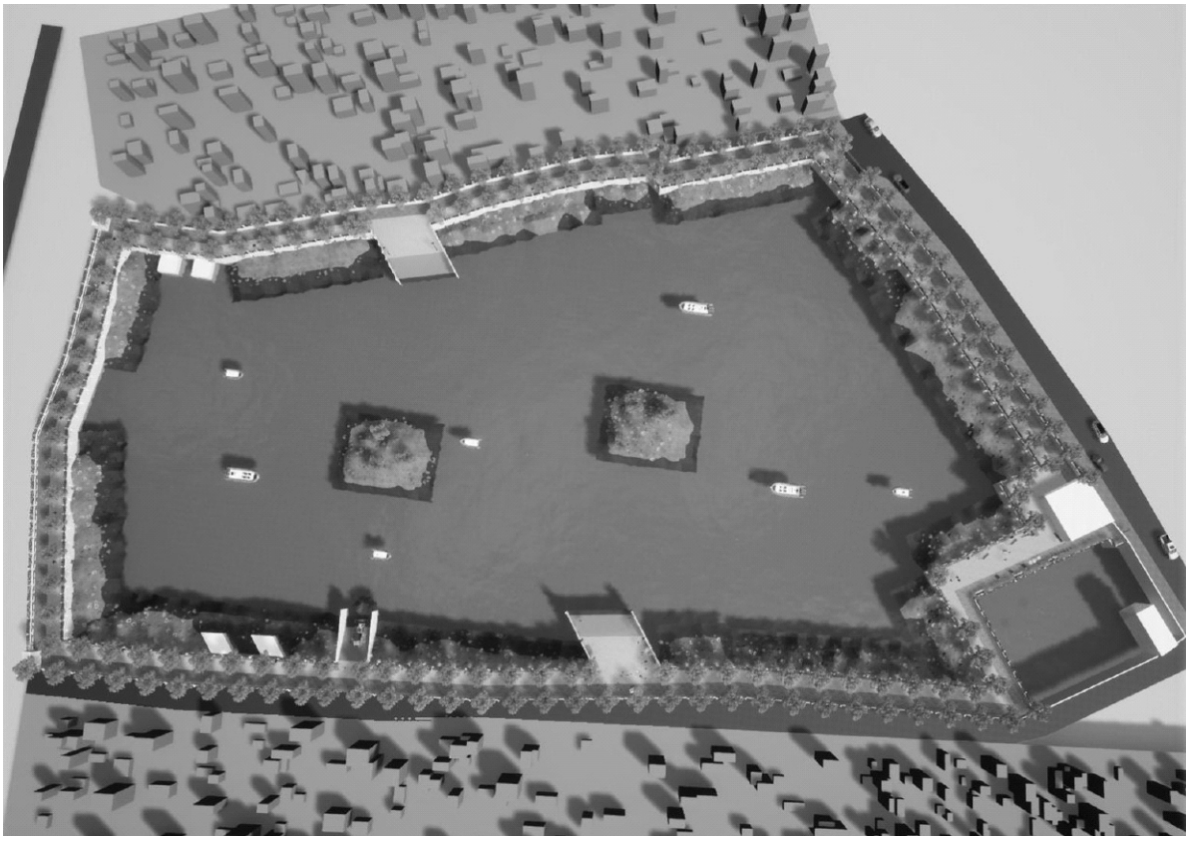

स्रोत–आवास विकास अलीगढ़

परियोजना के विकास के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग 06 करोड़ रु. है। परियोजना के पूरा होने पर, यह आस–पास के क्षेत्रों के सौंदर्य और पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाएगी, बुजुर्गों को आराम करने के लिए एक शांत जगह और बच्चों के लिए एक आनंददायक खेल की जगह प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त भूजल स्तर का पुनर्भरण करने में योगदान देगा।

12.4 ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टी.ओ.डी.)

अलीगढ़ शहर ने कोई विशिष्ट ट्रांजिट–ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टी.ओ.डी.) प्रस्ताव पेश नहीं किया है। इसका विकास ऐतिहासिक रूप से जैविक रहा है।अलीगढ़ नगर दिल्ली, कानपुर, नोएडा और आगरा जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ने वाले विभिन्न मार्गों पर बाहर की ओर विस्तारित हुआ है। शहर का विकास किसी एक पारगमन प्रणाली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे लाइनों और बिजली संयंत्रों सहित कई कारकों से प्रभावित है।

औपचारिक टी.ओ.डी. प्रस्तावों के अभाव में शहर के औद्योगिक विकास में एक देखने योग्य रुझान है। नए उद्योग मुख्य रूप से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर उद्योगों के रास्ते पर खुद को स्थापित कर रहे हैं। फलस्वरुप, शहर रणनीतिक रूप से इस परागमन मार्ग के साथ अपनी औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को संरेखित कर रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निकट ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना और मास्टर प्लान 2031 में इस कॉरिडोर के साथ औद्योगिक भूमि उपयोग आवंटन को सम्मिलित करना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ उद्योगों के भविष्य के ट्रांजिट–ओरिएंटेड डेवलपमेंट की क्षमता को रेखांकित करता है।

407 गावों की अधिसूचना

क्रम संख्या–73

रजिस्ट्रेशन नम्बर एस०एस०पी० / एल० डब्लू / एन०पी०–91 / 2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 08 फरवरी, 2008
माघ 19, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6

संख्या : 324 / आठ–6–08–13 गठन-2007
लखनऊ, 08 फरवरी, 2008

अधिसूचना

प०आ०–123

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन), अधिनियमे 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, सन् 1973) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, सरकारी अधिसूचना संख्या 2257 / 37–2–91डी०ए०–78, दिनांक 29 मार्च, 1981 में, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अलीगढ़ विकास क्षेत्र में,–

(क) शब्द "अलीगढ़ नगर पालिका की सीमा" के स्थान पर शब्द "नीचे उल्लिखित अलीगढ़, नगर पालिका सीमा और ग्राम" रख दिये जाएंगे,

(ख) अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :–

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील एवं जिला
1	2	3
1	धर्मपुर	तहसील, गभाना जिला अलीगढ़
2	रकराना	तदैव
3	जलोखरी	तदैव
4	शाहपुर	तदैव
5	राऊपुर	तदैव
6	सिसावा	तदैव

1	2	3
7	रूपनगर	तहसील, गभाना जिला अलीगढ़
8	जलालकसेरू	तदैव
9	डेटा खुर्द	तदैव
10	मंगुपुर	तदैव
11	बलरामपुर	तदैव
12	डेटा सैदपुर	तदैव
13	दरिम्बा	तदैव
14	सबलपुर	तदैव
15	मधियाना	तदैव
16	दिलाबरपुर	तदैव
17	कसैरू	तदैव
18	सुदेशपुर	तदैव
19	टीकरी भुधापुर	तदैव
20	बाहरपुर	तदैव
21	सूरजपुर	तदैव
22	भोजपुर गेयनपुर	तदैव
23	भोगपुर	तदैव
24	भगतपुर	तदैव
25	ताजपुर	तदैव
26	जहराना	तदैव
27	रामनगर	तदैव
28	शाकीपुर	तदैव
29	चन्डौस	तदैव
30	जौहरा	तदैव
31	एलमपुरा	तदैव
32	जलाखा	तदैव
33	रामपुर शाहपुर	तदैव
34	अंजना	तदैव
35	नगला पदम	तदैव
36	गंगेई	तदैव
37	उमरी	तदैव
38	सहजपुरा	तदैव
39	जामनका	तदैव
40	हीसैल	तदैव
41	चांदपुर	तदैव
42	आरामगढ़ी	तदैव
43	थानपुर खानपुर	तदैव
44	उदयपुर	तदैव
45	बरका	तदैव
46	बिसारा	तदैव
47	अमृतपुर	तदैव
48	ओगीपुर	तदैव
49	सिंहपुर	तदैव
50	वीकमपुर	तदैव
51	नवाबपुर	तदैव
52	इमलहरा	तदैव
53	नगला सरूआ	तदैव
54	मढ़की	तदैव
55	रशीदपुर गोरना	तदैव
56	किनुहा	तदैव
57	पहावटी	

1	2	3
58	भगवानपुर	तहसील, गभाना जिला अलीगढ
59	नूरुल्लापुर	तदैव
60	दोरउ चॅदपुर	तदैव
61	दिधियापुर	तदैव
62	सौमना	तदैव
63	भढौला	तदैव
64	पनिहावर	तदैव
65	नगला नथ्था	तदैव
66	हुरसेना	तदैव
67	अर्जुनपुर	तदैव
68	मोहरैना	तदैव
69	श्यामपुर	तदैव
70	रामपुर	तदैव
71	गभाना	तदैव
72	लालपुर	तदैव
73	ओगर नगला राजू	तदैव
74	ग्वालरा	तदैव
75	खिजरपुर	तदैव
76	खैमपुर	तदैव
77	भीमपुर	तदैव
78	महाराजपुर	तदैव
79	वीरपुरा	तदैव
80	घोरोठ	तदैव
81	करनपुर	तदैव
82	जखौता	तदैव
83	रायपुर	तदैव
84	कन्होई	तदैव
85	हसनपुर	तदैव
86	पैराएई	तदैव
87	चूहरपुर	तदैव
88	लोहपूट	तदैव
89	ख्यामई	तदैव
90	फतेहपुर	तदैव
91	वसई	तदैव
92	अकराबत	तदैव
93	मुकुटपुर	तदैव
94	नन्दपुर पला	तदैव
95	कोमला	तदैव
96	चौमुआ	तदैव
97	पला सल्लू	तदैव
98	कोरह रूस्तमपुर	तदैव
99	कवौली	तदैव
100	बीरमपुर	तदैव
101	जगतपुर	तदैव
102	राइट	तदैव
103	सूजापुर	तदैव
104	दाऊपुर	तदैव
105	अराजी जंगल	तदैव
106	गौंधरी	तदैव
107	प्रतापपुर	तदैव
108	गोलगढी	तदैव

1	2	3
109	मदनगढ़ी	तहसील, गभाना जिला अलीगढ़
110	सांगरा	तदैव
111	टमकोली	तदैव
112	पोथा	तदैव
113	मलिकपुरा	तदैव
114	माधौगढ़	तदैव
115	श्यामपुर	तदैव
116	बरौला	तदैव
117	पोंकरगढ़ी	तदैव
118	बरोली खास	तदैव
119	राजगढ़ी	तदैव
120	खुर्द खेड़ा	तदैव
121	दहेली	तदैव
122	ततारगढ़ी	तदैव
123	लहटोई	तदैव
124	बाजगढ़ी	तदैव
125	फरीदपुर	तदैव
126	रायपुर	तदैव
127	तालेपुर	तदैव
128	पोथी	तदैव
129	पिपलोट गोकुलपुर	तदैव
130	सिकन्दरपुर कोटा	तदैव
131	बहादुरपुर कोटा	तदैव
132	जंगलगढ़ी	तदैव
133	घुनाना	तदैव
134	कोटा खास	तदैव
135	दाउदपुर कोटा	तदैव
136	समस्तपुर कोटा	तदैव
137	सुमेरपुर	तदैव
138	दवथला	तदैव
139	ओरिहा	तदैव
140	सुमेरपुर दरियपुर	तदैव
141	तेजपुर	तदैव
142	भोजपुर नदिया	तदैव
143	पिलौना	तदैव
144	सियपुर	तदैव
145	नगला बीरिया	तदैव
146	गिरधरपुर	तदैव
147	खेड़िया हैबत खां	तदैव
148	कलुआ	तदैव
149	चंदरौला	तदैव
150	सोंगुर	तदैव
151	बझेड़ा	तदैव
152	गणेशपुर	खैर
153	नगला अस्सू	तदैव
154	धर्मपुर	तदैव
155	बमौती	तदैव
156	भौदोली	तदैव
157	गढ़ा हथीवपुर	तदैव
158	चीती	तदैव
159	महेंगोरा	तदैव
		तदैव

1	2	3
160	मीरपुर दहोड़ा	खैर
161	रायपुर	तदैव
162	दीया हमीदपुर	तदैव
163	राजपुर	तदैव
164	नरायनपुर	तदैव
165	सोफा	तदैव
166	मौहसिनपुर	तदैव
167	खैड़ा	तदैव
168	पलाविरान	तदैव
169	सुजानपुर	तदैव
170	रेसरी	तदैव
171	रूपपुर	तदैव
172	बॉकनेर	तदैव
173	मऊ	तदैव
174	कीरतपुर	तदैव
175	लक्ष्मणगढ़ी	तदैव
176	उदयगढ़ी	तदैव
177	बिलखौरा	तदैव
178	नायल	तदैव
179	मानपुर खुर्द	तदैव
180	चमन नगरीया	तदैव
181	संग्रामपुर	तदैव
182	नगौला	तदैव
183	गौतम	तदैव
184	कसीसो	तदैव
185	बिरौला	तदैव
186	धूमरा	तदैव
187	गढ़ीनगला श्योराम	तदैव
188	मथना	तदैव
189	मनपुर कला	तदैव
190	निवसानी	तदैव
191	मदनपुर	तदैव
192	शिवाला	तदैव
193	अहरौला	तदैव
194	सजना	तदैव
195	फतेहगढ़ी	तदैव
196	सभापुर	तदैव
197	सवाई रघुनाथपुर	तदैव
198	एदलपुर	तदैव
199	खेड़ासत्तू	तदैव
200	नयेला	तदैव
201	बमनी	तदैव
202	भानेरा	तदैव
203	बाजिदपुर	तदैव
204	भारैरी	तदैव
205	अरनी	तदैव
206	पलाचौंद	तदैव
207	नगला वीरूआ	तदैव
208	निसूजा	तदैव
209	उसरम	तदैव
210	भौगपुर	तदैव

1	2	3
211	एचना	खैर
212	उटवारा	तदैव
213	भमरौला	तदैव
214	नीमखेड़ा	तदैव
215	सहरोई	तदैव
216	जरारा	तदैव
217	रसूलपुर	तदैव
218	लौहागढ़	तदैव
219	नयाबांस	तदैव
220	बझेड़ा	तदैव
221	पीपल गाँव	तदैव
222	अर्राना	तदैव
223	अण्डला	तदैव
224	घौधाना	तदैव
225	मगौला	तदैव
226	कुबरपुर	तदैव
227	गौदौली	तदैव
228	जानेरा	तदैव
229	ग्लीपुर	तदैव
230	तेहरा	तदैव
231	नहरौला	तदैव
232	इस्माइलपुर	तदैव
233	भानौली	तदैव
234	खेड़ीया झल्लू	तदैव
235	बिहारीपुर	तदैव
236	काकौला	तदैव
237	हैवतपुर	तदैव
238	फारीदपुर	कोल
239	जंवा सिकन्दरपुर	तदैव
240	जंवा वाजिदपुर	तदैव
241	रामपुर	तदैव
242	पोहिना	तदैव
243	भगनपुर	तदैव
244	जटपुरा	तदैव
245	सुनामई	तदैव
246	रामपुर	तदैव
247	चाऊपुर	तदैव
248	तालिब नगर	तदैव
249	गोपालपुर	तदैव
250	कासिमपुर	तदैव
251	लौहारा	तदैव
252	भीमगढ़ी	तदैव
253	जारौठी	तदैव
254	वीरपुर छवीलगढ़ी	तदैव
255	तकीपुर	तदैव
256	मवान	तदैव
257	कल्याणपुर	तदैव
258	कनौरा	तदैव
259	काजिमपुर	तदैव
260	सूरजपुर	तदैव
261	गोधा	तदैव

1	2	3
262	शिकार गढ़ी	कोल
263	शिकरना	तदैव
264	पड़की	तदैव
265	मैमढ़ी	तदैव
266	बहरामपुर	तदैव
267	पडका सुल्तानपुर	तदैव
268	अहरू	तदैव
269	छलेसार	तदैव
270	माधौगढ़	तदैव
271	देकुरा	तदैव
272	अहरौली	तदैव
273	इस्माइलपुर	तदैव
274	मवाइन	तदैव
275	चौगानपुर	तदैव
276	शाहपुर	तदैव
277	औरंगाबाद	तदैव
278	उखलाना	तदैव
279	खैड़ा खुर्द	तदैव
280	खैड़ा बुजुर्ग	तदैव
281	नारौली	तदैव
282	गदालरा	तदैव
283	चंदौली बुर्जग	तदैव
284	भवनगढ़ी	तदैव
285	मीरपुर	तदैव
286	कलाई	तदैव
287	दाऊपुर	तदैव
288	समस्तपुर माछुआ	तदैव
289	मुजफ्फरा	तदैव
290	दरसुआ	तदैव
291	गमावेश	तदैव
292	रनपुर	तदैव
293	दुनाई	तदैव
294	कीरथपुर निमाना	तदैव
295	मढौला	तदैव
296	लौहरी नगरा बाढौन	तदैव
297	खिजरपुर	तदैव
298	हीरपुर हुसैनपुर	तदैव
299	बाढौन	तदैव
300	नगला मौनी	तदैव
301	पोजरी नागरी	तदैव
302	मण्डला	तदैव
303	करहाल गौरवा	तदैव
304	राना	तदैव
305	बलभद्रपुर	तदैव
306	बाद बामनी	तदैव
307	शहारी मदनगढ़ी	तदैव
308	करहला थांगरी	तदैव
309	भंभरौला	तदैव
310	चौदली भीकम	तदैव
311	रनीहार	तदैव
312	सलेमपुर माफी	तदैव

1	2	3
313	सिंधौली	कोल
314	मईनाथ	तदैव
315	शाहपुर मडराक	तदैव
316	कोठिय	तदैव
317	अलीपुर	तदैव
318	पाली रजापुर	तदैव
319	छिड़ावली	तदैव
320	बरानदी	तदैव
321	बिसावनपुर सिल्ला	तदैव
322	बुढ़ासी	तदैव
323	रहसूपुर	तदैव
324	मई	तदैव
325	निधौला	तदैव
326	चंमेरी	तदैव
327	भवनखेड़ा	तदैव
328	भोजपुर	तदैव
329	शेखूपुर	तदैव
330	खरई	तदैव
331	बहरामपुर	तदैव
332	उकरना	तदैव
333	शाहजहाँपुर ताजपुर	तदैव
334	खिटकारी	तदैव
335	भटौला	तदैव
336	दौलतपुर	तदैव
337	जलाली	तदैव
338	जल्लूपुर सेहौर	तदैव
339	जसरतपुर	तदैव
340	कुम्हेरा	तदैव
341	शेखा	तदैव
342	एदलपुर	तदैव
343	कल्याणपुर	तदैव
344	सिसरोई नगलाडक	तदैव
345	असगरपुर	तदैव
346	बझेड़ा	तदैव
347	रोहिनासिंहपुर	तदैव
348	धार्देगढ़ी	तदैव
349	उकावली	तदैव
350	बाजूखेड़ा	तदैव
351	खेड़ा नारायन सिंह	तदैव
352	राजीपुर	तदैव
353	सिकन्दरपुर	तदैव
354	नानऊ	तदैव
355	अकराबाद	तदैव
356	जिरौली हीरासिंह	तदैव
357	धौरी	तदैव
358	नगरिया पट्ठी चाहरन	तदैव
359	शाहगढ़	तदैव
360	पिलखना	तदैव
361	कौड़ियागंज	तदैव
362	गोपली	अतरौली
363	नरौना आकापुर	तदैव

1	2	3
364	दाउदगढ़ी	अतरौली
365	अहमदपुरा	तदैव
366	चडौली बुर्जुग	तदैव
367	चैडौला सुजानपुर	तदैव
368	सूरजपुर	तदैव
369	भवीगढ़	तदैव
370	कल्याणपुर रानी	तदैव
371	रघुपुरा कोरह	तदैव
372	रहमापुर	तदैव
373	पिपलोई	तदैव
374	बबूपुर	तदैव
375	सुनहरा	तदैव
376	आजादपुर	तदैव
377	पहाडीपुर	तदैव
378	नौशा	तदैव
379	खरगूपुरा	तदैव
380	दतावली	तदैव
381	अलहदादपुर	तदैव
382	जैथौली	इगलास
383	अलियासपुर भौंवरा	तदैव
384	भौरागौरवाँ	तदैव
385	गुरसैना	तदैव
386	नवानगर	तदैव
387	रामनगर	तदैव
388	महुआ	तदैव
389	जारौठ	तदैव
390	उदयपुरा	तदैव
391	बरौठ	तदैव
392	बिचौला	तदैव
393	हस्तपुर चन्दफरी	तदैव
394	नगला मिश्रिया	तदैव
395	नगला दयाल	तदैव
396	बोबला	तदैव
397	मकदूमपुर	तदैव
398	रामपुर	तदैव
399	विदिरका	तदैव
400	हैवतपुर	तदैव
401	नगलाघूरा	तदैव
402	मौहरनी	तदैव
403	ताहरपुर	तदैव
404	सहाराकला	तदैव
405	सहाराखुर्द	तदैव
406	नवलपुर	तदैव
407	तेहरा	तदैव

आज्ञा से,

शंकर अग्रवाल,

203 ग्रामों की सूची

क्रम संख्या	ग्रामों के नाम	तहसील/नगर निगम सीमान्तर्गत
1.	मुल्ला पाड़ा भुजपुरा	नगर निगम
2.	रोरावर	कोल
3.	अषरफपुर जलाल	कोल
4.	अलापुर गढ़िया	कोल
5	चकरसूलपुर स्वादराहर	नगर निगम
6.	रसूलपुर स्वाद शहर	नगर निगम
7.	एलमपुरा गढ़िया	नगर निगम
8.	सारसौल	कोल
9.	बरोला जाफराबाद	कोल
10.	जमालपुरमाफी	नगर निगम
11.	धोंरेरा माफी	नगर निगम
12.	भमोला माफी	नगर निगम
13.	भमोला छावनी	नगर निगम
14.	दोदपुर माफी	नगर निगम
15.	बेगपुर कन्जौला	नगर निगम
16.	क्वारसी	नगर निगम
17.	किशनपुर	नगर निगम
18.	औरंगाबाद	नगर निगम
19.	गम्भीरपुरा	नगर निगम
20.	पला साहिबाबाद	कोल
21.	कस्वा कोल	कोल
22.	दौलताबाद	कोल
23.	खेड़िया ख्वाजा बुद्धा	कोल
24.	अजीतपुर आसना	कोल
25.	सिंधारपुर	कोल
26.	अहमदपुर अमर खाँ	कोल
27.	सहारनपुर	कोल
28.	हुसैना बुजर्ग	कोल
29.	रामनगर	इगलास
30.	जारौंठ	इगलास
31.	महुआ	इगलास
32.	वीठना	कोल
33.	लालगढ़ी	कोल

34.	इनायतपुर बझेड़	कोल
35.	नौगवा अर्जुन	कोल
36.	तालसपुर खुर्द	कोल
37.	चमरौला	कोल
38.	शाहपुर कुतुब	कोल
39.	अमरपुर कोडला	कोल
40.	जहाँगीराबाद	कोल
41.	असनैती	कोल
42.	कैथवारी	कोल
43.	नूरपुर	कोल
44.	मादर खेड़ा	कोल
45.	गोविन्दपुर फगोई	कोल
46.	हेवतपुर फगोई	कोल
47.	इब्राहीमपुर	कोल
48.	अलहदादपुर नीवरी	कोल
49.	वाजिदपुर नादा	कोल
50.	सलेमपुर माफी	कोल
51.	हयातपुर हिंगाटिया	कोल
52.	चन्द्रपुरा	कोल
53.	धौरापालन	कोल
54.	भैमती	कोल
55.	अकबरपुर	कोल
56.	हरनरायनपुर	कोल
57.	डिगसी	कोल
58.	करीलिया	कोल
59.	केशोपुर जाफरी	कोल
60.	हरदासपुर	कोल
61.	ताजपुर रसूलपुर	कोल
62.	जतनपुर चिकावटी	कोल
63.	रूस्तमपुर अखन	कोल
64.	ल्हौसरा बिसावन	कोल
65.	अमरपुर नहरा	कोल
66.	समस्तपुर नईमाबाद	कोल
67.	बढ़ौला हाजी	कोल
68.	विनूपुर	कोल
69.	भरतपुर	कोल
70	नहरा	कोल
71.	लोधा	कोल

72.	मुसेरपुर करीब जिरोली	कोल
73.	बिजौना खुर्द	कोल
74.	जिरौली डोर	कोल
75.	शाहपुर करीब जिरोली	कोल
76.	लेखराजपुर	कोल
77.	भीकमपुर	कोल
78.	सिकन्दरपुर भुकरावली	कोल
79.	इलायसपुर महरावल	कोल
80.	रामगढ़ पंजूपुर	कोल
81.	चकमंजूर गढ़ी	कोल
82.	महरावल	कोल
83.	खेड़ा खुश खबर	कोल
84.	बुलाक गढ़ी	कोल
85.	भगवानपुर	कोल
86.	बिजोना बुजुर्ग	कोल
87.	सिखारन	कोल
88.	नदरोई	कोल
89.	अकरावत	गभाना
90.	नन्दपुर पला	गभाना
91.	दौलतपुर सिलावरी	कोल
92.	वरौठा छजमल	कोल
93.	हरनौटी	कोल
94.	सैमला	कोल
95.	भाँकरी खास	कोल
96.	हैयातपुर बझेड़ा	कोल
97.	भरतरी	कोल
98.	रूस्तमपुर दोला	कोल
99.	चुआवली	कोल
100.	वरई सुभानगढ़ी	कोल
101.	आलमपुर सुबकरा	कोल
102.	मजूर गढ़ी	कोल
103.	मिरजापुर सिया	कोल
104.	हैवतपुर सिया	कोल
105.	जमालपुर सिया	कोल
106.	चदरौला	कोल
107.	राजमऊ	कोल
108.	मदनपुर छबीला	कोल
109.	अमरोली	कोल

110.	रफीपुर सिया	कोल
111.	सियाखास	कोल
112.	रठगवाँ	कोल
113.	छेरत सुढियाल	कोल
114.	इमलौठ	कोल
115.	पला माजरा कस्तली बैंस्य	कोल
116.	कस्तली बैंस्य	कोल
117.	नगोला	कोल
118.	चन्दोखा	कोल
119.	साथा	कोल
120.	खेरूपुरा	कोल
121.	सिकन्दरपुर छेरत	कोल
122.	महेशपुर	कोल
123.	बरहेती	कोल
124.	हेतमपुर	कोल
125.	सपेरा भानपुर	कोल
126.	जटपुरा	कोल
127.	बरौठा	कोल
128.	मोरथल	कोल
129.	किढ़ारा	कोल
130.	रसूलपुर देवसैनी	कोल
131.	नगला भाई बेग	कोल
132.	चिलकोरा	कोल
133.	देवसैनी	कोल
134.	तालसपुर कलां	कोल
135.	हरदुआगंज देहात	कोल
136.	नयाबाँस नरेन्द्रगढ़ी	कोल
137.	हरुदुआगंज	कोल
138.	मोहनपुर	कोल
139.	आजमाबाद मछुआ	कोल
140.	सिकन्द्रपुर मछुआ	कोल
141.	इमलानी	कोल
142.	बरकातपुर	कोल
143.	गुरु सिकरम	कोल
144.	दारापुर	कोल
145.	सुखरावली	कोल
146.	असदपुर म्याम	कोल
147.	महुआ खेड़ा	कोल

148.	नगला कूतिया	कोल
149.	खान आलमपुर	कोल
150.	महमूदपुर जमालपुर	कोल
151.	अलहदादपुर	कोल
152.	ईकरी	कोल
153.	पिखलौनी	कोल
154.	निजामतपुर केरना	कोल
155.	याकूतपुर	कोल
156.	धनीपुर	कोल
157.	सिघोंली	कोल
158.	बौनेर	कोल
159.	खान गढ़ी	कोल
160.	पनेठी	कोल
161.	अदौन	कोल
162.	किशन गढ़ी	कोल
163.	धीरघरपुर (गढ़ियावली)	कोल
164.	जोरावर नगर	कोल
165.	कमालपुर	कोल
166.	रहमतपुर गढ़मई	कोल
167.	अलीनगर	कोल
168.	भदेसी माफी	कोल
169.	पड़ियावली	कोल
170.	चिरौली दाउद खाँ	कोल
171.	नगला पानखानी	कोल
172.	ईसनपुर	कोल
173.	कोछोड़	कोल
174.	बलरामपुर	कोल
175.	गजनीपुर	कोल
176.	रूस्तमपुर ऐलम	कोल
177.	केशोपुर गढ़राना	कोल
178.	मूसेपुर जलाल	कोल
179.	हेवतपुर प्रथा	कोल
180.	हाजीपुर फतेह खाँ	कोल
181.	मुकुन्दपुर	कोल
182.	घासीपुर	कोल
183.	मडराक	कोल
184.	नौहटी	कोल
185.	मईनाथ	कोल

186.	बरौली फतेह खाँ	कोल
187.	रूस्तमपुर सकत खाँ	कोल
188.	हाजीपुर चौहट्टा	कोल
189.	दोलरा निरपाल	कोल
190.	दयानतपुर रसीला	कोल
191.	भकरौली	कोल
192.	मनोहरपुर कायस्थ	कोल
193.	मुकुट गढ़ी	कोल
194.	सरमस्तपुर कीरत	कोल
195.	नगला अजमेरी	कोल
196.	सन्दलपुर	कोल
197.	आबूपुर	कोल
198.	ऐसी	कोल
199.	छाहरी	कोल
200.	नगला झाऊ	कोल
201.	पला ऐसी	कोल
202.	अहमदाबाद	कोल
203.	अटलपुर	कोल

<u>ई–मेल</u>

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण,
अलीगढ़।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक: 16 फरवरी, 2024

विषय:– अलीगढ़ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 आधारित अलीगढ़ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) का प्रतिवेदन व मानचित्र मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराये जाने संबंधी अपने पत्र संख्या–11597/नि.अनु./ए.डी.ए./2023–24 दिनांक 27.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–135/स.नि.(के)/अमृत महा परीक्षण–अलीगढ़/2023–24 दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से पुनरीक्षित अलीगढ़ महायोजना–2031 (प्रारूप) का प्रतिवेदन मानचित्रों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2– अलीगढ़ महायोजना–2031 प्रारूप पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) की धारा–8(4) एवं 10(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत अलीगढ़ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) को इस शर्त के अधीन स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है कि शासकीय समिति की बैठक दिनांक 04.12.2023 के कार्यवृत्त में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की अलीगढ़ विकास प्राधिकरण बोर्ड से पुष्टि कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

3– उपर्युक्त प्रस्तर–2 में अंकित शर्त के अधीन अनुमोदित अलीगढ़ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अलीगढ़ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) को जनसामान्य की जानकारी हेतु न्यूनतम 02 दैनिक समाचार पत्रों में अविलम्ब प्रकाशित कराते हुए महायोजना के मानचित्रों को जनसामान्य हेतु प्राधिकरण के डिसप्ले बोर्ड/वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

<u>**संलग्नक : अनुमोदित अलीगढ़ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) (मूल रूप में)।**</u>

भवदीय,
Digitally Signed by डॉ०
नितिन रमेश गोकर्ण
Date: ...02.2024 ...
Reason: Approved
(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल / अध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़।

(2) जिलाधिकारी, अलीगढ़।

(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को अनुमोदित अलीगढ़ महायोजना—2031 (पुनरीक्षित) की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(4) निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव

महायोजना–2031 (प्रारूप) पर जनसामान्य से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के सम्बन्ध में सूचना

महायोजना–2031 आपत्ति/सुझाव सम्बन्धी सूचना

अलीगढ़ शहर की अमृत योजनान्तर्गत जी.आई.एस. बेस्ड महायोजना–2031 (प्रारूप) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा तैयार किया गया है, जिस पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–11 के अन्तर्गत आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किये जा रहे हैं। महायोजना–2031 (प्रारूप) को जनसामान्य के अवलोकनार्थ कार्यालय अलीगढ़ विकास प्रधिकरण में प्रथम तल स्थित सभागार में दिनाँक–06.06.2022 से 05.07.2022 तक प्रातः 10.30 बजे से सांय 04.30 बजे तक प्रदर्षित किया जा रहा है।

आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप से उपरोक्तानुसार किसी भी कार्य दिवस में दिनाँक–06.06.2022 से 05.07.2022 तक 04 प्रतियों में प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त करा सकते हैं। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपाध्यक्ष
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण,
अलीगढ़।

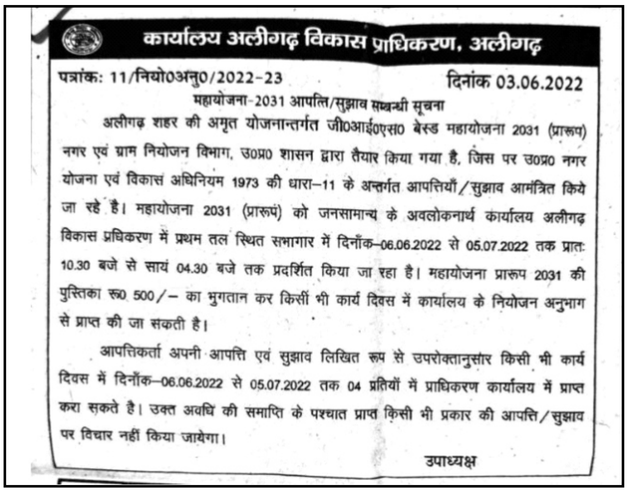

कार्यालय अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़

पत्रांकः 11/नियो0अनु0/2022-23 दिनांक 03.06.2022

महायोजना-2031 आपत्ति/सुझाव सम्बन्धी सूचना

अलीगढ़ शहर की अमृत योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 बेस्ड महायोजना 2031 (प्रारूप) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा तैयार किया गया है, जिस पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–11 के अन्तर्गत आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किये जा रहे है। महायोजना 2031 (प्रारूप) को जनसामान्य के अवलोकनार्थ कार्यालय अलीगढ़ विकास प्रधिकरण में प्रथम तल स्थित सभागार में दिनाँक–06.06.2022 से 05.07.2022 तक प्रातः 10.30 बजे से सायं 04.30 बजे तक प्रदर्शित किया जा रहा है। महायोजना प्रारूप 2031 की पुस्तिका रू0 500/– का भुगतान कर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय के नियोजन अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप से उपरोक्तानुसार किसी भी कार्य दिवस में दिनाँक–06.06.2022 से 05.07.2022 तक 04 प्रतियों में प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त करा सकते है। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपाध्यक्ष

दैनिक हिन्दस्तान दिनांक–04.06.2022

कार्यालय अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़

महायोजना-2031 आपत्ति/सुझाव सम्बन्धी सूचना

अलीगढ़ शहर की अमृत योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 बेस्ड महायोजना 2031 (प्रारूप) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा तैयार किया गया है, जिस पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-11 के अन्तर्गत आपत्तियाँ / सुझाव आमंत्रित किये जा रहे है। महायोजना 2031 (प्रारूप) को जनसामान्य के अवलोकनार्थ कार्यालय अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में प्रथम तल स्थित सभागार में दिनांक-06.06.2022 से 05.07.2022 तक प्रातः 10.30 बजे से सायं 04.30 बजे तक प्रदर्शित किया जा रहा है। महायोजना प्रारूप 2031 की पुस्तिका रू0 500/- का भुगतान कर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय के नियोजन अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप से उपरोक्तानुसार किसी भी कार्य दिवस में दिनांक-06.06.2022 से 05.07.2022 तक 04 प्रतियों में प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त करा सकते है। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपाध्यक्ष

दैनिक अमर उजाला दिनांक–04.06.2022

महायोजना–2031 (प्रारूप) पर प्राप्त आपत्तियाँ / सुझावों पर समिति द्वारा सुनवाई की सूचना

कार्यालय अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अलीगढ़ विकास क्षेत्र की अमृत योजनान्तर्गत जी.आई.एस. बेस्ड महायोजना–2031 तैयार करायी जा रही है। महायोजना–2031 के प्रारूप पर विभिन्न स्थानीय दैनिक समचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराते हुये दिनाँक–06.06.2022 से दिनाँक–05.07.2022 तक आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे, जिसके अन्तर्गत कुल 570 आपत्ति / सुझाव प्राप्त हुए हैं, प्राप्त आपत्ति / सुझावों पर दिनाँक–28.09.2022, 29.09.2022 एवं 30.09.2022 को समय पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक गठित समिति द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 की उपधारा–3 के अन्तर्गत सुनवाई की गयी।

महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) की स्वीकृति के सम्बन्ध में सूचना

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0, शासन लखनऊ, के शासनादेश संख्या–I/497685/2024 फाइल नं0. 8–3099/537/2023–3– दिनांक–16.02.2024 के माध्यम से उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की (यथासंशोधित) की धारा–8 (4) एवं 10 (2) के प्राविधानों के अन्तर्गत अलीगढ़ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) की स्वीकृत/अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। अलीगढ़ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जायेगी। उक्त महायोजना का निरीक्षण/अवलोकन प्राधिकरण की वेबसाईट www.adaaligarh.in पर किया जा सकता है।

शासकीय समिति बैठक दिनांक–04.12.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में दिल्ली जी.टी. रोड पर स्थित ग्राम–भीकमपुर की "सीमा प्रारम्भ से प्रस्तावित रिंग रोड तक" नियोजित "लघु उद्योग" भू–उपयोग पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के परिणामों के अधीन क्रियान्वित किया जायेगा।

उपाध्यक्ष

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण,

अलीगढ़।

कार्यालय अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़

कार्यालय पता:रामघाट रोड, ऑवर लेडी फातिमा स्कूल के सामने, अलीगढ़। दूरभाष : 0571-2740682

वेबसाइट www.adaaligarh.in, E-mail : ada1981@rediffmail.com

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, आवास एवं शहरी नियाजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या-I/497685/2024 फाइल नं0. 8-3099/537/2023-3- दिनांक-16.02.2024 के माध्यम से उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की (यथासंशोधित) की धारा-8 (4) एवं 10 (2) के प्राविधानों के अन्तर्गत अलीगढ़ महायोजना- 2031 (पुनरीक्षित) की स्वीकृत/अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। अलीगढ़ महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जायेगी। उक्त महायोजना का निरीक्षण/अवलोकन प्राधिकरण की वेबसाईट www.adaaligarh.in पर किया जा सकता है।

शासकीय समिति बैठक दिनांक- 04.12.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में दिल्ली जी0टी0 रोड पर स्थित ग्राम - भीकमपुर की "सीमा प्रारम्भ से प्रस्तावित रिंग रोड तक" नियोजित "लघु उद्योग" भू-उपयोग पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के परिणामों के अधीन क्रियान्वित किया जायेगा।

उपाध्यक्ष

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण,

अलीगढ़

पत्रांक :12098/नियो0अनु0/ए0डी0ए0/2023-24, दिनांक 22, फरवरी, 2024

दैनिक अमर उजाला दिनांक–23.02.2024

कार्यालय अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवास एव शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या– I/497685/2024 फाइल नं0 8–3099/537/2023–3–दिनाक–16.02.2024 के माध्यम से उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की (यथासंशोधित) की धारा–8(4) एव 10(2) के प्राविधानो के अन्तर्गत अलीगढ़ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) की स्वीकृत/अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। अलीगढ़ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जायेगी। उक्त महायोजना का निरीक्षण–अवलोकन प्राधिकरण की वेबसाईट www.adaaligarh.in पर किया जा सकता है।

शासकीय समिति बैठक दिनाक–04.12.2024 मे दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम मे दिल्ली जी0टी0 रोड पर स्थित ग्राम–भीकमपुर की सीमा प्रारम्भ से प्रस्तावित रिंग रोड तक नियोजित लघु उद्योग भू–उपयोग पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के परिणामों के अधीन क्रियान्वित किया जायेगा।

उपाध्यक्ष

अलीगढ़ विकास प्राधिकारण, अलीगढ़

पत्रांक :– 12098/नियो0–अनु0/ए0डी0ए0/2023–24
दिनांक : 22.02.2024

दैनिक जागरण दिनांक–23.02.2024

कार्यालय अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अलीगढ़

पत्रांक : 12098/नियो0अनु0/ए0डी0ए0/2023-24

दिनांक : 22 फरवरी, 2024

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, आवास एवं शहरी नियाजन अनुभाग–3, उ0प्र0, शासन लखनऊ, के शासनादेश संख्या–I/497685/2024 फाइल नं0. 8–3099/537/2023–3– दिनांक–16.02.2024 के माध्यम से उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की (यथासंशोधित) की धारा–8 (4) एवं 10 (2) के प्राविधानों के अन्तर्गत अलीगढ़ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) की स्वीकृत/अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। अलीगढ़ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जायेगी। उक्त महायोजना का निरीक्षण/अवलोकन प्राधिकरण की वेबसाईट www.adaaligarh.in पर किया जा सकता है।

शासकीय समिति बैठक दिनांक–04.12.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में दिल्ली जी0टी0 रोड पर स्थित ग्राम–भीकमपुर की "सीमा प्रारम्भ से प्रस्तावित रिंग रोड तक" नियोजित "लघु उद्योग" भू–उपयोग पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के परिणामों के अधीन क्रियान्वित किया जायेगा।

उपाध्यक्ष

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण,

अलीगढ़।

दैनिक हिन्दुस्तान दिनांक–23.02.2024

कार्यालय अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ.प्र., शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या-प/497685/2024 फाइल नं. 8-3099/537/2023-3- दिनांक 16.02.2024 के माध्यम से उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की (यथासंशोधित) की धारा-8 (4) एवं 10 (2) के प्राविधानों के अंतर्गत अलीगढ़ महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) की स्वीकृत/अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। अलीगढ़ महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जायेगी। उक्त महायोजना का निरीक्षण/अवलोकन प्राधिकरण की वेबसाईट www.adaaligarh.in पर किया जा सकता है।

शासकीय समिति बैठक दिनांक 04.12.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में दिल्ली जी.टी. रोड पर स्थित ग्राम-भीकमपुर की 'सीमा प्रारंभ से प्रस्तावित रिंग रोड तक' नियोजित 'लघु उद्योग' भू-उपयोग पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के परिणामों के अधीन क्रियान्वित किया जायेगा।

उपाध्यक्ष

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण,

अलीगढ़।

पत्रांक: 12098/नियो.अनु./ए.डी.ए./2023-24 दिनांक 22.02.2024

दैनिक आज दिनांक–23.02.2024

EXISTING LANDUSE MAP-2020
Legend
Residential
Mixed
Commercial
Industrial
Public- Semi Public
Govt. Offices
Recreational
Eco-Sensitive Areas
Green Areas
Heritage
Rural
Railway Property
Transportation
Road
Specific Land Use
Vacant Land
Water Bodies
TOWN & COUNTRY PLANNING DEPART.
ALL INDIA INSTITUTE OF LOCAL SELF GOVERNMENT
N
0 3 6 12 18 24 Kilometers
77°40'0"E
77°50'0"E
78°0'0"E
78°10'0"E
78°20'0"E
28°10'0"N
28°0'0"N
27°50'0"N
27°40'0"N

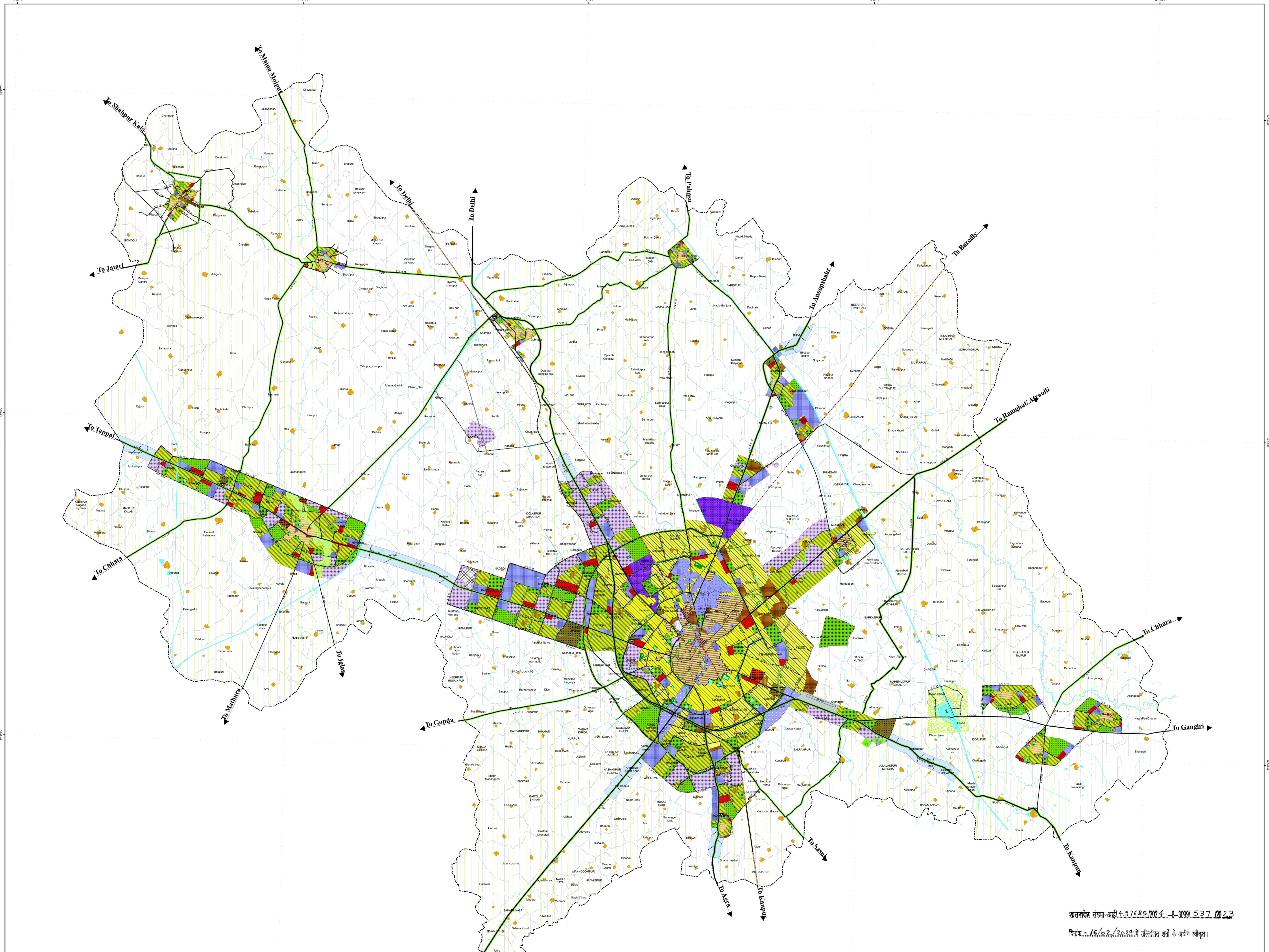

शासनादेश संख्या-आई/4-97685/2024-8-3099/537/2023

दिनांक- 16/02/2024 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत।

शासनादेश संख्या I/497685/2024–8–3099/537/2023 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ०प्र० शासन, लखनऊ, दिनांक 16.02.2024 द्वारा अनुमोदित एवं विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक 23 फरवरी 2024 से प्रभावी।

16-2-24
(अनिल कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०

16/2/24
(डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

अलीगढ़ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित)

अलीगढ़ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित)

संकेतिका

आवासीय
- ग्रामीण आबादी
- वर्तमान निर्मित आबादी
- आवासीय
- प्रस्तावित आवासीय (मध्य घनतत्व)
- प्रस्तावित आवासीय (न्यून घनतत्व)

वाणिजय
- बाजार स्ट्रीट
- वाणिज्य
- जिला व्यापारिक केंद्र
- थोक व्यापारिक केंद्र

उद्योग
- लघु उद्योग
- भारी उद्योग
- लघु उद्योग कम आवासीय
- डिफेन्स इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर

कार्यालय
- कार्यालय

सामुदायिक सुविधाये
- इंटर कॉलेज
- स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय
- प्राविधिक संस्थान
- अलीगढ मुस्लिम विशविद्यालय

उपयोगिताये एवं सेवाएं
- थाना
- अग्निशमन केंद्र
- दूरभाष केंद्र
- पोस्ट ऑफिस
- सीवेज फार्म/ट्रीटमेंट प्लांट

स्वास्थ
- जिला चिकित्सालय
- अन्य मुख्य चिकित्सलय

खुले स्थल
- पार्क नियोजित खुले स्थल
- हरित पट्टिका
- क्षेत्रीय पार्क
- रिवर वफर
- प्रदर्शनी स्थल
- शेखा झील ईको सेंसिटिव जोन
- लेक जोन

यातायात एवं परिवहन
- ट्रांसपोर्ट नगर
- बस अड्डा
- हवाई पट्टी
- वर्तमान मार्ग
- प्रस्तावित मार्ग
- रेलवे लाइन/स्टेशन परिसर
- डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर

अन्य
- कृषि
- नदी,नाला/तालाब
- ग्राम सीमा
- नगर निगम सीमा
- विकास क्षेत्र सीमा
- निर्मित क्षेत्र सीमा
- ओवर हेड ब्रिज
- हाईवे फेसिलेटेड जोन
- कब्रिस्तान
- बाग

अलीगढ विकास प्राधिकरण , अलीगढ

1. आयुक्त/अध्यक्ष, अलीगढ़ मण्डल/ अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़	अध्यक्ष	[signature]
2. उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़	उपाध्यक्ष	[signature]
3. जिलाधिकारी, अलीगढ़	सदस्य	[signature]
4. सचिव, आवास विभाग,उ0प्र0,लखनऊ या उनके सदस्य	सदस्य	
5. सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन,लखनऊ या उनके प्रतिनिधि	सदस्य	[signature]
6. नगर आयुक्त,नगर निगम, अलीगढ़	सदस्य	[signature]
7. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0, जल निगम, या उनके प्रतिनिधि	सदस्य	[signature]
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन या उनके प्रतिनिधि	सदस्य	[signature]
9. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, अलीगढ़	सदस्य	[signature]
10. अधिशासी अभियन्ता, शहरी एवं ग्रामीण, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, अलीगढ़	सदस्य	[signature]
11. अपर निदेशक, उद्योग विभाग, आगरा	सदस्य	[signature]
12. निदेशक पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, या उनके प्रतिनिधि	सदस्य	
13. श्री हेमंत राजपूत (गैर सरकारी सदस्य)	सदस्य	[signature]
14. सुश्री पूनम बजाज (गैर सरकारी सदस्य)	सदस्य	
15. श्री चौ0 देवराज सिंह (गैर सरकारी सदस्य)	सदस्य	[signature]

शासनादेश संख्या 4816(1)/9 आ–3–20039–महा/2002 दिनांक–20.12.2003 महायोजना प्रारूप पर जन सामान्य से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर सुनवाई हेतु गठित समितिः–

उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अलीगढ़	अध्यक्ष	[signature]
अपर आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ (मण्डलायुक्त द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सदस्य	[signature]
अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रतिनिधि, जिलाधिकारी अलीगढ़)	सदस्य	[signature]
मुख्य अभियन्ता, नगर निगम अलीगढ़ (प्रतिनिधि नगर आयुक्त अलीगढ़ नगर निगम)	सदस्य	[signature]
सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, आगरा प्रतिनिधि (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0 प्र0)	सदस्य	[signature]

0 800 1,600 3,200 4,800 6,400 Meters

0 0.75 1.5 3 4.5 6 Kilometers

N W E S

PREPARED FOR:-

ALIGARH DEVELOPMENT AUTHORITY

PREPARED BY:-

ALL INDIA INSTITUTE OF LOCAL SELF GOVERNMENT